

75  
आज़ादी का  
अमृत महोत्सव



वसुधैव कुटुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE



# वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2021-22

#UPMetro: साकार होते सपने





प्रतिष्ठान संयुक्त रेलवे कॉलेज/विद्यालय  
संयुक्त रेलवे कॉलेज/विद्यालय का शुभारंभ  
श्री गुरुदेव के जन्मदिन के अवसर पर  
कार्यक्रम का आयोजन  
श्री गुरुदेव, पूर्णव्यापार के का अर्पण  
श्री गुरुदेव, पूर्णव्यापार के का अर्पण

शान्ति न देता विपत्ति लाता  
अपनी सुरक्षा अपने हाथ

श्री गुरुदेव, पूर्णव्यापार के का अर्पण

RMA

## अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	निदेशक मंडल	3
2	चेयरमैन महोदय का संदेश	5
3	निदेशकों का प्रतिवेदन	6
4	कॉर्पोरेट अभिशासन पर प्रतिवेदन	19
5	वार्षिक रिटर्न का सारांश	25
6	सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	31
7	स्वतंत्र लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन	36
8	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वित्तीय विवरण	50
9	लेखाओं पर टिप्पणियाँ	78
10	वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रमुख घटनाक्रम	122



### पंजीकृत कार्यालय

प्रशासनिक भवन, विपिन खंड,  
गोमती नगर, लखनऊ- 226010 (उत्तर प्रदेश), भारत  
ईमेल: pushpa.bellani@upmrc.co.in, वेबसाइट: www.upmetrorail.com

### सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स विनय नवीन एंड कंपनी  
एफ-7, नेहरू नगर-III,  
द्वितीय तल, राकेश मार्ग,  
गाज़ियाबाद- 2010011

### आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स एस. एन. कपूर एंड असोसिएट्स  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

### सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स दिलीप दीक्षित एंड कंपनी  
कंपनी सचिव

### कंपनी सचिव

श्रीमती पुष्पा बेलानी

### कंपनी के साथ जुड़े बैंक

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया  
एचडीएफसी बैंक लि.

## 31.03.2022 को निदेशक मंडल

नाम	पदनाम
श्री मनोज जोशी*	चेयरमैन, सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
श्री कुमार केशव**	प्रबंध निदेशक, यूपीएमआरसी
श्री श्याम सुंदर दुबे	भारत सरकार के नामिती निदेशक, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एमओएचयूए
श्री विनय कुमार सिंह	भारत सरकार के नामिती निदेशक, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लि.
श्री दीपक कुमार***	उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
श्री रंजन कुमार****	उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक, नगर आयुक्त, लखनऊ मंडल
श्री अरविंद कुमार	उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक, अपर मुख्य सचिव (डीआई एवं आईडी)
श्री संजय कुमार*****	उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक, वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार
श्री अर्जुन सिंह तोमर	उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक आईएसएजी/टीआरएसईई ईडी/सिग्नल
श्री कुनाल कुमार	भारत सरकार के नामिती निदेशक, संयुक्त सचिव (स्मार्ट सिटी मिशन), एमओएचयूए
श्री संजय कुमार	उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक, सचिव, वित्त विभाग
श्री संजय मिश्रा	पूर्णकालिक निदेशक (कार्य एवं अवसंरचना), यूपीएमआरसीएल
श्री सुशील कुमार	पूर्णकालिक निदेशक (परिचालन), यूपीएमआरसीएल
श्री अतुल कुमार गर्ग	पूर्णकालिक निदेशक (चल स्टॉक एवं प्रणालियाँ), यूपीएमआरसीएल
श्री शील कुमार मित्तल	पूर्णकालिक निदेशक (वित्त), यूपीएमआरसीएल

\*श्री मनोज जोशी, दिनांक 29.12.2021 से कंपनी के चेयरमैन हैं।

\*\*बतौर प्रबंध निदेशक, यूपीएमआरसीएल श्री कुमार केशव का विस्तारित कार्यकाल दिनांक- 30.06.2022 को समाप्त हो गया।

\*\*\*श्री दीपक कुमार दिनांक- 01.06.2022 को कंपनी के नामिती निदेशक पद से पदच्युत हुए।

\*\*\*\*श्री रंजन कुमार दिनांक- 25.06.2022 को कंपनी के नामिती निदेशक पद से पदच्युत हुए।

\*\*\*\*\*श्री संजय कुमार दिनांक- 31.07.2022 को कंपनी के नामिती निदेशक पद से पदच्युत हुए।



## चेयरमैन महोदय का संदेश

### प्रिय शेयरधारको,

मुझे कंपनी की 9वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु, निदेशक मंडल के प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, आपसभी को पहले ही वितरित किया जा चुका है तथा आपकी अनुमति से, मैं उन्हें पढ़ा हुआ मानता हूं।



मुझे यह बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि कोविड-19 की दो लहरों के प्रभाव के बावजूद आपकी कंपनी ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम कॉरिडोर के अंतर्गत 9 किमी. लंबे प्राथमिक सेक्शन (आईआईटी-मोतीझील) का निर्माण पूरा कर, 2 साल 2 माह के रेकॉर्ड समय में उस पर वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। 28 दिसंबर, 2021 को, कानपुरवासियों को एक विश्वस्तरीय मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की सौगात मिली। मा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर-कमलों से तथा मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं मा. केंद्रीय मंत्री, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार श्री हरदीप सिंह पुरी की गरिमामय उपस्थिति में, कानपुर मेट्रो के प्राथमिक सेक्शन पर वाणिज्यिक परिचालन का शुभारंभ हुआ। यह सब संभव हो सका, कंपनी की संपूर्ण टीम, कॉन्ट्रैक्टरों एवं जनरल कन्सल्टेंट की कड़ी मेहनत तथा उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार के सभी संबद्ध विभागों के सहयोग से। प्रथम कॉरिडोर के बैलेंस सेक्शन मोतीझील से नौबस्ता (14 किमी.) पर निर्माण कार्य तेज़ गति के साथ जारी हैं।

आगरा मेट्रो परियोजना का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। बहुत ही कम समय में पाइलिंग का कार्य, पाइल कैप का कार्य, प्राथमिक सेक्शन के पियर्स का निर्माण, सभी 144 डबल टी-गर्डरों का परिनिर्माण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। यू-गर्डर्स एवं पियर कैप्स का परिनिर्माण भी जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। प्राथमिक सेक्शन के उपरिगामी मेट्रो स्टेशनों की फ़िनिशिंग का काम जारी है। अनुमानित है कि आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन पर यात्री सेवाओं का शुभारंभ निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत किया जाएगा। भूमिगत मेट्रो स्टेशनों का निर्माण भी तीव्र गति से किया जा रहा है।

कोविड-19 लॉक-डाउन की अवधि के दौरान, आपकी कंपनी ने सफलतापूर्वक कई तकनीकी उपकरणों को उनके सर्वोत्तम प्रयोग के साथ अपनाया। उदाहरणार्थ, ट्रेनों एवं यात्री टोकन्स का अल्ट्रा वॉयलेट (यूवी) किरणों के माध्यम से सैनिटाइजेशन, जो कि एक लागत प्रभावी विधि भी है। कोविड-19 लॉकडाउन की समाप्ति पर यात्री परिचालन पुनः प्रारंभ होने के बाद, देश की अन्य सभी मेट्रो सेवाओं की तुलना में लखनऊ मेट्रो में सबसे तेज़ गति के साथ यात्रियों की संख्या में पुनः वृद्धि (राइडरशिप रिकवरी) हुई। इसका श्रेय जाता है, यूपीएमआरसी द्वारा किए गए विभिन्न प्रभावी प्रयासों को, जैसे कि स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों एवं बैंकों इत्यादि में विभिन्न मीडिया माध्यमों जैसे कि एफएम रेडियो आदि के जरिए जागरूकता का प्रसार। कंपनी, यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर तथा प्रतिबद्ध है।

कंपनी की स्थापना के बाद से, कई बड़ी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं। हमारा लक्ष्य है कि जनता को विश्वस्तरीय सेवाएँ प्रदान की जाएँ व नए लक्ष्य निर्धारित किए जाएँ, जो यात्रियों के यात्रा करने के स्थापित प्रारूप में बेहतर बदलाव ला सकें। हमारा लक्ष्य है लोगों को एक सुरक्षित तथा सुविधाजनक सार्वजनिक यातायात का साधन मुहैया कराना।

मैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके बिना यह उपलब्धि संभव नहीं थी। मैं कंपनी को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए निदेशक मंडल में अपने सहयोगियों के मार्गदर्शन व मूल्यवान समर्थन को भी स्वीकार करना चाहता हूँ तथा एक अभूतपूर्व चुनौती का सकारात्मकता के साथ सामना करने के लिए उन्हें धन्यवाद भी देता हूँ।

धन्यवाद

दिनांक: 16.12.2022

स्थान: नई दिल्ली

ह0 / -

(मनोज जोशी)

चेयरमैन

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

## निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण,

**उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.**

आपके निदेशकों को आपके समक्ष, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं, लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन तथा उनपर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी का 9वाँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है।

यह अत्यंत ही गर्व का विषय है कि कंपनी ने अपने अस्तित्व के 8 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं तथा कंपनी स्वयं को एक उत्कृष्ट संगठन के रूप में स्थापित करने में सक्षम रही है। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर (फ़ेज़-1।) का निर्माण पूर्ण कर, उसपर परिचालन आरंभ करने के पश्चात् कंपनी ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लगभग 9 किमी. लंबे प्राथमिक सेक्शन (आईआईटी-कानपुर से मोतीझील) का क्रियान्वयन भी सफलतापूर्वक पूर्ण किया। कंपनी प्रतिबद्ध है कि डीपीआर के अनुसार, परियोजना के आगामी अधिशेष सेक्शन को भी निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूर्ण किया जाए। आगरा मेट्रो रेल परियोजना का कार्य भी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है।

### 1. वित्तीय परिणाम एवं कार्यप्रदर्शन:

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कंपनी की वित्तीय स्थिति:

(लाख रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु	वित्तीय वर्ष 2020-2021 हेतु
<b>कुल आय</b>	<b>12738.88</b>	<b>6926.08</b>
घटाएँ: परिचालन व्यय	6627.82	5800.40
घटाएँ: कर्मचारी हितलाभ व्यय	6653.36	6463.00
घटाएँ: वित्त लागत	998.01	870.72
घटाएँ: मूल्यह्रास	27476.38	25738.94
घटाएँ: अन्य व्यय	2357.59	956.33
<b>कुल व्यय</b>	<b>44113.16</b>	<b>39829.39</b>
कर से पूर्व लाभ (हानि)	(31374.28)	(32903.31)
जोड़ें / (घटाएँ): कर व्यय	-	-
कर के पश्चात निवल लाभ (हानि)	(31374.28)	(32903.31)
अन्य व्यापक आय	578.57	(81.38)
कुल व्यापक आय	(30795.71)	(32984.69)

#### सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण:

निदेशक मंडल ने सामान्य आरक्षित निधि में कोई राशि अंतरित करने की अनुशंसा नहीं की है।

#### वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु लाभांश:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी परिचालन से लाभ उत्पन्न करने में असमर्थ रही, अतः निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करने की अनुशंसा नहीं की है।



## 2. यूपीएमआरसी की विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं की स्थिति:

### (i) कानपुर मेट्रो रेल परियोजना

मा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं मा. केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय समेत अन्य महानुभावों की गरिमामय उपस्थिति में दिनांक 28.12.2021 को कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन पर वाणिज्यिक परिचालन का शुभारंभ किया। कोविड-19 की वैश्विक महामारी की दो लहरों के बावजूद, प्राथमिक सेक्शन का निर्माण कार्य शुरू होने से 2 वर्ष के अंदर ट्रायल रन की शुरुआत की गई। प्राथमिक सेक्शन के निर्माण कार्यों का शुभारंभ 15 नवंबर, 2019 को हुआ था। आईआईटी-कानपुर से मोतीझील के बीच तैयार लगभग 9 किमी. लंबे प्राथमिक सेक्शन के अंतर्गत 9 मेट्रो स्टेशन हैं। कानपुर मेट्रो का प्राथमिक सेक्शन पर्यावरण प्रबंधन के लिए आईएसओ 14001 तथा संरक्षा प्रबंधन हेतु आईएसओ 45001 प्रमाणित है।



कानपुर मेट्रो के प्रथम कॉरिडोर (आईआईटी-नौबस्ता) के बैलेंस सेक्शन पर भी निर्माण कार्य तेज़ गति से जारी हैं तथा लगभग 40% निर्माण कार्य पूर्ण भी हो चुका है। अपेक्षित है कि कानपुर मेट्रो के संपूर्ण प्रथम कॉरिडोर पर 30 नवंबर, 2024 तक वाणिज्यिक परिचालन का शुभारंभ हो जाए।

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण के दौरान देश में पहली बार उपरिगामी मेट्रो स्टेशन के कॉनकोर्स तल का आधार तैयार करने के डबल टी-गर्डर्स का प्रयोग हुआ। डबल टी-गर्डर्स के प्रयोग की बदौलत, परियोजना का निर्माण समय-सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने में मदद मिली, क्योंकि इससे निर्माण के समय में कमी आई। इसके अतिरिक्त, देश में पहली बार किसी मेट्रो परियोजना के अंतर्गत डिपो की प्रवेश/निकास लाइन के निर्माण में पोर्टल संरचना के स्थान पर टिवन पियर कैप का प्रयोग हुआ।

कानपुर मेट्रो की ट्रेनों में प्रति ट्रेन 56 यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स हैं, आपातकाल स्थिति के लिए टॉक-बैंक बटन है तथा दिव्यांग यात्रियों हेतु लॉन्ग स्टॉप रिवेस्ट बटन भी है। पूरे कॉरिडोर में 100% एलईडी लाइटिंग का उपयोग किया गया है, जिनके माध्यम से ऊर्जा की बचत की जा रही है। इन्फोटेन्मेंट के लिए एलसीडी पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है। मेट्रो यात्रियों की संरक्षा एवं सुरक्षा हेतु मेट्रो सिस्टम में विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत दो कॉरिडोर हैं; पहला कॉरिडोर आईआईटी-कानपुर से नौबस्ता तक, जिसकी लंबाई 23.785 किमी. है तथा जिसके अंतर्गत 21 स्टेशन हैं (7 भूमिगत, 14 उपरिगामी)। दूसरा कॉरिडोर, चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय से बर्गा-8 के बीच चिह्नित है, जिसकी लंबाई 8.60 किमी. है तथा जिसके 4 उपरिगामी एवं 4 भूमिगत स्टेशनों का निर्माण होना है।



### (ii) आगरा मेट्रो रेल परियोजना

उत्तर प्रदेश के तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले आगरा शहर को एक विश्वस्तरीय मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ, मा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामय उपस्थिति में 7 दिसंबर, 2020 को आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया, जिसके बाद से परियोजना का निर्माण कार्य सतत रूप से तथा सभी आवश्यक संरक्षा मानकों को पूर्ण करते हुए तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है।

आगरा में ताज पूर्वी गेट से जामा मस्जिद के बीच प्राथमिक सेक्शन का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 3 उपरिगामी एवं 3 भूमिगत स्टेशन हैं।

आगरा मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत पहले यू-गर्डर का परिनिर्माण 12 नवंबर, 2021 को हुआ। भारत में पहली बार, आगरा मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत ट्रैक क्रॉसओवर्स के लिए आर्च गर्डर का प्रयोग हुआ। प्राथमिक सेक्शन के सभी तीन उपरिगामी मेट्रो स्टेशनों का सिविल निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा फ़िनिशिंग का काम जारी है।

आगरा मेट्रो परियोजना के प्रथम कॉरिडोर के मेट्रो डिपो का काम भी 78% तक पूरा हो चुका है। कॉरिडोर पर ट्रेनों का परिचालन एवं उनकी मॉनिटरिंग इसी डिपो से होगी। डिपो में ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है तथा टेस्ट ट्रैक तैयार कर लिया गया है। डिपो में पिट व्हील लेथ मशीन भी इन्स्टॉल कर दी गई है।

### (iii) गोरखपुर मेट्रो रेल परियोजना

कंपनी ने राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित डीपीआर आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को सौंप दी है। पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, श्याम नगर से एमएमएम इंजीनियरिंग कॉलेज तक गोरखपुर मेट्रोलाइट परियोजना तैयार करने की अनुशंसा रखी है, जिसकी लंबाई 15.14 किमी. है तथा इसकी अनुमानित लागत 2670.37 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रतीक्षित है।

### (iv) अन्य मेट्रो रेल परियोजनाओं की स्थिति

उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों (मेरठ, वाराणसी एवं प्रयागराज) हेतु मेट्रो रेल परियोजनाएँ विभिन्न चरणों में उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं।

## 3. रोलिंग स्टॉक (चल स्टॉक)

31 मार्च, 2022 तक, कंपनी के पास कुल 86 मेट्रो कोच हैं, जिनकी अधिकतम गति क्षमता 90 किमी./घंटा है तथा निर्धारित गति सीमा 32-35 किमी./घंटा है, जिसमें प्रति स्टेशन रुकने/ठहराव के लिए 30 सेकंड और 100 सेकंड का डिज़ाइन हेडवे शामिल है। इन कोचों में निम्नलिखित फ़ीचर्स हैं: .

- एटीपी/एटीओ: ट्रेन के संचालन में पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोलिंग स्टॉक को निरंतर स्वचालित ट्रेन सुरक्षा एवं स्वचालित ट्रेन संचालन (भविष्य में) प्रदान किया जाता है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि 60-70% दुर्घटनाएँ मानवीय भूल के कारण होती हैं। इस प्रणाली को अपनाने से मानवीय त्रुटि से मुक्ति सुनिश्चित होती है। ऑन बोर्ड



कम्प्यूटरीकृत एटीसी सिस्टम सबसे सुरक्षित ट्रेन नियंत्रण के लिए गति आदि जैसे डेटा की निरंतर तुलना एवं सत्यापन करता है।

- अग्नि: रोलिंग स्टॉक में इस्तेमाल हुई सामग्री, अग्निरोधक है तथा इनका फायर लोड एवं ऊष्मा अवमुक्ति दर कम होते हैं तथा इनसे धुएँ का उत्सर्जन भी कम होता है; फलस्वरूप मेट्रो कोच के अंदर ज़हरीली गैस फैलने की आशंका नहीं होती। बिजली के जिन तारों का इस्तेमाल किया गया है, उनमें हैलोजन की मात्रा शून्य है तथा इस वजह से आग लगने की स्थिति में इन तारों से कम धुएँ का उत्सर्जन होगा व यात्री पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे।
- आपातकालीन द्वार: रोलिंग स्टॉक में आपातकालीन निकास की व्यवस्था की गई है ताकि आग लगने या ऐसी अन्य आपात-स्थितियों में यात्रियों को सुयोचित ढंग से ट्रेन से बाहर निकाला जा सके।
- क्रैश से बचाव हेतु फीचर्स: रोलिंग स्टॉक में इंटर-कार कपलर्स लगाए गए हैं, जिनमें क्रैश (भिडंत) के प्रभाव को कम करने के लिए ज़रूरी फीचर्स मौजूद हैं तथा जिनकी बदौलत ट्रेन दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा।
- गैंगवेज: मेट्रो कारों के बीच में चौड़े गैंगवेज बनाए गए हैं ताकि आपात-स्थिति में यात्री सुरक्षितरूप से कारों के बीच से होकर गुज़र सकें।

#### 4. स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (ऑटोमैटिक फ़ेयर कलेक्शन सिस्टम)

स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली, यूपीएमआरसी द्वारा अपनाया गया, एक अभिनव क्रियान्वयन मॉडल है। एचडीएफसी बैंक ने ईवीएम मानकों के सह-ब्रांडेड स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं, जिनका उपयोग लखनऊ मेट्रो के टिकट और अन्य पॉइंट ऑफ़ सेल्स (PoS) पर असॉर्टेड वैल्यू कार्ड के रूप में किया जा सकता है। सीसीएस हवाई अड्डे से मुंशीपुलिया तक सभी स्टेशन पर साइट और क्लाउड दोनों पर एएफसी उपकरण स्थापित और चालू किए गए हैं।

कानपुर मेट्रो में एएफसी सिस्टम अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। यह भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से पीपीपी आधार पर "ओपन लूप" ईएमवी एनसीएमसी मानकों पर आधारित है। फ़ेयर मीडिया के रूप में पारंपरिक टोकन प्रणाली को अधिक उन्नत क्यूआर (QR) पेपर टिकट के साथ-साथ मोबाइल क्यूआर टिकट से बदल दिया गया है, जो डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देता है। आईआईटी-कानपुर से मोतीझील तक कानपुर मेट्रो के प्राथमिक सेक्शन में यात्री अनुभव को आरामदायक बनाने के लिए आधुनिक एएफसी उपकरण जैसे स्वचालित गेट, टिकट ऑफिस मशीन आदि शामिल हैं।

साथ ही उपकरणों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दिव्यांग यात्री भी सभी संसाधनों तक आसानी से पहुँच सकें तथा सहजता से उनका उपयोग कर सकें, जैसे कि दोनों दिशाओं में खुलने वाले चौड़े स्वचालित गेट एवं विशेष टिकट काउंटर। सभी स्टेशनों पर एएफसी सिस्टम को फ़ायर अलार्म सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है ताकि आपात स्थिति में यात्रियों को आसान एवं सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराया जा सके।

#### 5. परिचालन एवं ग्राहक सुविधाओं का विस्तार

यात्री सुविधाओं को निरंतर बेहतर बनाना एवं नई सुविधाएँ उपलब्ध कराना, आरंभ से ही कंपनी के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले बिंदुओं में से एक रहा है। इसी दिशा में, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- ट्रेनों, स्टेशनों, पार्किंग एवं शौचालयों समेत स्टेशनों के आस-पास के स्थानों पर भी साफ़-सफ़ाई की गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया;
- विभिन्न यात्री सुविधाओं जैसे कि टोकन वेंडिंग मशीनों, पॉइंट ऑफ़ सेल मशीनों, स्मार्ट कार्ड वेंडिंग मशीनों, रीचार्ज कार्ड टर्मिनल मशीनों आदि का विस्तार।



- कंपनी ने कोरोना वायरस/कोविड-19 की रोकथाम के ध्यानार्थ भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।

## 6. यूपीएमआरसी प्रशिक्षण संस्थान

यूपीएमआरसी प्रशिक्षण संस्थान एक बहु-विषयक संगठन है, जो विशेष रूप से मेट्रो प्रौद्योगिकी के लिए क्षमता निर्माण, परामर्श एवं अनुसंधान सहायता में विशेषज्ञता रखता है। यह प्रशिक्षण संस्थान स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, साउंड सिस्टम, सिम्युलेटर, सीबीटी एवं सेमिनार हॉल जैसे नवीनतम उपकरणों से लैस है। संस्थान में यूपीएमआरसी के अनुरक्षण एवं प्रशिक्षण अनुभव के साथ, कॉर्पोरेशन के पास उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुकूल परिस्थिति है। इन संसाधनों का उपयोग करते हुए, संस्थान प्रशिक्षित श्रमशक्ति के विकास की दिशा में सहयोग हेतु प्रयासरत है।



वर्ष 2021-22 के दौरान, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल प्रशिक्षण संस्थान ने निम्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए:

1. रिफ्रेशर ट्रेनिंग:- यूपीएमआरसी के फ्रंटलाइन स्टाफ को रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रदान की जाती है ताकि उपकरणों/प्रणालियों/एसओपी आदि के संबंध में उनका अनुभव एवं ज्ञान बरकरार रहे। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 343 स्टाफ सदस्यों ने उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में 5206 घंटों का प्रशिक्षण प्राप्त किया।
2. प्राथमिक चिकित्सा एवं अग्निशमन की रिफ्रेशर ट्रेनिंग: फ्रंटलाइन स्टाफ को प्राथमिक चिकित्सा एवं अग्निशमन हेतु शुरुआती प्रशिक्षण सत्र के दौरान भी प्रशिक्षित किया जाता है। उनके अनुभव एवं तत्परता को बनाए रखने हेतु समय-समय पर इस प्रशिक्षण/मॉक ड्रिल का आयोजन कराया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा एवं अग्निशमन का प्रशिक्षण क्रमशः आरडीएसओ तथा उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रतिवेदन अवधि के दौरान कुल 244 स्टाफ सदस्यों ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागिता सुनिश्चित करते हुए कुल 3504 प्रशिक्षण घंटों का प्रशिक्षण प्राप्त किया।
3. समस्या निवारण प्रशिक्षण:- ट्रेन ऑपरेटर पर अपनी ट्रेन का प्रभार होता है। ट्रेन परिचालन के दौरान, अगर कोई समस्या आती है तब प्राथमिक तौर पर ट्रेन ऑपरेटर समस्या निवारण का प्रयास करता है। उनकी इस क्षमता को सशक्त करने के लिए, रोलिंग स्टॉक से संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, समय-समय पर आयोजित कराया जाता है। कुल 119 ट्रेन ऑपरेटरों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 882 घंटों का प्रशिक्षण प्राप्त किया।
4. एससीटीओ की रीशफ्लिंग ट्रेनिंग:- एससीटीओ काडर के अंतर्गत दो पद हैं, स्टेशन कंट्रोलर एवं ट्रेन ऑपरेटर। संगठन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के उद्देश्य के साथ दोनों ही दायत्वों के बीच समय-समय पर फेरबदल किया जाता है, इसी को रीशफ्लिंग ट्रेनिंग का नाम दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 95 स्टाफ सदस्यों ने यह प्रशिक्षण प्राप्त किया यानी 16,322 प्रशिक्षण घंटे। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 119 ट्रेन ऑपरेटरों ने 882 घंटों का प्रशिक्षण प्राप्त किया।
5. रोलिंग स्टॉक शंटर ट्रेनिंग: डिपो के अंदर मेंटेंस के लिए शंटर की मदद से धीमी गति पर ट्रेन मूवमेंट होता है, इसके लिए रोलिंग स्टॉक सुपरवाइजर को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 14 स्टाफ सदस्यों ने 273 घंटों का शंटर प्रशिक्षण प्राप्त किया।

6. नवनियुक्त स्टाफ़ का प्रशिक्षण:- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान यूपीएमआरसी के 249 नव-नियुक्त स्टाफ़ को उनके प्रशिक्षण मॉड्यूल के हिसाब से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष के दौरान 1,63,055 घंटों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
7. सॉफ़्ट स्किल एवं बिज़नेस कम्युनिकेशन का प्रशिक्षण:- सिस्टम ट्रेनिंग के साथ-साथ नव-नियुक्त स्टाफ़ को सॉफ़्ट स्किल एवं बिज़नेस कम्युनिकेशन का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। यूपीएमआरसी ने प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे कि ऐमिटी विश्वविद्यालय एवं जयपुरिया संस्थान के साथ मिलकर यूपीएमआरसी के प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कुल 211 स्टाफ़ सदस्यों ने सॉफ़्ट स्किल का प्रशिक्षण प्राप्त किया एवं इस अवधि के दौरान कुल 13,020 घंटों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

## 7. वैकल्पिक राजस्व हेतु की गई पहल

उत्तर प्रदेश की मेट्रो रेल परियोजनाओं को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए संपत्ति विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपरोक्त की पूर्ति में, कंपनी मेट्रो स्टेशनों पर वाणिज्यिक संपत्तियों से संबंधित बड़ी संख्या में अनुबंधों, ट्रेनों और स्टेशनों दोनों में विज्ञापन, पार्किंग, एटीएम, लास्ट माइल कनेक्टिविटी का प्रबंधन कर रही है।

प्रतिवेदन अवधि के दौरान, कोविड-19 के फलस्वरूप बाज़ार में एक नकारात्मक अवधारणा व्याप्त थी, विशेषकर इकाइयों द्वारा व्यवसाय विस्तार के संबंध में। इस चुनौतीपूर्ण समय में, असाधारण प्रयासों के बल पर, यूपीएमआरसी के प्रॉपर्टी डिवेलपमेंट संभाग ने कानपुर एवं लखनऊ मेट्रो परियोजनाओं के अंतर्गत संपत्ति विकास अनुबंधों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, सफलतापूर्वक 24 नए आउटलेट्स खुलवाए यानी प्रति माह 2 आउटलेट्स। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लखनऊ एवं कानपुर में विभिन्न संपत्ति विकास एवं विज्ञापन अनुबंधों की सहायता से, कंपनी संभवतः 4.34 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित करेगी।

## 8. संरक्षा

### • राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह

यूपी मेट्रो अपने कर्मचारियों, यात्रियों, आम जनता और संबद्ध कॉन्ट्रैक्टरों के कर्मचारियों के लिए विभिन्न जागरूकता अभियान संचालित करता है। 4 मार्च से 10 मार्च, 2022 तक कंपनी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी के कर्मचारियों ने सुरक्षा प्रश्नोत्तरी, सुरक्षा नारा प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रमों और अन्य सुरक्षा प्रोत्साहन गतिविधियों में भाग लिया। कंपनी के विभिन्न निर्माण स्थलों पर नुककड नाटक भी आयोजित किए गए, जिनमें पर्याप्त संख्या में कॉन्ट्रैक्टरों के कर्मचारियों के साथ-साथ श्रमिकों ने भी भाग लिया।

### • मेट्रो परियोजना के क्रियान्वयन में संरक्षा हेतु उठाए गए कदम

निर्माण/कार्य स्थल पर कार्यों का सुरक्षित निष्पादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ कंपनी द्वारा निरंतर, साइट स्टाफ़ तथा कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारियों एवं श्रमिकों को स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण (एसएचई) के संबंध में अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। कन्सट्रक्शन प्लान्ट एवं मशीनरी पर दुर्घटना-रहित संचालन सुनिश्चित करने के लिफ़्टिंग इंजीनियरों, स्कैफ़ोल्डर्स, वाहन चालकों एवं प्लांट परिचालकों इत्यादि को प्रशिक्षण देने के साथ, उनकी योग्यता की जाँच भी की जाती है।

## 9. पर्यावरण

### जल संचयन:

वायडक्ट के हर दूसरे स्पैन पर, बारिश के पानी के संचयन के लिए खास तरह के अब्सॉर्प्शन वेल्स तैयार किए गए हैं, जिनसे लगभग पूरा वायडक्ट कवर हो जाता है। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर (फ़ेज़ 1-ए)



तथा कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन में 400 से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिनकी मदद से 30 लाख लीटर तक वर्षा जल का संचय किया जा चुका है। यूपी मेट्रो की इस पहल की बदौलत मेट्रो कॉरिडोर के पास भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि हुई है।

### ग्रीन कवर

लखनऊ मेट्रो परियोजना के अंतर्गत उपरिगामी मेट्रो संरचना के वायडक्ट के नीचे, मेट्रो स्टेशनों एवं डिपो में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ रोपित की गई हैं तथा उनका विधिवत विकास सुनिश्चित करने हेतु, हॉर्टीकल्चर विभाग द्वारा नियमित रखरखाव कार्य जैसे निराई, खाद, धुलाई, पानी उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। कानपुर में 3000 नए पौधे रोपित किए गए।

### ग्रीन बिल्डिंग

यूपीएमआरसी, भारतीय उद्योग परिसंघ (कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री-सीआईआई) के तत्वावधान में गठित इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) का संस्थापक सदस्य है। सभी मेट्रो स्टेशनों को बतौर 'ग्रीन बिल्डिंग' तैयार किया गया है, जिनमें ऊर्जा संरक्षण, कार्बन-डाई-ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी, जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। लखनऊ मेट्रो परियोजना के फेज़-1A के सभी मेट्रो स्टेशनों को आईजीबीसी द्वारा "प्लैटिनम" श्रेणी के अंतर्गत प्रमाणित किया गया है। कानपुर मेट्रो परियोजना के सभी मेट्रो स्टेशनों को 'ग्रीन बिल्डिंग' के रूप में ऊर्जा के संरक्षण के साथ-साथ कम कार्बन डाई-ऑक्साइड उत्सर्जन, पानी की बचत एवं अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था के लिए विशिष्ट प्रावधानों के साथ बनाया गया है।

### ऊर्जा संरक्षण

यूपीएमआरसी द्वारा ऊर्जा संरक्षण के कई प्रावधान किए जा रहे हैं, जैसे कि ट्रेनों में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का उपयोग, जिसके परिणामस्वरूप 30 से 35 प्रतिशत तक ट्रेक्शन ऊर्जा की बचत होगी एवं ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) के उत्सर्जन में कमी आएगी; लिफ्टों एवं एस्केलेटर्स के लिए वैरिएबल वोल्टेज वैरिएबल फ्रीक्वेंसी (वीवीवीएफ) का उपयोग; स्टेशनों पर एलईडी लाइट्स, पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली (ईसीएस) के लिए ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग तथा भूमिगत स्टेशन के लिए टनल वेंटिलेशन सिस्टम (टीवीएस) आदि।

### नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, लखनऊ मेट्रो के डिपो एवं प्रशासनिक भवन में लगे सोलर प्लान्ट्स के ज़रिए कुल 9.67 मेगावाट ऊर्जा उत्पादित हुई। अन्य उपलब्ध स्थानों/परिसरों में भी सोलर प्लान्ट लगाने के लिए प्रक्रिया जारी है।

### पुरस्कार एवं प्रशस्तियाँ

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लखनऊ मेट्रो को 'मेट्रो रेलवे' श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी प्रयोग हेतु राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार- 2021 के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। लखनऊ मेट्रो की यह मुहिम कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाई है।

## 10. शेयर पूँजी

वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से इक्विटी के तौर पर 986.00 करोड़ रुपए प्राप्त किए। 31 मार्च, 2022 को कुल प्रदत्त शेयर पूँजी 4081.99 करोड़ रुपए है।

## 11. जनसंपर्क एवं जन-केंद्रित दृष्टिकोण

आपकी कंपनी के जनसंपर्क विभाग ने आम जनता तक पहुँच बनाने के लिए कई गतिविधियाँ आयोजित कराईं। विभाग

द्वारा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया तक कंपनी की विकास संबंधी जानकारियों का संप्रेषण किया गया। संगठन की दैनिक प्रगति, नवीन प्रयोगों, नई परियोजनाओं का विवरण एवं ऐसी ही विकास से संबंधित अन्य जानकारियों के विवरण नियमित तौर पर मीडिया तक पहुँचाए गए। नागरिक आउटरीच कार्यक्रम, न सिर्फ समाज तक पहुँच बनाना सुनिश्चित करता है बल्कि अपने विभिन्न हितधारकों के साथ संचार भी स्थापित करता है।



जनसंपर्क विभाग यात्रियों को दी जाने वाली मेट्रो सेवाओं जैसे कि गो-स्मार्ट कार्ड, सुपर सेवर कार्ड एवं टूरिस्ट कार्ड आदि के बारे में जागरूकता भी पैदा करता है। जनसंपर्क विभाग, प्रचार सामग्री एवं विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशन के माध्यम से लोगों में जागरूकता का प्रसार करता है।

## 12. मानव संसाधन प्रबंधन

दिनांक 31 मार्च, 2022 तक, कंपनी में अधिकारियों-कर्मचारियों की कुल संख्या 1094 (परियोजना में 446 तथा परिचालन एवं अनुरक्षण खंड में 648) रही। वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा विभिन्न पदों हेतु कुल 249 नई भर्तियाँ की गईं।

### • भर्ती में आरक्षण दिशा-निर्देशों का अनुपालन:

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./शा.वि. के लिए सेवाओं में आरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी भर्ती दिशा-निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जा रहा है। कंपनी के अ.जा./अ.ज.जा. और पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग) कर्मचारियों के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

### • कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न की रोकथाम

यूपीएमआरसीएल, अपनी महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतय: प्रतिबद्ध है। कंपनी ने, नवनियुक्तों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में लिंग संवेदीकरण पर आधारित एक विशिष्ट अध्याय का सम्मिलित किया है।

कंपनी ने कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी एक नीति की व्यवस्था बनाई हुई है। कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार महिलाओं के यौन-उत्पीड़न से संबंधित मामलों की देखरेख करने एवं यौन-उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित कार्य माहौल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है:

**दिनांक- 31.03.2022 को आंतरिक शिकायत समिति की संरचना निम्नवत है:**

श्रीमती पुष्पा बेलानी –	पीठासीन अधिकारी
सुश्री दीप्ति अग्रवाल –	बाहरी सदस्य (कार्यरत कंपनी सचिव)
श्री अभिषेक रंजन –	सदस्य
सुश्री आयशा समरीन –	सदस्य



### 13. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

एक जिम्मेदार एवं भरोसेमंद संगठन होने के नाते आपकी कंपनी अपने विभिन्न हितधारकों, उदाहरणस्वरूप, शेयरधारक, कर्मचारी, प्रबंधन, प्रदाताओं, ग्राहकों तथा विस्तृत तौर पर समुदाय के हितों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त, चूंकि कंपनी लाभ अर्जित नहीं कर रही है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-135 एवं अन्य लागू नियम/अनुसूचियों के अनुसार, कंपनी पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत निर्धारित परियोजनाओं पर विशेष रूप से खर्च करने की अनिवार्यता नहीं बनती है। अतः, इस मद के अंतर्गत इस साल 'शून्य' व्यय है। इस संबंध में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप, कंपनी ने तीन निदेशकों के साथ एक समिति का गठन किया है। बोर्ड की सीएसआर समिति की संरचना का विवरण, कॉर्पोरेट अभिशासन प्रतिवेदन में वर्णित है, जिसे इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया गया है।

### 14. सूचना का अधिकार

कम्पनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का क्रियान्वयन किया है। वर्ष के दौरान कुल 144 आरटीआई आवेदनों एवं अपीलों को समय पर निस्तारित किया गया।

### 15. आधिकारिक भाषा

यूपीएमआरसी आधिकारिक कार्यों में हिन्दी भाषा के प्रयोग के प्रचार हेतु प्रतिबद्ध है। कंपनी ने, आधिकारिक उद्देश्यों हेतु 'राजभाषा' हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन कराया। कंपनी ने 1 सितंबर, 2021 से 15 सितंबर, 2021 तक 'हिन्दी पखवाड़ा' का आयोजन भी कराया तथा कर्चारियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे कि निबंध लेखन, अनुवाद, स्लोगन लेखन, सुलेख, प्रश्नोत्तरी आदि में प्रतिभागिता हेतु प्रोत्साहित किया गया। साथ ही, विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया।

### 16. सतर्कता

कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी, सतर्कता विभाग के प्रमुख हैं तथा वे कंपनी के प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। सतर्कता विभाग, कंपनी के कारोबार एवं कार्यव्यवहार के बारे में केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों एवं आंतरिक दिशा-निर्देशों का पालन करती है। रोकथाम संबंधी जाँचों का मुख्य उद्देश्य है कि दंडात्मक कार्रवाई की अपेक्षा रोकथाम बेहतर है।

### 17. जनता से जमाराशि

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(31), 73 और 74 के अंतर्गत न तो जनता से कोई जमाराशियाँ आमंत्रित की हैं तथा न ही जनता से कोई जमाराशियाँ स्वीकार की गई हैं।

### 18. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 197(12) के अंतर्गत आवश्यक पारिश्रमिक एवं अन्य विवरणों से संबंधित प्रकटन लागू नहीं है।

### 19. निदेशक मंडल

दिनांक 31 मार्च, 2022 को उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. के निदेशक मंडल में 14 निदेशक हैं, जिनमें से 5 निदेशक, भारत सरकार के नामिती; प्रबंध निदेशक समेत 5 निदेशक उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती और 4 पद पूर्णकालिक निदेशकों के हैं, जिन पर बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। सचिव, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार पदेन हैं। निदेशक मंडल पर एक विस्तृत विवरण, 'कॉर्पोरेट अभिशासन प्रतिवेदन' खंड के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है।



## 20. निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की 3 बैठकें, दिनांक 15/07/2021, 10/11/2021 एवं 10/03/2022 को आयोजित की गईं।

### निदेशक मंडल की समितियाँ

निदेशक मंडल ने आपकी कंपनी के परिचालन के आकार, प्रकृति एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार समितियाँ गठित की हैं। ये हैं, लेखापरीक्षा समिति, निवेश समिति, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति। इनमें से प्रत्येक उप-समिति द्वारा स्पष्ट तौर पर तय संदर्भ शर्तें निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित हैं। इन समितियों की बैठकें आपकी कंपनी की अपेक्षाओं के अनुसार, समय-समय पर की जाती हैं। निदेशक मंडल की समितियों का विवरण 'कॉर्पोरेट अभिशासन प्रतिवेदन' खंड के अंतर्गत दिया गया है।

## 21. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुपालन के क्रम में, निदेशक बताते हैं कि:

- वार्षिक लेखे तैयार करने में, सामग्री निकासियों के लिए उचित स्पष्टीकरण सहित लागू भारतीय लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया एवं उन्हें सतत रूप से लागू किया तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान किए, जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ-हानि की एक सत्य और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत कर सकें;
- निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने, धोखेबाजी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा उनकी रोकथाम के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों की उचित व्यवस्था एवं देखरेख की;
- निदेशकों ने वार्षिक लेख, चलायमान-प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए हैं;
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों का प्रयोग किया। ऐसी प्रणालियां उपयुक्त हैं एवं प्रभावी तौर पर कार्य कर रही हैं।

## 22. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

वर्तमान में कंपनी के निदेशक मंडल में, कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है, क्योंकि संयुक्त उपक्रम कंपनी को कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति से छूट प्राप्त है।

## 23. वार्षिक रिटर्न का सारांश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उपधारा (3) के प्रावधान के अनुसार वार्षिक रिटर्न का सारांश इस प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

## 24. ऋणों, गारंटियों एवं निवेशों का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने:

- किसी व्यक्ति या अन्य निगमित निकाय को ऋण नहीं दिया है;
- किसी अन्य निगमित निकाय या व्यक्ति को किसी ऋण के संबंध में कोई गारंटी या प्रतिभूति नहीं दी है; तथा



- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत यथानिर्धारित, किसी अन्य निगमित निकाय की प्रतिभूतियों का सब्सक्रिप्शन/खरीद के माध्यम से या अन्यथा अधिग्रहण नहीं किया गया है।

## 25. संबंधित पक्ष लेनदेन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों से कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं की है।

## 26. वर्ष के दौरान उन्नत तकनीक का प्रयोग

कंपनी के परिचालन में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतएव कंपनी ने नियोजन एवं संरेखण के स्तर से ही कई ऐसे प्रावधान किए, जिनकी मदद से ऊर्जा की खपत को कम किया जा सके तथा परिणामस्वरूप पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव में कमी आए। वर्ष के दौरान, कंपनी ने ऊर्जा खपत में कमी लाने के उद्देश्य के साथ निम्न उपायों को अपनाया:

- भूमिगत स्टेशनों में एयर कूलड चिलर्स एवं उपरिगामी स्टेशनों में वैरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम (वीआरवी) सिस्टम का उपयोग।
- चरण I एवं II रिसेविंग सब स्टेशनों के स्टैंडबाय ट्रांसफॉर्मर्स को बंद करने से नो-लोड नुकसान की बचत।
- हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) का प्रदर्शन यात्रियों की संख्या के आधार पर नियंत्रित किया जाता है।
- प्रदर्शन के गुणांक (सीओपी) को ऊर्जा कुशल एचवीएसी प्रणाली प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, जिसका उपयोग रोलिंग स्टॉक में किया जाता है।

## 27. तथ्यगत परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएँ

ऐसे कोई तथ्यगत परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएँ नहीं हैं, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हों तथा जो कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि तथा इस प्रतिवेदन की तिथि के बीच घटित हों।

### (क) विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्वाह

वर्ष के दौरान हुए विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्वाह का विवरण निम्नवत है:

राशि लाख रुपए में

क्रम संख्या	विवरण	वि.व. 2021-22	वि.व. 2020-21
1.	व्यावसायिक एवं परामर्श शुल्क	2700.28	2,309.81
2.	टूर्स एवं ट्रेवल्स	-	-
3.	अनुबंध	21643.86	8571.16

## 28. निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक:

वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशकों के बीच निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

1. श्री मनोज जोशी, सचिव, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के नामिती निदेशक एवं कंपनी के पदेन अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति (29/12/2021 से प्रभाव में)।

2. श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व-सचिव, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के नामिती निदेशक एवं कंपनी के पदेन अध्यक्ष के रूप में पदच्युत हुए (28/12/2021 से प्रभाव में)।

## 29. निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक:

दिनांक 31.03.2022 को, कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण इस प्रकार है:

- श्री कुमार केशव, प्रबंध निदेशक\*
- श्री संजय मिश्रा, पूर्णकालिक निदेशक (कार्य एवं अवसंरचना)
- श्री सुशील कुमार, पूर्णकालिक निदेशक (परिचालन)
- श्री अतुल गर्ग, पूर्णकालिक निदेशक (चल स्टॉक एवं प्रणालियाँ)
- श्री शील कुमार मित्तल, पूर्णकालिक निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
- श्रीमती पुष्पा बेलानी, कंपनी सचिव
- 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक तथा अन्य विवरण वार्षिक रिटर्न के सारांश में वर्णित हैं।

## 30. महत्वपूर्ण एवं तथ्यगत आदेश:

ऐसे कोई महत्वपूर्ण एवं तथ्यगत आदेश, विनियामकों या किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा पारित नहीं किए गए, जिससे कंपनी की चलायमान-प्रतिष्ठान स्थिति एवं इसका परिचालन प्रभावित होते हों।

## 31. जोखिम प्रबंधन नीति:

आपकी कंपनी संभावित जोखिमों के घटित होने से पहले पहचान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि जब आवश्यकता पड़े, बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए जोखिम प्रबंधन गतिविधियों को नियोजित एवं लागू किया जा सके।

विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति तथा उनमें सुधार के लिए आपकी कंपनी ने निम्नलिखित उपाए अपनाए हैं:

- स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा त्रैमासिक आंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन; लेखापरीक्षा समिति द्वारा उनके अवलोकनों की समीक्षा तथा जहाँ भी उचित पाया जाए, सुधारात्मक कार्रवाई।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित टीम द्वारा नियमित अंतराल पर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन।
- स्वतंत्र विशेषज्ञ टीम द्वारा तैयार किया गया आंतरिक नियंत्रण तंत्र।

## 32. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

निदेशक मंडल ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों एवं धोखाधड़ी को रोकने एवं उनका पता लगाने, लेखांकन अभिलेख की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने तथा विश्वसनीय वित्तीय प्रकटनों को समय पर तैयार करने एवं उन्हें प्रस्तुत करके कंपनी के कारोबार का व्यवस्थित और सक्षम व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ अपनाई हैं।

\*श्री कुमार केशव का कार्यकाल दिनांक 30/06/2022 को पूर्ण हो गया है।



### 33. कॉर्पोरेट अभिशासन

आपकी कंपनी त्रुटिहीन कॉर्पोरेट अभिशासन मानकों का पालन करती है तथा अपने सभी कार्यकलापों में पारदर्शिता, निष्ठा और जवाबदेही अपनाती है। इन प्रयासों को रेखांकित करने वाला 'कॉर्पोरेट अभिशासन प्रतिवेदन' यहाँ अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

### 34. लेखापरीक्षक

#### (क) सांविधिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुक्रम में मेसर्स विनय नवीन ऐंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सांविधिक लेखापरीक्षक) को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ऐंड एजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु कंपनी के विवरणों के सांविधिक लेखापरीक्षण हेतु सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, जो 9वीं वार्षिक आम बैठक के संपन्न होने तक कार्यरत रहेंगे। सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, इस प्रतिवेदन के भाग के रूप में उपयुक्त तौर पर संलग्न किया गया है।

#### (ख) सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुक्रम में, मेसर्स दिलीप दीक्षित ऐंड कंपनी, कार्यरत कंपनी सचिव को वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया। सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन, इस प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न है।

#### (ग) आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स एस.एन. कपूर ऐंड असोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लखनऊ को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है और लेखापरीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर उनके प्रतिवेदन की समीक्षा की जाती है।

### 35. आभार

निदेशक मंडल, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सलाह, मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल, इस परियोजना हेतु ऋण सहायता प्रदान करने के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक को हार्दिक धन्यवाद देता है। निदेशक मंडल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सचिवीय लेखापरीक्षकों, सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं आंतरिक लेखापरीक्षकों, विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्टरों, परामर्शदाताओं, तकनीकी विशेषज्ञों एवं आपूर्तिकर्ताओं का उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए उनको धन्यवाद देता है।

निदेशक मंडल, हर स्तर पर अपनी कर्तव्यनिष्ठा एवं प्रतिबद्धता का परिचय देते हुए परियोजना के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करने हेतु कंपनी के कर्मचारियों की सराहना करता है। साथ ही, निदेशक मंडल यह भी आश्वस्त करता है कि वे अपनी सेवाओं एवं उत्तरदायित्वों को पूरी कर्मठता के साथ निस्तारित करेंगे ताकि कंपनी को नई ऊँचाइयों पर ले जाया जा सके।

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.  
के निदेशक मंडल हेतु एवं उनकी ओर से

स्थान: लखनऊ  
दिनांक: 16.02.2022

ह/-  
सुशील कुमार  
प्रबंध निदेशक  
डीआईएन-08271108

ह/-  
एस. के. मिश्र  
निदेशक (वित्त)  
डीआईएन-08821866

## कॉर्पोरेट अभिशासन पर प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (यूपीएमआरसीएल) की कॉर्पोरेट अभिशासन नीति, लखनऊ शहर के लिए एक सुरक्षित, विश्वसनीय, कुशल, व्यवहार्य एवं ग्राहक-हितैषी मेट्रो प्रणाली उपलब्ध कराने के अपने कॉर्पोरेट उद्देश्य को हासिल करने के लिए, पारदर्शिता, जवाबदेही और उपयुक्त प्रथाओं एवं नीतिगत मानकों को सुनिश्चित करते हुए त्रुटिहीन कॉर्पोरेट अभिशासन पद्धतियों के अनुपालन की धारणा से विकसित हुई है। यूपीएमआरसीएल नैतिकता के उच्च मानकों का अनुसरण करता है तथा अपने पूरे परिचालन क्षेत्र में सामंजस्य एवं विश्वास के मूल सिद्धांतों को बनाए रखता है।

अपने कामकाज के निष्पादन में, यूपीएमआरसीएल का मार्गदर्शन सीवीसी दिशा-निर्देशों, कंपनी की अंतर्नियमावली (AoA), कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, लागू लेखाकरण मानकों, प्राधिकरणों जैसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित विनियमों, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, संगठन के कामकाज में सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कर्मचारियों के कल्याण तथा कॉन्ट्रैक्टरों के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों के लिए उचित क्षतिपूर्ति, पुनर्वास का प्रावधान तथा परियोजना प्रभावित व्यक्तियों आदि के पुनर्वास इत्यादि के संबंध में लागू सभी सांविधिक नियमों का उचित रूप से अनुपालन किया जाता है।

### (क) निदेशक मंडल

#### 1. निदेशक मंडल की संरचना: .

31 मार्च, 2022 को उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. के निदेशक मंडल में 14 निदेशक हैं, जिनमें से 5 निदेशक, भारत सरकार के नामिती; प्रबंध निदेशक समेत 5 निदेशक उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती तथा 4 अन्य पूर्णकालिक निदेशक हैं। सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, कंपनी के अध्यक्ष (चेयरमैन) हैं।

31.03.2022 को, निदेशक मंडल की संरचना निम्नवत है:

नाम	पदनाम
श्री मनोज जोशी*	चेयरमैन, सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
श्री कुमार केशव	प्रबंध निदेशक, यूपीएमआरसी
श्री श्याम सुंदर दुबे	भारत सरकार के नामिती निदेशक, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एमओएचयूए
श्री विनय कुमार सिंह	भारत सरकार के नामिती निदेशक, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लि.
श्री दीपक कुमार	उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
श्री रंजन कुमार	उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक, नगर आयुक्त, लखनऊ मंडल
श्री अरविंद कुमार	उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक, अपर मुख्य सचिव (डीआई एवं आईडी)
श्री अर्जुन सिंह तोमर	उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक आईएसएजी/टीआरएसईई ईडी/सिग्नल
श्री कुनाल कुमार	भारत सरकार के नामिती निदेशक, संयुक्त सचिव (स्मार्ट सिटी मिशन), एमओएचयूए
श्री संजय कुमार	उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक, सचिव, वित्त विभाग
श्री संजय मिश्रा	पूर्णकालिक निदेशक (कार्य एवं अवसंरचना), यूपीएमआरसीएल
श्री सुशील कुमार	पूर्णकालिक निदेशक (परिचालन), यूपीएमआरसीएल
श्री अतुल कुमार गर्ग	पूर्णकालिक निदेशक (चल स्टॉक एवं प्रणालियाँ), यूपीएमआरसीएल
श्री शील कुमार मित्तल	पूर्णकालिक निदेशक (वित्त), यूपीएमआरसीएल

\*श्री मनोज जोशी, दिनांक 29.12.2021 से कंपनी के चेयरमैन हैं।



## 2. प्रशंसा के शब्द

निदेशक मंडल, निम्नलिखित निदेशकों, जिनका कार्यकाल समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समाप्त हुआ, द्वारा दी गई मूल्यवान सेवाओं तथा विशेषज्ञ सलाह के लिए उनकी सराहना करता है;

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदत्याग की तिथि	पदनाम
1	श्री दुर्गा शंकर मिश्रा	28/12/2021	नामिती निदेशक, भारत सरकार

कंपनी के निदेशक मंडल में कंपनी के उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध, प्रामाणिक प्रशासनिक एवं निष्पादन दक्षता वाले प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं, जो कंपनी के मामलों को प्रत्यक्ष रूप से निर्देशित करते हैं।

## 3. निदेशक मंडल प्रक्रिया

कंपनी के समीक्षात्मक मूल्यांकन एवं कार्यप्रदर्शन की समीक्षा करने तथा प्रबंधन के निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नियमित तौर पर निदेशक मंडल की बैठकें संचालित की जाती हैं। कंपनी ने निदेशक मंडल एवं उसकी समिति की बैठकों के आयोजन के लिए, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई है:

### निदेशक मंडल/समिति की बैठकों के लिए अनुसूची एवं कार्यसूची मद का चयन:

बोर्ड के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उचित सूचना देकर बैठकों का संयोजन किया जाता है। विशिष्ट तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैठकें संक्षिप्त अवधि में भी बुलाई जाती हैं। बोर्ड प्रसार के द्वारा, केवल ऐसे मामलों, जो बेहद ज़रूरी होते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के संदर्भ में स्वीकार्य हैं, के लिए भी प्रस्ताव पारित करता है।

कार्यसूची से संबंधित दस्तावेज़ संबंधित विभागों के प्रमुखों द्वारा तैयार किए और प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत किए जाते हैं। विधिवत अनुमोदित कार्यसूची नोट्स, प्रबंधन रिपोर्ट और व्यापक पृष्ठभूमि जानकारी सहित अन्य व्याख्यात्मक विवरण पहले ही बैठकों में सदस्यों द्वारा सार्थक, सूचित और केंद्रित निर्णय लेने के लिए बांटे जाते हैं।

विशेष एवं असाधारण परिस्थितियों में, चेयरमैन महोदय की अनुमति के साथ ऐसे अतिरिक्त या पूरक विषयों/मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है, जो अजेंडे में शामिल न हों। जहाँ उपयुक्त समझा जाता है, वहाँ निदेशक मंडल को बड़े घटनाक्रमों/प्राप्त अनुमोदनों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। निदेशक मंडल की बैठकों में प्रबंध निदेशक, मंडल को कंपनी के समग्र प्रदर्शन से अवगत कराते हैं। निदेशक मंडल का मत है कि पूर्व बैठकों में मंडल के निर्देशों के अनुरूप की गई कार्रवाइयों की स्थिति भी अगली बैठक के अजेंडे का भाग होती है।

बोर्ड के सदस्यों का कंपनी की सभी सूचनाओं पर पूर्ण अभिगम होता है। साथ ही, बोर्ड की बैठकें सचिवीय मानक-1 के अनुसार संचालित की जाती हैं।

### प्रबंध निदेशक द्वारा संक्षिप्त जानकारी:

बोर्ड की प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में, प्रबंध निदेशक, बोर्ड के सदस्यों को परियोजना की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों/प्रगतियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हैं।

### निदेशक मंडल की बैठक की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग:

बोर्ड की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त रिकॉर्ड किए जाते हैं और कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया जाता है। बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त को पुष्टिकरण के लिए बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाता है और कार्यवृत्त चेयरमैन द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं। बोर्ड की उप-समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त, सूचनार्थ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

#### अनुपालन:

अजेंडा नोट्स तैयार करने के दौरान विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013, आर्टिकल्स ऑफ़ असोसिएशन एवं सीवीसी के दिशा-निर्देशों समेत लागू करने योग्य सभी वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन हो।

कंपनी के सभी कर्मचारी, कंपनी द्वारा प्रदत्त सभी जिम्मेदारियों एवं दायित्वों का विधिवत निर्वहन करते हैं। कर्मचारियों द्वारा, कार्य-निर्वहन के दौरान, उच्च मौलिक मूल्यों एवं आदर्शों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही, वे समयबद्ध प्रबंधन में भी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं।

#### 4. शेयरधारकों की बैठक

कंपनी के शेयरधारकों की 8वीं वार्षिक आम बैठक, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय- प्रशासनिक भवन, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ- 226010 में दिनांक 30.11.2021 को संपन्न हुई।

#### 5. निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, तीन बोर्ड बैठकों का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान, बैठकों के आयोजन एवं उनमें निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

क्रम संख्या	नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22 में उनके निदेशक काल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री मनोज जोशी	1	1
2.	श्री दुर्गाशंकर मिश्रा	2	2
3.	श्री कुमार केशव	3	3
4.	श्री श्याम सुंदर दुबे	3	2
5.	श्री विनय कुमार सिंह	3	2
6.	श्री अरविंद कुमार	3	1
7.	श्री अर्जुन सिंह तोमर	3	1
8.	श्री दीपक कुमार	3	3
9.	श्री कुनाल कुमार	3	0
10.	श्री रंजन कुमार	3	1
11.	श्री संजय कुमार	3	2
12.	श्री संजय मिश्रा	3	3
13.	श्री सुशील कुमार	3	3
14.	श्री अतुल कुमार गर्ग	3	3
15.	श्री शील कुमार मित्तल	3	3

#### 5. निदेशक मंडल की समितियाँ

निदेशक मंडल ने कंपनी के परिचालन के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप 4 समितियों का गठन किया है। ये समितियाँ हैं; लेखापरीक्षा समिति, निवेश समिति, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति। इनमें



से प्रत्येक समिति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित संदर्भ शर्तें विधिवत रूप से ज्ञात हैं। ये समितियाँ कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार, समय-समय पर बैठकें आयोजित करती रहती हैं।

**(क) लेखापरीक्षा समिति**

31.03.2022 को लेखापरीक्षा समिति की संरचना तथा उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	पदनाम	संबंधित निदेशक काल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, आवासन एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष	2	2
2	श्री संजय कुमार, सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य	2	1
3	श्री श्याम सुंदर दुबे, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एमओएचयूए	सदस्य	2	1
4	श्री सुशील कुमार, निदेशक, परिचालन, यूपीएमआरसी	सदस्य	2	2

समिति ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 2 बैठकें कीं:

बैठक संख्या	बैठक की तिथि
23वीं	02.07.2021
24वीं	08.03.2022

कंपनी के निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखापरीक्षकों एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों को भी समिति की बैठकों में प्रतिभागिता हेतु आमंत्रित किया गया। लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें, निदेशक मंडल द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उनके आधार पर बनाए गए नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित की गई हैं।

**(ख) निवेश समिति:**

कंपनी की निवेश समिति की संरचना समदिनांकित तिथि को निम्नवत है:

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्री कुमार केशव, प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री अतुल कुमार गर्ग, निदेशक, चल स्टॉक एवं प्रणालियाँ	सदस्य
3.	श्री एस. के. मित्तल, निदेशक (वित्त)	सदस्य



**(ग) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति:**

31.03.2022 को कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्री दीपक कुमार	उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक, प्रमुख सचिव, आवासन एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
2.	श्री सुशील कुमार	निदेशक (परिचालन), यूपीएमआरसी
3.	श्री एस. के. मित्तल	निदेशक (वित्त), यूपीएमआरसी

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की एक ही बैठक (दिनांक- 02.07.2021) हुई, जिसमें सभी सदस्य उपस्थिति रहे।

**(घ) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:**

31.03.2022 को कंपनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्री दीपक कुमार	उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक, प्रमुख सचिव, आवासन एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
2.	श्री कुमार केशव	प्रबंध निदेशक, यूपीएमआरसी
3.	श्री एस. के. मित्तल	निदेशक (वित्त), यूपीएमआरसी

**(ख) प्रकटन**

- ऐसा कोई तथ्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण पार्टी लेनदेन अर्थात् अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन, सहायक कंपनियों या संबंधियों आदि के साथ कंपनी का कोई भौतिक लेनदेन नहीं है, जो व्यापक तौर पर कंपनी के हित से कंपनी की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।
- कंपनी द्वारा किसी सांविधिक नियम के गैर-अनुपालन जैसे किसी मामले या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर लगाए गए दंड या जुर्माने की कोई घटना नहीं हुई है।
- कंपनी के बही खातों में खर्चनामों में डाला गया ऐसा कोई मद नहीं था, जो कंपनी के व्यवसाय के प्रयोजन से जुड़ा न हो।



### (ग) कंपनी की वेबसाइट

कंपनी की वेबसाइट [www.upmetrorail.com](http://www.upmetrorail.com) है। वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के बारे में समयबद्ध जानकारी प्रदान करने के लिए परियोजना, अनुबंध, भर्ती प्रक्रिया सहित कंपनी से संबंधित सभी प्रमुख जानकारियां वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं। वेबसाइट में सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, कार्यकलापों और मेट्रो रेल परियोजना की प्रगति एवं अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों की जानकारी भी दी जाती है।

#### पंजीकृत कार्यालय:

प्रशासनिक भवन,  
विपिन खंड, गोमती नगर,  
लखनऊ-226010, फ़ोन-0522-2304011

ईमेल- [pushpa.bellani@upmrc.co.in](mailto:pushpa.bellani@upmrc.co.in)  
वेबसाइट: [www.upmetrorail.com](http://www.upmetrorail.com)

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. के  
निदेशक मंडल हेतु एवं उनकी ओर से

स्थान: लखनऊ  
दिनांक: 16.12.2022

ह०/—  
श्री सुशील कुमार  
प्रबंध निदेशक  
डीआईएन 08271108

ह०/—  
श्री एस. के. मित्तल  
निदेशक (वित्त)  
डीआईएन 08821866

फॉर्म संख्या- एमजीटी 9

**वार्षिक रिटर्न का सारांश**

31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन)  
नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में

**I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण:**

1.	सीआईएन	U60300UP2013SGC60836
2.	पंजीकरण की तिथि	25 नवंबर, 2013
3.	कंपनी का नाम	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.
4.	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	सरकारी उपक्रम
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क सूत्र	प्रशासनिक भवन, निकट भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ- 226010 फोन: 0522-2304010 ईमेल: cslmrc@gmail.com वेबसाइट: www.upmetrorail.com
6.	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	सूचीबद्ध नहीं है
7.	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण (यदि कोई हो तो)	लागू नहीं

**II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ**

(कंपनी के कुल कारोबार में 10% या अधिक का योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाएगा)

क्रम संख्या	मुख्य उत्पादों/सेवाओं के नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का प्रतिशत
1.	रेलवे और पाइपलाइन के माध्यम से भूमि परिवहन	H2	100

**III. होल्डिंग्स, सहायक एवं सहयोगी कंपनियों का विवरण**

क्रम संख्या	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/ जीएलएन	होल्डिंग/ सहायक/ सहयोगी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू खंड
	.....लागू नहीं .....				



#### IV. श्रेणियों-वार श्रेणी-वार श्रेणी-वार श्रेणी (कुल इक्विटी के प्रतिशत के अनुसार इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

##### 1) श्रेणी-वार श्रेणी-वार श्रेणी-वार श्रेणी

(आँकड़े लाख में)

श्रेणी-वार श्रेणी-वार श्रेणी-वार श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (1 अप्रैल, 2021 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च, 2022 को)				वर्ष के दौरान प्रतिशत में परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
<b>क. प्रवर्तक</b>									
<b>(1) भारतीय</b>									
क) व्यक्ति / एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केंद्र सरकार	-	1456.94	1456.94	50.58%	-	1992.94	1992.94	48.82%	(1.76)%
ग) राज्य सरकार (रैं)	-	1423.50	1423.50	49.42%	-	2089.05	2089.05	51.18%	1.76%
घ) निकाय कॉर्पो.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड.) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>प्रवर्तक की कुल श्रेणी-वार श्रेणी-वार श्रेणी (क)</b>		<b>2880.44</b>	<b>2880.44</b>	<b>100%</b>		<b>4081.99</b>	<b>4081.99</b>	<b>100%</b>	-
<b>ख. सार्वजनिक श्रेणी-वार श्रेणी-वार श्रेणी</b>									
<b>1. संस्थान</b>									
क) म्युचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार (रैं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड.) उद्यम पूंजी फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उद्यम पूंजी फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>उप-योग (ख) (1):-</b>									
<b>2. गैर-संस्थानिक</b>									
क) निकाय / निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रुपए तक मामूली शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 1 लाख रुपए से अधिक की शेयरधारिता रखने वाले वाले शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ब) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(i) अप्रवासी भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) विदेशी नागरिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) क्लियरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) ट्रस्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विदेशी निकाय-डीआर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>उप-योग (ख) (2):-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)= (ख)(1)+ (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ग) जीडीआर एवं एडीआर हेतु संरक्षक द्वारा धारित शेयर</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>कुल योग (क+ख+ग)</b>	-	<b>2880.44</b>	2880.44	100%	-	4081.99	4081.99	100%	-

## (2) प्रवर्तकों की शेयरधारिता

(आँकड़े लाख में)

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता के प्रतिशत में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कंपनी के कुल शेयरों में गिरवी रखे हुए/भारगस्त शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कंपनी के कुल शेयरों में गिरवी रखे हुए/भारगस्त शेयरों का प्रतिशत	
1.	केंद्र सरकार	1456.94	50.58%	-	1992.94	48.82%	-	1.76% घटा
2.	उत्तर प्रदेश सरकार	1423.50	49.42%	-	2089.05	51.18%	-	1.76% बढ़ा
	<b>कुल</b>	<b>2880.44</b>	<b>100%</b>	-	<b>4081.99</b>	<b>100%</b>	-	.



(3) प्रवर्तकों की श्रेयरधारिता में बदलाव:

क्र. सं.	श्रेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ (01/04/2020) में श्रेयरधारिता		दिनांक	श्रेयरधारिता में वृद्धि/ह्रास		वर्ष के दौरान संचयी श्रेयरधारिता	
		श्रेयरों की संख्या	कंपनी के कुल श्रेयरों का प्रतिशत		श्रेयरों की संख्या	कंपनी के श्रेयरों का प्रतिशत	श्रेयरों की संख्या	कंपनी के कुल श्रेयरों का प्रतिशत
1.	उत्तर प्रदेश सरकार	1423.50	49.42%	15.07.2021 10.11.2021 10.03.2022	156.00 271.50 238.05	1.76% बढ़ा	2089.05	51.18%
2.	भारत सरकार	1456.94	50.58%	15.07.2021 10.11.2021 10.03.2022	236.00 272.00 28.00	1.76% घटा	1992.94	48.82%
<b>कुल</b>		<b>2880.44</b>	<b>100%</b>	-	<b>1201.55</b>	-	<b>4081.99</b>	<b>100%</b>

4) शीर्ष 10 धारकों का श्रेयरधारिता प्रतिरूप- शून्य  
(निदेशकों, प्रवर्तकों एवं जीडीआर तथा एडीआर के धारकों को छोड़कर)

5) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की श्रेयरधारिता- शून्य

V) ऋणग्रस्तता

बकाया ब्याज/उपार्जित लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं, सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

(आँकड़े लाख में)

विवरण	जमाराशि को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमाराशि	कुल ऋणग्रस्तता
<b>वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता</b>				
i) मूल राशि		574120		574120
ii) देय ब्याज, जिसका भुगतान नहीं हुआ		1965.89		1965.89
iii) उपार्जित ब्याज, लेकिन देय नहीं		217.46		217.46
<b>कुल (i+ii+iii)</b>		<b>576303.35</b>		<b>576303.35</b>
<b>वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन</b>				
वृद्धि		298800		298800
ह्रास		-		-
<b>निवल परिवर्तन</b>				
<b>वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता</b>				
i) मूल राशि		872920		872920
ii) देय ब्याज, जिसका भुगतान नहीं हुआ		2803.91		2803.91
iii) उपार्जित ब्याज, लेकिन देय नहीं		208.51		208.51
<b>कुल (i+ii+iii)</b>		<b>875932.42</b>		<b>875932.42</b>

## VI. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक-

### क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक:

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम (राशि रूप में)					कुल राशि
		प्रबंध निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक (वित्त)	पूर्णकालिक निदेशक (कार्य एवं अवसंरचना)	पूर्णकालिक निदेशक (चल स्टॉक एवं प्रणालियाँ-आरएस ऐंड एस)	पूर्णकालिक निदेशक (परिचालन)	
		कुमार केशव	शील कुमार मित्तल	संजय मिश्रा	अतुल कुमार गर्ग	सुशील कुमार	
<b>1.</b>	<b>सकल वेतन</b>						
	1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप वेतन	6056000	3798679	4199476	3900824	4200476	22155455
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	583902	370146	406620	379366	406720	2146754
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-		
<b>2.</b>	<b>स्टॉक विकल्प</b>	-	-	-	-		
<b>3.</b>	<b>स्ट्रेट इक्विटी</b>	-	-	-	-		-
<b>4.</b>	<b>कमीशन-लाभ का प्रतिशत</b>	-	-	-	-		-
<b>5.</b>	<b>अन्य, निर्दिष्ट करें (स्वास्थ्य हितलाभ)</b>	42006	155151	22491	-	6750	226398
	<b>कुल (क) रूपए</b>	6681908	4323976	4628587	4280190	4613946	24528607
	<b>अधिनियम के अनुसार सीमा</b>	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

### ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक- शून्य



ग. प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक के अतिरिक्त अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	
		श्रीमती पुष्पा बेलानी, कंपनी सचिव	कुल
1.	सकल वेतन		
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप वेतन	3095731	3095731
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	-	-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-
3.	स्वेट इक्विटी	-	-
4.	कमीशन	-	-
	लाभ के प्रतिशत के रूप में		-
	अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-
5.	अन्य, निर्दिष्ट करें (स्वास्थ्य हितलाभ)	70345	70345
	<b>कुल</b>	<b>3166076</b>	<b>3166076</b>

VII. जुर्माना/दंड/अपराधों का प्रशमन:- शून्य



## दिलीप दीक्षित ऐंड कंपनी

कंपनी सचिव

अनुलग्नक-2

ईमेल: cs.delipdixit@gmail.com

संपर्क : +91 8354980010

फॉर्म संख्या एमआर-3

### सचिवीय लेखापरीक्षक प्रतिवेदन

### 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक प्रतिवेदन

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में]

सेवा में,

सदस्यगण,

**उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.**

(पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

सीआईएन: U60300UP2013SGC060836

पंजीकृत कार्यालय: प्रशासनिक भवन,

गोमती नगर, निकट डॉ. अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल,

लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010।

ईमेल: cslmrc@gmail.com

11. हमने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (यहां पर 'कंपनी' के तौर पर संदर्भित) द्वारा स्वीकार्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा श्रेष्ठ निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा संपन्न की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई, जिसने हमें निगमित संचालनों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उनपर अपनी राय प्रकट करने का उपयुक्त आधार प्रदान किया।
2. हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. द्वारा रखी गई बहियों, दस्तावेजों, कार्यवाही पुस्तिकाओं, प्रारूपों और जमा किए गए रिटर्न तथा अन्य रेकॉर्डों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जांच की है:
  - i. अनुपालन की अपेक्षा वाले कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विभिन्न संबंधित अधिनियमों;
  - ii. मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्य) अधिनियम, 1978 और उसके नियमों;
  - iii. मेट्रो (परिचालन एवं अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 और उसके नियमों; और
  - iv. कंपनी के ज्ञापन और अंतर्नियमों
3. कंपनी की बहियों, दस्तावेजों, कार्यवाही, पुस्तिकाओं, फॉर्मों, जमा किए गए रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रेकॉर्डों के सत्यापन तथा सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध किए गए विभिन्न सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है:
  - i. विभिन्न सांविधिक रजिस्ट्रारों और दस्तावेजों का रख-रखाव और उसमें आवश्यक प्रविष्टियां करना;
  - ii. कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास फाइल करने के लिए आवश्यक फॉर्मों, रिटर्न, दस्तावेजों और संकल्पों;



- iii. कंपनी द्वारा अपने सदस्यों, लेखापरीक्षकों और रजिस्ट्रार को दस्तावेज़ भेजना;
- iv. निदेशक मंडल और निदेशकों की विभिन्न समितियों की बैठकों की सूचना देना;
- v. निदेशकों और निदेशकों की सभी समितियों की बैठकों की सूचना देना;
- vi. 30 नवंबर, 2021 को आयोजित वार्षिक आम बैठक की सूचना और संयोजन;
- vii. बोर्ड की बैठक, समिति और सदस्यों की बैठक की कार्यवाही;
- viii. निदेशक मंडल, निदेशकों की समिति, सदस्यों और सरकारी विभागों से जहां भी आवश्यक हो, अनुमोदन;
- ix. निदेशक मंडल, निदेशकों की समितियों का गठन और निदेशकों की नियुक्ति और पुनःनियुक्ति;
- x. निदेशकों और प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक का भुगतान;
- xi. सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक;
- xii. कंपनी के शेयरों, इश्यू और आवंटन शेयरों का हस्तांतरण;
- xiii. कंपनी के अनुबंधों, पंजीकृत कार्यालय और नाम का प्रकाशन;
- xiv. निदेशक मंडल की रिपोर्ट;
- xv. कंपनी की निधियों का निवेश;
- xvi. सामान्य तौर पर, अधिनियम के अन्य सभी लागू प्रावधानों और उसके तहत बने नियमों;
- xvii. हमारी राय में, कंपनी ने, ज्ञापन और कंपनी के अंतर्नियमों में यथा निर्धारित उचित बोर्ड-प्रक्रियाओं और अनुपालन तंत्र का पालन किया है और ऊपर उल्लिखित सांविधिक प्रावधानों, अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, लागू सचिवीय मानकों, आदि का अनुपालन किया है।

#### 4. हम आगे यह सूचित करते हैं:

- i. निदेशकों ने अनुबंधों और व्यवस्थाओं में हितों और संबंधों, अन्य कंपनियों में शेयरधारित और निदेशक पदों और अन्य संस्थाओं में हितों के प्रकटन की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है;
- ii. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के तहत जहां भी आवश्यक हो, सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए हैं;
- iii. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध कोई अभियोजन शुरू नहीं किया गया या कंपनी ने कोई 'कारण बताओ नोटिस' प्राप्त नहीं किया।

#### 5. हम आगे यह सूचित करते हैं कि वर्ष के दौरान:

कंपनी की स्थिति राज्य (उत्तर प्रदेश) सरकार और केंद्र सरकार के बीच 50:50 संयुक्त उपक्रम के रूप में सरकारी कंपनी की बनी हुई है। साथ ही, हमारे विचार में कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्य) अधिनियम, 1978 और मेट्रो रेलवे (परिचालन एवं अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (कंपनी के विशिष्ट शासी अधिनियमों) के लागू प्रावधानों का नियमित तौर पर अनुपालन करती है।

- i. निर्धारित स्तर तक अनुपालन की जांच के लिए कंपनी द्वारा रखे गए विभिन्न रेकॉर्डों की जांच की गई।
- ii. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया और निदेशकों की नियुक्ति और पदत्याग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। कंपनी ने सभी अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

हम पुनः सूचित करते हैं कि लागू वित्तीय कानूनों, जैसे प्रत्यक्ष और परोक्ष कर कानूनों की मेरी लेखापरीक्षा के अंतर्गत पूर्णतयः समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि यह सांविधिक लेखापरीक्षक और अन्य नामित कुशल प्रफेशनल्स के दायरे में आती है।

हमने निम्नलिखित की स्वीकार्य धाराओं के अनुपालन की भी जांच की है:

- (i) इंस्टीट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानकों;
- (ii) इंस्टीट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों इत्यादि का उपरोक्त अवलोकनों के अधीन अनुपालन किया है।

### हम आगे सूचित करते हैं कि

कंपनी का निदेशक मंडल, कार्यकारी निदेशकों, गैर-सरकारी निदेशकों के उचित संतुलन सहित विधिवत गठित है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के गठन में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में और इस संबंध में संबंधित विनियामक निकाय और सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार किए गए।

बोर्ड की बैठकें आयोजित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिए, अधिकांश बैठकों की कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पूर्व भेजे गए और बैठक के पूर्व और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता के लिए कार्यसूची के मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है।

विधिवत रिकॉर्ड और अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बैठक की कार्यवाही के अनुसार, बोर्ड के निर्णय सर्वसम्मत थे और विचार में कोई मतभेद दर्ज नहीं किया गया है।

हम पुनः सूचित करते हैं कि स्वीकार्य कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों की निगरानी और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कंपनी में कंपनी के आकार और परिचालन के अनुसार पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

इस प्रतिवेदन को हमारे समदिनांकित पत्र के साथ पढ़ा जाना है, जो यहाँ अनुलग्नक-क के रूप में संलग्न है।

यूडीआईएन: F006244D000466649

स्थान: लखनऊ

दिनांक: 06.06.2022

कृते मेसर्स दिलीप दीक्षित ऐंड कंपनी

ह0/-  
दिलीप कुमार दीक्षित  
प्रोपराइटर  
एफ़सीएस संख्या- 6244  
सीपी संख्या- 6770



## अनुलग्नक- क

सेवा में,

सदस्यगण,

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

सीआईएन: U60300UP2013SGC060836

पंजीकृत कार्यालय: प्रशासनिक भवन,

गोमती नगर, निकट डॉ. अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल,

लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010।

ईमेल: cslmrcl@gmail.com

### **प्रबंधन का उत्तरदायित्व:-**

1. सचिवीय दस्तावेजों को व्यवस्थित रखना तथा सभी लागू कानूनों एवं नियमों के प्रावधानों के अनुपालन हेतु एक प्रणाली तैयार करना, कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। साथ ही, प्रबंधन इन प्रणालियों की उपयुक्तता एवं प्रभाविता सुनिश्चित करने हेतु भी उत्तरदायी है।

### **लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व:-**

2. हमने इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त कर लिया है कि लेखापरीक्षिती द्वारा तैयार किए गए विवरण, दस्तावेज या अभिलेख गलत विवरण से मुक्त हैं या नहीं।
3. लेखापरीक्षा, लागू लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार आयोजित की गई।
4. हमारा दायित्व है कि हम केवल एकत्रित साक्ष्यों, प्राप्त सूचनाओं एवं लेखापरीक्षिती द्वारा बनाए गए या प्रबंधन द्वारा दिए गए अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करें।
5. हमने सचिवीय अभिलेखों की उपयुक्तता के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन की प्राप्ति हेतु सुयोचित लेखापरीक्षा पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया। सचिवीय अभिलेखों में प्रदर्शित तथ्य सही हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधारित सत्यापन किया गया। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्रयोग में लाई गई पद्धतियाँ एवं प्रक्रियाएँ, हमारी राय हेतु एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती हैं।
6. सचिवीय अनुपालन के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले इन सचिवीय अभिलेखों, मानकों एवं प्रक्रियाओं पर एक राय व्यक्त करना हमारा दायित्व है।
7. हम मानते हैं कि लेखापरीक्षा हेतु कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्राप्त साक्ष्य एवं जानकारी, हमारी राय हेतु आधार तैयार करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।
8. जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ी, हमने कानूनों, नियमों-विनियमों के अनुपालन एवं घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया।
9. कॉर्पोरेट एवं अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों, नियमों, विनियमों एवं मानकों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जाँच, परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित रही।
10. लेखापरीक्षिती ने अपने अभिलेखों, दस्तावेजों, बयानों को तैयार करने में लागू कानूनों एवं नियमों का पालन किया, या कोई भी कॉर्पोरेट कार्रवाई करते समय लागू कानूनों या नियमों का पालन किया।

### निष्पक्ष राय:

11. हम निष्कर्ष निकालते हैं:

- क) समय-सीमा और प्रक्रिया के संदर्भ में लागू कानूनों का उचित अनुपालन है; तथा
- ख) लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक अभिलेखों को उनके द्वारा सत्यापित किया गया, जो कि गलतबयानी से मुक्त हैं एवं लागू कानूनों के अनुरूप हैं।

### घोषणा:-

- 12. सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।
- 13. हमने अभी तक कंपनी के वित्तीय अभिलेखों एवं बहीखातों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है क्योंकि यह हमारी लेखापरीक्षा मामलों से संबंधित नहीं है।
- 14. कोविड-19 की वैश्विक महामारी के संक्रमण के ध्यानार्थ, लेखापरीक्षा के दौरान शारीरिक दूरी बनाए रखने के अधिकतम प्रयास किए गए; साथ ही, भौतिक उपस्थिति के स्थान पर लेखापरीक्षा को डिजिटल माध्यम से क्रियान्वित करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इसके अतिरिक्त, वैधानिक अनुपालनों के संबंध में सरकार द्वारा दी गई रियायतों को भी संज्ञान में लिया गया।

यूडीआईएन: F006244D000466649

स्थान: लखनऊ

दिनांक: 06/06/2022

कृते मेसर्स दिलीप दीक्षित ऐंड कंपनी

ह0/-  
दिलीप कुमार दीक्षित  
प्रॉपराइटर  
एफ़ऱीएस संख्या. 6244  
सीपी संख्या. 6770

## स्वतंत्र लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

सेवा में,  
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. के सदस्यगण, (पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

वित्तीय लेखों की लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन

### राय

हमने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.) (यहां पर 'कंपनी' के तौर पर संबोधित) के संलग्न वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2022 की तिथि को तुलन-पत्र और उपरोक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सार सम्मिलित है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (यहां पर 'अधिनियम' के तौर पर संबोधित) द्वारा अपेक्षित ढंग से प्रदान करते हैं और अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारत में आमतौर पर स्वीकृत भारतीय लेखांकन मानक ('इंड एएस') सहित लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2022 को कंपनी के कामकाज (वित्तीय स्थिति) और इसके लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), इसके नकदी प्रवाह और उपरोक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन की सही और निष्पक्ष स्थिति स्पष्ट करते हैं।

### महत्वपूर्ण विषय:

हम निम्न बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- 1) नोट संख्या 13; भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 7 करोड़ रुपए व 57.75 करोड़ रुपए की शेयर आवेदन राशि क्रमशः दिनांक 16.03.2022 और दिनांक 30.03.2022 को प्राप्त हुई। उपरोक्त शेयर आवेदन राशि के सापेक्ष कंपनी ने 29.06.2022 को शेयर आवंटित किए, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 में निर्दिष्ट 60 दिनों की वैधता अवधि के समाप्त होने के बाद हुए।
- 2) भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)-वित्तीय विवरण का नोट क्रमांक 14 और 30 (घ); वित्तीय देयता के तौर पर प्रस्तुत ऐतिहासिक मूल्य पर ब्याज मुक्त अधीनस्थ सरकारी ऋण को मान्य करने के संबंध में, अधीनस्थ ऋण को चुकाने की अवधि में अनिश्चितता के कारण, इंड एएस 109- वित्तीय उपकरणों के अनुरूप मापन नहीं किया गया है।
- 3) भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण का नोट संख्या 33 (घ); यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) का 6,89,500 लाख रुपए का बकाया ऋण एवं 2971.79 लाख रुपए का देय ब्याज; भारत सरकार ने लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु इन ऋणों के संवितरण की पास थ्रू असिस्टेंस के माध्यम से व्यवस्था की थी। भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण में विनिमय दर में उतार-चढ़ाव लाभ/हानि को सम्मिलित नहीं किया गया है, जैसा कि इंड एएस 21- "विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के प्रभाव" के अनुसार आवश्यक है तथा जिसे भारत सरकार के परामर्श अनुसार लेनदेन के आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- 4) भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के नोट संख्या 14 एवं 33 (घ); ईआईबी द्वारा प्रदत्त कुल ऋण में से, अंश A के भाग 1 एवं 2 की अधिस्थगन अवधि समाप्त हो चुकी है तथा अवधि हेतु 12.12 मिलियन यूरो का मूलधन एवं 3.37 मिलियन यूरो का ब्याज बकाया है। कंपनी एक पैनेल ब्याज 2% की दर से + चूक के लिए लागू दर डेबिट कर रही है।
- 5) भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) का नोट क्रमांक 30(ड.); जिसमें भारत सरकार ने अधीनस्थ ऋण के रूप में कर प्रतिपूर्ति के लिए राशि प्रदान की है, लेकिन इसे बहीखातों में वित्तीय सहायता के रूप में मान्यता दी गई।

## प्रस्तुत राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्व का वर्णन आगे हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व में किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो नैतिक अपेक्षाओं सहित अधिनियम एवं प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

## वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित विषयों के लिए उत्तरदायी है, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट इंड एएस सहित, भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के कामकाज (वित्तीय स्थिति), लाभ या हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन), नकदी प्रवाह और कंपनी की इक्विटी में परिवर्तनों की सही एवं निष्पक्ष स्थिति स्पष्ट करते हैं। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता करने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन और प्रयोग; उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान करना; और सही एवं निष्पक्ष स्थिति स्पष्ट करने वाले और तथ्यात्मक गलतबयानी (चाहे छल-कपट या त्रुटि से हुई हो) से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने से सुसंगत लेखांकन रेकॉर्डों की सत्यता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कारगर, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रेकॉर्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

कंपनी का प्रबंधन, वित्तीय विवरणों के लेखांकन के दौरान, परिचालन जारी रखने के संबंध में कंपनी की दक्षता, प्रकटन (जहां लागू हों), कंपनी की आगामी परिचालन की अवधि से जुड़े मुद्दों एवं इस आधार पर ही लेखांकन के प्रति उत्तरदायी है; जब तक कि प्रबंधन की मंशा कंपनी को लिक्विडेट करने या फिर परिचालन बंद करने की न हो या फिर कंपनी के पास इसके अलावा दूसरा कोई वास्तविक विकल्प न मौजूद हो।

कंपनी के वही बोर्ड निदेशक, कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन की प्रक्रिया की निगरानी के प्रति भी उत्तरदायी हैं।

## वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य, वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि से पूर्णरूप से मुक्त होने के उचित आश्वासन की प्राप्ति के साथ-साथ लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जारी करना है, जिसमें हमारी राय भी शामिल हो। उचित आश्वासन, उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों से की गई लेखापरीक्षा से हमेशा किसी तथ्यात्मक गलतबयानी के होने का पता लग ही जाए। गलतबयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और तभी तथ्यात्मक मानी जाती है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उससे इन वित्तीय विवरणों के आधार उपभोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती हो।

लेखांकन मानकों के अनुसार, लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, लेखापरीक्षा के दौरान हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेवर तौर पर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि से हो, के जोखिमों की पहचान और निर्धारण करना, उन जोखिमों के लिए प्रभावी लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार करना एवं निष्पादित करना और उन लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करना, जो हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न गलतबयानी का पता नहीं लगने का जोखिम, त्रुटि से उत्पन्न जोखिम से अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का अध्यारोहण शामिल हो सकता है।



- परिस्थिति के अनुसार, उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने में लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3)(प) के तहत, हम इस पर अपनी राय स्पष्ट करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता मौजूद है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन करना।
- चलायमान प्रतिष्ठान के लेखांकन आधार का उपयोग करने की प्रबंधन की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित तथ्यात्मक अनिश्चितता मौजूद है, जो चलायमान प्रतिष्ठान बने रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उठा सकती है; इनके आधार पर निष्कर्ष निकालना। यदि हमारे निष्कर्ष में कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें अपने लेखापरीक्षक प्रतिवेदन में वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटनों पर ध्यान आकर्षित करना या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारी राय में संशोधन करना अपेक्षित होता है। हमारे निष्कर्ष, हमारे लेखापरीक्षक प्रतिवेदन की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां, कंपनी को चलायमान प्रतिष्ठान बने रहने से रोक सकती हैं।
- प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं को ऐसे दर्शाते हैं, जिनसे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो, का मूल्यांकन करना।

हम प्रबंधन के प्रभारियों को, अन्य बातों के अलावा, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र, समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित (जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पाते हैं) सूचित करते हैं।

हम प्रबंधन के प्रभारियों को यह कथन भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में सूचित करते हैं, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के लिए उपयुक्त समझा जाए।

## योग्य राय का आधार

- नोट संख्या 33 (ग) (ii) के संबंधित विषय की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, "कंपनी ने इक्विटी प्रतिभागिता हेतु वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में यूपीएसआईडीसी से 3500 लाख रुपए प्राप्त किए तथा 2018-19 तक इसे नोट- "अन्य इक्विटी" के अंतर्गत "आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि " के रूप में लेखांकित किया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में, कंपनी ने इस राशि (3500 लाख रुपए) को "आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि" के शीर्ष से "अन्य चालू देयताओं" में स्थानांतरित कर दिया। अनुमोदित डीपीआर के अनुसार, कंपनी में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की 50:50 इक्विटी प्रतिभागिता है। अतएव, अनुमोदित डीपीआर के वित्त प्रारूप के अनुसार, शेयर किसी सरकारी कॉर्पोरेशन को जारी नहीं किए जा सकते। विवेकपूर्ण लेखांकन मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें वर्तमान देयताओं में ले जाया गया है।

हमारी राय है कि कंपनी स्वयं से ही आवंटन हेतु शेयर आवेदन राशि की राशि को अन्य चालू देयताओं में सीधे स्थानांतरित नहीं कर सकती। यूपीएसआईडीसी न ही कंपनी के विविध लेनदारों में शामिल है और न ही विविध देनदारों में। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अनुसार, शेयरों का आवंटन 60 दिनों के भीतर होना चाहिए तथा प्रतिभूतियों का आवंटन 60 दिनों के भीतर नहीं होता, संपूर्ण आवेदन राशि की प्रतिपूर्ति 60 दिन पूरे होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर होनी है। राशि की प्रतिपूर्ति, 60 दिन पूरे होने की तिथि से 12% सालाना ब्याज के साथ होनी चाहिए। अतः, इस हिसाब से कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया।



- 2) कंपनी ने पिछले वर्ष में क्रियान्वित अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डाल दिया है। इंड एस के अनुसार, कंपनी को पिछले वर्ष के वित्तीय विवरण (तुलन पत्र तथा ट्रेडिंग एवं लाभ एवं हानि के लेख) पुनः तैयार कराने चाहिए ताकि पिछले वर्षों के वित्तीय विवरण के वास्तविक एवं उचित मूल्य को प्रदर्शित किया जा सके। उक्त का विवरण, यहाँ "अनुलग्नक-घ" के रूप में संलग्न है।
- 3) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 11920552.00 रुपए के 6 जीएसटी इनवॉइस तैयार किए, जिनमें वे सेवा प्रभार भी सम्मिलित हैं, जो मेसर्स अभि ऐडवरटाइजिंग को उपलब्ध नहीं कराए गए।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में, कंपनी ने संशोधित प्रवृष्टियों को पारित किया तथा मेसर्स अभि ऐडवरटाइजिंग को 9824040.00 रुपए का भुगतान किया, जिसके लिए कंपनी ने सेवा प्रदान नहीं की तथा कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की 9824040.00 रुपए की राशि पर 1768778.00 रुपए के जीएसटी की प्रतिपूर्ति की माँग करते हुए जीएसटी विभाग के समक्ष एक याचिका दाखिल की। इस पर हमारी राय है कि भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार, 2019-20 वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों को 31-03-2022 के वित्तीय विवरणों के साथ पुनः तैयार कराया जाना चाहिए।

हमारी राय है कि कंपनी को याचिका निस्तारित होने तक 1768778.00 रुपए की आकस्मिक देयता दर्ज करनी चाहिए।

### अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर प्रतिवेदन

1. अधिनियम की धारा 143(11) के संबंध में, केंद्र सरकार द्वारा जारी, कंपनी (लेखापरीक्षक प्रतिवेदन) आदेश, 2016 ("आदेश") की अपेक्षा के अनुसार, हम "अनुलग्नक-क" में आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों का विवरण प्रस्तुत करते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षा के अनुसार, हम "अनुलग्नक-ख" में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और निर्दिष्ट मामलों पर आधारित विवरण प्रस्तुत करते हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार, हम सूचित करते हैं कि:
  - (क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।
  - (ख) हमारी राय में, कंपनी ने कानून की अपेक्षा के अनुसार उपयुक्त बहीखाते रखे हैं, जैसा उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
  - (ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण बहीखातों के अनुरूप हैं।
  - (घ) हमारी राय में, उपरोक्त इंड एस, वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।
  - (ङ) चूंकि, कंपनी एक सरकारी कंपनी है, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या GSR-463(E) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार कंपनी के निदेशकों से लिखित प्रतिवेदन प्राप्त करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) कंपनी पर लागू नहीं है।
  - (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावितता के संबंध में "अनुलग्नक-ग" में हमारी पृथक् रिपोर्ट देखें।



- (छ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- (i) कंपनी ने अपने इंड एस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों का इंड एस के नोट सं. 30(1) में प्रकटन किया है, जिनका इसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है।
- (ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालीन अनुबंध नहीं थे, जिनपर कोई भौतिक नुकसान हुआ हो।
- (iii) ऐसी कोई राशि नहीं है, जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरित करना अपेक्षित है।
4. धारा 197(16) के तहत लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले मामले के संबंध में; कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या— GSR 463(E) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा, 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197 (16) के प्रावधानों की अपेक्षा के अनुसार प्रतिवेदन कंपनी पर लागू नहीं है।

**कृते विनय नवीन ऐंड कंपनी**  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
(एफ़आरएन संख्या. 009188C)

ह0/-  
(सीए विनय मित्तल)  
सदस्य

स्थान: गाजियाबाद  
दिनांक : 28-07-2022

सदस्यता संख्या: 078907  
यूडीआईएन: 22078907ANUFAD8890

## स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-क

(स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के समदिनांकित प्रतिवेदन में 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं' पर प्रतिवेदन के अनुच्छेद-1 से संदर्भित)

- i) कंपनी के संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में :-
  - क) कंपनी ने स्थाई परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरण एवं स्थिति सहित पूर्व विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है।
  - ख) कंपनी में स्थाई परिसंपत्ति के सभी मदों का चरणबद्ध तरीके से सत्यापन करने का कार्यक्रम है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और इसकी स्थाई परिसंपत्तियों के संबंध में उचित है। कार्यक्रम के अनुसरण में, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऐसे सत्यापन में कोई तथ्यात्मक विसंगति नहीं पाई गई।
  - ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इंड-एस वित्तीय विवरण में नोट संख्या 1 और 33 (च) में बताए गए को छोड़कर, अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर हैं। कंपनी ने वित्तीय विवरण में निर्धारित प्रारूप में कंपनी के नाम पर अचल संपत्तियों (पट्टे पर दी गई संपत्तियों को छोड़कर) के स्वामित्व विलेखों के विवरण का खुलासा नहीं किया है। यह कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची III की एक वैधानिक आवश्यकता है। अनुलग्नक "ड." का संदर्भ ग्रहण करें।
  - घ) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों सहित किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
  - ड.) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है और न ही किसी बेनामी संपत्ति पर कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई है।
- ii) कंपनी के पास चरणबद्ध तरीके से इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में उचित है। कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गईं।
- iii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को कोई भी ऋण, प्रतिभूत या अप्रतिभूत नहीं दिया है।
- iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यक्तियों को कोई ऋण नहीं दिया या निवेश नहीं किया या गारंटी या प्रतिभूति नहीं दी है और इसलिए इनपर टिप्पणी नहीं की गई है।
- v) वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है और 31 मार्च, 2022 को कोई गैर-दावाकृत जमाराशियां नहीं है और इसलिए, आदेश की धारा 3(v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
- vi) केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के संबंध में, अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रेकॉर्ड्स का अनुरक्षण निर्धारित नहीं किया है, अतएव इनपर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
- vii) सांविधिक देयों के संबंध में हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार:
  - क) आमतौर पर कंपनी, स्वयं पर लागू भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निधि, आयकर, बिक्रीकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य तथ्यगत सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देयों का उपयुक्त विभागों को नियमित रूप से भुगतान करती है।



- (ख) 31 मार्च, 2022 को भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निधि, आयकर, बिक्रीकर, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर एवं अन्य तथ्यगत सांविधिक देयों के संबंध में कोई अविवादित देय राशि होने की तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं थी।
- (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, किसी विवाद के कारण बकाया आयकर इस प्रकार है:  
आयकर पोर्टल पर डेटा की अनुपलब्धता के कारण, हम कंपनी पर आयकर विभाग की बकाया राशि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

विधान की प्रकृति	देयों की प्रकृति	फ़ोरम, जहाँ पर विवाद लंबित है	अवधि, जिससे राशि संबंधित है	राशि (लाख रूपए में)
आयकर अधिनियम, 1961	स्रोत पर कटौती	सीआईटी (अपील)	2015-16	47.64
आयकर अधिनियम, 1961	स्रोत पर कटौती	सीआईटी (अपील)	2016-17	108.40

- viii. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं मिला जो सरेंडर किए गए खाते के लेखों में दर्ज नहीं किया गया हो या आयकर कार्यवाही में आय के रूप में प्रकट किया गया हो।
- ix. क) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा दिए गए ऋण के अंश A के भाग 1 एवं 2 की अधिस्थगन अवधि अतिदेय है। यह पाया गया कि कंपनी ने 31.03.2022 तक ईआईबी ऋण में से 12.12 मिलियन यूरो के मूलधन तथा 3.37 मिलियन यूरो के उपार्जित ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है। यह भुगतान भारत सरकार को देय है क्योंकि इसे पास थ्रू असिस्टेंस के रूप में भारत सरकार से ही प्राप्त किया गया था।
- ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी बैंक/वित्तीय संस्थान/अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर नहीं है।
- ग) हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने मौजूदा शेयरधारकों को शेयरों की पेशकश या मियादी ऋणों के माध्यम से रकम जुटाई और रकम का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया, जिसके लिए वे जुटाई गईं।
- घ) चूंकि कंपनी एक सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम की आवश्यकता नहीं है, जो दायित्व को पूरा करने के लिए ली गई निधि से संबंधित है, यदि उसकी सहायक सहयोगी या संयुक्त उद्यम लागू नहीं है।
- ड.) कंपनी के पास कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है इसलिए सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम के शेयर की गिरवी द्वारा उठाए गए ऋण से संबंधित आवश्यकता लागू नहीं होती है।
- x. क) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों का कोई अधिमान आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूरी तरह या आंशिक रूप से भुगतान किए गए परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किए हैं और इसलिए, सीएआरओ के इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- ख) कंपनी द्वारा, शेयरों का कोई भी अधिमान आवंटन या निजी प्लेसमेंट या आंशिक रूप से भुगतान परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं किया गया है।
- xi. क) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कंपनी के साथ इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी की कोई घटना पाई या सूचित नहीं की गई।
- ख) ऑडिट के दौरान, हमें कोई धोखाधड़ी नहीं मिली है इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत

- फॉर्म एडीटी 4 दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- ग) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान ऐसी कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
- xii) कंपनी, एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए, सीएआरओ की धारा 3(xii) के तहत रिपोर्टिंग, कंपनी पर लागू नहीं होती।
- xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 (जहां भी लागू हों) के अनुपालन में हैं और संबंधित पार्टी लेनदेनों के विवरणों का प्रकटन, लागू भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित इंड एस 'वित्तीय विवरणों' में किया गया है।
- xiv) कंपनी आंतरिक लेखा परीक्षा कर रही है, हमारी राय में, कंपनी के आकार तथा इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए यह उचित है।
- xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशकों या उनसे संबद्ध व्यक्तियों से कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते।
- xvi) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।
- xvii) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी को कोई नकद घाटा नहीं हुआ है।
- xviii) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, सांविधिक लेखा परीक्षक को कंपनी से इस्तीफा नहीं दिया गया है।
- xix) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा दिए गए ऋण के अंश A के भाग 1 एवं 2 की अधिस्थगन अवधि अतिदेय है। यह पाया गया कि कंपनी ने 31.03.2022 तक ईआईबी ऋण में से 12.12 मिलियन यूरो के मूलधन तथा 3.37 मिलियन यूरो के उपाजित ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है। यह भुगतान भारत सरकार को देय है क्योंकि इसे पास थ्रू असिस्टेंस के रूप में भारत सरकार से ही प्राप्त किया गया था।
- xx) कंपनी को चालू और पिछले वित्तीय वर्षों में घाटा हुआ है इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की आवश्यकता लागू नहीं होती है।
- xxi) कंपनी समेकित वित्तीय विवरण नहीं तैयार कर रही है अतएव यह क्लॉज़ लागू नहीं होता।

**कृते विनय नवीन ऐंड कंपनी**  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
(एफ़आरएन संख्या. 009188C)

ह0/-  
(सीए विनय मिश्र)

सदस्य

स्थान: गाज़ियाबाद  
दिनांक: 28.07.2022

सदस्यता संख्या: 078907  
यूडीआईएन: 22078907ANUFAD8890



## स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-ख

(स्वतंत्र लेखापरीक्षक के समदिनांकित प्रतिवेदन में 'अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं पर प्रतिवेदन' के अंतर्गत अनुच्छेद-2 में संदर्भित)

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हम निम्नवत प्रतिवेदन करते हैं:

**1. क्या सार्वजनिक भागीदारी के तहत संचालित परियोजना की पहचान हेतु प्रचलित प्रणाली, सरकार के दिशा-निर्देश/ नीतियों के अनुरूप है? विचलन, यदि कोई हो तो, उस पर टिप्पणी प्रस्तुत करें?**

लेखापरीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम के लिए मर्चेट एक्वायरर बैंक के रूप में एचडीएफसी (HDFC) के साथ 6 साल के लिए अनुबंध किया है तथा पीपीपी मॉडल के अधीन संबद्ध बैंकिंग अनुप्रयोगों का प्रावधान किया है तथा कानपुर मेट्रो परियोजना हेतु एसबीआई (SBI) के साथ ओपन लूप ईएमवी एनवीएमसी कार्ड एवं क्यूआर (QR) आधारित ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम के डिजाइन, निर्माण, प्रतिपूर्ति, स्थापन, परीक्षण एवं प्रवर्तन हेतु पीपीपी मॉडल के अधीन 10 वर्षों हेतु अनुबंध किया है। सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कोई विचलन सूचित नहीं किया गया।

**2. क्या समझौते में निर्धारित कार्यों यानी उपलब्धियों के निष्पादन की निगरानी के लिए व्यवस्था मौजूद है और लागत वृद्धि के प्रभाव, अनुबंधों से किसी राजस्व/हानि, आदि का बहियों में उचित तरीके से लेखांकन किया गया है?**

समझौते में निर्धारित कार्य यानी उपलब्धियों के निष्पादन की निगरानी की प्रणाली उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (यूपीएमआरसी) के तकनीकी अधिकारी, यूपीएमआरसी द्वारा नियुक्त जनरल कन्सल्टेन्ट (जीसी) के साथ समझौते में निर्धारित उपलब्धियों के अनुसार दावों एवं कार्यों की जांच करते हैं तथा लगातार इसकी निगरानी करते हैं। अनुबंधों से प्राप्त किसी भी राजस्व/नुकसान आदि को बहियों में उचित रूप से दर्ज किया जाता है।

**3. क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित लेखांकन/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएं?**

कंपनी द्वारा प्राप्त निधि अनुमोदित डीपीआर में वित्त मॉडल के अनुसार होती है, जिसका आमतौर पर उचित तरीके से लेखांकन/उपयोग किया जाता है। हालांकि, 23 मार्च, 2016 को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और यूपीएमआरसी (पूर्व में एलएमआरसी) के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार, ईआईबी के संबंध में यूपीएमआरसी की ऋण देयता, बचे हुए ऋण की गणना, ऋण की मुद्रा के विनिमय दर में उतार-चढ़ाव सहित 'रुपए' के आधार पर ईआईबी के ऋण वापस करने की समय-सारणी के आधार पर की जाएगी, जिसका कंपनी ने विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभावों के कारण प्रावधान नहीं किया है और भारत सरकार के परामर्श के अनुसार, लेनदेन के आधार पर प्रावधान किया जाएगा। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार से लिए गए लोन का भुगतान, ईआईबी से लिए गए लोन के भुगतान के बाद किया जाएगा।

इसके अलावा, कंपनी को 31 मार्च 2022 तक राज्य करों की प्रतिपूर्ति के लिए कानपुर एवं आगरा मेट्रो परियोजनाओं के लिए क्रमशः 214.40 करोड़ रुपए व 161.00 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। यद्यपि, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राशि को "अधीनस्थ ऋण" के रूप में जारी किया गया था, जैसा कि राशि जारी करते समय जारी सरकारी आदेश में उल्लेख किया गया है, कंपनी ने इसे वित्तीय सहायता के रूप में माना है तथा इसे नोट 17- "अन्य गैर-चालू देयताएं-सरकारी अनुदान" के रूप में तुलन पत्र में प्रदर्शित किया गया है।

**4. क्या बैंक गारंटियों का समय से पुनर्वैधीकरण कराया गया है?**

आमतौर पर, बैंक गारंटियों का समय पर पुनर्वैधीकरण कराया गया है।

5. प्राप्त व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, सावधि जमा, बैंक खातों और नकदी की शेष राशि की पुष्टि पर टिप्पणी करें?

कंपनी ने अपने बैंकों में शेष राशियों और सावधि जमा के शेष की पुष्टि प्राप्त की है, जिनमें अंतर पाए जाने पर, खाता बहियों से मिलान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अधिकांश व्यापार देयों के शेष की गैर-पुष्टि और कंपनी की लाभदेयता/नुकसान पर बही में शेष एवं वास्तविक शेष पर पड़ने वाले परिणामी प्रभाव (यदि कोई हो तो) के मिलान की आवश्यकता होती है।

**कृते विनय नवीन ऐंड कंपनी**

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
(एफ़आरएन संख्या. 009188C)

ह0/-

(सीए विनय मित्तल)

सदस्य

सदस्यता संख्या: 078907

यूडीआईएन: 22078907ANUFAD8890

स्थान: गाज़ियाबाद  
दिनांक: 28.07.2022



## स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक - ग

(स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के समदिनांकित प्रतिवेदन में 'अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं' शीर्ष के अंतर्गत अनुच्छेद 3 (च) में संदर्भित) **कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रतिवेदन**

हमने 31 मार्च, 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षण किया है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो इसके कारोबार के व्यवस्थित एवं दक्ष संचालन, कंपनी की नीतियों के पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजियों और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रेकॉर्डों की सत्यता और पूर्णता, और समय पर विश्वस्त वित्तीय जानकारी तैयार करने को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

### लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर की गई वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय प्रकट करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन') और लेखापरीक्षा पर मानकों, आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित मानित, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी, के अनुसार की है। ये मानक और मार्गदर्शन नोट, यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करते हुए यह उचित आश्वासन पाने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए और बनाए रखे गए और क्या ऐसे नियंत्रण सभी तथ्यात्मक संबंधों में प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और उनके प्रभावी प्रचालन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में उस तथ्यात्मक कमजोरी के जोखिम का निर्धारण करते हुए और निर्धारित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के परीक्षण, डिजाइन और प्रभावशील प्रचालन का मूल्यांकन करते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की एक समझ हासिल करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय, वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक गलतबयानी, चाहे जालसाजी या त्रुटि से, के जोखिमों के निर्धारण सहित, पर निर्भर करती हैं। हमारा मानना है कि लेखापरीक्षा साक्ष्य, जो हमने प्राप्त किए वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, ऐसी प्रक्रिया है, जो आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजन के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन



प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और कार्यविधियां शामिल होती हैं, जो:

- (1) उचित विवरण, सत्यता और स्पष्टता से कंपनी के लेनदेनों और उसकी परिसंपत्तियों की व्यवस्थाओं को दर्शाने वाले रेकॉर्डों के अनुरक्षण से संबंधित हों;
- (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करती हों कि लेनदेन आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने में आवश्यक मानकर रेकॉर्ड किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं;
- (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या व्यवस्था, जिससे वित्तीय विवरणों पर तथ्यात्मक प्रभाव पड़ सकता है, उनकी रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हों।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाओं के कारण, सांठगांठ या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन प्रत्यादेश की संभावना सहित, त्रुटि या छल-कपट से तथ्यात्मक गलतबयानी हो सकती है और इसका पता नहीं लग सकता। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय सूचन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो जाएं या नीतियों या कार्यविधियों के साथ अनुपालन का स्तर विकृत हो जाए।

### राय

हमारी राय में, कंपनी का, सभी तथ्यात्मक पहलुओं से, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदंड पर आधारित ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 को प्रभावी ढंग से प्रचालन कर रहे थे।

**कृते विनय नवीन ऐंड कंपनी**  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
(एफआरएन संख्या. 009188C)

ह0/-  
(सीए विनय मित्रल)

सदस्य

स्थान: गाज़ियाबाद  
दिनांक: 28.07.2022

सदस्यता संख्या: 078907  
यूडीआईएन: 22078907ANUFAD8890



## अनुलग्नक "घ"

दिनांक	वाउचर	राशि (रूपए में)	टिप्पणी
30-11-2021	वर्धन (Dr.)रू वाहन किराया शुल्क देय ह्रास (Cr.)रू वाहन किराया शुल्क	1038211.00	तदर्श होने के कारण वाहन किराया शुल्क के प्रावधान को उलट दिया जाता है यह वर्ष 2020-21 से संबंधित है।
31-03-2022	वर्धन (Dr.)रू पंडित ट्रेवल ए/सी ह्रास (Cr.)रू वाहन परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय	115847.00	अतिरिक्त होने के कारण प्रावधान को उलट दिया जाता है यह वर्ष 2018-19 से संबंधित है।
	वर्धन (Dr.)रू आरआर मोटर्स ए/सी ह्रास (Cr.)रू वाहन परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय	1114.00	
31-03-2022	वर्धन (Dr.)रू प्रक्रियाधीन कार्यशील पूँजी (आलोक सिंह)	1596844.00	अनुमानित पर पूँजीकृत परिसंपत्ति होने के नाते इसे संतुलित किया जाता है।  यह वर्ष 2018-19 से संबंधित है तथा कंपनी ने 08-03-2019 से उस संपत्ति पर मूल्यह्रास लगाना शुरू कर दिया है।
	वर्धन (Dr.)रू प्रक्रियाधीन कार्यशील पूँजी (राम इन्फ्रा)	14871.00	
	वर्धन (Dr.)रू प्रक्रियाधीन कार्यशील पूँजी (LKCC 01)	4000000.00	
	वर्धन (Dr.)रू प्रक्रियाधीन कार्यशील पूँजी (LKCC 07)	160124662.00	
	वर्धन (Dr.)रू प्रक्रियाधीन कार्यशील पूँजी (टेलि पावर)	546143.00	
	ह्रास (Cr.)रू स्टेशन भवन	111624767.00	
	ह्रास (Cr.)रू वायडक्ट ब्रिज, टनल कल्वटर्स बंडर्स	54657753.00	

कृते विनय नवीन ऐंड कंपनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
(एफआरएन संख्या. 009188C)

ह0/-  
(सीए विनय मित्तल)

सदस्य

सदस्यता संख्या: 078907

यूडीआईएन: 22078907ANUFAD8890

स्थान: गाज़ियाबाद  
दिनांक: 28.07.2022

**अनुलग्नक-ड.**

संशोधित अनुसूची-III के अनुसार आवश्यक ऐसे टाइटल डीड्स की सूची जो कंपनी के नाम पर नहीं हैं:

तुलन पत्र में संबंधित आइटम	संपत्ति का विवरण	सकल मूल्य (लाख रूप में)	टाइटल डीड धारक	टाइटल डीड का धारक प्रवर्तक निदेशक या संबंधी/निदेशक या प्रवर्तक का कर्मचारी/निदेशक	संपत्ति धारण की तिथि	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	भूमि	108.01	यूपी सहकारिता यूनियन लि. (सहकारिता भवन)	नहीं	23.07.2016	रजिस्ट्री / हस्तांतरण लंबित
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	भूमि	284.64	यूपी सहकारिता यूनियन लि. (मुख्यालय)	नहीं	03.06.2017	रजिस्ट्री / हस्तांतरण लंबित
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	भूमि	107.37	ऑल इंडिया रेडिया	नहीं	16.05.2018	रजिस्ट्री / हस्तांतरण लंबित
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	भूमि	1,214.22	यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम (कार्यशाला)	नहीं	31.01.2020	रजिस्ट्री / हस्तांतरण लंबित
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	भूमि	154.27	केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लि.	नहीं	05.07.2021	रजिस्ट्री / हस्तांतरण लंबित
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	भूमि	465.58	यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम	नहीं	02.03.2022	रजिस्ट्री / हस्तांतरण लंबित

## उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

पंजीकृत कार्यालयरू प्रशासनिक भवन, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ

### 31 मार्च, 2022 को तुलनपत्र

(लाख रुपए में)

विवरण	नोट क्रमांक	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
<b>परिसंपत्ति</b>			
<b>गैर-चालू परिसंपत्तियाँ</b>			
क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	1	824,021.77	622,491.59
ख) कार्यशील पूँजी	2	76,448.29	95,809.66
ग) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3	4,365.12	4,606.94
घ) प्रगति के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4	36.11	22.52
ड.) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) ऋण			
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	5	606.34	428.20
(च) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
<b>कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ</b>		<b>905,477.63</b>	<b>723,358.91</b>
<b>चालू परिसंपत्तियाँ</b>			
(क) मालसूची	6	103.25	7.78
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापार प्राप्त्य	7	205.56	413.30
(ii) नकदी एवं नकदी समतुल्य	8	383,067.01	156,863.90
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	3,243.59	1,804.31
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ	10	101.51	80.05
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	11	55,848.47	28,850.19
<b>कुल चालू परिसंपत्तियाँ</b>		<b>442,569.39</b>	<b>188,019.53</b>
<b>कुल परिसंपत्तियाँ</b>		<b>1,348,047.02</b>	<b>911,378.44</b>
<b>इक्विटी एवं देयताएँ</b>			
<b>इक्विटी</b>			
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	12	408,199.00	288,044.00
(ख) अन्य इक्विटी	13	(96,644.33)	(44,204.68)
<b>कुल इक्विटी</b>		<b>311,554.67</b>	<b>243,839.32</b>
<b>देयताएँ</b>			
<b>गैर-चालू देयताएँ</b>			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधारियाँ	14	860,092.74	563,705.20

(ii) लीज देयताएँ	15	120.80	32.80
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	16	1,016.61	774.66
(ख) प्रावधान	17	2,096.58	1,715.38
(ग) आस्थगित कर देयताएँ (निवल)			
(घ) अन्य गैर-चालू देयताएँ	18	114,333.40	58,024.47
<b>कुल गैर-चालू देयताएँ</b>		<b>977,660.13</b>	<b>624,252.52</b>
<b>चालू देयताएँ</b>			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधारियाँ	19	12,827.26	10,414.80
(ii) लीज देयताएँ	20	35.40	0.35
(iii) व्यापार देयताएँ	21		
(क) छोटे उद्यमों और सूक्ष्म उद्यमों की बकाया राशि		118.54	33.38
(ख) छोटे उद्यमों और सूक्ष्म उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की बकाया राशि		786.27	1,130.21
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	22	29,129.15	22,841.97
(ख) अन्य चालू देयताएँ	23	14,259.24	7,224.17
(ग) प्रावधान	24	1,676.37	1,641.73
<b>कुल चालू देयताएँ</b>		<b>58,832.22</b>	<b>43,286.62</b>
<b>कुल इक्विटी एवं देयताएँ</b>		<b>1,348,047.02</b>	<b>911,378.44</b>

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं वित्तीय विवरणों पर नोट्स 32 एवं 33

समदिनांकित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संलग्न

निदेशक मंडल हेतु एवं उनकी ओर से

ह0/-

(कुमार केशव)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 02908695

स्थान: लखनऊ

दिनांक: 29 जून, 2022

ह0/-

(शील कुमार मिश्र)

निदेशक (वित्त)

डीआईएन : 08821866

ह0/-

(पुष्पा बेलानी)

कंपनी सचिव

सदस्यता संख्या. F8440

कृते विनय नवीन एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफ़आरएन : 009188C

ह0/-

(सीए विनय मिश्र)

सदस्य

सदस्यता संख्या : 078907

## उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (पूर्व में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

### 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि का विवरण

(लाख रुपए में)

विवरण	नोट संख्या	31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु
<b>आय</b>			
i) परिचालन से राजस्व	25	4,538.97	2,564.63
ii) अन्य आय	26	8,199.91	4,361.45
<b>कुल आय</b>		<b>12,738.88</b>	<b>6,926.08</b>
<b>व्यय</b>			
i) परिचालन व्यय	27	6,627.82	5,800.40
ii) कर्मचारी हितलाभ व्यय	28	6,653.36	6,463.00
iii) वित्त लागत	29	998.01	870.72
iv) मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	30	27,476.38	25,738.94
v) अन्य व्यय	31	2,357.59	956.33
<b>कुल व्यय</b>		<b>44,113.16</b>	<b>39,829.39</b>
<b>कर से पूर्व लाभ/(हानि)</b>		<b>(31,374.28)</b>	<b>(32,903.31)</b>
<b>कर से पूर्व लाभ</b>		(31,374.28)	(32,903.31)
कर व्यय			
चालू कर			
आस्थगित कर			
<b>वर्ष का लाभ/(हानि)</b>		<b>(31,374.28)</b>	<b>(32,903.31)</b>
<b>I वर्ष का लाभ</b>		<b>(31,374.28)</b>	<b>(32,903.31)</b>
<b>अन्य व्यापक आय</b>			
मद, जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किए जाएँगे			
- परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन		578.57	(81.38)
- आयकर का प्रभाव			-
<b>वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय/(हानि)</b>		<b>578.57</b>	<b>(81.38)</b>
<b>अवधि की कुल व्यापक आय</b>		<b>(30,795.71)</b>	<b>(32,984.69)</b>
(1) मूल (रु.)		(9.15)	(13.74)
(2) अवमिश्रित (रु.)		(8.43)	(12.44)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं वित्तीय विवरणों पर नोट्स	32 & 33		

समादिनांकित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संलग्न

निदेशक मंडल हेतु एवं उनकी ओर से

ह0/-  
(कुमार केशव)  
प्रबंध निदेशक  
डीआईएन: 02908695

ह0/-  
(शील कुमार मिश्र)  
निदेशक (वित्त)  
डीआईएन : 08821866

कृते विनय नवीन एंड कंपनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
एफआरएन : 009188C

ह0/-  
(सीए विनय मिश्र)  
सदस्य  
सदस्यता संख्या : 078907

स्थान: लखनऊ  
दिनांक: 29 जून, 2022

ह0/-  
(पुष्पा बेरानी)  
कंपनी सचिव  
सदस्यता संख्या. F8440

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.  
(पूर्व में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह का विवरण

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
<b>क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>		
कर के पश्चात निवल लाभ/हानि	(30,795.71)	(32,984.69)
<b>निम्न हेतु समायोजनरू-</b>		
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	27,476.38	25,738.94
एफडीआर/स्वीप/बचत खातों एवं सुरक्षा जमाराशि पर प्राप्त ब्याज	(5,394.01)	(1,455.74)
कर्मचारियों को दिए गए वाहन ऋण पर प्राप्त ब्याज	(0.46)	(0.06)
मोबाइल हैंडसेट्स के निपटारे से (प्राप्ति)/हानि	0.41	0.31
ब्याज एवं वित्त प्रभाव	998.01	870.72
आस्थगित सरकारी अनुदान	(2,324.59)	(2,479.29)
उचित मूल्य समायोजन	(4.58)	(3.12)
उपयोग हेतु उपलब्ध परिसंपत्तियों पर ब्याज व्यय	14.80	2.68
<b>कार्यशील पूँजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ</b>	<b>(10,029.76)</b>	<b>(10,310.25)</b>
व्यापार प्राप्ति में (वृद्धि)/कमी	207.74	(51.71)
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(26,998.27)	(24,116.14)
चालू कर परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(21.46)	(8.60)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(1,617.43)	(912.71)
मालसूची में (वृद्धि)/कमी	(95.48)	-
प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	415.84	938.03
अन्य चालू देयताओं में वृद्धि/(कमी)	10,694.00	10,259.94
व्यापार देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(258.79)	(222.84)
अन्य वित्तीय देयताओं में वृद्धि/(कमी)	9,064.63	17,514.14
<b>परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>	<b>(18,638.99)</b>	<b>(6,910.14)</b>
कर भुगतान	-	-
<b>परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह</b>	<b>(18,638.99)</b>	<b>(6,910.14)</b>
<b>ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>		
कार्यशील पूँजी एवं अमूर्त परिसंपत्तियों सहित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की खरीद	(156,769.20)	(93,119.12)
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण एवं अमूर्त संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय	1.85	2.79
एफडीआर/स्वीप/बचत खातों एवं सुरक्षा जमा राशि से प्राप्त ब्याज	5,394.01	1,455.74
कर्मचारियों को वाहन हेतु दिए गए ऋण पर प्राप्त ब्याज	0.46	0.06
<b>निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह</b>	<b>(151,372.88)</b>	<b>(91,660.53)</b>



<b>ग. वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह</b>		
शेयर पूँजी एवं शेयर आवेदन राशि	98,600.00	74,380.00
वर्ष के दौरान अनुदान प्राप्त/(समायोजित) हुए	2,235.64	1,861.53
वर्ष के दौरान जुटाए गए ऋण	296,387.54	100,805.20
ब्याज एवं वित्त प्रभार	(998.01)	(870.72)
उपयोग हेतु उपलब्ध परिसंपत्ति पर ब्याज व्यय	(14.80)	(2.68)
उचित मूल्य समायोजन	4.58	3.12
<b>वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह</b>	<b>396,214.96</b>	<b>176,176.45</b>
घ. नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)	226,203.11	77,605.79
<b>ड. नकदी एवं नकदी समतुल्य (आरंभिक बैलेंस)</b>	156,863.90	79,258.10
<b>च. नकदी एवं नकदी समतुल्य (अंतिम बैलेंस)</b>	<b>383,067.01</b>	<b>156,863.90</b>
<b>नकदी प्रवाह विवरण पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ</b>		
क) नकदी एवं नकदी समतुल्य में शामिल हैंरू		
(प) नकदी एवं बैंक में जमा बैलेंस	44,220.24	26,143.76
पप) अल्पकालिक निवेश	338,846.77	130,720.14
	<b>383,067.01</b>	<b>156,863.90</b>

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों की अभिन्न भाग हैं।

नकदी प्रवाह का उक्त विवरण, नकदी प्रवाह के विवरण पर भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)-7 में निर्धारित की गई 'अप्रत्यक्ष विधि' के अंतर्गत तैयार किया गया है।

**निदेशक मंडल हेतु एवं उनकी ओर से**

ह0/-  
(कुमार केशव)  
प्रबंध निदेशक  
डीआईएन: 02908695

स्थान: लखनऊ  
दिनांक: 29 जून, 2022

ह0/-  
(शील कुमार मिश्र)  
निदेशक (वित्त)  
डीआईएन : 08821866

ह0/-  
(पुष्पा बेरानी)  
कंपनी सचिव  
सदस्यता संख्या. F8440

**कृते विनय नवीन ऐंड कंपनी**  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
एफ़आरएन : 009188C

ह0/-  
(सीए विनय मिश्र)  
सदस्य  
सदस्यता संख्या : 078907



## उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

### 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी शेयर में परिवर्तन का विवरण

#### क. इक्विटी शेयर पूँजी

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु
आरंभिक बैलेंस	288,044.00	220,600.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	120,155.00	67,444.00
<b>वर्ष के अंत में बैलेंस</b>	<b>408,199.00</b>	<b>288,044.00</b>

#### ख. अन्य इक्विटी

(लाख रुपए में)

विवरण	आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि	आरक्षित एवं अधिशेष प्रतिधारित आय	पूँजी अनुदान गैर-मौद्रिक अनुदान	परिभाषित हितलाभ योजनाओं पर अन्य व्यापक आय	कुल
31 / 03 / 2020 को बैलेंस	21,094.00	(39,570.06)	734.52	203.29	(17,538.24)
उचित मूल्य समायोजनकृ गैर-मौद्रिक अनुदान	-	-	-	-	-
गैर-मौद्रिक अनुदान का परिशोधन	-	-	(617.75)	-	(617.75)
वर्ष का लाभ	-	(32,903.31)	-	-	(32,903.31)
अन्य व्यापक आय	-	-	-	(81.38)	(81.38)
उचित मूल्य समायोजन	-	-	-	-	-
प्राप्त शेयर आवेदन राशि (कानपुर मेट्रो रेल परियोजना)	14,670.00	-	-	-	14,670.00
प्राप्त शेयर आवेदन राशि (आगरा मेट्रो रेल परियोजना)	13,360.00	-	-	-	13,360.00
जारी की गई इक्विटी शेयर पूँजी	(21,094.00)	-	-	-	(21,094.00)
जमा राशि में अंतरण	-	-	-	-	-
गैर-चालू देयताओं में अंतरित	-	-	-	-	-
चालू-देयताओं में अंतरित	-	-	-	-	-
कार्यशील पूँजी में अंतरित	-	-	-	-	-
आय में अंतरित	-	-	-	-	-
<b>31/03/2021 को बैलेंस</b>	<b>28,030.00</b>	<b>(72,473.37)</b>	<b>116.77</b>	<b>121.91</b>	<b>(44,204.68)</b>
उचित मूल्य समायोजनकृ गैर-मौद्रिक अनुदान	-	-	-	-	-
गैर-मौद्रिक अनुदान का परिशोधन	-	-	(88.95)	-	(88.95)
वर्ष हेतु लाभ / (हानि)	-	(31,374.28)	-	-	(31,374.28)
अन्य व्यापक आय	-	-	-	578.57	578.57
उचित मूल्य समायोजन	-	-	-	-	-



प्राप्त शेयर आवेदन राशि (कानपुर मेट्रो रेल परियोजना)	57,400.00	-	-	-	57,400.00
प्राप्त शेयर आवेदन राशि (आगरा मेट्रो रेल परियोजना)	41,200.00	-	-	-	41,200.00
जारी की गई इक्विटी शेयर पूँजी	(120,155.00)	-	-	-	(120,155.00)
जमा राशि में अंतरण	-	-	-	-	-
गैर-चालू देयताओं में अंतरित	-	-	-	-	-
चालू-देयताओं में अंतरित	-	-	-	-	-
कार्यशील पूँजी में अंतरित	-	-	-	-	-
आय में अंतरित	-	-	-	-	-
<b>31/03/2022 को बैलेंस</b>	<b>6,475.00</b>	<b>(103,847.65)</b>	<b>27.82</b>	<b>700.48</b>	<b>(96,644.33)</b>

निदेशक मंडल हेतु एवं उनकी ओर से

ह0/-  
(कुमार केशव)  
प्रबंध निदेशक  
डीआईएन: 02908695

स्थान: लखनऊ  
दिनांक: 29 जून, 2022

ह0/-  
(शील कुमार मिश्र)  
निदेशक (वित्त)  
डीआईएन : 08821866

ह0/-  
(पुष्पा बेलानी)  
कंपनी सचिव  
सदस्यता संख्या. F8440

कृते विनय नवीन एंड कंपनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
एफ़आरएन : 009188C

ह0/-  
(सीए विनय मिश्र)  
सदस्य  
सदस्यता संख्या : 078907

## उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (पूर्व में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.) वित्तीय विवरणों की भाग रूपी टिप्पणियाँ

### नोट 1- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(लाख रूप में)

विवरण	सकल ब्लॉक		मूल्यमूल्य		विवल ब्लॉक 31.03.2022 को	31.03.2021 को			
	1.04.2021 को	वर्धन/ समायोजन	बिक्री/ समायोजन	31.03.2022 को			वर्ष के दौरान वर्धन/ समायोजन	वर्ष हेतु तक	
कंप्यूटर एवं ऐक्ससरीज	423.34	102.90	6.04	520.20	4.13	41.99	375.31	144.89	85.89
उपकरण एवं मशीनरी	2,661.76	1,001.25	9.78	3,653.23	1.28	186.31	674.66	2,978.58	2,172.14
मोबाइल सेट	39.28	28.80	1.61	66.47	1.26	9.27	38.23	28.24	9.07
फर्नीचर	739.36	115.85	-	855.21	-	74.74	325.35	529.87	488.76
कार्यालय भवन	66.44	-	-	66.44	-	1.05	8.91	57.53	58.59
वाहन	45.88	33.88	-	79.75	-	5.83	35.27	44.48	16.44
कार्यालय उपकरण	300.61	69.82	-	370.43	-	26.15	244.83	125.60	81.93
सुरी होल्ड भूमि	13,612.39	3,825.84	-	17,438.23	-	-	-	17,438.23	13,612.39
सुरी होल्ड भूमि (वाटर्स)	25,156.47	52,671.12	-	77,827.59	-	-	-	77,827.59	25,156.47
भूमि (उत्तर प्रदेश सरकार से अनुदान)	0.00	-	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00
सीज होल्ड भूमि (60 वर्ग)	381.69	-	-	381.69	-	-	-	381.69	381.69
सीज होल्ड भूमि (इंड एएस)''	33.77	151.81	-	185.58	-	32.18	34.43	151.15	31.52
एएफसी सिस्टम	8,885.44	319.50	-	9,204.95	-	907.41	2,815.80	6,389.15	6,977.05
वातायुक्कूलन प्रणाली (लवट के साथ)	7,062.10	729.09	-	7,791.19	-	278.94	860.84	6,930.36	6,480.20
डिजो भवन	17,843.58	13,887.94	-	31,731.53	-	644.39	2,557.06	29,174.47	15,930.92
डीजी सेट	1,354.33	-	-	1,354.33	-	49.53	157.18	1,197.15	1,246.68
विद्युत स्थापन एवं उपकरण	206.70	11.62	-	218.31	-	13.23	40.96	177.36	178.98
एलिवेटर्स	3,380.14	1,190.68	-	4,570.83	-	150.79	500.61	4,070.21	3,030.31
विद्युत एवं अनुष्णण कार्य	14,828.55	3,574.35	-	18,402.90	-	767.03	2,350.31	16,052.59	13,245.27
एस्कलेटर्स	6,625.13	1,299.92	-	7,925.05	-	408.61	1,365.44	6,559.61	5,668.29
अग्निशामन कार्य	2,163.26	567.14	-	2,730.41	-	146.26	453.94	2,276.46	1,855.58
चल स्टॉक''	102,652.66	11,533.74	105.92	114,080.48	0.01	3,911.19	12,242.62	101,837.86	94,321.22
सुरक्षा उपकरण	542.58	109.59	-	652.17	-	36.08	127.34	524.82	451.32
सकल निधि	3,091.96	70.64	-	3,162.61	-	351.65	2,804.20	358.41	639.41
सिग्नलिंग उपकरण	21,716.41	2,295.79	-	24,012.20	-	1,336.25	5,016.58	18,995.62	18,036.08
स्टेशन परिसर (भवन)	272,022.73	26,947.15	1,333.78	297,636.09	108.79	10,056.18	31,718.76	265,917.33	250,251.36



टेलिकॉम उपकरण	13,249.08	2,777.61	16,026.69	2,177.44	894.78	3,072.21	12,954.47	11,071.64
ट्रेक कार्य	28,498.18	9,873.88	38,179.79	2,401.29	983.57	3,372.27	34,807.52	26,096.89
ट्रेडिंगन उपकरण	45,889.58	23,632.97	69,522.54	3,755.36	1,647.22	5,402.58	64,119.96	42,134.22
ट्यूबवैल्स	39.60	-	39.60	8.95	2.51	11.46	28.14	30.65
यूपीएस सिस्टम	806.09	-	806.09	144.22	62.81	207.02	599.06	661.87
वायडबैंक	77,433.89	71,625.15	148,467.10	7,961.86	3,481.12	11,397.62	137,069.48	69,472.03
प्लंबिंग, पम्प एवं फैन्स	404.05	-	404.05	39.70	19.19	58.89	345.16	364.35
स्पेयर्स	228.09	12.96	241.06	22.41	10.90	33.31	207.75	205.68
ट्रानल वॉटिलेशन एवं बीएसएस एक्सपीडीए (BMS SCADA)	3,037.85	-	3,037.85	298.48	144.30	442.78	2,595.07	2,739.37
कर्मचारी आवास भवन	6,854.25	1,907.81	8,762.06	168.06	345.70	513.76	8,248.30	6,686.19
कर्मचारी आवास भवन के विद्युत एवं अनुरक्षण संबंधी कार्य	2,021.46	439.74	2,461.19	90.15	126.00	216.15	2,245.05	1,931.31
कार्यालय भवन (नवीनीकरण)	34.91	-	34.91	3.25	6.63	9.89	25.02	31.66
एस्कलेटर्स-एलिबेटर्स के स्पेयर्स	116.42	-	116.42	0.04	15.80	15.84	100.58	116.36
स्पेयर्स-टेलिकॉम	550.32	-	550.32	8.50	34.85	43.35	506.96	541.82
<b>कुल- चातु वर्ष</b>	<b>685,000.33</b>	<b>230,808.53</b>	<b>913,567.51</b>	<b>62,508.71</b>	<b>27,210.43</b>	<b>89,545.74</b>	<b>824,021.77</b>	<b>622,491.59</b>
<b>- पिछले वर्ष</b>	<b>685,000.33</b>	<b>19,508.83</b>	<b>685,000.33</b>	<b>37,094.24</b>	<b>11.90</b>	<b>62,508.71</b>	<b>622,491.59</b>	<b>628,412.32</b>

\* फ्रीहोल्ड भूमि (बार्टर)-

भूमि (लखनऊ) संपूर्णानंद जेल के लिए 41 प्लॉटों एवं पीएसी परिसर के आवासीय एवं गैर-आवासीय भवनों के निर्माण के बदले प्राप्त की गई। कुल अनुमानित निर्माण लागत 25177.59 लाख रुपए (पिछले वर्ष 25156.47 लाख रुपए) है, जिसमें से 24695.26 लाख रुपए का व्यय हो चुका है तथा शेष 482.33 लाख रुपए की राशि के आगामी वित्तीय वर्ष में व्यय होने की संभावना है।

भूमि (कानपुर) पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टाफ क्वार्टर के निर्माण हेतु प्राप्त की गई। निर्माण की कुल अनुमानित लागत 8394.75 लाख रुपए (पिछले वर्ष शून्य) है, जिसमें से 219.00 लाख रुपए का व्यय हो चुका है तथा 8175.75 लाख रुपए की शेष लागत राशि के आगामी वित्तीय वर्ष में व्यय होने की संभावना है।

\*\* वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुपालन में, 105.91 लाख रुपए के कलपुर्जों के मूल्य को, जिसे वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पूंजीकृत किया गया था, उपरोक्त कलपुर्जों के स्टॉक में स्थानांतरित कर दिया गया है।

\*\*\* लीजहोल्ड भूमि (इंड एएस) में इंड एएस 116 के अनुसार उपयोग हेतु उपलब्ध परिसंपत्तियाँ सम्मिलित हैं।

## उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (पूर्व में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.) वित्तीय विवरणों की भाग रूपी टिप्पणियाँ

### नोट 1- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(लाख रूप में)

विवरण	सकल ब्लॉक			मूल्यहास			निवल ब्लॉक			
	1.04.2020 को	वर्धन/समायोजन	विक्री/समायोजन	31.03.2021 को	1.04.2020 को	वर्धन/समायोजन	वर्ष हेतु**	31.03.2021 तक	31.03.2021 को	31.03.2020 को
कंप्यूटर एवं ऐक्ससरीज	373.07	62.93	12.66	423.34	315.90	10.10	31.65	337.45	85.89	57.18
उपकरण एवं मशीनरी	2,650.56	11.21		2,661.76	321.33		168.30	489.62	2,172.14	2,329.23
मोबाइल सेट	36.16	5.46	2.34	39.28	26.13	1.80	5.89	30.21	9.07	10.03
फर्नीचर	648.28	91.09		739.36	187.71		62.89	250.60	488.76	460.57
कार्यालय भवन	66.44	-		66.44	6.80		1.05	7.85	58.59	59.64
वाहन	45.88	-		45.88	23.99		5.45	29.44	16.44	21.89
कार्यालय उपकरण	271.49	29.12		300.61	192.94		25.74	218.68	81.93	78.55
परी होल्ड भूमि	13,440.88	171.51		13,612.39	-		-	-	13,612.39	13,440.88
परी होल्ड भूमि (वार्डर)	23,980.67	1,175.80		25,156.47	-		-	-	25,156.47	23,980.67
भूमि (उत्तर प्रदेश सरकार से अनुदान)	0.00	-		0.00	-		-	-	0.00	0.00
लीज होल्ड भूमि (90 वर्ष)	381.69	-		381.69	-		-	-	381.69	381.69
लीज होल्ड भूमि (इंड एएस)**	33.77	-		33.77	1.13		1.13	2.25	31.52	32.65
एफसी सिस्टम	7,957.98	927.47		8,885.44	1,092.87		815.52	1,908.39	6,977.05	6,865.11
वातानुकूलन प्रणाली (डक्ट के साथ)	7,062.10	-		7,062.10	310.18		271.71	581.90	6,480.20	6,751.92
डिगो भवन	17,843.58	-		17,843.58	1,375.87		536.79	1,912.66	15,930.92	16,467.71
डिजी सेट	1,354.33	-		1,354.33	58.12		49.53	107.65	1,246.68	1,296.22
विद्युत स्थापन एवं उपकरण	116.78	89.92		206.70	18.31		9.41	27.72	178.98	98.47
एलिवेटर्स	3,347.46	32.68		3,380.14	213.76		136.07	349.83	3,030.31	3,133.70
विद्युत एवं अनुक्षण कार्य	14,740.19	88.35		14,828.55	864.96		718.32	1,583.28	13,245.27	13,875.23
एस्कलेटर्स	6,625.13	-		6,625.13	567.43		389.40	956.84	5,668.29	6,057.70
अग्निशमन कार्य	2,163.26	-		2,163.26	170.68		137.01	307.68	1,855.58	1,992.58
चल स्टॉक**	96,274.48	6,378.18		102,652.66	4,751.48		3,579.96	8,331.44	94,321.22	91,523.00
सुरक्षा उपकरण	542.58	-		542.58	56.90		34.36	91.26	451.32	485.69

संकेत चिह्न	2,375.02	716.94	3,091.96	1,531.15	921.40	2,452.55	639.41	843.88
सिनालिंग उपकरण	21,716.41	-	21,716.41	2,379.20	1,301.13	3,680.33	18,036.08	19,337.21
स्टेशन परिसर (भवन)	269,880.04	2,142.68	272,022.73	12,018.34	9,753.03	21,771.37	250,251.36	257,861.70
टेलिकॉम उपकरण	12,664.31	584.77	13,249.08	1,339.98	837.46	2,177.44	11,071.64	11,324.34
ट्रेक कार्य	28,498.18	-	28,498.18	1,498.04	903.26	2,401.29	26,096.89	27,000.14
ट्रेवशन उपकरण	45,724.86	164.72	45,889.58	2,305.66	1,449.70	3,755.36	42,134.22	43,419.20
ट्यूबवैल्स	39.60	-	39.60	6.44	2.51	8.95	30.65	33.16
यूपीएस सिस्टम	806.09	-	806.09	81.41	62.81	144.22	661.87	724.68
वायडबैंक	77,433.89	-	77,433.89	5,137.94	2,823.91	7,961.86	69,472.03	72,295.95
प्लंबिंग, पम्प एवं पैनेल	404.05	-	404.05	20.51	19.19	39.70	364.35	383.55
एसी स्पेयर्स	228.09	-	228.09	11.58	10.83	22.41	205.68	216.51
टनल इंटीग्रेशन एवं बीएमएस एससीएडीए (BMS SCADA)	3,037.85	-	3,037.85	154.18	144.30	298.48	2,739.37	2,883.67
कर्मचारी आवास भवन	1,932.86	4,921.40	6,854.25	33.03	135.03	168.06	6,686.19	1,899.82
कर्मचारी आवास भवन के विद्युत एवं अनुसंधान संबंधी कार्य	808.51	1,212.95	2,021.46	20.29	69.86	90.15	1,931.31	788.22
कार्यालय भवन (नवीनीकरण)	-	34.91	34.91	-	3.25	3.25	31.66	-
एस्कलेटर्स-एलिवेटर्स के स्पेयर्स	-	116.42	116.42	-	0.04	0.04	116.36	-
स्पेयर्स-टेलिकॉम	-	550.32	550.32	-	8.50	8.50	541.82	-
<b>कुल- चारू वर्ष</b>	<b>665,506.54</b>	<b>19,508.83</b>	<b>685,000.33</b>	<b>37,094.24</b>	<b>11.90</b>	<b>62,508.71</b>	<b>622,491.59</b>	<b>628,412.32</b>
<b>- पिछले वर्ष</b>	<b>605,616.37</b>	<b>59,915.05</b>	<b>665,506.54</b>	<b>12,907.30</b>	<b>23.33</b>	<b>37,094.22</b>	<b>628,412.32</b>	<b>592,709.05</b>

\* फ्रीहोल्ड भूमि (वार्टर)- भूमि संपूर्णतः जेल के लिए 41 प्लेटों एवं पीएसी परिसर के आवासीय एवं गैर-आवासीय भवनों के निर्माण के बदले प्राप्त की गई। कुल अनुमानित निर्माण लागत 25156.47 लाख रुपए (पिछले वर्ष 23980.67 लाख रुपए) है, जिसमें से 23581.37 लाख रुपए का व्यय हो चुका है तथा शेष 1575.10 लाख रुपए की राशि के आगामी वित्तीय वर्ष में व्यय होने की संभावना है।

\*\* वित्तीय वर्ष 2020-21 के मूल्यहास अर्थात् 25439.14 लाख रुपए में 40.83 लाख रुपए का मूल्यहास वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा के दौरान, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संज्ञान के अनुक्रम में तथा 15.07 लाख रुपए का मूल्यहास कुछ परिसंपत्तियों की उपयोगी आयु में संशोधन के फलस्वरूप है।

\*\*\* लीजहोल्ड भूमि में, भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस)-116 के अनुसार, उपयोग हेतु उपलब्ध परिसंपत्तियाँ सम्मिलित हैं।

## उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

### वित्तीय विवरणों की भाग रूपी टिप्पणियाँ

#### नोट-2- कार्यशील पूँजी- प्रक्रियाधीन:

;(लाख रूप में)

#### लखनऊ

विवरण	01.04.2021 को शुरूआती बैलेंस	वर्ष के दौरान वर्धन/ समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूँजीकृत/समायोजित	31.03.2022 को अंतिम बैलेंस
स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम)	-	301.93	301.93	301.93	-
भवन एवं वायडक्ट, ब्रिड टनलस, कल्वटर्स बंडर्स	780.00	(246.19)	533.81	2.25	531.56
विद्युत स्थापन एवं उपकरण	-	-	-	-	-
एस्कलेटर्स एवं एलिवेटर्स	152.63	8.71	161.34	123.48	37.86
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	-	-	-	-	-
यूपीएमआरसी के कर्मचारी आवास	-	2,343.42	2,343.42	2,343.42	-
संयंत्र एवं मशीनरी	-	-	-	-	-
चल स्टॉक एवं सिग्नलिंग	-	1,788.49	1,788.49	1,788.49	-
सुरक्षा उपकरण	-	18.64	18.64	-	18.64
संकेत चिह्न	121.99	(121.99)	-	-	-
टेलिकॉम उपकरण	9.87	177.61	187.48	187.48	-
ट्रैक वर्क (पी-वे)	1,282.88	(1,282.88)	-	-	-
ट्रैक्शन के उपकरण	2.05	-	2.05	-	2.05
पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर	387.91	-	387.91	-	387.91
<b>कुल</b>	<b>2,737.33</b>	<b>2,987.74</b>	<b>5,725.07</b>	<b>4,747.05</b>	<b>978.02</b>
जोड़ें: निर्माण के दौरान हुए व्यय	70.49	23.77	94.26	19.63	74.63
जोड़ें: विदेशी मुद्रा विनिमय में अंतर	5,389.29	(5,389.29)	-	(46.49)	46.49
<b>कुल योग (क)</b>	<b>8,197.11</b>	<b>(2,377.78)</b>	<b>5,819.33</b>	<b>4,720.18</b>	<b>1,099.14</b>

#### कानपुर

विवरण	01.04.2021 को शुरूआती बैलेंस	वर्ष के दौरान वर्धन/ समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूँजीकृत/समायोजित	31.03.2022 को अंतिम बैलेंस
स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम)	-	-	-	-	-
भवन एवं वायडक्ट, ब्रिड टनलस, कल्वटर्स बंडर्स	69,230.80	61,847.78	131,078.58	116,109.69	14,968.89
विद्युत स्थापन एवं उपकरण	-	-	-	-	-
एस्कलेटर्स एवं एलिवेटर्स	-	1,943.04	1,943.04	1,938.59	4.45
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	-	4.00	4.00	-	4.00
यूपीएमआरसी के कर्मचारी आवास	-	-	-	-	-
संयंत्र एवं मशीनरी	-	681.77	681.77	587.29	94.48
चल स्टॉक एवं सिग्नलिंग	1,734.93	13,716.64	15,451.57	9,765.74	5,685.83
सुरक्षा उपकरण	-	110.00	110.00	93.07	16.93
संकेत चिह्न	-	55.45	55.45	55.45	-
टेलिकॉम उपकरण	-	2,579.30	2,579.30	2,579.30	-
ट्रैक वर्क (पी-वे)	1,007.53	12,012.85	13,020.38	8,721.16	4,299.22
ट्रैक्शन के उपकरण	-	21,806.23	21,806.23	19,732.89	2,073.34
<b>कुल</b>	<b>71,973.26</b>	<b>114,757.06</b>	<b>186,730.32</b>	<b>159,583.17</b>	<b>27,147.14</b>

## उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

### वित्तीय विवरणों की भाग रूपी टिप्पणियाँ

#### नोट-2- कार्यशील पूँजी- प्रक्रियाधीन:

;(लाख रुपए में)

जोड़ें: निर्माण के दौरान हुए व्यय	6,784.95	4,499.72	11,284.67	9,216.68	2,067.99
जोड़ें: विदेशी मुद्रा विनिमय में अंतर	(56.60)	56.60	-	6.30	(6.30)
<b>कुल योग (ख)</b>	<b>78,701.60</b>	<b>119,313.38</b>	<b>198,014.99</b>	<b>168,806.15</b>	<b>29,208.84</b>

#### आगरा

विवरण	01.04.2021 को शुरूआती बैलेंस	वर्ष के दौरान वर्धन/ समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूँजीकृत/समायोजित	31.03.2022 को अंतिम बैलेंस
स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम)	-	-	-	-	-
भवन एवं वायडक्ट, ब्रिड टनल्स, कल्वर्ट्स बंडर्स	4,000.09	23,728.29	27,728.38	-	27,728.38
विद्युत स्थापन एवं उपकरण	-	-	-	-	-
एस्कलेटर्स एवं एलिवेटर्स	-	-	-	-	-
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	-	-	-	-	-
यूपीएमआरसी के कर्मचारी आवास	-	-	-	-	-
संयंत्र एवं मशीनरी	-	531.09	531.09	-	531.09
चल स्टॉक एवं सिग्नलिंग	1,245.59	1,803.81	3,049.40	-	3,049.40
सुरक्षा उपकरण	-	-	-	-	-
संकेत चिह्न	-	-	-	-	-
टेलिकॉम उपकरण	-	41.11	41.11	-	41.11
ट्रेक वर्क (पी-वे)	-	4,267.02	4,267.02	-	4,267.02
ट्रेक्शन के उपकरण	-	300.36	300.36	-	300.36
<b>कुल</b>	<b>5,245.68</b>	<b>30,671.68</b>	<b>35,917.36</b>	<b>-</b>	<b>35,917.36</b>
जोड़ें: निर्माण के दौरान हुए व्यय	3,699.39	6,524.06	10,223.45	-	10,223.45
जोड़ें: विदेशी मुद्रा विनिमय में अंतर	(34.12)	34.12	-	0.51	(0.51)
<b>कुल योग (ग)</b>	<b>8,910.95</b>	<b>37,229.86</b>	<b>46,140.81</b>	<b>0.51</b>	<b>46,140.30</b>
<b>कुल कार्यशील पूँजी- प्रक्रियाधीन</b>	<b>95,809.67</b>	<b>154,165.47</b>	<b>249,975.13</b>	<b>173,526.84</b>	<b>76,448.29</b>

# प्रक्रियाधीन कार्यशील पूँजी में शामिल हैं, परिसंपत्तियाँ/उपकरण एवं उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर (प्रमाणन लंबित) की अवसंरचना एवं यूपीएमआरसी के कर्मचारी आवास तथा आगरा एवं कानपुर मेट्रो परियोजनाओं से संबंधित व्यय।

#### लखनऊ

विवरण	01.04.2020 को शुरूआती बैलेंस	वर्ष के दौरान वर्धन/ समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूँजीकृत/समायोजित	31.03.2021 को अंतिम बैलेंस
स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम)	15.33	675.53	690.86	690.86	-
भवन एवं वायडक्ट, ब्रिड टनल्स, कल्वर्ट्स बंडर्स	11.03	2,277.86	2,288.88	1,508.88	780.00
विद्युत स्थापन एवं उपकरण	-	-	-	-	-
एस्कलेटर्स एवं एलिवेटर्स	558.16	185.65	743.81	591.18	152.63
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	-	-	-	-	-



यूपीएमआरसी के कर्मचारी आवास	4,102.64	1,997.34	6,099.98	6,099.98	-
संयंत्र एवं मशीनरी	-	-	-	-	-
चल स्टॉक एवं सिग्नलिंग	-	4,640.80	4,640.80	4,640.80	-
सुरक्षा उपकरण	-	-	-	-	-
संकेत चिह्न	250.94	587.99	838.93	716.94	121.99
टेलिकॉम उपकरण	-	835.62	835.62	825.74	9.87
ट्रैक वर्क (पी-वे)	1,239.98	42.90	1,282.88	-	1,282.88
ट्रैक्शन के उपकरण	-	121.88	121.88	119.83	2.05
पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर	340.71	47.20	387.91	-	387.91
<b>कुल</b>	<b>6,518.79</b>	<b>11,412.77</b>	<b>17,931.55</b>	<b>15,194.21</b>	<b>2,737.33</b>
जोड़ें: निर्माण के दौरान हुए व्यय	33.26	6,490.33	6,523.59	6,453.10	70.49
जोड़ें: विदेशी मुद्रा विनिमय में अंतर	(340.88)	5,730.17	5,389.29	-	5,389.29
<b>कुल योग (क)</b>	<b>6,211.17</b>	<b>23,633.27</b>	<b>29,844.43</b>	<b>21,647.31</b>	<b>8,197.11</b>

#### कानपुर

विवरण	01.04.2020 को शुरूआती बैलेंस	वर्ष के दौरान वर्धन/समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूँजीकृत/समायोजित	31.03.2021 को अंतिम बैलेंस
स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम)	-	-	-	-	-
भवन एवं वायडक्ट, ब्रिड टनलस, कल्वर्ट्स बंडर्स	12,288.36	56,791.93	69,080.29	-	69,080.29
विद्युत स्थापन एवं उपकरण	-	-	-	-	-
एस्कलेटर्स एवं एलिवेटर्स	-	-	-	-	-
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	-	-	-	-	-
यूपीएमआरसी के कर्मचारी आवास	-	-	-	-	-
संयंत्र एवं मशीनरी	-	-	-	-	-
चल स्टॉक एवं सिग्नलिंग	-	1,734.93	1,734.93	-	1,734.93
सुरक्षा उपकरण	-	-	-	-	-
संकेत चिह्न	-	-	-	-	-
टेलिकॉम उपकरण	-	-	-	-	-
ट्रैक वर्क (पी-वे)	-	1,007.53	1,007.53	-	1,007.53
ट्रैक्शन के उपकरण	-	-	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>12,288.36</b>	<b>59,534.39</b>	<b>71,822.75</b>	<b>-</b>	<b>71,822.75</b>
जोड़ें: निर्माण के दौरान हुए व्यय	3,773.66	3,161.79	6,935.45	-	6,935.45
जोड़ें: विदेशी मुद्रा विनिमय में अंतर	-	(56.60)	(56.60)	-	(56.60)
<b>कुल योग (ख)</b>	<b>16,062.02</b>	<b>62,639.58</b>	<b>78,701.60</b>	<b>-</b>	<b>78,701.60</b>



### आगरा

विवरण	01.04.2020 को शुरूआती बैलेंस	वर्ष के दौरान वर्धन/ समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूँजीकृत/ समायोजित	31.03.2021 को अंतिम बैलेंस
स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम)	-	-	-	-	-
भवन एवं वायडक्ट, ब्रिड टनलस, कल्वर्ट्स बंडर्स	41.36	3,958.73	4,000.09	-	4,000.09
विद्युत स्थापन एवं उपकरण	-	-	-	-	-
एस्कलेटर्स एवं एलिवेटर्स	-	-	-	-	-
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	-	-	-	-	-
यूपीएमआरसी के कर्मचारी आवास	-	-	-	-	-
संयंत्र एवं मशीनरी	-	-	-	-	-
चल स्टॉक एवं सिग्नलिंग	-	1,245.59	1,245.59	-	1,245.59
सुरक्षा उपकरण	-	-	-	-	-
संकेत चिह्न	-	-	-	-	-
टेलिकॉम उपकरण	-	-	-	-	-
ट्रैक वर्क (पी-वे)	-	-	-	-	-
ट्रैक्शन के उपकरण	-	-	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>41.36</b>	<b>5,204.32</b>	<b>5,245.68</b>	-	<b>5,245.68</b>
जोड़ें: निर्माण के दौरान हुए व्यय	236.34	3,463.05	3,699.39	-	3,699.39
जोड़ें: विदेशी मुद्रा विनिमय में अंतर	-	(34.12)	(34.12)	-	(34.12)
<b>कुल योग (ग)</b>	<b>277.70</b>	<b>8,633.25</b>	<b>8,910.95</b>	-	<b>8,910.95</b>
<b>कुल कार्यशील पूँजी- प्रक्रियाधीन</b>	<b>22,550.89</b>	<b>94,906.10</b>	<b>117,456.98</b>	<b>21,647.31</b>	<b>95,809.66</b>

# प्रक्रियाधीन कार्यशील पूँजी में शामिल हैं; परिसंपत्तियाँ/उपकरण एवं उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर (प्रमाणन लंबित) की अवसंरचना एवं यूपीएमआरसी के कर्मचारी आवास तथा आगरा एवं कानपुर मेट्रो परियोजनाओं से संबंधित व्यय।

## उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

### वित्तीय विवरणों की भाग रूपी टिप्पणिया

समय के साथ प्रक्रियाधीन कार्यशील पूँजी

31 मार्च, 2022 को प्रक्रियाधीन कार्यशील पूँजी पर काल प्रभावः

(लाख रुपए में)

परियोजना	प्रक्रियाधीन कार्यशील पूँजी में राशि अवधि के लिए				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2022 को
लखनऊ परियोजना	97.62	660.83	340.71	-	1,099.14
कानपुर परियोजना	29,208.84	-	-	-	29,208.84
आगरा परियोजना	37,195.23	8,667.37	266.56	11.15	46,140.30
<b>कुल</b>	<b>66,501.69</b>	<b>9,328.19</b>	<b>607.27</b>	<b>11.15</b>	<b>76,448.29</b>

\*दादाजी के लिए व्यावहारिक समीचीनता लागू की गई है, जिसका आकलन लेन-देन पट्टों पर है। तदनुसार, इंडस्ट्रीज एएस 116 केवल उन अनुबंधों पर लागू होता है जिन्हें पहले इंडस्ट्रीज एएस 17 के तहत पट्टों के रूप में पहचाना गया था।

31 मार्च, 2021 को प्रक्रियाधीन कार्यशील पूँजी पर काल प्रभावः

(लाख रुपए में)

परियोजना	प्रक्रियाधीन कार्यशील पूँजी में राशि अवधि के लिए				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2021 को
लखनऊ परियोजना	6,616.42	1,580.69	-	-	8,197.11
कानपुर परियोजना	62,639.58	15,194.36	867.66	-	78,701.60
आगरा परियोजना	8,633.25	266.56	11.15	-	8,910.95
<b>कुल</b>	<b>77,889.25</b>	<b>17,041.60</b>	<b>878.81</b>	<b>-</b>	<b>95,809.66</b>



## उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

### वित्तीय विवरणों की भाग रूपी टिप्पणियाँ

#### नोट 3 – अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(लाख रुपए में)

विवरण	सकल ब्लॉक			परिशोधन			निवल ब्लॉक		
	1.04.2021 को	वर्धन/समायोजन	मूल्यहास/समायोजन	31.03.2022 को	1.04.2021 को	वर्धन/समायोजन	वर्ष हेतु* 2022 तक	31.03.2022 को	31.03.2021 को
	सॉफ्टवेयर एवं लाइसेंस	768.99	24.13	-	793.12	466.06	-	123.70	203.36
भूमि के उपयोग का अधिकार	4,978.48	-	-	4,978.48	674.47	-	142.24	4,161.76	4,304.01
<b>कुल- चालू वर्ष</b>	<b>5,747.47</b>	<b>24.13</b>	<b>-</b>	<b>5,771.60</b>	<b>1,140.53</b>	<b>-</b>	<b>265.95</b>	<b>4,365.12</b>	<b>4,606.94</b>
- पिछले वर्ष	5,418.44	329.03	-	5,747.47	828.01	-	312.52	4,606.94	4,590.42

#### नोट 3 – अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(लाख रुपए में)

विवरण	सकल ब्लॉक			परिशोधन			निवल ब्लॉक		
	1.04.2020 को	वर्धन/समायोजन	मूल्यहास/समायोजन	31.03.2021 को	1.04.2020 को	वर्धन/समायोजन	वर्ष हेतु* 2021 तक	31.03.2021 को	31.03.2020 को
	सॉफ्टवेयर एवं लाइसेंस	768.99	-	-	768.99	336.61	-	129.45	302.93
भूमि के उपयोग का अधिकार	4,649.45	329.03	-	4,978.48	491.40	-	183.07	4,304.01	4,158.04
<b>कुल- चालू वर्ष</b>	<b>5,418.44</b>	<b>329.03</b>	<b>-</b>	<b>5,747.47</b>	<b>828.01</b>	<b>-</b>	<b>312.52</b>	<b>4,606.94</b>	<b>4,590.42</b>
- पिछले वर्ष	5,418.44	-	-	5,418.44	541.76	-	286.25	4,590.42	4,876.68

\* भूमि के उपयोग के अधिकार में सम्मिलित राशि 329.03 लाख रुपए को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूंजीकृत किया गया ताकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

\*\* भूमि के उपयोग के अधिकार पर प्रभावित 183.07 लाख रुपए की राशि के परिशोधन में 40.83 लाख रुपए का अतिरिक्त परिशोधन सम्मिलित है। अतिरिक्त परिशोधन, 329.03 लाख रुपए की परिसंपत्तियों से संबंधित है, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पूंजीकृत किया गया।

## उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

### वित्तीय विवरणों की भाग रूपी टिप्पणियाँ

#### नोट 4- विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(लाख रूप में)

विवरण	1 अप्रैल, 2021 को	वर्ष के दौरान वर्धन/ समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीगत हुए	31 मार्च, 2022 को
सॉफ्टवेयर	22.52	37.72	60.24	24.13	36.11
कुल (चालू वर्ष)	22.52	37.72	60.24	24.13	36.11
(पिछले वर्ष)	-	22.52	22.52	-	22.52

#### नोट 4- विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(लाख रूप में)

विवरण	1 अप्रैल, 2020 को	वर्ष के दौरान वर्धन/ समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीगत हुए	31 मार्च, 2021 को
सॉफ्टवेयर	-	22.52	22.52	-	22.52
कुल (चालू वर्ष)	-	22.52	22.52	-	22.52
(पिछले वर्ष)	-	-	-	-	-

## उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

### वित्तीय विवरणों की भाग रूपी टिप्पणियाँ

#### नोट 5- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
दीर्घकालीन		
विद्युत सुरक्षा जमाराशि	582.92	402.92
डीएफओ के पास सुरक्षा जमाराशि	8.22	8.22
जल-कल विभाग के पास सुरक्षा जमाराशि	11.00	11.00
कर्मचारियों को वाहन हेतु दिया गया लोन	1.76	4.86
अन्य सुरक्षा जमाराशि	2.44	1.20
<b>कुल</b>	<b>606.34</b>	<b>428.20</b>

#### नोट 6- मालसूची

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
खुले उपकरण एवं कलपुर्जे	21.79	7.78
उपभोज्य कलपुर्जे (रोलिंग स्टॉक)	81.46	-
<b>कुल</b>	<b>103.25</b>	<b>7.78</b>

#### नोट 7- व्यापार प्राप्य

(लाख रुपए में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया							31.03.2022 को
	बिल में शामिल नहीं	बकाया नहीं	6 महीने से कम	6 माह- 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
व्यापार प्राप्य- अप्रतिभूत								
क) निर्विवादित, अच्छे माने गए	-	-	199.60	2.55	3.40	0.01	-	205.56
ख) निर्विवादित, संदेहास्पद माने गए								
ग) विवादित, अच्छे माने गए								
घ) विवादित, संदेहास्पद माने गए								
घटाएँ: संदेहास्पद ऋणों हेतु भत्ता								
<b>कुल</b>	-	-	<b>199.60</b>	<b>2.55</b>	<b>3.40</b>	<b>0.01</b>	-	<b>205.56</b>

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया							31.03.2021 को
	बिल में शामिल नहीं	बकाया नहीं	6 महीने से कम	6 माह- 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
व्यापार प्राप्य- अप्रतिभूत								
क) निर्विवादित, अच्छे माने गए			239.98	18.57	154.75			413.30
ख) निर्विवादित, संदेहास्पद माने गए								
ग) विवादित, अच्छे माने गए								
घ) विवादित, संदेहास्पद माने गए								
घटाएँ: संदेहास्पद ऋणों हेतु भत्ता								
<b>कुल</b>	-	-	<b>239.98</b>	<b>18.57</b>	<b>154.75</b>	-	-	<b>413.30</b>

## उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

### वित्तीय विवरणों की भाग रूपी टिप्पणियाँ

#### नोट 8- नकदी एवं नकदी समतुल्य

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
(i) बैंक के पास चालू खातों में बैलेंस	44,220.24	26,143.76
(ii) बैंक के पास एफडीआर, स्वीप/एमओडी खातों में बैलेंस		
क) 3 माह में परिपक्व (मैच्योर) होने वाले एफडीआर, स्वीप/एमओडी खाते	121,017.84	65,219.20
ख) 3 माह के पश्चात लेकिन 1 वर्ष से पहले परिपक्व (मैच्योर) होने वाले एफडीआर, स्वीप/एमओडी खाते	217,828.93	65,500.94
<b>कुल योग</b>	<b>383,067.01</b>	<b>156,863.90</b>

#### नोट 9- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
<b>अल्पकालीन</b>		
एफडीआर, स्वीप/एमओडी खातों पर प्रोद्भूत	3,226.93	1,793.20
कर्मचारियों को वाहन हेतु ऋण	3.10	3.10
लीज किराया प्रतिभूति	13.56	8.01
<b>कुल</b>	<b>3,243.59</b>	<b>1,804.31</b>

#### नोट 10- चालू कर परिसंपत्तियाँ

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
स्रोत पर हुई कर कटौती		80.05
<b>कुल</b>	<b>101.51</b>	<b>80.05</b>

#### नोट 11- अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
<b>चालू</b>		
टेकेदारों को दी गई अग्रिम राशि		
-मोबिलाइजेशन हेतु दी गई अग्रिम राशि	47,807.28	26,602.84
- सामग्री हेतु दी गई अग्रिम राशि	692.69	777.47
-संयंत्र एवं मशीनरी हेतु अग्रिम राशि	4,892.30	181.54
- अन्य अग्रिम राशियाँ	19.57	8.30
इनपुट जीएसटी:	85.94	167.29
आस्थगित परिसंपत्तियाँ- नॉन-फ़ेयर बॉक्स रेवेन्यू	465.18	646.02
1 वर्ष के बाद परिपक्व होने वाले एफडीआई, स्वीप/एमओडी खाते	-	293.89
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	1,885.51	172.84
<b>कुल</b>	<b>55,848.47</b>	<b>28,850.19</b>

\*अन्य अग्रिम राशियों में प्रयागराज मेट्रो, गोरखपुर मेट्रो, मेरठ मेट्रो एवं वाराणसी मेट्रो परियोजनाओं हेतु 19.57 लाख रुपए (पिछले वर्ष 8.30 लाख रुपए) की राशि सम्मिलित है, जिसमें कानपुर मेट्रो, आगरा मेट्रो, प्रयागराज मेट्रो, गोरखपुर मेट्रो, मेरठ मेट्रो एवं वाराणसी मेट्रो हेतु वहन की गई राशि भी शामिल है।

\*\* अन्य चालू परिसंपत्तियों में शामिल हैं: पीआई अडवांस, अग्रिम रूप से दिए गए अस्थाई अग्रदाय (इम्प्रेस्ट), पूर्वदत्त व्यय, बिजली विभाग को दी गई अग्रिम राशि, अपील के अंतर्गत भुगतान किए गए कर एवं आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए अडवांस।

# इनपुट जीएसटी में कैश लेजर का बैलेंस, जीएसटी के साथ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, रीफंड किया जा सकने वाला जीएसटी एवं इनपुट जीएसटी शामिल होता है।

## उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

### वित्तीय विवरणों की भाग रूपी टिप्पणियाँ

#### नोट 12- शेयर पूँजी

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि (लाख रुपए में)	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि (लाख रुपए में)
<b>अधिकृत पूँजी</b>				
100 रुपए प्रति शेयर की दर से इक्विटी शेयर	10,000.00	1,000,000.00	10,000.00	1,000,000.00
	<b>10,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त</b>				
100 रुपए प्रति शेयर की दर से इक्विटी शेयर पूर्णतय: प्रदत्त	4,081.99	408,199.00	2,880.44	288,044.00
<b>कुल</b>	<b>4,081.99</b>	<b>408,199.00</b>	<b>2,880.44</b>	<b>288,044.00</b>
(क) प्रतिवेदित अवधि के आरंभ एवं अंत में शेयरों की संख्या तथा बकाया राशि का मिलान:				
<b>विवरण</b>	<b>शेयरों की संख्या (लाख में)</b>	<b>राशि (लाख रुपए में)</b>	<b>शेयरों की संख्या (लाख में)</b>	<b>राशि (लाख रुपए में)</b>
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	2,880.44	288,044.00	2,206.00	220,600.00
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर- नए निर्गम	1,201.55	120,155.00	674.44	67,444.00
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	<b>4,081.99</b>	<b>408,199.00</b>	<b>2,880.44</b>	<b>288,044.00</b>
(ख) 5% से अधिक शेयर धारित करने वाले प्रत्येक शेयरधारक की जानकारी				
<b>शेयरधारक का नाम</b>	<b>शेयरों की संख्या (लाख में)</b>	<b>शेयरधारिता :</b>	<b>शेयरों की संख्या (लाख में)</b>	<b>शेयरधारिता %</b>
राष्ट्रपति	1,992.94	48.82%	1,456.94	50.58%
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल	2,089.05	51.18%	1,423.45	49.42%

कंपनी अधिनियम, 2013 में वर्णित, वर्ष के अंत में प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर

प्रवर्तक का नाम	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	शेयरों की संख्या (लाख में)	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या (लाख में)	कुल शेयरों का %
<b>भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार)</b>	<b>1,992.94</b>	<b>48.82%</b>	<b>1,456.94</b>	<b>50.58%</b>
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (उत्तर प्रदेश सरकार)	2,089.05	51.18%	1,423.45	49.42%
	<b>% परिवर्तन</b>		<b>% परिवर्तन</b>	
<b>भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार)</b>	37%		21%	
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (उत्तर प्रदेश सरकार)	47%		42%	



## उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

### वित्तीय विवरणों की भाग रूपी टिप्पणियाँ

#### नोट 13- अन्य इक्विटी

(लाख रूप में)

विवरण	आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि	आरक्षित एवं अधिशेष	पूँजीगत अनुदान	मौद्रिक अनुदान	वर्णित लाभकारी योजनाओं पर अन्य व्यापक आय	कुल
		प्रतिधारित आय	गैर-मौद्रिक अनुदान	आरक्षित अनुदान		
<b>31/03/2020 को बैलेंस</b>	<b>21,094.00</b>	<b>(39,570.06)</b>	<b>734.52</b>	<b>-</b>	<b>203.29</b>	<b>(17,538.24)</b>
उचित मूल्य समायोजनकृ कृ गैर मौद्रिक अनुदान						-
गैर-मौद्रिक अनुदान का परिशोधन			(617.75)			(617.75)
वर्ष का लाभ		(32,903.31)				(32,903.31)
अन्य व्यापक आय					(81.38)	(81.38)
उचित मूल्य समायोजन						-
प्राप्त हुई शेयर आवेदन राशि (कानपुर मेट्रो रेल परियोजना)	14,670.00					14,670.00
प्राप्त हुई शेयर आवेदन राशि (आगरा मेट्रो रेल परियोजना)	13,360.00					13,360.00
जारी की गई इक्विटी शेयर पूँजी	(21,094.00)					(21,094.00)
जमा राशि में अंतरित	-					-
गैर-चालू देयताओं में अंतरित						-
चालू देयताओं में अंतरित						-
प्रक्रियाधीन कार्यशील पूँजी में अंतरित						-
आय में अंतरित						-
<b>31/03/2021 को बैलेंस</b>	<b>28,030.00</b>	<b>(72,473.37)</b>	<b>116.77</b>	<b>-</b>	<b>121.91</b>	<b>(44,204.68)</b>
उचित मूल्य समायोजनकृ कृ गैर मौद्रिक अनुदान						-
गैर-मौद्रिक अनुदान का परिशोधन			(88.95)			(88.95)
वर्ष का लाभ/(हानि)		(31,374.28)				(31,374.28)
अन्य व्यापक आय					578.57	578.57
उचित मूल्य समायोजन						-
प्राप्त हुई शेयर आवेदन राशि (कानपुर मेट्रो रेल परियोजना)	57,400.00					57,400.00
प्राप्त हुई शेयर आवेदन राशि (आगरा मेट्रो रेल परियोजना)	41,200.00					41,200.00
जारी की गई इक्विटी शेयर पूँजी	(120,155.00)					(120,155.00)
जमा राशि में अंतरित						-
गैर-चालू देयताओं में अंतरित						-
चालू देयताओं में अंतरित						-
प्रक्रियाधीन कार्यशील पूँजी में अंतरित						-
आय में अंतरित						-
<b>31/03/2022 को बैलेंस</b>	<b>6,475.00</b>	<b>(103,847.65)</b>	<b>27.82</b>	<b>-</b>	<b>700.48</b>	<b>(96,644.33)</b>



## उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

### वित्तीय विवरणों की भाग रूपी टिप्पणियाँ

#### नोट 14- उधारियाँ

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
<b>उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अधीनस्थ ऋण (ब्याज मुक्त एवं अप्रतिभूत)</b>				
केंद्रीय करों हेतु	67,620.00		53,420.00	
भूमि हेतु	62,900.00	130,520.00	47,400.00	100,820.00
<b>भारत सरकार से प्राप्त अधीनस्थ ऋण (ब्याज मुक्त एवं अप्रतिभूत)</b>				
केंद्रीय करों हेतु	52,900.00	52,900.00	38,000.00	38,000.00
<b>भारत सरकार द्वारा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से प्राप्त ब्याज सहित ऋण</b>	<b>676,672.74</b>	<b>676,672.74</b>	<b>424,885.20</b>	<b>424,885.20</b>
<b>कुल</b>		<b>860,092.74</b>		<b>563,705.20</b>

#### व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ:

1. भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया गया ऋण/अधीनस्थ ऋण, उन्हीं नियम एवं शर्तों पर है, जिनपर ऐसे ऋण, अन्य मेट्रो परियोजनाओं को प्रदान किए जाते हैं और इसलिए ये उचित मूल्य पर माने गए हैं।
2. पीटीए के तहत यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से प्राप्त 6895 करोड़ रुपए के ब्याज सहित ऋण में सम्मिलित हैंरू
  - क) लखनऊ मेट्रो परियोजना हेतु प्राप्त 3502 करोड़ रुपए का पुनर्भुगतान, संवितरण की तिथि से 4 वर्षों की अधिस्थगन अवधि की समाप्ति के बाद 16 वर्षों में होना (समान छमाही किस्तों में) होना है। उक्त राशि में से, 15.49 मिलियन यूरो (मूलधन- 12.12 मिलियन यूरो तथा ब्याज- 3.37 मिलियन यूरो) का भुगतान 31.03.2022 को किया जाना था, जोकि अभी लंबित है।
  - ख) वित्तीय वर्ष 2022 तक भारत सरकार की ओर से 3,393 करोड़ रुपए की राशि कानपुर (2516 करोड़ रुपए) एवं आगरा (877 करोड़ रुपए) मेट्रो रेल परियोजनाओं हेतु बाहरी ऋण के सापेक्ष पास थ्रू असिस्टेंट के रूप में प्राप्त हुए। 31.03.2022 तक ईआईबी द्वारा भारत सरकार को कोई संवितरण नहीं किया गया है।
3. भारत सरकार से प्राप्त ब्याज रहित अधीनस्थ ऋण, पीटीए के माध्यम से ईआईबी से लिए गए ब्याज सहित ऋण की अदायगी के बाद देय है।
4. उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त ब्याज रहित अधीनस्थ ऋण, ईआईबी से पीटीए के माध्यम से लिए गए ब्याज सहित ऋण की पूर्ण अदायगी के बाद 10 समान वार्षिक किस्तों में देय है।
5. यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के लिए दो ट्रेंचों (ट्रेंच 1 में 200 मिलियन यूरो एवं ट्रेंच 2 में 250 मिलियन यूरो) में 450 मिलियन यूरो, प्रतिपूर्ति के आधार पर स्वीकृत किए हैं। 30.03.2016 तथा 30.03.2017 के वित्त समझौते के अनुसार, 20 वर्ष की अदायगी की अवधि (4 वर्ष की अनुग्रह अवधि सहित) सहित 100 मिलियन यूरो (ट्रेंच 1 के पहले भाग) पर 0.287: यूरीबोर (मिन्टवुड), 100 मिलियन यूरो (ट्रेंच 1 के दूसरे भाग) पर 0.161: यूरीबोर एवं 100 मिलियन यूरो (ट्रेंच 2 के पहले भाग) पर 0.195% यूरीबोर के ब्याज पर कुल 300 मिलियन यूरो का संवितरण किया गया। शेष

## उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

### वित्तीय विवरणों की भाग रूपी टिप्पणियाँ

150 मिलियन यूरो 22.11.2019 को 0.231% यूरीबोर ब्याज दर के साथ संवितरित किए गए।

6. भारत सरकार द्वारा कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु अनुमोदित वित्तपोषण प्रारूप के अनुसार, बाहरी वित्तपोषक एजेंसी के माध्यम से 5551.99 करोड़ रुपए की व्यवस्था होनी थी। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) ने 650 मिलियन यूरो (5551.99 करोड़ रुपए) का ऋण यूपीएमआरसी को, भारत सरकार के मार्फत सकल बजटीय संसाधनों के माध्यम से पास थ्रू असिस्टेंस के रूप में देने पर सहमति जताई। 31 अगस्त, 2020 तथा 29 दिसंबर, 2020 को क्रमशः 200 मिलियन यूरो एवं 150 मिलियन यूरो के वित्त अनुबंध, ईआईबी तथा भारतीय गणराज्य के बीच हस्ताक्षरित हुए, जबकि ईआईबी द्वारा भारत सरकार कोई भी धनराशि संवितरित नहीं की गई। भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2022 तक पीटीए शीर्ष के अंतर्गत यूपीएमआरसी को कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 2516 करोड़ रुपए जारी किए गए।
7. भारत सरकार द्वारा आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु अनुमोदित वित्तपोषण प्रारूप के अनुसार, बाहरी वित्तपोषक एजेंसी के माध्यम से 4178.59 करोड़ रुपए की व्यवस्था होनी थी। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) ने 450 मिलियन यूरो का ऋण यूपीएमआरसी को, भारत सरकार के मार्फत सकल बजटीय संसाधनों के माध्यम से पास थ्रू असिस्टेंस के रूप में देने पर सहमति जताई। 250 मिलियन यूरो एवं 450 मिलियन यूरो के वित्त अनुबंध, ईआईबी तथा भारतीय गणराज्य के बीच 22.12.2021 को हस्ताक्षरित हुए। भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2022 तक पीटीए शीर्ष के अंतर्गत 877 करोड़ रुपए यूपीएमआरसी को आगरा मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जारी किए गए।

#### नोट 15- लीज देयता

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
लीज देयता (नोट संख्या 33(ट) का संदर्भ ग्रहण करें)		32.80
<b>कुल</b>	<b>120.80</b>	<b>32.80</b>

#### नोट 16- अन्य वित्तीय देयताएं

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
<b>दीर्घकालीन</b>		
प्रदर्शन की गारंटी/सुरक्षा जमा राशि प्राप्त		774.66
<b>कुल</b>	<b>1,016.61</b>	<b>774.66</b>

#### नोट 17- प्रावधान

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
<b>दीर्घकालीन</b>		
कर्मचारी हितलाभ हेतु		
अवकाश का नकदीकरण	1,744.44	1,515.34
आनुतोषिक (ग्रैच्युटी)	352.14	200.04
<b>कुल</b>	<b>2,096.58</b>	<b>1,715.38</b>

#### नोट 18- अन्य गैर-चालू देयताएँ

(लाख रुपए में)



विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
गैर-चालू		
सरकारी अनुदान	114,333.40	58,024.47
<b>कुल</b>	<b>114,333.40</b>	<b>58,024.47</b>

### नोट 19- उधारियाँ

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
चालू		
भारत सरकार से ईआईबी के सापेक्ष प्राप्त ब्याज युक्त ऋण	12,827.26	10,414.80
<b>कुल</b>	<b>12,827.26</b>	<b>10,414.80</b>

### नोट 20- लीज़ देयताएँ

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
चालू		
लीज़ देयता (नोट संख्या 33(ट) का संदर्भ ग्रहण करें)	35.40	0.35
<b>कुल</b>	<b>35.40</b>	<b>0.35</b>

### नोट 21- व्यापार देयताएँ

(लाख रुपए में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					31.03.2022 को
	बकाया नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
क) एमएसएमई	0.37	117.87	0.29			118.54
ख) एमएसएमई के अतिरिक्त	1.76	776.57	7.11	0.82		786.27
ग) विवादित बकाया- एमएसएमई						-
घ) विवादित बकाया- एमएसएमई के अतिरिक्त						-
<b>कुल</b>	<b>2.13</b>	<b>894.44</b>	<b>7.40</b>	<b>0.82</b>	<b>-</b>	<b>904.81</b>

:छट पद सीढ़

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					31.03.2021 को
	बकाया नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
क) एमएसएमई	0.37	33.00	0.01			33.38
ख) एमएसएमई के अतिरिक्त	-	816.92	312.19	1.10		1,130.21
ग) विवादित बकाया- एमएसएमई						-
घ) विवादित बकाया- एमएसएमई के अतिरिक्त						-
<b>कुल</b>	<b>0.37</b>	<b>849.92</b>	<b>312.20</b>	<b>1.10</b>	<b>-</b>	<b>1,163.59</b>

## नोट 22- अन्य वित्तीय देयताएँ

:(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
<b>अल्पकालीन</b>		
ठेकेदारों एवं अन्य से जमा राशि/प्रतिधारण राशि	6,066.83	8,541.83
प्रक्रियाधीन कार्यशील पूँजी एवं पूँजीगत वस्तुओं के लेनदार	20,090.53	12,334.25
ईआईबी ऋण पर ब्याज	2,971.79	1,965.89
<b>कुल</b>	<b>29,129.15</b>	<b>22,841.97</b>

## नोट 23- अन्य चालू देयताएँ

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
<b>चालू</b>		
देय शुल्क एवं कर	1,181.71	1,108.59
कर्मचारियों को देय	436.08	374.34
ग्राहकों से ली गई अग्रिम राशि	300.76	516.33
ग्राहकों से सुरक्षा जमा राशि	182.61	149.81
भूमि के बदले देयता (बार्टर)	8,658.08	1,575.10
अन्य जमा राशियाँ	3,500.00	3,500.00
<b>कुल</b>	<b>14,259.24</b>	<b>7,224.17</b>

#बार्टर के अंतर्गत आने वाली भूमि के उपयुक्त मूल्यांकन के लिए, परियोजना के पूर्ण होने पर अनुमानित लागत का वहन किया जाएगा।

## नोट 24- प्रावधान

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
<b>अल्पकालीन</b>		
कर्मचारी हितलाभ हेतु		
अवकाश का नकदीकरण	43.90	17.11
आनुतोषिक	35.79	27.08
अन्य	1,596.68	1,597.54
<b>कुल</b>	<b>1,676.37</b>	<b>1,641.73</b>

\*अन्य में सीमा शुल्क प्रतिपूर्ति, आनुतोषिक (ग्रैच्युटी) के अंशदान, पेंशन के अंशदान के प्रावधान इत्यादि शामिल हैं।

## नोट 25- परिचालन से राजस्व

:(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु
फेयर बॉक्स रेवेन्यू	3,559.73	1,594.00
नॉन-फेयर बॉक्स रेवेन्यू	979.24	970.63
<b>कुल</b>	<b>4,538.97</b>	<b>2,564.63</b>



### नोट 26- अन्य आय

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु
<b>अन्य आय:-</b>		
विविध आय	464.22	415.26
<b>ब्याज आय:-</b>		
मियादी जमा राशियाँ/एफडीआर	3,810.09	1,194.19
प्लेक्सी डिपॉजिट	45.27	55.77
बचत खाते पर ब्याज	1,512.21	137.95
प्रतिभूति जमाराशि पर ब्याज	26.44	67.82
कर्मचारियों को दिए गए वाहन ऋण पर ब्याज	0.46	0.06
अनुदान का परिशोधन	2,324.59	2,479.29
उचित मूल्य समायोजन	16.63	11.11
<b>कुल</b>	<b>8,199.91</b>	<b>4,361.45</b>

### नोट 27- परिचालन व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु
सुरक्षा व्यय	1,552.18	1,435.74
विद्युत प्रबंधन पर व्यय	3,159.81	2,679.98
उपकरणों के संचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय	529.78	283.42
हाउसकीपिंग पर व्यय	693.96	725.25
मेट्रो डिपो के संचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय	10.75	67.10
स्टेशनों के संचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय	649.22	553.85
भंडारण एवं उपभोग्य वस्तुओं पर व्यय	7.22	19.27
फेयर बॉक्स रेवेन्यू पर कमिशन	6.47	-
बीमा व्यय	18.43	35.79
<b>कुल</b>	<b>6,627.82</b>	<b>5,800.40</b>

### नोट 28 - कर्मचारी हितलाभ व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन भत्ते एवं अन्य लाभ	5,246.00	5,215.52
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	713.89	535.42
अवकाश नकदीकरण पर व्यय	523.62	477.34
आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) में अंशदान	169.85	234.72
<b>कुल</b>	<b>6,653.36</b>	<b>6,463.00</b>

### नोट 29 - वित्त लागत

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु
बैंक प्रभार	1.07	0.09
ईआईबी ऋण पर ब्याज	996.94	870.63
<b>कुल</b>	<b>998.01</b>	<b>870.72</b>

### नोट 30 - मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्ष के लिए मूल्यह्रास/परिशोधन		
क) मूर्त परिसंपत्तियाँ	27,210.43	25,426.42
ख) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	265.95	312.52
<b>कुल</b>	<b>27,476.38</b>	<b>25,738.94</b>

### नोट 31- अन्य व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी पर व्यय	61.53	43.85
कंप्यूटरों के संचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय	167.65	165.42
टेलिफोन, इंटरनेट एवं संचार पर होने वाले व्यय	103.75	99.54
पुस्तकों, आविधिक प्रकाशनों, समाचार पत्रों एवं मैगज़ीन्स पर होने वाले व्यय	1.95	0.39
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	4.00	3.80
विज्ञापन एवं प्रचार पर व्यय	88.88	73.75
कार्यालय संचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय	6.89	18.13
कार्यालय की आपूर्तियों एवं उपयोगिता पर व्यय	-	7.98
डाक एवं कोरियर पर व्यय	1.51	1.24
विविध व्यय	0.53	0.34
यात्रा एवं वाहन पर व्यय	170.01	184.75
प्रशिक्षण एवं भर्तियों पर व्यय	16.69	11.80
आतिथ्य एवं रिफ़रेशमेंट पर व्यय	32.05	26.94
आउटसोर्सिंग एवं जॉब कार्यों पर व्यय	193.68	168.11
सांविधिक व्यय	0.70	4.00
सेमिनार, समारोह, सम्मेलन पर व्यय	1,369.78	16.52
लाइसेंस, लीगल एवं अन्य व्यय	11.61	8.27
व्यावसायिक एवं अन्य सेवाएँ	49.18	25.69
किराया, दरें एवं कर	8.14	78.89
अतिथि गृह पर व्यय	41.79	3.63
उपयोग हेतु उपलब्ध परिसंपत्तियों पर ब्याज व्यय	14.80	2.68
उचित मूल्य समायोजन	12.06	8.00
परिसंपत्तियों के निस्तारण पर हानि	0.41	0.31
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डाले गए	-	2.30
<b>कुल</b>	<b>2,357.59</b>	<b>956.33</b>

## लेखाओं पर टिप्पणियाँ

नोट संख्या 32

### कंपनी सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

#### 32.1 कॉर्पोरेट सूचना

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.) ('कंपनी' के तौर पर संदर्भित) भारत में अधिवासी तथा भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की 50:50 इक्विटी भागीदारी के साथ निगमित (CIN: U603000P20135GCO60836) है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय प्रशासनिक भवन, गोमती नगर लखनऊ-226010 में स्थित है।

लखनऊ शहर में मेट्रो रेल द्वारा व्यापक तीव्र परिवहन प्रणाली (एमआरटीएस) के निष्पादन हेतु 25 नवंबर 2013 को विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के रूप में इसका गठन किया गया। कंपनी ने सफलतापूर्वक, लखनऊ मेट्रो के फेज़ 1-ए, उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर का समयबद्ध क्रियान्वयन किया तथा 8 मार्च, 2019 को संपूर्ण उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर (चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट एवं मुंशीपुलिया के बीच) पर वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ किया। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कंपनी को उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में आगामी मेट्रो रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन का कार्यभार सौंपा। अतएव, कंपनी को पुनर्गठित करते हुए, 23 अक्टूबर, 2019 को कंपनी का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. कर दिया गया। वर्तमान में कंपनी, लखनऊ में मेट्रो सेवाओं के परिचालन के साथ-साथ कानपुर (32.385 किमी.) एवं आगरा (30.45 किमी.) में मेट्रो परियोजनाओं का निर्माण कर रही है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम कॉरिडोर के अंतर्गत प्राथमिक सेक्शन का कार्य निर्धारित समय-सीमा से पूर्व पूर्ण किया गया। मा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर, 2021 को इस सेक्शन पर वाणिज्यिक सेवाओं का उद्घाटन किया।

#### 32.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ:

कंपनी द्वारा, वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए लागू की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण निम्नवत है। इस तरह की लेखांकन नीतियों को इन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों पर लगातार लागू किया गया है, जब तक कि अन्यथा संकेत न दिया गया हो।

##### क) अनुपालन का कथन

कंपनी के वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों ('इंड एएस' के रूप में संदर्भित), यथासंशोधित कंपनी नियमों (भारतीय लेखांकन मानक) के साथ पठित, अधिनियम में निर्दिष्ट अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

##### ख) वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत प्रोद्भूत आधार पर कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं/देनदारियों, जिनका इंड एएस द्वारा उचित मूल्य पर क्रियान्वयन किया जाना होता है, उन्हें छोड़कर तैयार किए गए हैं। उचित मूल्य, वह मूल्य है, जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (INR) में तैयार किए गए हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में संशोधन के अनुसार; पिछले वर्ष में निम्नलिखित बैलेंस शीट लाइन आइटमों को फिर से समूहित किया गया है:

क) पट्टा देयता- पूर्व में 'अन्य वित्तीय देयताओं' के शीर्ष में प्रकटित थीं, जिन्हें इस प्रतिवेदन में 'पट्टा देयता' शीर्ष के अंतर्गत प्रकटित किया गया है।



ख) दीर्घ कालीन उधारियों का चालू हिस्सा:- पूर्व में 'अन्य वित्तीय देयताओं' के शीर्ष के अंतर्गत प्रकटित थीं, जिन्हें इस प्रतिवेदन में 'उधारियों' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

**ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की अधिसूचना-III द्वारा वांछित अन्य विनियामक सूचनाएँ**

- (i) कंपनी के पास कोई भी बेनामी संपत्ति नहीं है। कंपनी पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 की धारा 45) एवं इसके अंतर्गत निर्दिष्ट नियमों के तहत कोई भी कार्यवाही न ही प्रारंभ की गई और न ही कोई लंबित है।
- (ii) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।
- (iii) कंपनी ने कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियमों, 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के अंतर्गत निर्दिष्ट परतों की संख्या के सापेक्ष सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया।
- (iv) उधार ली गई राशियों एवं शेयर प्रीमियम का उपयोग
  - क) कंपनी ने किसी भी व्यक्ति (यों) या संस्था (ओं) को कोई भी अग्रिम राशि या ऋण नहीं दिया है और न ही निवेश किया है; जिनमें विदेशी संस्थाएँ (मध्यस्थ) भी सम्मिलित हैं; इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मध्यस्थ संस्था (ओं) को करना चाहिए:
    - प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को दी गई उधारी या निवेश, जिसकी भी कंपनी द्वारा या कंपनी की ओर से पहचान की गई हो (अंतिम लाभार्थी) या
    - अंतिम लाभार्थी को या उसकी ओर से किसी भी तरह की गारंटी, प्रतिभूति या इस प्रकार का ही कुछ
  - ख) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (यों) या संस्था (ओं) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो), यह बात ध्यान में रखते हुए कि कंपनी को करना चाहिए:
    - प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को दी गई उधारी या निवेश, जिसकी भी फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से पहचान की गई हो (अंतिम लाभार्थी) या
    - अंतिम लाभार्थी की ओर से किसी भी तरह की गारंटी, प्रतिभूति या इस प्रकार का ही कुछ
- (v) आयकर अधिनियम, 1961 (जाँच या सर्वेक्षण) के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष के दौरान कोई भी ऐसी आय नहीं है जिसे अभ्यर्पित किया गया हो या आय के रूप में प्रकटित हो परंतु लेखाओं में दर्ज न हो।
- (vi) कंपनी ने वर्ष के दौरान क्रिप्टो करंसी या वर्चुअल करंसी में कोई भी लेनदेन या निवेश नहीं किया है।
- (vii) कंपनी के पास ऐसा कोई भी प्रभार नहीं है, जिसे पंजीकरण की सांविधिक अवधि बीत जाने के बाद भी कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत न कराया गया हो।

अन्य नए प्रकटन, संबंधित टिप्पणियों के साथ उपलब्ध कराए गए हैं।

**घ) अनुमानों एवं महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णयों का प्रयोग**

वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी में, कंपनी ऐसी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के मूल्यों के बारे में निर्णय, अनुमान और धारणा बनाती है, जो अन्य स्रोतों से आसानी से स्पष्ट नहीं होते हैं। अनुमान एवं संबंधित धारणाएँ पुराने अनुभव एवं अन्य कारकों पर आधारित हैं, जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में संशोधनों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें अनुमान संशोधित किए गए हों तथा भविष्य की अवधि प्रभावित हो। वित्तीय वक्तव्यों की तिथि में अनिश्चितता के आकलन का मुख्य स्रोत,



जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की मात्रा को समायोजित करने का कारण हो सकता है; वह, हानि, संपत्ति के उपयोगी जीवन, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों, आस्थगित कर परिसंपत्तियों के मूल्यांकन, प्रावधानों एवं आकस्मिक देनदारियों, वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्यांकन एवं सेवानिवृत्ति लाभ दायित्वों के संदर्भ में है, जिनकी निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत चर्चा हुई है।

### कोविड-19 से संबंधित अनिश्चितताओं का अनुमान

कंपनी ने इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय कोविड-19 के सभी संभावित प्रभावों को ध्यान में रखा, जिसमें चलनिधि एवं जारी विचाराधीन संभावनाएँ, इसकी वित्तीय एवं गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का वसूली योग्य मूल्य, राजस्व मान्यता पर प्रभाव, निश्चित मूल्य अनुबंधों के लागत बजट में होने वाले परिवर्तनों के कारण राजस्व मान्यता पर पड़ने वाला प्रभाव, पट्टों पर प्रभाव तथा इसके हेजों की प्रभाविता पर पड़ने वाला प्रभाव सम्मिलित थे; परंतु यहीं तक सीमित नहीं। कंपनी ने इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का अनुमोदन की तिथि तक सूचना के उपलब्ध आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों के आधार पर आकलन किया और कंपनी का मानना है कि कोविड-19 का प्रभाव इन वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है तथा कंपनी इसकी परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की वसूली की अपेक्षा करती है। वैश्विक स्वास्थ्य महामारी के प्रभाव का अंतिम परिणाम उन अनुमानों से अलग हो सकता है, जो इन वित्तीय विवरणों की स्वीकृति की तिथि के बाद के हैं एवं कंपनी निरंतर परिस्थिति का अवलोकन कर रही है, जिसमें भविष्य की आर्थिक स्थितियों में भौतिक परिवर्तन और कंपनी के वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभावी परिणाम शामिल हैं।

### ड.) वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्यांकन

जब बैलेंस शीट में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियों का उचित मूल्य सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर नहीं मापा जा सकता हो तो उनका उचित मूल्य डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। इन मॉडलों के लिए इनपुट प्रत्यक्ष बाजारों से लिए गए हैं, लेकिन जहाँ पर यह संभव नहीं होता, वहाँ पर उचित मूल्य के निर्धारण हेतु एक सीमा तक निर्णयशीलता की आवश्यकता होती है। निर्णयों में तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट के विचार शामिल हैं। इन कारकों के बारे में मान्यताओं में बदलाव से वित्तीय साधनों के प्रतिवेदन में उचित मूल्य प्रभावित हो सकता है।

### च) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

i. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी वस्तु को परिसंपत्ति तभी समझा जा सकता है, जब यह संभावना हो कि वस्तु से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और उसकी कीमत विश्वस्तरूप से आंकी जा सकती हो। यह मान्यता सिद्धांत, शुरुआती तौर पर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी वस्तु के अधिग्रहण पर खर्च हुई लागत पर लागू होता है और साथ ही, इनकी देखरेख, कलपुर्जा इत्यादि में बदलाव और अतिरिक्त खरीद पर होने वाली लागत पर लागू होता है। सुधार एवं अनुरक्षण की अन्य सभी लागतों, जिनमें नियमित देखरेख भी शामिल है, उन्हें, होने वाले लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। जब कोई भी बदलाव होता है, तो बदले हुए कलपुर्जा या हिस्से की लागत को संज्ञान में नहीं लिया जाता। जहाँ पर, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी वस्तु में कई बड़े अवयव शामिल होते हैं और उनकी उपयोग आयु सीमाएँ भिन्न होती हैं, वहाँ पर अवयवों को एक पृथक्क वस्तु के रूप में गिना जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का विवरण, भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) में अंतरण पर लागू लागत या मानित लागत के साथ उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें से सन्निहित मूल्यह्रास एवं हानि को घटा दिया जाता है। लागत में, परिसंपत्ति को प्रचालन की स्थिति तक एवं उपयोग के स्थान तक लाने में लगे सभी

प्रत्यक्ष लागतों एवं व्यय को शामिल किया जाता है। ट्रायल रन के व्यय (राजस्व के निवल) को पूँजीकृत किया जाता है। निर्माण के दौरान वहन की गई उधार की लागत को योग्य परिसंपत्ति के भाग के रूप में पूँजीकृत किया जाता है।

- ii. यात्रियों के सार्वजनिक वहन हेतु खोले जाने वाले नए खंड के लिए परिसंपत्तियों का पूँजीकरण कंपनी में परिभाषित मानक परिचालन प्रक्रियाओं, प्रशासनिक औपचारिकताओं के अनुसार सभी प्रकार से इसकी पूर्णता सुनिश्चित करने और ऐसे खंड को सार्वजनिक उपयोग के लिए खोलने के लिए मेट्रो रेलवे संरक्षा आयुक्त द्वारा अनिवार्य निर्धारित अपेक्षाओं के अनुपालन के बाद किया जाता है। उपयोग में लाई जाने वाली परिसंपत्तियों, जहाँ ठेकेदारों के बिलों का अंतिम समाधान अभी किया जाना है, के मामले में अंतिम समाधान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अस्थायी आधार पर पूँजीकरण किया जाता है।
- iii. तथापि, कार्यशील पूँजी में शामिल कोई भी व्यय/आगामी लागत, जिसे एक परिसंपत्ति विशेष को प्रयोग में लाते समय विश्वस्त रूप से आंका नहीं जा सकता, उन्हें 'इंड एएस 16' के अनुसार विश्वस्त रूप से सुनिश्चित किए जाने के बाद ही मान्यता दी जाती है।
- iv. स्टेशन हेतु प्रवेश एवं निकास के निर्माण की अनुमतियों के लिए विभिन्न भूस्वामी एजेंसियों को किए गए भुगतान को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूँजीकृत और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया गया है।
- v. प्रमुख निरीक्षण, मरम्मत एवं संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी मद के हिस्से को बदलने पर व्यय को पूँजीकृत किया जाएगा, यदि यह संभव हो कि इसमें सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और इसकी लागत विश्वसनीय तौर पर मापी जा सके।
- vi. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी मद के निपटान पर लाभ और हानि का निर्धारण, मद की वहन राशि के निपटान से प्राप्त आय से तुलना करके किया जाता है तथा लाभ एवं हानि के विवरण में निवल के रूप में मान्यता दी जाती है।
- vii. परियोजना के एक से अधिक संभागों में प्रयुक्त परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों का पूँजीकरण तकनीकी अनुमान/आकलन के आधार पर होता है।

#### छ) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, उपयोग हेतु परिसंपत्ति एवं अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास एवं परिशोधन

मूल्यह्रास या परिशोधन इसलिए किया जाता है ताकि उपयोग हेतु उपलब्ध परिसंपत्तियाँ उनके अवशिष्ट मूल्य समेत, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत/मानित लागत को एक सीधी-रेखा के आधार पर बड़े खाते में डाला जा सके। ये प्रभार, परिसंपत्तियों के इच्छित उपयोग हेतु उपलब्ध होने की तिथि से शुरू होते हैं तथा उनकी अनुमानित उपयोगी आर्थिक आयु या उपयोग हेतु उपलब्ध परिसंपत्तियों के मामले में पट्टे की अवधि (यदि छोटी हो) तक विस्तृत होते हैं। परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास पद्धति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और जब आवश्यक हो उन्हें संशोधित किया जाता है। निर्माणाधीन संपत्तियों पर मूल्यह्रास तभी शुरू होता है, जब परिसंपत्तियाँ अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार हों।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की प्रमुख श्रेणियों की अनुमानित उपयोग आयु, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार मानी गई है; निम्नलिखित परिसंपत्तियों/परिसंपत्तियों के अवयवों के अतिरिक्त, जहाँ पर उपयोगी आयु कंपनी द्वारा तकनीकी आकलन के आधार पर ज्ञात की जाती है:



क्र.सं.	परिसंपत्तियाँ	उपयोगी जीवन (वर्षों में)
A.	चल स्टॉक (रोलिंग स्टॉक)	30
A1	चल स्टॉक के घटक- विद्युत आपूर्ति, सहायक उपकरण, ब्रेक, वातानुकूलन प्रणाली, इंटीरियर्स, बोर्ड नियंत्रण, उद्घोषणा एवं सीसीटीवी प्रणाली	18
B	एस्कलेटर्स	30
B1	एस्कलेटर्स के घटक- हैंडरेल	7
B2	एस्कलेटर्स के घटक- स्टेप और चैन रोलर, रिले, टाइमर एवं नियंत्रण गियर	8
B3	एस्कलेटर्स के घटक- शेष घटक	15
C	एलिवेटर्स	30
C1	एलिवेटर्स के घटक- ट्रैक्शन मशीन/मोटर, गवर्नर, ऐंटी-क्रीप डिवाइस	20
C2	एलिवेटर्स के घटक- सुरक्षा गियर रस्सी, होइस्टिंग चैन/रोप	8
C3	एलिवेटर्स के घटक- कॉन्टैक्टर्स, रिलेज़	10
C4	एलिवेटर्स के घटक- शेष घटक	30
D	एएफ़सी के घटक	
D1	सीएससी (कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड)	7
D2	सीएसटी (कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट टोकन)	5
D3	शेष घटक	10
E	मोबाइल हैंडसेट	3
F	संकेत चिह्न/बोर्ड	2
G	ट्यूबवेल्स	15
H	स्पेयर्स- टेलिकॉम	15
I	स्पेयर्स- एलिवेटर्स एवं एस्कलेटर्स	7

**परिसंपत्तियों के अवयवों की पहचान हेतु प्रयोग किए गए मानक:**

- 10 लाख रुपए या इससे अधिक मूल्य वाली परिसंपत्तियों एवं उनके सापेक्ष 10% से अधिक मूल्य वाले अवयवों को ही संघटकीकरण हेतु मान्यता दी गई है।
- अवयव की अधिकतम आयु, मुख्य परिसंपत्ति की आयु तक ही सीमित है।
- परिसंपत्तियों के प्रमुख अवयव, जिनकी उपयोगी आयु उतनी ही है, उन्हें मुख्य परिसंपत्ति में हिस्सेदारी के कारक से इतर एकसाथ रखा गया है। शेष अवयवों/घटकों या कम महत्वपूर्ण वस्तुओं को मुख्य परिसंपत्ति के साथ ही मिलाकर रखा गया है।
- भूमि, ट्रैक कार्य (परमानेंट वे) एवं अमूर्त परिसंपत्तियों का संघटकीकरण नहीं किया गया है क्योंकि अवयवों की पृथक् रूप से पहचान संभव नहीं है।

- वाहन, अस्थाई ढाँचे, सर्वेक्षण/सुरक्षा उपकरण, आईटी सिस्टम, ऑफिस उपकरण, फर्नीचर एवं फिक्सचर तथा संबंधित परिसंपत्तियों का संघटकीकरण भी किया गया है क्योंकि कंपनी की कुल परिसंपत्तियों के सापेक्ष उनका मूल्य काफी कम है।
- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियाँ, जिनका मूल्य 5000 रुपए या उससे कम है, उनका खरीद के वर्ष में पूर्ण रूप से मूल्यह्रास/परिशोधन कर दिया गया है।
- परिसंपत्ति की वास्तविक लागत का 5% अवशिष्ट मूल्य मान्य किया गया है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार मूल्यह्रास प्रभार हेतु उन्हें घटा दिया गया है।
- जिस दिन संपत्ति उपयोग के लिए तैयार थी, उस दिन से आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। किसी मौजूदा परिसंपत्ति में वृद्धि/कटौती पर मूल्यह्रास जो मुख्य संपत्ति का अभिन्न अंग है, उन परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन पर प्रभारित किया जाता है।
- प्रमुख ओवरहाल और निरीक्षण लागत, जिन्हें पूँजीकृत किया गया है, उनका मूल्यह्रास अगले निर्धारित आउटटेज या वास्तविक प्रमुख निरीक्षण / ओवरहाल, जो भी पहले हो, तक की अवधि में किया जाता है।
- सॉफ्टवेयर से भविष्य के आर्थिक लाभों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूँजीकृत किया गया है तथा सीधी रेखा पद्धति पर 5 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया गया है।
- ऐसे मदों पर व्यय, जिनका स्वामित्व कंपनी के पास नहीं है, उन्हें व्यय के वर्ष में हुए राजस्व पर प्रभारित कर दिया जाता है।

#### (ज) अमूर्त परिसंपत्तियाँ

सॉफ्टवेयर की लागत और भूमि उपभोग के अधिकार को तुलन-पत्र में अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में शामिल किया जाता है, जब यह प्रायिकता होती है कि इनसे संबद्ध भावी आर्थिक लाभ, कंपनी को मिलेंगे। इस स्थिति में, इन्हें अधिग्रहण की लागत पर मापा जाता है और फिर उनकी अनुमानित उपयोग आयु के दौरान सीधे तौर पर परिशोधित किया जाता है। अन्य सभी लागतों को उनके वहन के समय के अनुसार, लाभ एवं हानि के विवरण में सम्मिलित किया गया है। शोध गतिविधियों पर होने वाले व्यय को उस अवधि में शामिल किया जाता है, जिसमें उनका व्यय हुआ है। प्राथमिक मान्यता के बाद, निश्चित उपयोग आयु वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का विवरण इंड एएस में अंतरण पर लागू लागत या मानित लागत के साथ उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें से सन्निहित परिशोधन एवं क्षति से हुई हानि को घटा दिया जाता है।

#### (झ) कार्यशील पूँजी में शामिल होता है:

- पूँजीगत परिसंपत्तियों, जो निर्माणाधीन हैं और इच्छित उपयोग हेतु तैयार नहीं हैं, की लागत में परियोजना/परिसंपत्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य, अन्य प्रत्यक्ष एवं परोक्ष व्यय शामिल हैं।
- परियोजनाओं हेतु प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य प्रशासनिक, परोक्ष एवं सामान्य ऊपरी खर्चों (निवल आय) को पूँजीकृत परिसंपत्तियों के अनुपात में आवंटित किया जाता है।
- निर्माण अवधि से संबंधित राशियों जैसे मूल्य भिन्नता, अंतिम जुमाने (इक्विटी, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण एवं अनुदान द्वारा प्राप्त धन के अस्थायी नियोजन से प्राप्त ब्याज के अलावा) इत्यादि का निर्माण के दौरान व्यय से समायोजन किया जाता है।
- मूल्य भिन्नता सहित दावों का लेखांकन, अनुमोदन एवं स्वीकृति पर किया जाता है। तरल क्षति का लेखांकन, अंतिम बिल के निपटान पर किया जाता है।



- v. कार्यशील पूँजी में, व्यय और उसके बाद की लागतों का समावेश जिनका परिसंपत्तियों को उपयोग में लाने के समय विश्वस्त रूप से पता नहीं लगाया जा सकता और पूँजीकरण तब होता है, जब लागतों का विश्वस्त रूप से पता लगा लिया जाता है।
- vi. वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ऐंड एजी) का विचार था कि 'कार्यशील पूँजी' शीर्ष अंतर्गत प्रकटित अधिशेष सामग्री को भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)- 2, 'मालसूची' की सीमा में 'मालसूची' शीर्ष के अंतर्गत मान्यता दी जानी चाहिए। उपरोक्त अवलोकन को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति से ट्रेक कार्य के स्टॉक के लेखांकन हेतु सलाह माँगी। विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने यूपीएमआरसी द्वारा अपनाई गई लेखांकन पद्धति की वैधता को बरकरार रखा, हालाँकि यह परामर्श भी दिया कि ट्रेक के स्टॉक को लखनऊ मेट्रो परियोजना की कार्यशील पूँजी के अंतर्गत मान्यता न देते हुए, उन्हें उपयोग के स्तर को ध्यान में रखते हुए कानपुर एवं आगरा मेट्रो परियोजना की कार्यशील पूँजी के अंतर्गत मान्यता दी जानी चाहिए। आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के परामर्श का अनुपालन करते हुए, अधिशेष सामग्री को कानपुर मेट्रो परियोजना को आवंटित कर दिया गया तथा आवश्यक प्रविष्टियाँ पारित कर दी गईं।

#### (झ) निर्माण के दौरान ब्याज आवंटन

वर्ष के दौरान शुरू की गई अर्हक परिसंपत्तियों के संबंध में निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) का आवंटन चालू किए जाने वाले महीने के अंत में अर्हक कार्यशील पूँजी की तुलना में चालू की गई परिसंपत्ति के मूल्य के अनुपात में किया जाता है। अन्य मामलों में, आईडीसी का आवंटन अंतिम खंड के पूँजीकरण की तिथि के आधार पर किया जाता है।

#### (ञ) नुकसान

प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर, कंपनी अपने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा करती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि लगातार उपयोग के माध्यम से उन परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली होने का कोई संकेत है या नहीं। अगर इस तरह का कोई संकेत मिलता है तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि की समीक्षा की जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई क्षति हुई, अगर कोई हो तो। जहाँ पर परिसंपत्ति, अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र नकदी प्रवाह नहीं पैदा करती, वहाँ पर कंपनी उस नकदी पैदा करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है, जिससे वह परिसंपत्ति संबद्ध है। निवल बिक्री मूल्य या उपयोगी मूल्य, जो भी अधिक हो, वही संपत्ति की वसूली योग्य राशि होगी। उपयोगी मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है, जो मुद्रा के समय मूल्य के मौजूदा बाजार मूल्यांकन एवं उस परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है, जिसके लिए भविष्य के नकदी प्रवाह के अनुमान, समायोजित नहीं किए गए हैं। जब एक परिसंपत्ति की वहन राशि, उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, जब क्षति से होने वाली हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। जहाँ परिणामस्वरूप, क्षति से होने वाली हानि पलट जाती है, परिसंपत्ति का वहन मूल्य, उसकी वसूली योग्य राशि के संशोधित अनुमान तक बढ़ा दिया जाता है ताकि बढ़ा हुआ वहन मूल्य, परिसंपत्ति के पूर्व वहन मूल्य से अधिक न हो जाए, जिसका आकलन पूर्व के वर्षों में कोई भी क्षति न होने के आधार पर किया गया था। क्षति से होने वाली हानि का उलट जाना, लाभ एवं हानि के विवरण में तत्काल प्रभाव के साथ शामिल किया जाता है।

**(ट) प्रावधान**

कोई प्रावधान, तब मान्य किया जाता है, जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व हो तथा यह संभव हो कि दायित्व के समाधान के लिए संसाधनों का बहिर्वाह अपेक्षित होगा, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। प्रावधानों का निर्धारण तुलनपत्र की तिथि पर दायित्व के समाधान के लिए प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है और वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती।

**(ठ) आकस्मिक देनदारियाँ/परिसंपत्तियाँ**

आकस्मिक देनदारियों का प्रकटन, उन संभावित दायित्वों के संबंध में किया जाता है, जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनके अस्तित्व की पुष्टि, कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में न होने वाली अनिश्चित भावी घटनाओं के होने या न होने से होती है या फिर जहाँ पर किसी वर्तमान देनदारी का मापन, संसाधनों के भावी बहिर्वाह के सापेक्ष नहीं हो सकता या फिर देनदारी का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता हो। आकस्मिक देनदारियों का प्रकटन, प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलनपत्र तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजन किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्य नहीं किया जाता, लेकिन वित्तीय विवरण में इनका प्रकटन किया जाता है।

**(ड) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व**

कंपनी के सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित दायित्व, कई निर्णयों के अधीन हैं, जैसे कि छूट की दर, महंगाई और वेतन वृद्धि। इन सभी मानदंडों के निर्धारण के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होती है तथा इनमें किया गया कोई भी परिवर्तन, कंपनी के तुलनपत्र में दर्ज हुई राशि तथा लाभ एवं हानि के विवरण पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। कंपनी, पूर्व-अनुभवों एवं तीसरे पक्ष की बीमाकिक सलाह के आधार पर इनके संबंध में निर्णय लेती है।

**(ढ) बीमाकिक लाभ एवं हानि सहित पुनर्मापन**

परिसंपत्ति की सीमा के प्रभाव, निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर एवं योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर), को तुलनपत्र में ओसीआई के माध्यम से धारित अर्जन में समान रूप से डेबिट या क्रेडिट करके उस अवधि में मान्य किया जाता है, जिसमें वे घटित होते हैं। पुनर्मापन को बाद की अवधियों में लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता।

**(ण) पट्टे (लीज)**

कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि कोई व्यवस्था भारतीय लेखाकन मानक (इंड एएस) 116 की आवश्यकताओं के अनुसार 'पट्टे' के योग्य है या नहीं। पट्टे की पहचान अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। कंपनी लीज अवधि (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय का उपयोग करती है। छूट की दर, आमतौर पर मूल्यांकित किए जा रहे पट्टे या समान विशेषताओं वाले पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए विशिष्ट वृद्धिशील उधार दर पर आधारित होती है।

एक अनुबंध, एक लीज है या इसमें लीज शामिल है, अगर अनुबंध यह संप्रेषित करता हो कि चिह्नित परिसंपत्ति के उपयोग पर नियंत्रण का अधिकार, एक निर्धारित समय के लिए, आपसी सहमति के विनिमय के आधार पर होगा।

**पट्टेदार के रूप में कंपनी**

कंपनी, अनुबंध के अंतर्गत, अनुबंध के गैर-पट्टा घटकों से पृथक्क रूप से प्रत्येक पट्टा घटक को, एक पट्टे के रूप में लेखांकित करती है और साथ ही, अनुबंध के अंतर्गत, प्रत्येक पट्टा घटक को, संबंधित पृथक्क मूल्य और गैर-पट्टा घटक के सकल पृथक्क मूल्य के आधार पर संज्ञान में लिया जाता है। कंपनी, पट्टे की प्रारंभिक तिथि को, पट्टे की



अवधि तक, अंतर्निहित पट्टे के उपयोग के अपने अधिकार को, उपयोग हेतु उपलब्ध परिसंपत्ति (राइट-ऑफ-यूज़ एसेट) के रूप में मान्यता देती है। शुरुआती तौर पर, परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार की लागत में, किसी पट्टे के भुगतान के साथ या प्रारंभ की तिथि से पूर्व समायोजित, प्रारंभिक तौर पर आंकी गई पट्टे की देनदारी की राशि शामिल होती है। चुनिंदा पट्टा व्यवस्थाओं में, पट्टे की अवधि से पूर्व, पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने का विकल्प होता है। परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार और पट्टे की देनदारियों में इन विकल्पों का समावेश तब होता है, जब यह सकारण सुनिश्चित हो कि ऐसे विकल्पों को भविष्य में प्रयोग में लाया जाएगा। इसके बाद, परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार को, संचित मूल्यह्रास, संचित हानि (अगर कोई हो तो) को घटाकर मापा जाता है और फिर पट्टे की देनदारी के किसी पुनःमापन के साथ समायोजित कर दिया जाता है। परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास, प्रारंभ की तिथि से पट्टे की अवधि के दौरान या परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार की उपयोगी आयु तक, सीधी रेखा विधि के प्रयोग से किया जाता है। जब कभी यह संकेत मिले कि परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार की वहन राशि, वसूल नहीं हो पाएगी, तब हानि या नुकसान के संबंध में परिसंपत्तियों के अधिकार का परीक्षण किया जाता है। अगर कोई क्षति या हानि पाई जाती है तो उसे लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। पट्टे की देनदारी को, पट्टे के भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिनका भुगतान, पट्टे की प्रारंभिक तिथि पर नहीं किया जाता। पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, अगर उस दर को आसानी से निर्धारित किया जा सकता हो। यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती हो, तो कंपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है। इसके बाद, पट्टे की देनदारी को वहन राशि में वृद्धि कर, पट्टे की देनदारी पर ब्याज परिलक्षित करते हुए पुनः मापा जाता है। पट्टे के भुगतानों को परिलक्षित करने के लिए वहन राशि को घटाया जाता है और किसी भी पुनर्मूल्यांकन या पट्टे में संशोधन को परिलक्षित करने के लिए वहन राशि का पुनर्मापन किया जाता है। कंपनी, पट्टे की देनदारी के पुनर्मापन की राशि को, परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार में समायोजन के रूप में मान्यता देती है। जहां पर परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार की राशि को घटाकर शून्य कर दिया जाता है, वहां पर पट्टे की देनदारी के मापन में ह्रास होता है और कंपनी, पुनर्मापन की किसी भी शेष राशि को लाभ एवं हानि के विवरण में सम्मिलित करती है। पट्टे की देनदारियों के मापन में, जिन परिवर्तनशील पट्टे के भुगतानों को शामिल नहीं किया गया हो, उन्हें लाभ एवं हानि के विवरण में, उन भुगतानों को प्रेरित करने वाली घटनाओं या परिस्थितियों के होने के समय के अंतर्गत, सम्मिलित कर लिया जाता है।

कंपनी, बिक्री और पट्टे की वापसी के लेनदेन को लेखांकित करती है और साथ ही में, परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार एवं पट्टे की देनदारियों (जिन्हें अन्य परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार एवं पट्टे की देनदारियों की ही तरह मापा गया हो) को लेखांकन में शामिल करती है। बिक्री के लेनदेन में हुए लाभ या हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में सम्मिलित किया जाता है।

कंपनी ने इंड एस 116 पट्टों की आवश्यकताओं को उन सभी परिसंपत्तियों के अल्पकालिक पट्टों पर लागू नहीं करने के लिए चुना है, जिनकी पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम है और जिन पट्टों के लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है। कंपनी ने उपयोग हेतु उपलब्ध परिसंपत्ति को मान्यता नहीं देने के लिए वैकल्पिक छूटों को लागू किया है, लेकिन पट्टे की शेष अवधि पर सीधी रेखा विधि के आधार पर पट्टों से संबंधित व्यय का लेखांकन किया है।

### पट्टा देने वाले के रूप में कंपनी

- (i) **प्रचालित पट्टा**- प्रचालित पट्टे पर किराए के माध्यम से होने वाली आय को लाभ एवं हानि के विवरण में, संबंधित पट्टे की अवधि के अंतर्गत सीधे तौर पर शामिल किया जाता है, जब तक कि समय के प्रतिरूप, जिसमें पट्टे से आर्थिक लाभ कम हुए हों, का बेहतर प्रतिनिधित्व करते हुए कोई अन्य विधिवत आधार चिह्नित नहीं होता। प्रचालित पट्टे (ऑपरेटिंग लीज) पर बातचीत करने और व्यवस्था करने में आरंभिक प्रत्यक्ष लागत लीज्ड परिसंपत्ति के वहन मूल्य में जुड़ जाती है और लीज अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार



पर मान्यता प्राप्त होती है। प्रचालित पट्टे पर बातचीत करने और व्यवस्था करने में प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, पट्टे पर ली गई परिसंपत्ति के वहन मूल्य में जुड़ जाती है और पट्टे की अवधि के दौरान, एक सीधी रेखा पद्धित के अनुरूप लेखांकन में मान्यता दी जाती है।

- (ii) **वित्त पट्टा-** जब परिसंपत्तियों को वित्त पट्टे की श्रेणी के अंतर्गत पट्टे पर दिया जाता है, तब न्यूनतम पट्टा भुगतानों की वर्तमान कीमत को, प्राप्य के रूप में मान्यता दी जाती है। सकल प्राप्य और प्राप्य की मौजूदा कीमत के बीच के अंतर को, अनर्जित वित्त आय के रूप में मान्यता दी जाती है। पट्टे की आय को, कर से पूर्व निवल निवेश पद्धति का प्रयोग करते हुए पट्टे की अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है, जो एक सतत आविधिक वापसी दर को परिलक्षित करता है।

### (त) वित्तीय उपकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों/देयताओं को मान्यता तब दी जाती है, जब कंपनी उपकरण के अनुबंध प्रावधानों के लिए एक पार्टी बन जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को शुरू में उन वित्तीय परिसंपत्तियों को छोड़कर उचित मूल्य पर मापा जाता है, जो शुरुआत में लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किए जाते हैं। वित्तीय लागतों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण या जारी करने के लिए सीधे तौर पर देय लेनदेन की लागत (लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अलावा) वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय दायित्व की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य से या घटा दी जाती है या जोड़ दी जाती है। लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण के कारण उत्पन्न लेनदेन की लागत को सीधे लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

### प्रभावी ब्याज पद्धति

प्रभावी ब्याज विधि, एक वित्तीय उपकरण के परिशोधन लागत की गणना और प्रासंगिक अवधि में ब्याज आय या व्यय का आवंटन करने का एक तरीका है। प्रभावी ब्याज दर, वह दर है, जो वित्तीय साधन के अपेक्षित जीवन के माध्यम से भविष्य में नकद प्राप्तियों या भुगतानों को छूट देती है या जहाँ उपयुक्त हो, कम अवधि।

### (I) वित्तीय परिसंपत्तियाँ

#### नकद एवं बैंक में जमा राशि

नकद एवं बैंक में जमा राशियों में शामिल है:

- (i) **नकदी एवं नकदी समतुल्य** - जिसमें कैश ऑन हैंड, बैंकों के साथ कॉल पर आयोजित डिपॉजिट और अन्य अल्पकालिक डिपॉजिट, जो आसानी से ज्ञात मात्रा में नकदी में परिवर्तित हो जाते हैं। ये मूल्य-परिवर्तन के सामान्य जोखिमों के अधीन होते हैं और साथ ही, इनकी वास्तविक परिपक्वता अवधि 3 महीने तक होती है। बैंक में जमा इन राशियों पर आहरण या उपयोग से संबंधित कोई प्रतिबंध नहीं होता।
- (ii) **बैंक के पास सुरक्षित अन्य जमा राशियाँ**- इनमें वे जमा राशियाँ शामिल हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम हो।

### परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है, यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक बिजनेस मॉडल के भीतर होती हैं, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करने के लिए इन परिसंपत्तियों को धारण करना है तथा वित्तीय परिसंपत्ति के अनुबंध की शर्तें नकदी प्रवाह के लिए निर्दिष्ट तिथियों को जन्म देती हैं, जो केवल शेष मूलधन पर मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हैं।



### उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, यदि ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक बिज़नेस मॉडल के भीतर रखी गई हों, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करने के लिए या ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने के लिए इन परिसंपत्तियों को धारण करना हो और वित्तीय परिसंपत्ति के अनुबंध की शर्तें चुनिंदा तिथियों पर नकदी प्रवाह को बढ़ावा देती हैं, जो पूरी तरह से शेष मूलधन पर मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों, जिन्हें परिशोधित लागत पर या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा नहीं गया हो, उन्हें लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर धारित किया जाता है।

### ब्याज से होने वाली आय

बकाया मूलधन और प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में ब्याज आय, एक समय अनुपात के आधार पर अर्जित की जाती है।

### लाभांश आय

निवेश से होने वाली लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है, जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित कर दिया गया हो।

### वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण एवं पश्चात्कर्ती मापन

पश्चात्कर्ती मापन के प्रयोजन से, प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- प्रभावी ब्याज विधि (ईआईआर) का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई) पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

एफवीटीपीएल के अलावा सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ कम से कम प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर नुकसान के समीक्षाधीन हैं। किसी वित्तीय परिसंपत्ति को कंपनी ने एफवीटीपीएल में नामित नहीं किया है।

### वित्तीय परिसंपत्तियों का नुकसान

अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत और उचित मूल्य पर मापित, वित्तीय परिसंपत्तियों के अपेक्षित क्रेडिट नुकसान के लिए दिए जाने वाले भत्ते को मान्यता दी जाती है। कंपनी, उन सभी व्यापार प्रायों के जीवनभर के अपेक्षित क्रेडिट लॉस या हानि को मान्यता देती है, जो किसी वित्तीय लेनदेन का हिस्सा नहीं रहे हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए (किसी वित्तीय लेनदेन का हिस्सा न रहे व्यापार प्रायों को छोड़कर), जिनका शुरुआती मान्यता के बाद क्रेडिट संबंधी जोखिम बहुत अधिक नहीं बढ़ा हो, उनके लिए 12 महीने के अपेक्षित क्रेडिट लॉस के बराबर हानि भत्ता मान्य कर दिया जाता है। संपूर्ण जीवनकाल के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस के बराबर हानि भत्ते को मान्यता मिलती है, अगर वित्तीय परिसंपत्ति का क्रेडिट संबंधी जोखिम, शुरुआती मान्यता के बाद महत्वपूर्ण रूप से बढ़ता है।

### वित्तीय परिसंपत्तियों को अमान्य घोषित करना

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को तब ही अमान्य मानती है, जब नकदी प्रवाह के लिए निर्धारित संविदात्मक अधिकारों की वैधता समाप्त हो रही हो या फिर कंपनी, वित्तीय परिसंपत्ति, उससे जुड़े सभी जोखिमों और परिसंपत्ति के स्वामित्व के फलस्वरूप मिलने वाले फायदों को किसी दूसरी इकाई को सौंप देती है। यदि कंपनी, न तो परिसंपत्ति का हस्तांतरण करती है और न ही स्वामित्व के सभी जोखिमों एवं फायदों को पर्याप्त रूप से बरकरार रखती है तथा साथ ही, हस्तांतरित परिसंपत्ति को नियंत्रित करना जारी रखती है, तो कंपनी परिसंपत्तियों में अपने बनाए गए ब्याज एवं उन राशियों के लिए, जिसका कंपनी को भुगतान करना पड़ सकता हो, उनसे संबद्ध देनदारी को मान्यता देती है। यदि कंपनी हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों

एवं फ़ायदों को पर्याप्त रूप से बरकरार रखती है, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता जारी रखती है और साथ ही, प्राप्य आय के लिए एक उधार राशि को भी मान्यता देती है।

## (II) वित्तीय देनदारियाँ एवं इक्विटी उपकरण

### ऋण या इक्विटी के रूप में वर्गीकरण

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय देनदारियों एवं इक्विटी उपकरणों को अनुबंधित व्यवस्था के अनुसार एवं वित्तीय दायित्व एवं इक्विटी उपकरण की परिभाषाओं के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

### इक्विटी उपकरण

एक इक्विटी उपकरण, वह अनुबंध होता है, जो कंपनी की परिसंपत्तियों में उसकी सभी देनदारियों में कटौती के बाद अवशिष्ट ब्याज का प्रमाण देता है। इक्विटी उपकरणों को प्रत्यक्ष निर्गम लागत के निवल के रूप में प्राप्त आय में दर्ज किया जाता है।

### वित्तीय देनदारियाँ

व्यापार एवं अन्य देनदारियों को शुरुआती स्तर पर उचित मूल्य पर मापा जाता है, जो लेनदेन की लागत का निवल होती हैं तथा फिर इन्हें प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जहां पर धनराशि के समय-मूल्य की महत्ता होती है। ब्याज सहित लिए गए बैंक ऋण, ओवरड्राफ़्ट्स एवं जारी किए गए ऋण, सभी को शुरुआती स्तर पर उचित मूल्य पर मापा जाता है और फिर बाद में इन्हें प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

प्राप्त आय (लेनदेन के निवल के रूप में) एवं उधार ली गई राशि के निपटारे या प्रतिदान के बीच के अंतर को उधार ली गई राशि की समय-सीमा के अंतर्गत, लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

### वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण एवं पश्चात्कर्ती मापन

वित्तीय देनदारियों का मापन, पश्चात्कर्ती तौर पर प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर किया जाता है, सिवाय एफ़वीटीपीएल में व्यापार या नामित वित्तीय देनदारियों के, जो लाभ या हानि के विवरण में मानित लाभ या हानि सहित उचित मूल्य पर किए जाते हैं। सभी व्युत्पन्न वित्तीय लेखों का लेखांकन एफ़वीटीपीएल में किया जाता है। ऐसी किसी वित्तीय देनदारी को कंपनी में एफ़वीटीपीएल में नामित नहीं किया गया है।

### वित्तीय देनदारियों को अमान्य घोषित करना

जब कंपनी के दायित्वों का निर्वहन हो चुका हो, उन्हें रद्द कर दिया गया हो या फिर उनकी वैधता समाप्त हो गई हो, सिर्फ और सिर्फ तब ही कंपनी वित्तीय देनदारियों को अमान्य घोषित करती है।

### प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) की गणना इस प्रकार होती है:

- वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं वित्तीय देनदारियाँ, जिनपर बाज़ार मूल्य पर ब्याज धारित हो: इस तरह के मामलों में ईआईआर, उपकरण की ब्याज दर के बराबर होते हैं।
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ या वित्तीय देनदारियाँ वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध सर्वाधिक अवधि के लिए आधारभूत एसबीआई-एमसीएलआर/आधारभूत दर।



## (थ) कर्मचारी हितलाभ

### निर्धारित योगदान योजनाएँ

उक्त योजनाओं के अंतर्गत किए गए योगदानों को, कर्मचारी की सेवा-अवधि के दौरान किए गए व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के प्रति अंशदान, नियामक प्राधिकारियों को दिया जाता है, जिसमें कंपनी का और कोई दायित्व नहीं है। इस तरह के हितलाभों को निर्धारित योगदान योजनाओं के अंतर्गत माना जाता है क्योंकि कंपनी के ऊपर मासिक रूप से किए जाने वाले योगदान के अतिरिक्त अन्य कोई दायित्व नहीं होता। कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान, इन योगदानों को लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

### निर्धारित हितलाभ योजनाएँ

कंपनी के पास एक निर्धारित आनुतोषिक (ग्रैच्युटी) लाभ योजना है। कंपनी इस योजना की वित्तपूर्ति, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में सालाना योगदान के माध्यम से करती है। इस संबंध में कंपनी की देनदारी, वर्ष के अंत में निर्धारित होती है। देनदारी को, आनुतोषिक देनदारी के बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर देखा जाता है।

बीमाकिक लाभ एवं हानि सहित पुनःमापन, परिसंपत्ति की सीमा के प्रभाव, निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज में सम्मिलित राशियों को छोड़कर तथा योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज में सम्मिलित राशियों को छोड़कर) को तुलनपत्र में ओसीआई के माध्यम से धारित अर्जन में समान रूप से डेबिट या क्रेडिट करके उस अवधि में मान्य किया जाता है, जिसमें वे घटित होते हैं। पुनःमापन को बाद की अवधियों में लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

संचित छुट्टियों, जिन्हें वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के अंदर उपयोग में लाना या कैश कराना होता है, उन्हें अल्पकालीन कर्मचारी हितलाभों के रूप में देखा जाता है। इन छुट्टियों के प्रति कंपनी के दायित्व का मापन, संचित छुट्टियों की अपेक्षित लागत के रूप में होता है क्योंकि वर्ष की समाप्ति पर अप्रयुक्त पात्रताओं के परिणामस्वरूप, अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होता है।

संचित छुट्टियों, जिन्हें वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के बाद भी उपयोग में लाया या कैश कराया जा सकता हो, उन्हें अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभों के रूप में देखा जाता है। कंपनी की देयता वर्ष के अंत में निर्धारित की जाती है।

## (द) मालसूची

मालसूची, लागत एवं शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के कमतर मूल्य पर तैयार की जाती है। लागत का पता, भारत और अंतर्राष्ट्रीय आधार पर लगाया जाता है। लागत में, प्रत्यक्ष सामग्री सम्मिलित है तथा जहां लागू होता हो, वहाँ प्रत्यक्ष श्रम लागत एवं वे व्यय, जो मालसूची को उनकी वर्तमान अवस्था एवं स्थान तक लाने में हुए। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, वह मूल्य होता है, जिसमें, सामान्य व्यावसायिक परिस्थितियों में उनकी पूर्व स्थिति से वर्तमान स्थिति में रूपांतरण तथा मालसूची के विवरण, बिक्री एवं वितरण में व्यय हुई लागत पर मालसूची को मान्यता दी जा सकती हो। उत्पादों की श्रेणी के आधार, उपयोग/उपभोग के पूर्वानुभवों को देखते हुए, धीमी गति से खर्च होने वाली एवं अप्रचलित वस्तुओं के लिए प्रावधान बनाए गए हैं, जिसमें उनकी प्रोडक्ट लाइन और बाजार की स्थितियों को देखते हुए अलग-अलग व्यवसाय शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ऐंड एजी) का विचार था कि 6.75 करोड़ रुपये के उपभोज्य पुर्जों को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रोलिंग स्टॉक के साथ पूंजीकृत किया गया था, न कि मालसूची के साथ। जैसा कि लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 6.75

करोड़ रुपये के पुर्ज अनुबंध एलकेआरएस-01 के तहत ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली उपभोज्य प्रकृति के पुर्जों के कुल मूल्य को संदर्भित करते हैं। 6.75 करोड़ रुपए के कुल कलपुर्जों में, 1.02 करोड़ रुपए के कलपुर्ज, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त हुए तथा उन्हें पूँजीकृत किया गया। सी एंड एजी की टिप्पणी के अनुपालन के तहत, 1.02 करोड़ रुपए के उपभोज्य पुर्ज, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पूँजीकृत किया गया, उन्हें मालसूची शीर्ष में स्थानांतरित किया जा रहा है तथा आवश्यक प्रविष्टियों को पारित कर दिया गया है। इस पद्धति का ही आगामी वित्तीय वर्ष में भी पालन किया जाएगा।

#### (ध) नकदी प्रवाह

नकदी प्रवाह का प्रतिवेदन, भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस-7) में नकदी प्रवाह विवरण पर निर्दिष्ट अप्रत्यक्ष पद्धति के प्रयोग के साथ होता है, जिसके तहत, गैर-नकदी लेनदेन के प्रभाव, नकदी रसीदों या भुगतानों के संबंध में पूर्व या भविष्य के आस्थगन या प्रोद्भवन तथा आय की वस्तु या निवेश एवं वित्तपोषण के नकदी प्रवाहों से जुड़े व्यय, के साथ वर्ष के लाभ को समायोजित किया जाता है। कंपनी की परिचालन, निवेश एवं वित्तपोषण की गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाह को अलग-अलग करके देखा जाता है। कंपनी उन सभी अत्यधिक तरल निवेशों पर विचार करती है, जो नकदी समतुल्य होने के लिए नकदी की ज्ञात मात्राओं के लिए आसानी से परिवर्तनीय हैं।

#### (न) चालू बनाम गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलनपत्र में परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियाँ प्रस्तुत करती है। सभी परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियाँ, कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। उत्पादों की प्रकृति तथा नकदी एवं नकदी समतुल्यों में प्रसंस्करण तथा उनकी प्राप्ति के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के बीच के समय के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के प्रयोजन से 12 महीने का अपना प्रचालन चक्र निर्धारित किया है।

#### (प) दुर्भर अनुबंध

जब कंपनी द्वारा एक अनुबंध से प्राप्त होने वाले अपेक्षित हित या लाभ, अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों की प्रतिपूर्ति की अपरिहार्य लागत से कम होते हैं, तब दुर्भर अनुबंधों के लिए एक प्रावधान तैयार किया जाता है। अनुबंध की समाप्ति की अपेक्षित लागत तथा अनुबंध को जारी रखने की अपेक्षित निवल लागत में से जो भी कम हो, उसके वर्तमान मूल्यांकन पर इस प्रावधान का मापन होता है। एक प्रावधान की स्थापना से पूर्व, कंपनी अनुबंध से संबद्ध परिसंपत्तियों में किसी भी तरह की क्षति या हानि को संज्ञान में लेती है।

#### (फ) सहायता अनुदान

परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सरकारी/गैर-सरकारी या अन्य प्राधिकरणों द्वारा पूँजीगत व्यय हेतु दिए गए अनुदानों को शुरुआती तौर पर 'आस्थगित राजस्व' के रूप में देखा जाता है। इसके बाद, इन्हें संबंधित परिसंपत्तियों की अवधि के दौरान हर वर्ष उनसे होने वाली आय और उनके ह्रास के अनुपात के रूप में मान्यता दी जाती है। सरकारी/गैर-सरकारी या अन्य प्राधिकरणों द्वारा राजस्व के सापेक्ष दिए गए अनुदानों को लाभ एवं हानि के विवरण में, 'अन्य आय' के अंतर्गत दिखाया जाता है।

जहाँ पर कंपनी को गैर-मौद्रिक अनुदान प्राप्त होते हैं, वहाँ परिसंपत्ति एवं अनुदान को उचित मूल्य पर सकल रूप से दर्ज किया जाता है तथा परिसंपत्ति के लाभ की खपत के अपेक्षित उपयोगी जीवन एवं प्रारूप पर, आय विवरण में प्रकाशित किया जाता है।



उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य करों के लिए प्राप्त वित्तीय सहयोग को कार्यशील पूँजी (सीडब्ल्यूआईपी) में से समायोजित कर दिया गया है/घटा दिया गया है।

## (ब) कराधान

### चालू कर (करंट टैक्स)

वर्तमान में देय कर, वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ, लाभ एवं हानि के विवरण में वर्णित निवल लाभ से भिन्न होते हैं क्योंकि इसमें आय की वस्तुएँ या अन्य वर्षों में कर योग्य या घटाने योग्य व्यय सम्मिलित नहीं होते तथा यह उन वस्तुओं को भी सम्मिलित नहीं करता, जो कभी कर के या कटौती (डिडक्शन) के दायरे में नहीं आईं। चालू कर के लिए कंपनी की देनदारी की गणना, कर की दरों एवं कर-अधिनियमों के प्रयोग से होती है, जो प्रतिवेदन अवधि के दौरान लागू हुए या पहले से लागू थे।

चालू कर को लाभ एवं हानि के विवरण में एक व्यय या आय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सिवाय उस स्थिति के जब वे ऐसी वस्तुओं से संबंधित हों, जिन्हें सीधे तौर पर इक्विटी में या अन्य व्यापक आय में क्रेडिट या डेबिट किया गया हो। ऐसी स्थिति में, कर को अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

### आस्थगित कर

आस्थगित कर, वित्तीय विवरणों में संपत्ति और देनदारियों के वहन मूल्य एवं कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए जाने वाले संबंधित कर आधारों के बीच अंतर पर देय या वसूली योग्य होने की उम्मीद है और बैलेंस शीट देयता विधि का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है। आस्थगित कर वह कर होता है, जिसे वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों के वहन मूल्य एवं कर योग्य की गणना में उभोग किए जाने वाले संबंधित कर आधारों के बीच अंतर पर देय या वसूली योग्य होता है। तुलनपत्र देनदारी विधि के प्रयोग के लिए इसका लेखांकन होता है। आमतौर पर, आस्थगित कर देनदारी, सभी कर योग्य अस्थाई अंतरों के लिए मान्य होता है। इसके विपरीत, आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ, सिर्फ इस सीमा तक मान्य होती हैं कि यह संभावना मौजूद हो कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे, जिसके विपरीत अस्थाई अंतरों को प्रयोग में लाया जा सके। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में समीक्षा होती है। इन्हें इस सीमा तक घटा दिया जाता है कि अब इस बात की कोई संभावना नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य लाभ मिलेंगे, जिनके सहारे संपूर्ण परिसंपत्ति या उसके हिस्से की वसूली की जा सके। जब देनदारी का निपटारा किया जाता है या परिसंपत्ति को रियलाइज किया जाता है, उस अवधि में अपेक्षित कर की दर पर आस्थगित कर की गणना होती है। इनके आधार के रूप में, कर की वे दरें या वे अधिनियम होते हैं, जिन्हें प्रतिवेदन अवधि की समाप्ति पर लागू किया गया हो या पहले से जारी हों। आस्थगित कर देनदारियों और संपत्तियों की माप, कर के परिणामों को दर्शाती है, जो कि प्रतिवेदन अवधि के अंत में, अपनी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के वहन मूल्य को पुनः प्राप्त करने या निपटारे के लिए कंपनी द्वारा अपेक्षित शैली के अनुरूप होंगे। आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियाँ इस सीमा तक ही ऑफसेट होती हैं कि वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए करों से संबंधित हों तथा उस क्षेत्राधिकार के भीतर चालू कर परिसंपत्तियों एवं चालू कर देनदारियों को निर्धारित करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हों।

लाभ एवं हानि के विवरण में आस्थगित कर को एक व्यय या आय के रूप में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में क्रेडिट या डेबिट किए गए आइटम से संबंधित हों तथा उस स्थिति में कर को अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को किस हद तक पहचाना जा सकता है, यह कंपनी की भविष्य की कर योग्य आय की सम्भावना के आकलन पर आधारित है, जिसके विरुद्ध आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों में भारत में कर कानूनों के अनुसार भुगतान किए गए न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) शामिल है, जिसके माध्यम से भविष्य में आयकर देयता के समायोजन के रूप में

मिलने वाले भावी आर्थिक लाभ मिलने की संभावना हो। एमएटी को तुलनपत्र में आस्थगित कर परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है, जब परिसंपत्ति को विश्वस्त रूप से मापा जा सकता हो और यह संभावना हो कि भविष्य में परिसंपत्ति से जुड़े आर्थिक लाभों को भुनाया जा सकेगा।

**(भ) राजस्व मान्यता (इंड एस 115)**

इंड एस 115 के अनुसार, कंपनी राजस्व को निम्न मदों के अंतर्गत मान्यता देती है:

- i) टिकट/टोकन से राजस्व को उसकी खरीद की तिथि और स्मार्ट कार्ड के मामले में, वास्तविक उपयोग के मूल्य के आधार पर मान्य किया जाता है।
- ii) प्लेक्सी जमा और टीडीआर/एफडीआर पर ब्याज को, निवेश की गई राशि, लागू दरों और बैंकों द्वारा जारी ब्याज प्रमाण-पत्र के अनुसार अर्जित ब्याज को लेखा में लेते हुए समय अनुपात आधार पर मान्य किया गया है। एफडीआर पर अर्जित ब्याज को लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।
- iii) संपत्ति और किराए पर दिए गए स्थान के मामले में किराए पर आय को लाइसेंस धारक/पट्टेदार/रियायतधारी इत्यादि के साथ अनुबंध समझौते के नियमों और शर्तों के आधार पर मान्य किया गया है।
- iv) उपयोग किए गए स्थान में विज्ञापन से प्रोद्भूत राजस्व का अनुबंध शर्तों पर आधारित, प्रोद्भूत आधार पर लेखांकन किया जाता है।
- v) कुछ वस्तुएं, जिन्हें नकद आधार पर मान्यता दी जाती है, वे निम्नवत हैं:
  - स्कूप की बिक्री से होने वाली आय को प्राप्ति आधार पर मान्य किया जाता है।
  - बीमा दावों का लेखांकन, बीमा की स्वीकृति के आधार पर होता है।
  - कर वापसी पर मिलने वाले ब्याज को तब मान्यता दी जाती है, जब इसकी प्राप्ति सुनिश्चित हो जाए या फिर इसे किसी देनदारी के साथ समायोजित कर दिया जाए।
  - निविदा दस्तावेजों की बिक्री से होने वाली आय।
- vi) कंपनी ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु "पीपीपी" आधार पर "ओपन लूप ईएमवी एनवीएमसी कार्ड, क्यूआर कोड आधारित स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग" के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि कार्यों के सफल समापन के लिए आवश्यक सभी उपकरण, सामग्री, श्रम एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें तथा फेयर बॉक्स रेवेन्यू के संग्रह और प्रबंधन के लिए अनुबंध दस्तावेज द्वारा निर्देशित सभी कर्तव्यों एवं दायित्वों की पूर्ति हो सके।

**(म) विदेशी मुद्रा लेनदेन एवं अनुवाद**

कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (INR) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा और वित्तीय वक्तव्यों के लिए प्रस्तुति मुद्रा है। वित्तीय विवरण तैयार करने में, कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं में लेनदेन को, लेनदेन की तारीख में विनिमय की मौजूदा दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रतिवेदन की प्रत्येक अवधि के अंत में, विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक वस्तुओं को, प्रतिवेदन की अवधि के अंत में मौजूदा दरों पर पुनः अनुवादित किया जाता है। उचित मूल्य पर मापी जा रही गैर-मौद्रिक वस्तुओं, जिन्हें विदेशी मुद्रा में दर्शाया गया हो, उन्हें उचित मूल्य के सृजन की तिथि पर मौजूदा दरों पर पुनः अनुवादित किया जाता है। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापी जाने वाली गैर-मौद्रिक वस्तुओं का अनुवाद नहीं किया जाता है। पहले इंड एस वित्तीय प्रतिवेदन अवधि के पूर्व वित्तीय विवरणों में मानित, विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई दीर्घकालीन मौद्रिक वस्तुओं के अनुवाद के फलस्वरूप सामने आने वाली विनिमय संबंधी भिन्नताओं को, जिनके संबंध में कंपनी ने, इस तरह के विनिमय संबंधी अंतरों को इक्विटी में या इंड एस 101 "भारतीय लेखांकन मानकों का पहली



बार अधिग्रहण” के अंतर्गत स्वीकृत परिसंपत्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में मानित करने का चुनाव किया हो, उन्हें मामले के अनुरूप परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ दिया जाता है/से घटा दिया जाता है। इस तरह की विनिमय संबंधी भिन्नताओं को, परिसंपत्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में या फिर लाभ एवं हानि के विवरण में विधिवत आधार पर मानित किया जाता है। अन्य मौद्रिक वस्तुओं के पुनः अनुवाद या समायोजन के फलस्वरूप पैदा होने वाली विनिमय संबंधी भिन्नताओं को प्रतिवेदन अवधि हेतु तैयार किए गए लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

भारत सरकार के माध्यम से पास थ्रू असिस्टेन्स (पीटीए) का प्रयोग करते हुए यूरोपियन इनवेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) से “रूपए” में लोन प्राप्त हुआ। पुनर्भुगतान पर विदेशी मुद्रा में किसी भी उतार-चढ़ाव को भारत सरकार की सलाह के अनुसार, लेन-देन के आधार पर मान्यता दी जाएगी, क्योंकि कंपनी द्वारा भारत सरकार से भारतीय मुद्रा में यह ऋण पीटीए के साथ प्राप्त किया गया, जिसकी बंदौलत इसकी संप्रभुता सुरक्षित है।

### (य) उधार की लागत

उधार की लागत का सीधा संबंध, योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से होता है, जो ऐसी परिसंपत्तियाँ होती हैं, जिन्हें ऐच्छिक उपयोग या बिक्री के लिए परिपक्व होने में पर्याप्त समय लगता है। इस लागत को इन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ दिया जाता है, जब तक कि ये परिसंपत्तियाँ ऐच्छिक उपयोग या बिक्री के लिए तैयार हो जाएं।

योग्य परिसंपत्तियों पर व्यय हेतु ली गई चुनिंदा उधारियों पर किए गए अस्थाई निवेश से होने वाली आय को लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। यह उपचार शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 8 अगस्त, 2016 के आदेश के अनुसार भी है। इस प्रकार, उपरोक्त के आधार पर, 43.28 करोड़ रुपये (कानपुर के लिए 29.50 करोड़ एवं आगरा के लिए 13.78 करोड़) का ब्याज वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि में जमा किया गया है तथा 27.10 करोड़ रुपये (कानपुर के लिए 26.16 करोड़ एवं आगरा के लिए 0.45 करोड़) का ब्याज परिसंपत्तियों के मूल्य के सापेक्ष समायोजित किया गया है।

अन्य सभी उधार लेने की लागतों को उस अवधि में हुए व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें व्यय हुआ हो।

### (र) प्रति शेयर आय

वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारत औसत संख्या द्वारा इक्विटी धारकों के लिए वर्ष के लिए लाभ या हानि को विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों को भुगतान किए गए अंश के अनुसार पूरी तरह से भुगतान समकक्ष के रूप में शामिल किया गया है।

प्रति शेयर अवमिश्रित आय की गणना, शेयरों की भारत औसत संख्या एवं अवमिश्रण योग्य शेयरों का प्रयोग करते हुए होती है, सिवाय उस स्थिति के जब, परिणाम अवमिश्रण के प्रतिकूल हो।

### (ल) हाल की लेखांकन घोषणाएँ

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमों के अंतर्गत स्थापित मानकों में नए मानक या संशोधन अधिसूचित किए गए हैं। 23 मार्च, 2022 को, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2022 में संशोधन किए, जो 1 अप्रैल, 2022 से प्रभाव में हैं। ये संशोधन निम्नवत हैं

### इंड एएस 103 - वैचारिक ढाँचे का संदर्भ

संशोधन निर्दिष्ट करते हैं कि अधिग्रहण विधि को लागू करने के हिस्से के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु, अधिग्रहित पहचान योग्य परिसंपत्तियों एवं ग्रहण की गई देनदारियों को अधिग्रहण की तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानकों (वैचारिक ढाँचा) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के वैचारिक ढाँचे में निर्दिष्ट परिभाषाओं



के अनुसार होना आवश्यक है। ये परिवर्तन इंड एएस 103 की आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं करते। कंपनी द्वारा अनुमानित है कि यह संशोधन कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई खास प्रभाव नहीं डालता।

### इंड एएस 16 – इच्छित उपयोग से पूर्व आय

संशोधन मुख्य रूप से एक इकाई को संपत्ति की लागत, संयंत्र एवं उत्पादित वस्तुओं को बेचने से प्राप्त उपकरण राशि में कटौती करने से रोकते हैं, जबकि कंपनी अपने इच्छित उपयोग के लिए संपत्ति तैयार कर रही हो। इसके बजाय, एक प्रतिष्ठान ऐसी बिक्री आय एवं संबंधित लागत को लाभ या हानि में मान्यता देगा। कंपनी द्वारा अनुमानित है कि कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों के अंतर्गत उसके संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मान्यता पर संशोधनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

### इंड एएस 37 – दुर्भर अनुबंध – एक अनुबंध को पूर्ण करने की लागतें

संशोधन निर्दिष्ट करते हैं कि एक 'अनुबंध को पूरा करने की लागत' में वह लागत शामिल है, जो 'सीधे अनुबंध से संबंधित' है। एक अनुबंध से सीधे संबंधित लागत या तो उस अनुबंध को पूरा करने की वृद्धिशील लागत हो सकती है (उदाहरण प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री होंगे) या अन्य लागतों का आवंटन जो सीधे अनुबंधों को पूरा करने से संबंधित हैं। संशोधन अनिवार्य रूप से एक स्पष्टीकरण है तथा कंपनी को अपने वित्तीय विवरणों में संशोधन का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव होने की उम्मीद नहीं है।

### इंड एएस 109 – इंड एएस में वार्षिक सुधार (2021)

संशोधन स्पष्ट करता है कि एक इकाई, एक वित्तीय देनदारी को अमान्य घोषित करने के आकलन के दौरान '10 प्रतिशत' परीक्षण को अपनाती है, तब उसे कौन से शुल्क को सम्मिलित करना चाहिए। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि संशोधन का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

### इंड एएस 116 – इंड एएस में वार्षिक सुधार (2021)

संशोधन, पट्टा प्रोत्साहनों के उपचार के संबंध में किसी भी संभावित भ्रम को हल करने के लिए पट्टेदार द्वारा लीजहोल्ड सुधारों की प्रतिपूर्ति के चित्रण को हटा देता है, जो कि उस दृष्टांत में पट्टा प्रोत्साहनों का वर्णन करने के तरीके के कारण उत्पन्न हो सकता है। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि संशोधन का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

## 33. वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ:

### (क) आकस्मिक देनदारियाँ:

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
1.	बीएसएनएल द्वारा दंड स्वरूप माँगा गया प्रभार	21.00	21.00
2.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ द्वारा यूपीएमआरसीएल से, मेट्रो रेल परियोजना हेतु प्रदान की गई भूमि के सापेक्ष 100% सर्किल दर के साथ अतिरिक्त मुआवजे एवं 30 वर्षों के लिए रियायत शुल्क को मिलाकर कुल 2554.00 लाख रुपए की माँग की जा रही है।	2554.00	2554.00
3.	लखनऊ एयरपोर्ट पर स्थित कास्टिंग यार्ड की भूमि के लिए किराए के रूप में 2440.00 लाख रुपए।  (पत्र संख्या 3905/LMRC/CPM1/AAI/Land/2019 दिनांक 16.07.2019 के अनुसार 228.62 लाख रुपए की राशि पुष्ट देयता के तौर पर दर्ज की गई है। इसका अंतर आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।)  (कृपया निम्नलिखित बिन्दु iii का संदर्भ ग्रहण करें)	2211.00	2211.00



4.	एचडीएफसी बैंक से एलसी व्यवस्था के अनुसार 58.67 लाख यूएस डॉलर में ऋणपत्र	4447.79	शून्य
5.	एचडीएफसी बैंक से एलसी व्यवस्था के अनुसार 4.50 लाख यूरो में ऋणपत्र	380.81	शून्य
6.	एचडीएफसी बैंक से एलसी व्यवस्था के अनुसार रुपए में बैंक गारंटियाँ	1.20	शून्य
7.	लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर के संशोधित डीपीआर हेतु मेसर्स दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.	9.00	9.00
8.	निर्माण अवधि के दौरान रेलवे भूमि के अस्थायी उपयोग हेतु पूर्वोत्तर रेलवे को देय शुल्क 14.00 लाख रुपए का प्रकटन आकस्मिक देयता के तौर पर किया गया था। पूर्वोत्तर रेलवे ने राशि को संशोधित करके 10.17 लाख रुपए कर दिया। 10.17 लाख रुपए की माँग के सापेक्ष 8.50 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया। माँग एवं भुगतान की गई राशि के बीच के अंतर का प्रकटन आकस्मिक देयता के रूप में किया गया है।	1.67	1.67
9.	हज़रतगंज रैम्प के लिए यूपीएमआरसीएल (पूर्व में एलएमआरसीएल) को हस्तांतरित भूमि हेतु यूपी कोऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ द्वारा 100% सर्कल दर के हिसाब से 285.00 लाख रुपए के अतिरिक्त मुआवज़े की माँग।	285.00	285.00
10.	उपभोक्ता फोरम के समक्ष लंबित अदालती मामले के संबंध में	5.00	5.00
11.	प्रभु साहनी बनाम कुमार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. एवं यूपीएमआरसी लि. के लंबित अदालती मामले के संबंध में।	0.89	0.89
12.	पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा मांगे गए पर्यवेक्षण प्रभारों के संबंध में। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा 6.25% की दर से पर्यवेक्षण प्रभार माँगे गए और भुगतान 3.125% की दर से किया गया। माँगी गई और भुगतान की गई राशि के बीच के अंतर का प्रकटन आकस्मिक देयता के रूप में किया गया है।	26.00	26.00
13.	आयकर अपीलें (वि.व. 2013-14 से 2016-17 तक) (वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 हेतु आयकर अपील से संबंधित लंबित केस, यूपीएमआरसीएल के पक्ष में निस्तारित हो गए हैं)	156.04	156.04
14.	लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना हेतु कॉल्विन कॉलेज में बने यूपीएमआरसी के कास्टिंग यार्ड के सापेक्ष 21.11.2016 से लेकर 21.01.2018 तक की अवधि के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण को किराए की आकस्मिक देयता के संबंध में। इस संबंध में निर्णय, प्रशासनिक स्तर पर लंबित है।	122.15	122.15
15.	वृंदावन कॉलोनी में भंडारणों के लिए, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को किराए के रूप में आकस्मिक देयता। किराया तय करने के संबंध में निर्णय लंबित है क्योंकि यूपीएमआरसी ने 05.01.2016 से लेकर 30.11.2019 की अवधि हेतु किराए में कटौती का अनुरोध किया है।	188.97	188.97
16.	वृंदावन कॉलोनी में कास्टिंग यार्ड हेतु, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को किराए के रूप में आकस्मिक देयता। किराया तय करने के संबंध में निर्णय लंबित है क्योंकि यूपीएमआरसी ने 4 सालों की अवधि के लिए किराए में कटौती का अनुरोध किया है।	296.47	296.47
17.	जीवन भवन-1 भवन के सामने 122.36 वर्गमीटर एवं जीवन प्रकाश भवन के सामने 147.03 वर्गमीटर भूमि, अस्थाई रूप से लेने के लिए किराया। (बिंदु iv देखें)	11.53	शून्य
18.	पीडी आउटलेट- जीवन भवन-1 भवन के सामने 348 वर्गमीटर की स्थायी भूमि में मेसर्स द हेजलनट फ़ैक्ट्री। (बिंदु संख्या V का संदर्भ ग्रहण करें)	462.59	शून्य

- i. सहकारिता भवन की भूमि के अस्थायी उपयोग हेतु यू.पी. कोऑपरेटिव यूनिन लि. को देय किराए का मुद्दा पत्र संख्या 3729/LMRC-L-6/2014 दिनांक 21.06.2020 के माध्यम से ज़िला मजिस्ट्रेट, लखनऊ को निर्णय के लिए भेजा गया है। इस पर अंतिम निर्णय आने पर इसका लेखांकन किया जाएगा।
- ii. उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 14 अगस्त, 2017 को अपने पत्र के माध्यम से निर्देशित किया कि लखनऊ मेट्रो परियोजना के फेज़-1। (उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर) के रिसीविंग सब-स्टेशन एवं वायडक्ट हेतु राजकीय महिला पॉलिटैक्निक, लखनऊ एवं राजकीय पॉलिटैक्निक के परिसरों में ली गई क्रमशः 4000 स्कवेयर मीटर एवं 48.03 स्कवेयर मीटर की भूखंडों के हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। सर्किल दर के हिसाब से दोनों भूखंडों के लिए क्रमशः 22.20 करोड़ रुपए एवं 0.22 करोड़ रुपए के हस्तांतरण शुल्क की गणना की गई। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के पश्चात्, भूमि के विवरण को कंपनी की लेखाओं में सम्मिलित कर लिया जाएगा।
- iii. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने दिनांक 22.04.2016 के पत्र के माध्यम से कंपनी को 01.10.14 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिए कास्टिंग यार्ड बनाने हेतु 60,000 स्कवेयर मीटर का भूखंड पट्टे (लीज) पर आवंटित किया था। इस संबंध में एएआई द्वारा दिनांक 18.01.2017 को लिखे गए पत्र के माध्यम से कंपनी से 24.40 करोड़ रुपए के किराए की माँग की गई तथा इसके बाद भी उक्त संबंध में पत्राचार जारी रहा। बाद में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्र संख्या- 1268/56-2019-08/2013 दिनांक 26.06.2019 के माध्यम से यूपीएमआरसीएल को, शासन के साथ मिलकर सहमति स्थापित करते हुए एएआई को भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया। निर्देशों का अनुपालन करते हुए, यूपीएमआरसीएल ने 29.12.2019 को सर्किल दर के आधार पर गणना करते हुए एएआई को 2.29 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया, जबकि एएआई की माँग एकतरफा है तथा उत्तर प्रदेश की राजस्व इकाइयों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। एएआई एवं यूपीएमआरसी के बीच के बीच लंबित इस मुद्दे के तथ्यों के ध्यानार्थ, अंतिम समझौते तक 22.11 करोड़ रुपए का भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस)-37 के अनुच्छेद 10 के अनुसार, आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटन किया गया है।
- iv. जीवन भवन-1 भवन के सामने 122.36 वर्गमीटर एवं जीवन प्रकाश भवन के सामने 147.03 वर्गमीटर भूमि, अस्थाई रूप से लेने के लिए किराया।

यूपीएमआरसी ने हज़रतगंज भूमिगत मेट्रो स्टेशन के निर्माण हेतु एलआईसी से 26 महीनों की अवधि (20.04.2017 से 19.06.2019 तक) के लिए जीवन भवन -1 के सामने 122.36 वर्गमीटर तथा जीवन प्रकाश भवन के सामने 147.03 वर्ग मीटर की भूमि अस्थाई रूप से ली थी। यूपीएमआरसी ने अनुमानित समय-सीमा से पूर्व ही निर्माण कार्य पूरा कर लिया तथा उपरोक्त भूखंडों को फरवरी, 2019 में खाली कर दिया गया। इसी अनुसार, फरवरी 2019 तक के किराए का भुगतान भी कर दिया गया। हालाँकि, एलआईसी का पक्ष है कि लीज का समझौता 26 महीनों की अवधि (20.04.2017 से 19.06.2019 तक) के लिए हस्ताक्षरित हुआ था, तथा 26 महीनों से पहले लीज के समझौते को खत्म करने का कोई प्रावधान या शर्त समझौते में नहीं थी। इस पक्ष को आधार बनाते हुए एलआईसी द्वारा 19.06.2019 तक के किराए की माँग की जा रही है।

यह मामला सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत संपदा अधिकारी, एलआईसी, देहरादून के समक्ष लंबित है। यदि मामला एलआईसी के पक्ष में तय किया जाता है, तो यूपीएमआरसी को 01.03.2019 से 19.06.2019 तक अतिरिक्त किराया देना पड़ सकता है, जो कि 11,53,005/- रुपए है।

- v. पीडी आउटलेट- जीवन भवन-1 भवन के सामने 348 वर्गमीटर की स्थायी भूमि में मेसर्स द हेजलनट फ़ैक्ट्री।

लीज डीड दिनांक 30.11.2018 के तहत यूपीएमआरसी द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से 90 वर्ष की अवधि के लिए 348 वर्गमीटर की स्थायी भूमि लीज पर ली गई है। यूपीएमआरसी ने मेट्रो रेलवे (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) अधिनियम, 2005 के अनुसार प्रॉपर्टी डिवेलपमेंट से नॉन फ़ेयर बॉक्स रेवेन्यू अर्जित करने के उद्देश्य के साथ समझौता पत्र संख्या- UPMRC/CE-Contract/PD/LKPD-06(LT)/1867 दिनांक 21.12.2020 के माध्यम से इस भूमि का एक भाग मेसर्स द हेजलनट फ़ैक्ट्री को 3,60,000 प्रति माह (जीएसटी हटाकर) के लाइसेंस शुल्क पर प्रदान किया। दिनांक 20.12.2021 से 9 सालों के लिए इस शुल्क को संशोधित करके 3,79,940.00 रुपए (जीएसटी हटाकर) कर दिया गया। एलआईसी ने



मैसर्स द हेजलनट फैक्ट्री का आउटलेट खोलने के लिए लीज परिसर के एक हिस्से के उपयोग के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है। हालांकि यूपीएमआरसी इससे सहमत नहीं है। मामला विचाराधीन है और अगर फैसला एलआईसी के पक्ष में जाता है, तो यूपीएमआरसी को इस राजस्व का नुकसान हो सकता है।

(ख) **आकस्मिक परिसंपत्तियाँ:** आज की तिथि में कंपनी के पास कोई आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं हैं।

(ग) **प्रतिबद्धताएँ**

31 मार्च, 2022 को पूँजीगत लेखे में निष्पादन हेतु शेष तथा प्रावधानित न किए गए विदेशी मुद्रा अनुबंधों सहित अनुबंधों की अनुमानित राशि 718115 लाख रुपए (पि.व. 453175.01 लाख रुपए) है।

(घ) **शेयर आवेदन राशि:**

(i) कंपनी को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कानपुर एवं आगरा मेट्रो परियोजनाओं हेतु भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार से निम्न राशियाँ प्राप्त हुईं, जिनके लिए 31 मार्च, 2022 को आवंटन लंबित है।

(लाख रुपए में)

विवरण	कानपुर मेट्रो परियोजना	आगरा मेट्रो परियोजना
भारत सरकार	शून्य	700.00
उत्तर प्रदेश सरकार	शून्य	5775.00
कुल	शून्य	6475.00

(ii) कंपनी को इक्विटी प्रतिभागिता हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 में 3500 लाख रुपए प्राप्त हुए तथा उक्त राशि को कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 तक, वित्तीय विवरण में 'अन्य इक्विटी' श्रेणी के अंतर्गत 'आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि' के रूप में दर्शाया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में, कंपनी ने यह राशि (3500 लाख रुपए), 'आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि' के शीर्ष से हटाकर 'अन्य चालू देनदारियों' के शीर्ष में स्थानान्तरित कर दी थी। स्वीकृत डीपीआर में उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की 50:50 इक्विटी भागीदारी की परिकल्पना की गई थी। इसके बाद से अनुमोदित डीपीआर के वित्त मॉडल के संदर्भ में किसी भी सरकारी निगम को शेयर जारी नहीं किए जा सकते थे। विवेकपूर्ण लेखांकन मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, इसे चालू देयताओं में ले जाया गया है।

ड.) **उधारियाँ**

i. लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना हेतु, भारत सरकार द्वारा यूरोपियन इनवेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) से पास थ्रू असिस्टेन्स (पीटीए) के रूप में भारतीय मुद्रा में ऋण प्राप्त हुई। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पास थ्रू असिस्टेन्स (पीटीए), भारत सरकार और ईआईबी के बीच 450 मिलियन यूरो (भारतीय मुद्रा 3,50,200 लाख रुपए) हेतु हस्ताक्षरित वित्त अनुबंध पर आधारित है। ऋण को भारत सरकार द्वारा संप्रभु गारंटी द्वारा सुरक्षित किया जाता है। भारत सरकार के बजटीय प्रावधानों के अनुसार ऋण को किस्तों में वितरित किया गया है। भारत सरकार ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के अपने बजट से भारतीय मुद्रा (रुपए) में ऋण दिया। जैसा कि निम्नलिखित सूची में दर्शाया गया है, ऋण की राशि को भारत सरकार के बजटीय प्रावधानों के अनुसार कई हिस्सा में जारी किया गया तथा इसे 4 वर्षों की अधिस्थगन अवधि समाप्त होने के बाद, 16 वर्षों (समान राशि की छमाही किस्तों में) में चुकाना है। ऋण स्वरूप ली गई राशि (ब्याज सहित) के अधिस्थगन अवधि को बढ़ाने के संबंध में अनुरोध करते हुए एक पत्र-LMRC/F-4/Gol/Vol-IV दिनांक 20 जुलाई, 2020, कंपनी द्वारा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया। विदेशी मुद्रा में किसी भी उतार-चढ़ाव को भारत सरकार से सलाह के अनुसार, लेनदेन के आधार पर मान्यता दी जाएगी। कंपनी कंपनी ने लखनऊ मेट्रो परियोजना के लिए प्राप्त ऋण के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 829.07 लाख रुपए (पिछले वर्ष 870.63 लाख रुपए) का ब्याज और 167.87 लाख रुपए का दंडात्मक ब्याज प्रदान किया है।

अंशदान	भाग	राशि (मिलियन यूरो में)	संवितरण की तिथि	अधिस्थगन अवधि की समाप्ति की तिथि
अंशदान A	भाग-1	100.00	30.01.2017	29.01.2021
अंशदान A	भाग-2	100.00	08.01.2018	08.01.2022
अंशदान B	भाग-1	100.00	08.01.2019	08.01.2023
अंशदान B	भाग-2	150.00	22.11.2019	22.11.2023
<b>कुल</b>		<b>450.00</b>		

ऋण के अंशदान A के भाग-1 की अधिस्थगन अवधि 29 जनवरी, 2021 को समाप्त हो गई तथा अंशदान A के भाग-2 की अधिस्थगन अवधि 08.01.2022 को समाप्त हो गई। मूलधन एवं ब्याज के अतिदेय का विवरण निम्नवत है:

अंशदान	भाग	31.03.2022 को अतिदेय मूलधन (मिलियन यूरो में)	31.03.2022 को अतिदेय ब्याज (मिलियन यूरो में)
अंशदान A	भाग-1	9.09	1.43
अंशदान B	भाग-2	3.03	0.65
अंशदान A	भाग-1	-	0.59
अंशदान B	भाग-2	-	0.70
<b>कुल</b>		<b>12.12</b>	<b>3.37</b>

- (ii) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तपोषण प्रारूप के अनुसार, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु, बाहरी वित्तपोषक एजेंसी द्वारा 5551.99 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जानी थी। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) 650 मिलियन यूरो (5551.99 करोड़ रुपए) के वित्तपोषण हेतु तैयार हो गया, जो कि यूपीएमआरसीएल को भारत सरकार की ओर से सकल बजटीय संसाधनों के माध्यम से पास थ्रू असिस्टेंस के रूप में उपलब्ध होने हैं। 200 मिलियन यूरो एवं 150 मिलियन यूरो के वित्त अनुबंध क्रमशः 31 अगस्त, 2020 एवं 29 दिसंबर, 2020 को यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक एवं भारतीय गणराज्य के मध्य हस्ताक्षरित हुए, जबकि ईआईबी द्वारा भारत सरकार को कोई राशि जारी नहीं की गई। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 तक कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु, पीटीए शीर्ष के अंतर्गत यूपीएमआरसीएल को 2516 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए।

आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्त पोषण पैटर्न के अनुसार, 4178.59 करोड़ रुपए की व्यवस्था बाहरी वित्त पोषण एजेंसी के माध्यम से की जानी थी। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) ने 450 मिलियन यूरो (4178.59 करोड़ रुपए) के वित्तपोषण के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसे भारत सरकार द्वारा पास थ्रू असिस्टेंस (पीटीए) के रूप में सकल बजटीय संसाधनों के माध्यम से यूपीएमआरसी को उपलब्ध कराया जाना है। 250 मिलियन यूरो के वित्त अनुबंध पर 22 दिसंबर 2021 को ईआईबी और भारत गणराज्य के बीच हस्ताक्षर किए गए, हालांकि ईआईबी द्वारा भारत सरकार को कोई संवितरण नहीं किया गया है। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 तक आगरा मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु, पीटीए शीर्ष के अंतर्गत यूपीएमआरसीएल को 877 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए।

**(iii) अधीनस्थ ऋण:**

भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण सभी गैर-सरकारी ऋण (यानी प्रमुख ऋणों) की अदायगी के बाद अदायगी के योग्य हैं। इन ऋणों को दीर्घकालिक उधारियों के तौर पर मान्य किया गया है। अधीनस्थ ऋण ब्याज मुक्त हैं। सरकारी आदेश के अनुसार, कंपनी को परियोजना के लिए प्राप्त किए गए पूरे प्रमुख सावधि ऋण की चुकौती के बाद ही अधीनस्थ ऋण की अदायगी करना अपेक्षित है। अदायगी की अवधि की अनिश्चितता के मद्देनजर, कंपनी ने सरकारी अधीनस्थ ऋण का उचित मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं समझा।



**(च) वित्तीय सहयोग:**

कंपनी को 31 मार्च 2022 तक राज्य करों की प्रतिपूर्ति के लिए कानपुर मेट्रो परियोजना और आगरा मेट्रो परियोजना के लिए क्रमशः 214.40 करोड़ रुपये और 161.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। हालाँकि, राशि जारी करते समय जारी शासनादेश में उल्लिखित "अधीनस्थ ऋण" के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय सहायता जारी की गई थी। चूँकि यह करों की प्रतिपूर्ति से संबंधित है तथा उसी तर्ज पर जारी किया गया था, जैसा कि इसे लखनऊ मेट्रो परियोजना के निर्माण के दौरान जारी किया गया था, इसे वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों में सरकारी अनुदान के रूप में मान्यता दी गई है। इस राशि के संबंध में स्पष्टीकरण का अनुरोध करते हुए 21 जून, 2021 को दिनांकित एक पत्र उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा जा चुका है।

**(छ) भूमि**

- i. कंपनी के लिए भूमि खरीदने हेतु स्वीकृत भूमि के लिए ब्याज-मुक्त अधीनस्थ ऋण के भाग के रूप में प्राप्त राशि को, इस संबंध में सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, भूमि के लिए ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण माना गया है।
- ii. कब्जे में लीज़ होल्ड भूमि सहित भूमि की लागत या मुआवज़े के तौर पर अस्थायी भुगतानों/व्यवस्थित देयता भूमि या लीज़ होल्ड भूमि की लागत माना जाता है। अस्थायी आधार पर अधिग्रहित भूमि के लिए किए गए अस्थायी भुगतानों/व्यवस्थित देयता को भूमि की कब्ज़ा अवधि के लिए परिशोधित किया गया है।
- iii. यूपीएमआरसीएल द्वारा खरीदे गए भूखंडों का, जिनके कब्जे का लंबित पंजीकरण प्राप्त किया गया है, उनके लिए किए गए भुगतान के आधार पर लेखांकन किया गया है।
- iv. यूपीएमआरसीएल को उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ भूखंड निःशुल्क प्राप्त हुए हैं। इन भूखंडों को प्रति भूखंड 1/- रुपये की सांकेतिक राशि पर फ्रीहोल्ड भूमि के रूप में पूंजीकृत किया गया है। चूँकि ये भूखंड इंड एएस लागू होने से पूर्व प्राप्त किए गए थे, अतः इन्हें भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)-101 में अनुमत छूट के अनुसार 1/- रुपए के मामूली मूल्य पर जारी रखा गया है।
- v. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) के लागू होने के बाद, सरकार से निःशुल्क प्राप्त भूमि या भूमिखंड, जिनका स्वामित्व यूपीएमआरसीएल के पास निहित है, उन्हें प्राप्त भूमि के उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है। उचित मूल्य की गणना, ऐसी भूमि की प्राप्ति की तिथि को उस क्षेत्र की प्रभावी सर्किल दरों के आधार पर की जाती है।
- vi. परिसंपत्ति के विनिमय में प्राप्त भूमि को प्राप्त भूमि के उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है। प्राप्त भूमि के उचित मूल्य और परिसंपत्ति की दी गई लागत के बीच अंतर को स्वीकार्य सरकारी अनुदान के रूप में मान्य किया गया है। इन अनुदानों का 'स्थगित आय' शीर्ष के तहत लेखांकन किया जाता है और इसे इंड एएस 20 के प्रावधानों के अनुसार परिशोधित किया जाता है।
- vii. परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (PAPs) के पुनर्वास की लागत से संबंधित प्रतिपूर्ति, प्रतिस्थापन इत्यादि को कार्यशील पूंजी में दर्ज किया और पूरा होने पर संबंधित परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है।

**(ज) सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान:**

**(लाख रूपए में)**

विवरण	2021-22*	2020-21*
लेखापरीक्षा शुल्क	4.00	3.00
कर लेखापरीक्षा शुल्क	1.50	0.80
<b>कुल</b>	<b>5.50</b>	<b>3.80</b>

\*उपरिलिखित राशियों में जीएसटी सम्मिलित नहीं है।

- (झ) कंपनी ने राज्य प्रतिपूर्ति योग्य करों का हिसाब लगाया है, जिसे सीडब्ल्यूआईपी सहित पीपीई की अग्रणीत राशि में 92.11 करोड़ रुपये (शून्य करोड़ रुपए) में समायोजित किया गया है।

(ज) 31 मार्च, 2022 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संबंध में सूचना

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	2021-22	2020-21
1.	किसी आपूर्तिकर्ता की भुगतान बकाया राशि: क) मूलधन ख) उस पर देय ब्याज	शून्य शून्य	शून्य शून्य
2.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा- 16 के संदर्भ में आपूर्तिकर्ता को नियत दिन से परे भुगतान की गई राशि के साथ ब्याज की राशि;	शून्य	शून्य
3.	भुगतान करने में देरी (वर्ष के दौरान किंतु नियत दिन से परे किए गए भुगतान) की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य किंतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बिना ब्याज की राशि;	शून्य	शून्य
4.	प्रोद्भूत एवं भुगतान न किए गए बकाया ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
5.	अगले वर्ष में भी उस तिथि, जब तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के तौर पर अस्वीकृति के उद्देश्य से उपरोक्त के अनुसार, छोटे उद्यमों को देय ब्याज का वास्तव में भुगतान नहीं किया जाता, तब तक ब्याज की देय और भुगतान योग्य बकाया राशि	शून्य	शून्य

(ट) भारतीय लेखाकन मानक (इंड एएस)-1 के संबंध में प्रकटन: वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण: पूँजी प्रबंधन

कंपनी के पूँजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करना है। कंपनी ऋण और इक्विटी के अनुपात का उपयोग करते हुए पूँजी की निगरानी करती है, जो स्वामी की कुल पूँजी द्वारा विभाजित दीर्घकालिक ऋण है। ऋण इक्विटी अनुपात निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क) कुल ऋण	8,73,076.20	5,74,153.15
ख) कुल पूँजी	3,11,554.67	2,43,839.32
<b>ऋण: इक्विटी अनुपात (क/ख)</b>	<b>2.80</b>	<b>2.35</b>

कंपनी के पूँजी प्रबंधन के उद्देश्य से, पूँजी में जारी पूँजी और आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि शामिल हैं। ऋण में दीर्घकालिक ऋण और उधारियाँ शामिल हैं।

(ठ) भारतीय लेखाकन मानक (इंड एएस) 116 "लीज़ेज" के संबंध में प्रकटन कंपनी पट्टाधारी (लीज़ लेने वाले के रूप में)

i. कंपनी के पास अनुबंध के अनुसार परिवर्तनीय किराए के लिए कोई पट्टा प्रतिबद्धता नहीं है।

ii. वित्तीय स्थिति के विवरण में प्रदर्शित पट्टे की देयता निम्नवत है:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
गैर-चालू	120.80	32.80
चालू	35.40	0.35
<b>कुल</b>	<b>156.20</b>	<b>33.15</b>



iii. 31 मार्च, 2022 को भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नवत हैं: (लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को		
	पट्टा भुगतान	वित्त प्रभार	सकल वर्तमान मूल्य
बकाया न्यूनतम पट्टा भुगतान			
1 वर्ष के अंदर	47.90	(12.49)	35.40
1-2 वर्ष	54.63	(9.66)	44.97
2-3 वर्ष	50.33	(6.07)	44.26
3-4 वर्ष	3.00	(2.54)	0.46
4-5 वर्ष	3.00	(2.49)	0.51
5 वर्षों के बाद	66.00	(35.39)	30.61
<b>कुल</b>	<b>224.86</b>	<b>(68.64)</b>	<b>156.21</b>

iv. देयता के रूप में अमान्य पट्टा भुगतान

पट्टा (लीज़) भुगतान से संबंधित व्यय को पट्टा देयता के माप में शामिल नहीं किया गया क्योंकि कंपनी ने प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर, 12 महीने से कम अवधि वाले पट्टों से संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार एवं देयताओं को मान्यता न देने की छूट का प्रयोग किया।

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अल्पावधि पट्टे	135.90	131.05
कम मूल्य वाली परिसंपत्ति के पट्टे	-	-
परिवर्तनशील पट्टा भुगतान	-	-
<b>कुल</b>	<b>135.90</b>	<b>131.05</b>

v. परिसंपत्तियों की श्रेणी द्वारा परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार पर अतिरिक्त जानकारी, निम्नवत है:

(लाख रुपए में)

विवरण	वहन राशि (निवल ब्लॉक)	मूल्यह्रास व्यय
31 मार्च, 2022 को		
होल्ड पर रखे गए पट्टे	151.15	32.18
<b>उपयोग हेतु उपलब्ध परिसंपत्तियाँ</b>	<b>151.15</b>	<b>32.18</b>

विवरण	वहन राशि (निवल ब्लॉक)	मूल्यह्रास व्यय
31 मार्च, 2021 को		
होल्ड पर रखे गए पट्टे	31.52	1.13
<b>उपयोग हेतु उपलब्ध परिसंपत्तियाँ</b>	<b>31.52</b>	<b>1.13</b>

vi. नकदी प्रवाह विवरण में प्रकटित राशियाँ निम्नवत हैं:

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
पट्टों से होने वाला नकदी बहिर्वाह	132.46	93.13
<b>कुल</b>	<b>132.46</b>	<b>93.13</b>



## पट्टा देने वाले के रूप में कंपनी

- vii. कंपनी ने अपनी विभिन्न परिसंपत्तियाँ, विभिन्न पक्षों को प्रचालित लीज आधार पर दी हैं। गैर-निरस्तीकरण प्रचालित लीज के तहत प्राप्ति योग्य आगामी न्यूनतम लीज किराया नीचे दिया गया है:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
1 वर्ष के बाद नहीं	1382.16	1110.78
1 वर्ष के बाद एवं 5 वर्ष तक	5950.29	5036.46
5 वर्षों के बाद	2298.60	2658.25
<b>कुल</b>	<b>9631.06</b>	<b>8805.49</b>

## (ड) भारतीय लेखाकंन मानक (इंड एस)-19 "कर्मचारी हितलाभ" के संबंध में प्रकटन

विभिन्न परिभाषित कर्मचारी हितलाभ योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुसार है:

### (i) भविष्य निधि:

कंपनी की भविष्य निधि का प्रबंधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा किया जाता है। कंपनी पूर्व-निर्धारित दर पर भविष्य निधि में अंशदान करती है। देयता को प्रोद्भूत आधार पर मान्य किया जाता है।

### (ii) आनुतोषिक (ग्रेच्युटी):

कंपनी की एक परिभाषित ग्रेच्युटी लाभ योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जो पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान करता है, वह अधिवर्षिता, त्यागपत्र, निष्कासन एवं अक्षमता या मृत्यु होने पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (15/26\* अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई वेतन और महंगाई भत्ता) का आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) प्राप्त करने का हकदार है। इस उद्देश्य से एक नीति बनाई गई है।

इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किया जाता है, जिसके लिए कंपनी ने मास्टर पॉलिसी ली है।

इस योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है। इंड एस-19 के तहत अपेक्षित जानकारी का प्रकटन बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार एवं बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता को मान्य किया गया है। तथापि, कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की गई मांग के अनुसार निधि में अंशदान कर रही है।

प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों के अतिरिक्त यूपीएमआरसी कर्मचारियों के संबंध में, कंपनी ने एलआईसी के माध्यम से ग्रेच्युटी योजना ली है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए पंद्रह दिनों के अंतिम आहरित वेतन के समतुल्य फायदों का हकदार है। यह सेवा से बर्खास्त होने या सेवानिवृत्ति, जो भी पहले हो पर भुगतान योग्य है। यह लाभ पांच वर्ष की निरंतर सेवा के बाद प्राप्त होता है। इस निधि का प्रबंधन एलआईसी द्वारा किया जाता है। बीमाकर्ता को देय अंशदान के आधार पर मान्यता प्राप्त कुल देयता का विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रुपए में)

विवरण	वि.व. 21-22	वि.व. 20-21
चालू सेवा लागत	32.98	20.59
एलआईसी प्रीमियम	11.95	11.52
<b>कुल</b>	<b>44.94</b>	<b>32.11</b>



**iii. पेंशन:**

कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना का प्रबंधन स्टॉकहोल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। यह योजना वैकल्पिक है और कंपनी का दायित्व नामांकित कर्मचारी के मूल वेतन के 2.5% के भुगतान तक सीमित है।

निर्धारित अवधि हेतु योजना में अंशदान को प्रोद्भूत आधार पर कर्मचारी लागत के तहत समूहीकृत किया जाता है। प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों के संबंध में, पेंशन अंशदान की गणना मूल संगठन/भारत सरकार के नियमों के अनुसार की जाती है और लेखांकन प्रोद्भूत आधार पर किया जाता है।

**iv. अवकाश:**

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ (प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति सहित) और अर्ध-वेतन छुट्टी प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिनों और 20 दिनों में अर्जित होती है। केवल नकदीकरण योग्य छुट्टी खाते में छुट्टी का सेवारत रहने पर एक कैलेंडर वर्ष में एक बार और अधिवर्षिता पर अधिकतम 300 दिनों की छुट्टियों (गैर-नकदीकरण योग्य और बिना गणना की अर्ध-वेतन छुट्टियों सहित) का नकदीकरण होता है।

इस खाते की देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती है। प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों के संबंध में, छुट्टी वेतन अंशदान उनके मूल विभागों को आहरित वेतन (महंगाई वेतन और विशेष वेतन सहित मूल वेतन) के 11% की दर से देय है और इसका लेखांकन प्रोद्भूत आधार पर किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति के अतिरिक्त यूपीएमआरसी कर्मचारियों के संबंध में, छुट्टी नकदीकरण का बीमांकिक मूल्यांकन, एक बीमांकिक द्वारा किया गया और तदनुसार लेखा बहियों और वित्तीय विवरणों में निम्न प्रकार से उचित प्रावधान किए गए हैं: -

**गैरच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण की गणनाओं के परिणाम निम्न प्रकार हैं:**

**निवल परिभाषित लाभ दायित्व**

विवरण		गैरच्युटी (वित्तपोषित) (लाख रूपए में)	अवकाश (गैर-वित्तपोषित) (लाख रूपए में)
पारभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	चा.व.	1042.86	1788.34
	पि.व.	773.00	1532.45
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	चा.व.	654.93	-
	पि.व.	545.89	-
योजना में अधिशेष या (घाटा)	चा.व.	-387.93	-1788.34
	पि.व.	-227.12	-1532.45
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन	चा.व.	-49.02	-529.54
	पि.व.	39.37	78.80
कुल निवल परिभाषित लाभ दायित्व	चा.व.	255.91	255.88
	पि.व.	268.76	501.75

### योजना परिसंपत्तियों में संचलन

विवरण		गैर-वित्तपोषित (लाख रूपए में)	अवकाश (गैर-वित्तपोषित) (लाख रूपए में)
वर्ष के आरंभ में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	चा.व.	545.89	-
	पि.व.	455.15	-
योजना परिसंपत्तियों के आरंभिक उचित मूल्य में समायोजन	चा.व.	0	-
	पि.व.	0	-
ब्याज आय (+)	चा.व.	37.67	-
	पि.व.	31.41	-
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, ब्याज राशियां छोड़कर (+/-)	चा.व.	-14.48	-
	पि.व.	-6.41	-
परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन, ब्याज व्यय में शामिल राशियां छोड़कर (+/-)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
एफएक्स दर (+) एवं हानियां (-)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
नियोक्ता द्वारा अंशदान (+)	चा.व.	95.09	-
	पि.व.	68.91	-
योजना भागीदारों द्वारा अंशदान (+)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
भुगतान किए गए लाभ (-)	चा.व.	-9.23	-
	पि.व.	-3.17	-
व्यवसाय संयोजन (+) एवं निस्तारण (-)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
समाधान (-)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	चा.व.	654.93	-
	पि.व.	545.89	-

### परिभाषित हितलाभ दायित्वों में संचलन

विवरण		गैर-वित्तपोषित (लाख रूपए में)	अवकाश (गैर-वित्तपोषित) (लाख रूपए में)
वर्ष के आरंभ में परिभाषित हितलाभ दायित्व	चा.व.	773.00	1532.45
	पि.व.	482.41	1030.70
चालू सेवा लागत (+)	चा.व.	289.26	679.69
	पि.व.	227.51	351.84
ब्याज लागत (+)	चा.व.	53.34	105.74
	पि.व.	33.29	71.12
जनांकिकी अनुमानों में परिवर्तन से लाभ (-) / हानि (+)	चा.व.	0	0
	पि.व.	0	0



वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से लाभ (-) / हानि (+)	चा.व.	-74.12	0
	पि.व.	0	0
अनुभव समायोजन (+/-)	चा.व.	10.62	-529.54
	पि.व.	32.97	78.80
एफएक्स दर लाभ (-) एवं हानियां (+)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
योजना प्रतिभागियों द्वारा अंशदान (+)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
लाभों का भुगतान (-)	चा.व.	-9.23	-
	पि.व.	-3.17	-
व्यवसाय संयोजन (+) एवं निस्तारण (-)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
समाधान (-)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व	चा.व.	1042.86	1788.34
	पि.व.	773.00	1532.45

**लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त लाभ व्यय**

विवरण		गैर-वित्तपोषित (लाख रूपए में)	अवकाश (गैर-वित्तपोषित) (लाख रूपए में)
चालू सेवा लागत (+)	चा.व.	289.26	679.69
	पि.व.	227.51	351.84
ब्याज लागत (+)	चा.व.	53.34	105.74
	पि.व.	33.29	71.12
ब्याज आय (+)	चा.व.	37.67	-
	पि.व.	31.41	-
निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज	चा.व.	15.67	105.74
	पि.व.	1.88	71.12
पिछली सेवा लागत (+)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
समाधान लाभ (+) या हानियां (-)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
लाभ या हानि में मान्य कुल व्यय	चा.व.	304.93	785.43
	पि.व.	229.39	422.95

**अन्य व्यापक आय में मान्य की गई राशियाँ**

विवरण		गैच्युटी (वित्तपोषित) (लाख रूपए में)	अवकाश (गैर-वित्तपोषित) (लाख रूपए में)
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि	चा.व.	-49.02	-529.54
	पि.व.	39.37	78.80

**योजना परिसंपत्तियों में निवेश की श्रेणी**

निवेश की श्रेणी	परियोजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का प्रतिशत
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि	100%

**बीमांकिक अनुमान**

विवरण		गैच्युटी (वित्तपोषित)	अवकाश (गैर-वित्तपोषित)
प्रयुक्त पद्धति	चा.व.	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट विधि
	पि.व.	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट विधि
छूट की दर	चा.व.	7.30% प्रति वर्ष	7.30% प्रति वर्ष
	पि.व.	6.90% प्रति वर्ष	6.90% प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर	चा.व.	8% प्रति वर्ष	8% प्रति वर्ष
	पि.व.	8% प्रति वर्ष	8% प्रति वर्ष
कर्मचारी अपघर्षण/वापसी दर	चा.व.	3.5% प्रति वर्ष	3.5% प्रति वर्ष
	पि.व.	3.5% प्रति वर्ष	3.5% प्रति वर्ष
मृत्यु दर	चा.व.	आईएएलएम 2012-14 यूएलटी का 100%	आईएएलएम 2012-14 यूएलटी का 100%
	पि.व.	आईएएलएम 2006-08 यूएलटी का 100%	आईएएलएम 2006-08 यूएलटी का 100%

**(ढ) संवेदनशीलता विश्लेषण एवं प्रत्याशित लाभ भुगतान:**

**1. संवेदनशीलता विश्लेषण- अवकाश का नकदीकरण**

अनुमान	अनुमान में परिवर्तन	31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष (लाख रूपए में)- छुट्टियों का नकदीकरण
छूट की दर	0.50%	-62.03
	-0.50%	69.67
वेतनवृद्धि दर	1.00%	145.49
	-1.00%	-117.67
मूल्य मुद्रास्फीति दर	1.00%	-
	-1.00%	-
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	1.00%	-
	-1.00%	-
मृत्यु दर	+ 3 वर्ष	-0.83
	-3 वर्ष	0.63



## 2. संवेदनशीलता विश्लेषण- गैरच्युती

अनुमान	अनुमान में परिवर्तन	31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष (लाख रूपए में)- गैरच्युती
छूट की दर	1.00%	-157.10
	-1.00%	199.83
वेतनवृद्धि दर	1.00%	160.37
	-1.00%	-149.12
आहरण दर	1.00%	-16.39
	-1.00%	18.01

## 3. प्रत्याशित हितलाभ भुगतान:

क्र. सं.	भुगतान का वर्ष	गैरच्युती	अवकाश का नकदीकरण
1	31-मार्च-23	35.79	43.90
2	31-मार्च-24	50.87	28.15
3	31-मार्च-25	39.48	32.06
4	31-मार्च-26	44.68	30.50
5	31-मार्च-27	48.34	31.85
6	31-मार्च-2028 से 31-मार्च-2032	281.55	199.09

### (ण) भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस 21) "विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव" के संबंध में प्रकटन:

- लाभ एवं हानि के विवरण में क्रेडिट/डेबिट हुई विनिमय अंतर (निवल) की राशि शून्य है।
- मौद्रिक वस्तुओं के अंतरण के फलस्वरूप होने वाले विनिमय अंतरों के कारणवश पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी में समायोजन में सम्मिलित है 538.78 लाख रुपए (पिछले वर्ष 405.24 लाख रुपए)।

### (त) भारतीय लेखांकन मानक 24 "संबंधित पक्ष प्रकटनों" के संबंध में प्रकटन

#### i. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

- श्री कुमार केशव, प्रबंध निदेशक
- श्री संजय मिश्रा, पूर्णकालिक निदेशक (कार्य एवं अवसंरचना)
- श्री अतुल कुमार गर्ग, पूर्णकालिक निदेशक (चल स्टॉक एवं प्रणालियाँ) (03-12-2019 से प्रभाव में)
- श्री शील कुमार मित्तल, पूर्णकालिक निदेशक (वित्त) (31-07-2020 से प्रभाव में)
- श्री सुशील कुमार, पूर्णकालिक निदेशक (परिचालन) (25-10-2018 से प्रभाव में)
- श्रीमती पुष्पा बेलानी, कंपनी सचिव

ii. संबंधित पक्षों (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों) से कंपनी के लेनदेनों का प्रकटन:

विवरण	2021-22 (लाख रूपए में)	2020-21 (लाख रूपए में)
वेतन एवं भत्ते	231.39	196.85
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों, प्रैच्युटी एवं समूह बीमा में अंशदान	21.12	16.80
अन्य लाभ	24.43	14.51
कुल (कर्मचारी लागत में शामिल)	276.94	228.16

iii. उपरोक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त

- पूर्णकालिक निदेशकों को कंपनी के नियमों के अनुसार, वसूली के अधीन कंपनी के स्वामित्व की कार के उपयोग (निजी यात्राओं सहित) की अनुमति दी गई है।
- वि.व. 2021-22 के दौरान किसी अन्य पक्ष के साथ अन्य कोई लेनदेन नहीं किया गया।

थ) भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)- 33 "अर्जन प्रति शेयर" के संबंध में प्रकटन:

प्रति शेयर मूल-अर्जन की गणना, इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि के निवल लाभ या हानि में अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति शेयर अवमिश्रित अर्जन की गणना के लिए, सभी अवमिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि के लिए निवल लाभ या हानि तथा अवधि के दौरान बकाया शेयरों की संख्या के भारित औसत को समायोजित किया जाना चाहिए।

विवरण	2021-22	2020-21
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार कराधान, पूर्व अवधि समायोजनों एवं पिछले वर्षों के कर समायोजनों के बाद लाभ (लाख रूपए)	-30795.71	-32984.69
बकाया इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या: (संख्या लाखों में)		
मूल	3366.42	2400.63
अवमिश्रित	3652.40	2652.43
मूल अर्जन प्रति शेयर (रूपए) (अंकित मूल्य रूपए 100/- प्रति शेयर)	-9.15	-13.74
अवमिश्रित अर्जन प्रति शेयर (रूपए) (अंकित मूल्य रूपए 100/- प्रति शेयर)	-8.43	-12.44



(द) भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस)- 107 "वित्तीय उपकरण: प्रकटन" के संबंध में प्रकटन:

i. श्रेणीवार वित्तीय उपकरण

श्रेणीवार वित्तीय लिखतों का वहन मूल्य निम्न प्रकार है:

विवरण	31 मार्च, 2022 को			31 मार्च, 2021 को	
	परिशोधित लागत (लाख रूपए में)	एफवीटी पीएल (लाख रूपए में)	एफवी ओसीआई (लाख रूपए में)	परिशोधित लागत (लाख रूपए में)	एफवीटी पीएल (लाख रूपए में)
ऋण	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (नोट -5 एवं 9 का संदर्भ ग्रहण करें)	3849.94	-	-	2232.51	-
व्यापार प्राप्य	-	-	-	-	-
नकदी एवं नकदी समतुल्य (नोट- 8 का संदर्भ ग्रहण करें)	383067.00	-	-	156863.90	-
<b>कुल</b>	<b>389616.94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>159096.41</b>	<b>-</b>
उधारियां (नोट-14 का संदर्भ ग्रहण करें)	860092.74	-	-	563705.20	-
अन्य वित्तीय देयताएं (नोट 15 एवं 19 का संदर्भ ग्रहण करें)	43133.79	43129.21*	-	34067.70	34064.58*
व्यापार देय (नोट 18 का संदर्भ ग्रहण करें)	904.80	-	-	1163.59	-
<b>कुल</b>	<b>904131.33</b>	<b>43129.21</b>	<b>-</b>	<b>598936.49</b>	<b>34064.58</b>

\*अन्य वित्तीय उपकरणों में, ठेकेदारों और ग्राहकों से प्राप्त सुरक्षा जमा राशियां सम्मिलित हैं।

ii. उचित मूल्य पदानुक्रम:

वित्तीय स्थिति के विवरण में उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत की गई हैं। मापन के लिए महत्वपूर्ण इनपुट्स की विचारणीयता पर आधारित तीन स्तर परिभाषित किए गए हैं:

स्तर 1: सक्रिय बाजारों में समान वित्तीय उपकरणों पर उद्धृत मूल्य (असमायोजित) ताकी मापन तिथि निर्धारित की जा सके।

स्तर 2: सक्रिय बाजारों में कारोबार नहीं किए गए वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य निर्धारित करने में मूल्यांकन तकनीकों को अपनाया जाता है, जिससे सुसंगत विचारणीय बाजार इनपुट्स का प्रयोग बढ़ता है तथा अनावश्यक इनपुट्स का प्रयोग घटता है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट्स विचारणीय बाजार इनपुट्स पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण को उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर 3 में वर्गीकृत किया जाता है।



iii. परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं, जिनके लिए उचित मूल्य प्रकटन किया गया है:

(लाख रुपए में)

विवरण	स्तर	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
		परिशोधन लागत	उचित मूल्य	परिशोधन लागत	उचित मूल्य
<b>वित्तीय परिसंपत्तियाँ:</b>					
ऋण	स्तर 2	-	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (नोट संख्या 5 एवं 9 का संदर्भ ग्रहण करें)	स्तर 2	3849.94	3849.94	2232.51	2232.51
<b>वित्तीय देनदारियाँ:</b>					
अन्य वित्तीय देनदारियाँ (नोट संख्या 15, 19 एवं 22 का संदर्भ ग्रहण करें)	स्तर 2	43133.79	43129.21*	34067.70	34064.58*

\*अन्य वित्तीय उपकरणों में कॉन्ट्रैक्टों एवं ग्राहकों से प्राप्त सुरक्षा जमा राशियाँ सम्मिलित हैं।

iv. उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकें एवं प्रक्रियाएँ

- 12 महीने से कम परिपक्वता वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का वहन मूल्य, उनका उचित मूल्य दर्शाने वाला माना जाता है।
- परिशोधित लागत पर निकाली गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य का निर्धारण लेखांकन नीति संख्या. 29 (च)(ii) के अनुसार परिभाषित छूट दर का उपयोग करते हुए नकदी प्रवाह को न गिनते हुए किया जाता है।

(ध) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

**वित्तीय जोखिम के कारक**

कंपनी वित्तीय लिखतों के संबंध में विभिन्न जोखिमों से अवगत है। श्रेणी के अनुसार कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ ऊपर संक्षेप में दी गई हैं। जोखिम के मुख्य प्रकार बाजार जोखिम ऋण जोखिम और तरलता जोखिम हैं। कंपनी का जोखिम प्रबंधन अस्थिर वित्तीय बाजारों से संपर्क को कम करके कंपनी के लघु से मध्यम अवधि के नकदी प्रवाह को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने पर केंद्रित है। सबसे प्रमुख वित्तीय जोखिमों के निम्नलिखित प्रकार हैं:

i. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम है। कंपनी का कोई ब्याज दर जोखिम नहीं है क्योंकि कंपनी का ऋण ईआईबी से प्राप्त ऋण की प्रत्येक किस्त की संवितरण सूचना के अनुसार शून्य ब्याज दर या निश्चित ब्याज दर पर है। साथ ही, कंपनी का मूल्य जोखिम भी नहीं है क्योंकि कंपनी के पास व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्ति नहीं है।

विनिमय उतार-चढ़ाव का जोखिम भारत के बाहर से संपत्ति संयंत्र और उपकरण के आयात के कारण है। विदेशी मुद्रा जोखिम से सुरक्षा के लिए कंपनी के पास कोई हेजिंग लिखत नहीं है।



## ii. क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम काउंटर पार्टि द्वारा अपने दायित्व की चूक के परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान के जोखिम से संबंधित है। कंपनी ने विभिन्न वित्तीय लिखतों पर ऐसे जोखिम उदाहरण के लिए कर्मचारियों को अग्रिम, ग्राहकों से प्राप्तियां, प्रतिभूति जमा इत्यादि का प्रकटन किया। रिपोर्टिंग तारीख पर क्रेडिट जोखिम का अधिकतम खतरा मुख्य रूप से निम्न प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन मूल्य से है:

- नकदी एवं नकदी समतुल्य
- व्यापार प्राप्य
- परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

कंपनी लगातार ग्राहकों एवं अन्य काउंटर पार्टियों की चूक की निगरानी करती है, व्यक्तिगत तौर पर उचित लागत, बाहरी क्रेडिट रेटिंग को चिन्हित करती है और/या ग्राहकों और अन्य काउंटर पार्टियों पर रिपोर्ट प्राप्त और उपयोग की जाती हैं।

### क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

#### नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी एवं नकदी समतुल्य से संबंधित क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन निधियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में रखकर किया जाता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की नियामक निगरानी के अधीन हैं तथा इन बैंकिंग संबंधों की चलायमान आधार पर समीक्षा की जाती है।

#### अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है और इसमें कोई नुकसान नहीं है।

#### प्रत्याशित क्रेडिट नुकसान

कंपनी निम्न आधार पर प्रत्याशित क्रेडिट नुकसान का प्रावधान करती है:

#### व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्यों का नुकसान तब होता है, जब कंपनी द्वारा व्यक्तिगत व्यापार प्राप्यों के लिए कराए गए वसूली विश्लेषण के आधार पर वसूली योग्यता संदिग्ध मानी जाती है। कंपनी की राय में उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों जिनका नुकसान नहीं हुआ है और जो समीक्षाधीन प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर देय हैं, उनकी क्रेडिट गुणवत्ता अच्छी है।

### परिशोधित हानि पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन

कर्मचारी ऋण से संबंधित क्रेडिट जोखिम को नगण्य माना जाता है क्योंकि ऋण उस संपत्ति से सुरक्षित है, जिसके लिए कर्मचारियों को ऋण मंजूर किया जाता है। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन, ऐसी राशि की निरंतर वसूली की निगरानी करके किया जाता है, जबकि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि राशियां परिभाषित सीमाओं के भीतर हों। इन वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि को किसी नुकसान का प्रावधान नहीं है। हमारे विचार में प्रतिवेदन तिथियों पर सभी उपरोक्त वित्तीय परिसंपत्तियों की अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता है।

### (iii) तरलता जोखिम

हमारी तरलता जरूरतों की निगरानी मासिक और वार्षिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। कंपनी के तरलता के प्रमुख स्रोत नकदी और नकदी समतुल्य, प्रचालन से उत्पन्न राजस्व, ईआईबी से दीर्घकालिक ऋण, व्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, शेयर पूँजी एवं अनुदान हैं।

हम नकदी प्रवाहों की निरंतर निगरानी तथा नकदी एवं नकदी समतुल्यों की निगरानी करके अपनी तरलता ज़रूरतों का प्रबंधन करते हैं, कमियों के निर्धारण के लिए निवल नकदी ज़रूरतों की तुलना उपलब्ध नकदी से की जाती है। अल्पकालिक तरलता अपेक्षा में मुख्यतः विविध लेनदार, देय व्यय, कर्मचारी देय, प्रतिधारण एवं प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि के अनुसार कारोबार के सामान्य व्यवहार के दौरान उत्पन्न जमा राशियाँ शामिल होती हैं। हम अपनी अल्पकालिक तरलता अपेक्षाएँ पूरी करने के लिए नकदी और नकदी समतुल्यों में पर्याप्त संतुलन बनाए रखते हैं।

हम समय-समय पर दीर्घकालिक तरलता अपेक्षाओं का आकलन और आंतरिक संसाधनों के माध्यम से उनका प्रबंधन करते हैं। हमारी गैर-चालू देयताओं में ईआईबी (EIB) ऋण, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, प्रतिधारण एवं जमाराशियाँ तथा कर्मचारी लाभ की देयताएँ शामिल हैं।

**(न) खंड रिपोर्टिंग (भारतीय लेखांकन मानक- 108)**

कंपनी के परिचालनों में, भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)- 108 परिचालन खंड के तहत यथा अपेक्षित रिपोर्टिंग कारोबार/ भौगोलिक खंड के संदर्भ में केवल एक कारोबार खंड – मेट्रो रेल सुविधा का परिचालन एवं अनुरक्षण शामिल है। इंड एएस 108- परिचालन खंड के अंतर्गत आवश्यक व्यावसायिक खंड की रिपोर्टिंग के संदर्भ में, यह अवगत कराया जाता है कि कंपनी अन्य स्रोतों से भी राजस्व अर्जित करती है जैसे कि खाली स्थान की बिक्री (स्पेन सेल) एवं निविदाओं की बिक्री आदि। इसे नॉन-फ़ेयर बॉक्स रेवेन्यू के रूप में संबोधित किया गया है।

इंड एएस 108-परिचालन खंड में परिभाषित “प्रबंधन दृष्टिकोण” के आधार पर, मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता कंपनी के कामकाज का मूल्यांकन करता है तथा कारोबार खंड द्वारा विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है। तदनुसार, इन व्यावसायिक क्षेत्रों के साथ जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसे इंड एएस 108- परिचालन खंड के अनुच्छेद- 13 में मात्रात्मक सीमा के आधार पर परिभाषित किया गया है:

**सेवाओं से संबंधित जानकारी:**

(लाख रुपए में)

विवरण	2021-22	2020-21
फ़ेयर बॉक्स रेवेन्यू	3559.73	1594.00
नॉन-फ़ेयर बॉक्स रेवेन्यू	979.24	970.63

खंड की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले परिचालन खंडों की पहचान समूह के प्रबंधन द्वारा खंडों को संसाधन आवंटित करने एवं उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है। समूह के प्रमुख खंड लखनऊ, कानपुर एवं आगरा मेट्रो परियोजनाएँ हैं।



विवरण	लखनऊ		कानपुर		आगरा		कुल	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
<b>क खंड आय</b>								
परिचालन से आय	4,374.18	2,564.63	164.79	-	-	-	4,538.97	2,564.63
अन्य आय	3,453.64	4,361.45	3,368.15	-	1,378.12	-	8,199.91	4,361.45
<b>कुल आय</b>	<b>7,827.82</b>	<b>6,926.09</b>	<b>3,532.93</b>	<b>-</b>	<b>1,378.12</b>	<b>-</b>	<b>12,738.88</b>	<b>6,926.09</b>
घटाएँ: परिचालन व्यय एवं अन्य व्यय*	7,082.57	6,743.22	1,859.11	-	21.87	-	8,963.55	6,743.22
कर्मचारी हितलाभ व्यय	6,239.22	6,463.00	414.14	-	-	-	6,653.36	6,463.00
अनावटित व्यय/(आय)							-556.71	94.89
<b>ख खंड परिणाम (ईबीडीटी)</b>	<b>(5,493.97)</b>	<b>(6,280.14)</b>	<b>1,259.68</b>	<b>-</b>	<b>1,356.26</b>	<b>-</b>	<b>(2,321.33)</b>	<b>(6,375.02)</b>
घटाएँ: वित्त लागत	997.96	870.72	0.05	-	-	-	998.01	870.72
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	25,931.49	25,735.95	1,542.42	1.12	2.47	1.87	27,476.38	25,738.94
<b>ग कर से पूर्व खंड लाभ/(हानि)</b>	<b>(32,423.42)</b>	<b>(32,886.81)</b>	<b>(282.79)</b>	<b>(1.12)</b>	<b>1,353.79</b>	<b>(1.87)</b>	<b>(30,795.71)</b>	<b>(32,984.69)</b>
घटाएँ: कर व्यय								
<b>घ वर्ष हेतु लाभ/(हानि)</b>	<b>(32,423.42)</b>	<b>(32,886.81)</b>	<b>(282.79)</b>	<b>(1.12)</b>	<b>1,353.79</b>	<b>(1.87)</b>	<b>(30,795.71)</b>	<b>(32,984.69)</b>

\*अन्य खर्चों में कानपुर मेट्रो के लिए 28/12/2021 को राजस्व संचालन शुरू करने से संबंधित 1346.37 लाख रुपये शामिल हैं, जो कि शुद्ध रूप से 1100 लाख रुपये हैं, जिसकी प्रतिपूर्ति भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा यूपीएमआरसी को की गई है।

### भौगोलिक खंड

वर्तमान में कंपनी, उत्तर प्रदेश के शहरों में ही मेट्रो सेवाओं का संचालन कर रही है तथा अन्य किसी राज्य में संचालन नहीं कर रही है, जहाँ के आर्थिक वातावरण में अलग तरह के जोखिम या रिटर्न हों। अतएव, ऐसा माना गया है कि कंपनी एक ही भौगोलिक खंड में मेट्रो सेवाओं का संचालन कर रही है।

### प्रमुख ग्राहकों के संबंध में जानकारी

ग्राहक से राजस्व – मेसर्स जागरण प्रकाशन लिमिटेड एवं मेसर्स स्पेस टेलीइन्फ्रा (पी) लिमिटेड ने क्रमशः 638.65 लाख रुपये और 138.60 लाख रुपये का योगदान दिया, जो 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के नॉन फ़ेयर बॉक्स रेवेन्यू में 10% या उससे अधिक है।

मेसर्स अभि ऐडवरटाइजिंग से संबंधित प्रकटीकरण के संबंध में वित्त वर्ष 2020-21 के एक पूरक ऑडिट के दौरान सी एंड एजी द्वारा उठाए गए ऑडिट अवलोकन के अनुपालन में, यह स्पष्ट किया जाना है कि वास्तव में मेसर्स अभि ऐडवरटाइजिंग से कोई राशि प्राप्त नहीं थी तथा यूपीएमआरसी एवं मेसर्स अभि ऐडवरटाइजिंग के बीच कोई विवाद नहीं था। मेसर्स अभि ऐडवरटाइजिंग, विज्ञापन के लिए 8 मेट्रो ट्रेनों का प्रयोग कर रहा था, जबकि यूपीएमआरसी ने अनजाने में 20 ट्रेनों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए बिल बना दिया। उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, सक्षम अधिकारी ने शेष 12 ट्रेनों, जो कि मेसर्स अभि ऐडवरटाइजिंग द्वारा प्रयोग नहीं की जा रही थीं, उनके लिए क्रेडिट नोट जारी करने पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

(प) पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष की प्रस्तुति से तुलनायोग्य बनाने के लिए, आवश्यक होने पर, पुनःसमूहित/पुनःव्यवस्थित/पुनःवर्गीकृत किया गया है।

(फ) प्रमुख वित्तीय अनुपात:

क्र. सं.	अनुपात	भाज्य	भाजक	वि.व. 2021-22	वि.व. 2020-21	%अंतर
(क)	चालू अनुपात	चालू परिसंपत्तियाँ	चालू देनदारियाँ	7.52	4.34	73.19
(ख)	ऋण-इक्विटी अनुपात	कुल ऋण (उधारियाँ)	कुल इक्विटी	2.80	2.35	19.01
(ग)	ऋण सेवा कवरेज अनुपात,	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	वित्त लागत (पट्टा देनदारियों से संबंधित लागत को हटाकर) + उधारियों का पुनः भुगतान	(0.85)	(0.56)	52.56
(घ)	इक्विटी पर रिटर्न का अनुपात	कर के बाद लाभ	औसत कुल इक्विटी	-11%	-15%	(23.27)
(ङ.)	मालसूची टर्नओवर अनुपात	विक्रय की गई वस्तुओं की लागत	औसत मालसूची	0.19	-	
(च)	व्यापार प्राप्तियों के टर्नओवर का अनुपात	वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय से प्राप्त राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	14.67	1.65	786.41
(छ)	व्यापार देनदारियों के टर्नओवर का अनुपात	कच्चे माल, पैकिंग मटीरियल एवं स्टॉक-इन-ट्रेड की कुल खरीद	औसत व्यापार देनदारियाँ	0.10	-	
(ज)	शुद्ध पूँजी कारोबार अनुपात	परिचालन से राजस्व	कार्यशील पूँजी (चालू परिसंपत्तियाँ-चालू देनदारियाँ)	0.01	0.02	(33.25)
(झ)	शुद्ध लाभ अनुपात	कर के पश्चात लाभ	परिचालन से राजस्व	(6.91)	(12.83)	(46.12)
(ञ)	नियोजित पूँजी पर रिटर्न	कर से पूर्व लाभ (पट्टा देनदारियों पर ब्याज को हटाकर), असाधारण मद एवं कर	कुल इक्विटी + कुल ऋण (उधारियाँ) औसत नियोजित पूँजी	(0.03)	(0.04)	(34.64)
(ट)	निवेश पर रिटर्न	वर्ष के दौरान आय	निवेश का समय-भारित औसत	4.07%	4.50%	(9.56)

लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन:

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल हेतु एवं उनकी ओर से

ह0/-

(कुमार केशव)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 02908695

स्थान: लखनऊ

दिनांक: 29 जून, 2022

ह0/-

(शील कुमार मिश्र)

निदेशक (वित्त)

डीआईएन : 08821866

ह0/-

(पुष्पा बेरानी)

कंपनी सचिव

सदस्यता संख्या. F8440

कृते विनय नवीन एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफ़आरएन : 009188C

ह0/-

(सीए विनय मिश्र)

सदस्य

सदस्यता संख्या : 078907



## भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा-प्रथम)

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

**INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT**

Office of the Principal Accountant General (Audit-I)

Uttar Pradesh, Prayagraj

### स्पीड पोस्ट/गोपनीय

छवण च।ळ;।नकपज.पुदुध।डळ.टध्चैन्चडत्सुध।।ध2021.22ध2022.23ध178 दिनांक: 22.11.2022

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

लखनऊ-226010

विषय : उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,


एतत्सह कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अधीन उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2022 के समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित की जा रही है।

कृपया वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष इन टिप्पणियों के प्रस्तुत किए जाने की वास्तविक तिथि की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

The Report has been prepared on the basis of information furnished and make available by the auditee. The Office of the Principal Accountant General (Audit-I), Uttar Pradesh, Prayagraj disclaims any responsibility for any misinformation and/or non-information on the part of auditee.

कृपया पत्र की पावती भेजें।

संलग्नक यथोपरि



उप महालेखाकार/ए.एम.जी.व

सत्यनिष्ठा भवन, 15-ए, दयानन्द मार्ग, प्रयागराज-211001 दूरभाष : (कार्यालय) 0532-2420441 (का) फैक्स: 0532-2424102  
Satyanishtha Bhawan, 15-A, Dayanand Marg, Prayagraj-1, Phone: 0532-2420441(O) Fax : 0532-2424102

## कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. के वित्तीय विवरणों पर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम" के तौर पर संबोधित) में निर्दिष्ट वित्तीय प्रतिवेदन प्रारूप के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. ("कंपनी" के तौर पर संबोधित) के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के अनुसार, धारा 143(10) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रस्तुत करने के प्रति उत्तरदायी है। सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा इस प्रक्रिया का अनुपालन किया गया, यह दिनांक 28 जुलाई, 2022 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बताया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(a) के अनुसार अनुपूरक लेखापरीक्षा की। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी के अधिकारियों के कार्यशील दस्तावेजों एवं कुछ चुनिंदा लेखांकन अभिलेखों का परीक्षण करते हुए की गयी।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(b) के अनुसार, निम्नलिखित विषयों को रेखांकित करना चाहूँगा, जो कि मेरे संज्ञान में आए और जो मेरे मतानुसार कंपनी के वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संबंध में बेहतर समझ विकसित करने के लिए आवश्यक हैं।

### क) लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

#### लाभ एवं हानि का विवरण

#### अन्य आय (नोट संख्या- 26)रु 82 करोड़ रूपए

- 1) उक्त धनराशि में उपयोग में न लाए गए सरकारी अनुदान पर अर्जित 2.35 करोड़ रूपए का ब्याज भी सम्मिलित है। कंपनी को 31 मार्च, 2022 तक उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य करों की प्रतिपूर्त के रूप में कानपुर एवं आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए क्रमशः 214.40 करोड़ रूपए एवं 161.00 करोड़ रूपए का वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ। इसे वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों में सरकारी अनुदान के रूप में मान्यता दी गयी है।

यह लेखांकन प्रक्रिया दिनांक 21 मार्च, 2012 के सरकारी आदेश के विरोध में है, जिसके अनुसार ऋण के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहयोग पर अर्जित ब्याज को राज्य समेकित निधि में जमा करने का प्रावधान है।

इसके फलस्वरूप 'अन्य आय' में 2.35 करोड़ रूपए अधिक दर्शाए गए और 'अन्य चालू देयताएं' में इतनी ही राशि कम दर्शायी गयी। साथ ही, वर्ष की हानि में भी 2.35 करोड़ रूपए की राशि प्रकटित नहीं हुई।

2. उक्त धनराशि में उधार ली गयी राशि पर 9.63 करोड़ रूपए का अर्जित ब्याज भी सम्मिलित है। अनुच्छेद संख्या 32.2 (aa) में वर्णित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुसार "उधारियों के अल्प-कालिक निवेश पर प्राप्त ब्याज को परिसंपत्तियों के मूल्य के सापेक्ष समायोजित किया जाता है।" जबकि, लेखांकन नीति का उल्लंघन करते हुए कानपुर एवं आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं हेतु प्राप्त उधार राशि के निवेश पर अर्जित 9.63 करोड़ रूपए के ब्याज को परिसंपत्तियों के मूल्य के सापेक्ष समायोजित करने के स्थान पर 'अन्य आय' के अंतर्गत लेखांकित किया गया।

इसके फलस्वरूप 'अन्य आय' और 'कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस', प्रत्येक शीर्ष में 9.63 करोड़ रूपए की राशि अधिक दर्शायी गयी। साथ ही, वर्ष की हानि में भी 9.36 करोड़ रूपए की राशि प्रकटित नहीं हुई।

### ख) सामान्य



3. कॉर्पोरेट सूचना के नोट संख्या 32 के अनुच्छेद संख्या 32.2.1 में यह कहा गया है, "उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. ("कंपनी" के तौर पर संबोधित) (पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.) भारत में गठित एवं अधिवासित है (सीआईएन: U60300UP2013SG060836)। कंपनी, 50:50 इक्विटी सहभागिता के साथ भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाला एक उपक्रम है।"


जबकि, 31 मार्च, 2022 तक कंपनी में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की वास्तविक इक्विटी भागीदारी क्रमशः 48.21% व 51.8% है। अतएव, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कंपनी की समान इक्विटी भागीदारी के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया।

### लेखाओं पर टिप्पणियाँ

4. कंपनी को 31 मार्च, 2022 तक 1143.33 करोड़ रुपए का सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ तथा इसमें स्थायी परिसंपत्तियों के प्रति प्राप्त अनुदान, राज्य करों हेतु वित्तीय सहयोग, पूंजीगत अनुदान (गैर-मौद्रिक) एवं कंपनी की लखनऊ, कानपुर एवं आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं के भूमि विनिमय के सापेक्ष मान्यता प्राप्त अनुदान की राशियाँ सम्मिलित हैं।

जबकि, परिशोधन/उपयोग की स्थिति के साथ प्राप्त सरकारी अनुदान का परियोजनावार विवरण, लेखाओं पर टिप्पणियों में प्रकटित नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
हेतु एवं उनकी ओर से

  
(बी.के. मोहंती)  
प्रधान महालेखाकार (ऑडिट-1), यू. पी.

स्थान: प्रयागराज  
दिनांक: 22.11.2022



क्र. सं.	अंतिम टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
क(1)	<p><b>लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ</b> <b>लाभ एवं हानि का विवरण</b> <b>अन्य आय (नोट संख्या- 26)रु 82 करोड़ रुपए</b></p> <p>उक्त धनराशि में उपयोग में न लाए गए सरकारी अनुदान पर अर्जित 2.35 करोड़ रुपए का ब्याज भी सम्मिलित है। कंपनी को 31 मार्च, 2022 तक उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य करों की प्रतिपूर्ति के रूप में कानपुर एवं आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए क्रमशः 214.40 करोड़ रुपए एवं 161.00 करोड़ रुपए का वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ। इसे वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों में सरकारी अनुदान के रूप में मान्यता दी गयी है।</p> <p>यह लेखांकन प्रक्रिया दिनांक 21 मार्च, 2012 के सरकारी आदेश के विरोध में है, जिसके अनुसार ऋण के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहयोग पर अर्जित ब्याज को राज्य समेकित निधि में जमा करने का प्रावधान है।</p> <p>इसके फलस्वरूप 'अन्य आय' में 2.35 करोड़ रुपए अधिक दर्शाए गए और 'अन्य चालू देयताएं' में इतनी ही राशि कम दर्शायी गयी। साथ ही, वर्ष की हानि में भी 2.35 करोड़ रुपए की राशि प्रकटित नहीं हुई।</p>	<p>कानपुर एवं आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं हेतु क्रमशः पत्र संख्या-K-14011/08/2016-MRTS-IV दिनांक: 27 मई, 2019 और पत्र संख्या- K-14011/03/2018-MRTS-IV) दिनांक: 27 मई, 2019 के माध्यम से केंद्र सरकार की कैबिनेट द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ, जिनके क्लॉज़ xi के अनुच्छेद संख्या 8 के अनुसार:</p> <p><b>“राज्य सरकार विशेष प्रयोजन वाहन को राज्य/स्थानीय करों एवं शुल्कों/दियताओं से छूट प्रदान करेगी या फिर उनकी प्रतिपूर्ति करेगी।”</b></p> <p>इस संबंध में, उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर मेट्रो परियोजना के लिए 214.40 करोड़ रुपए और आगरा मेट्रो परियोजना के लिए 161.00 करोड़ रुपए की राशियाँ, राज्य करों की प्रतिपूर्ति के रूप में जारी कीं तथा ये राशियाँ सरकारी अनुदान के रूप में प्रदान नहीं की गईं, जैसा कि लेखापरीक्षा में रेखांकित किया गया। अवगत कराया जाता है कि ये राशियाँ राज्य करों के भुगतान हेतु ही प्रयोग में लाई जा रही हैं और वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक इनके समायोजित होने की संभावना है।</p> <p>इसके अतिरिक्त, इंड एएस 20 के अनुपालन हेतु, इन राशियों को 'अन्य गैर-चालू देयताओं' के शीर्ष में प्रकटित करने की आवश्यकता है तथा राज्य करों की प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त राशियों को 'सरकारी अनुदान' के उप-शीर्ष में सम्मिलित कर दिया गया है।</p> <p><b>लेखापरीक्षा के दौरान की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए और अधिक स्पष्टता लाने के उद्देश्य के साथ प्रबंधन ने राज्य सरकार से प्राप्त ऐसी किसी भी राशि को वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरण में 'राज्य करों की प्रतिपूर्ति हेतु राशि' नाम के उप-शीर्ष के अंतर्गत प्रकट करने की निर्णय लिया है।</b></p> <p>चूंकि उपरोक्त राशियाँ राज्य करों की प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की गई थीं, न कि इन्हें सरकारी अनुदान के रूप में प्रदान किया गया था; अतएव दिनांक 21 मार्च, 2012 का सरकारी आदेश लागू नहीं होता। उक्त के आलोक में निवेदन है कि लेखापरीक्षक अपनी टिप्पणी के संबंधित अनुच्छेद को हटाने का कष्ट करें।</p>



<p>क(2)</p>	<p>उक्त धनराशि में उधार ली गयी राशि पर 9.63 करोड़ रुपए का अर्जित ब्याज भी सम्मिलित है। अनुच्छेद संख्या 32.2 (a) में वर्णित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुसार "उधारियों के अल्प-कालिक निवेश पर प्राप्त ब्याज को परिसंपत्तियों के मूल्य के सापेक्ष समायोजित किया जाता है।" जबकि, लेखांकन नीति का उल्लंघन करते हुए कानपुर एवं आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं हेतु प्राप्त उधार राशि के निवेश पर अर्जित 9.63 करोड़ रुपए के ब्याज को परिसंपत्तियों के मूल्य के सापेक्ष समायोजित करने के स्थान पर 'अन्य आय' के अंतर्गत लेखांकित किया गया।</p> <p>इसके फलस्वरूप 'अन्य आय' और 'कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस', प्रत्येक शीर्ष में 9.63 करोड़ रुपए की राशि अधिक दर्शायी गयी। साथ ही, वर्ष की हानि में भी 9.36 करोड़ रुपए की राशि प्रकटित नहीं हुई।</p>	<p>इस संबंध में कृपया आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. K-14011/21/2016-MRTS-Coord दिनांक 08 अगस्त 2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार, "मेट्रो रेल कंपनियों द्वारा इक्विटी और ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के लिए प्राप्त धन के अल्पकालिक निवेश पर अर्जित ब्याज को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाएगी। पीटीए सहित उधारी के अल्पावधि निवेश पर अर्जित ब्याज का उपचार वही रहेगा यानी अर्जित ब्याज को पारदर्शी और लेखापरीक्षा योग्य तरीके से संबंधित परिसंपत्ति/परियोजना की लागत में पूंजीकृत की जाने वाली उधार लागत के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा।"</p> <p>लेखापरीक्षा को इस तथ्य की सराहना करनी चाहिए कि यूपीएमआरसी ने उपरोक्त पत्र के अनुपालन में उपयुक्त लेखांकन व्यवहार अपनाया है।</p> <p>हालाँकि, जैसा कि लेखापरीक्षा के दौरान चर्चा की गई थी, वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों के अंतर्गत 'लेखाओं पर टिप्पणियाँ' खंड में ब्याज वाले उधारों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण/स्पष्टीकरण का प्रावधान किया जाएगा।</p>
<p>ख(3)</p>	<p>कॉर्पोरेट सूचना के नोट संख्या 32 के अनुच्छेद संख्या 32.2.1 में यह कहा गया है, "उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. ("कंपनी" के तौर पर संबोधित) (पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.) भारत में गठित एवं अधिवासित है (सीआईएन: U60300UP2013SG060836)। कंपनी, 50:50 इक्विटी सहभागिता के साथ भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाला एक उपक्रम है।"</p> <p>जबकि, 31 मार्च, 2022 तक कंपनी में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की वास्तविक इक्विटी भागीदारी क्रमशः 48.21% व 51.8% है। अतएव, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कंपनी की समान इक्विटी भागीदारी के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया।</p>	<p>उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि., 50:50 इक्विटी प्रतिभागिता प्रारूप के साथ भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाला विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) है। लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं के वित्तपोषण प्रारूप के अनुसार, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की समान इक्विटी प्रतिभागिता पर अनुमोदन प्राप्त है। हालाँकि, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने आवंटित/स्वीकृत बजट के अनुसार इक्विटी शीर्ष के अंतर्गत प्रावधानित राशि जारी की।</p> <p>लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना (दिनांक 08.03.2019 को पूर्ण हुई) के मामले में, 31 मार्च, 2019 तक भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ही की ओर से 1003 करोड़ रुपए की समान इक्विटी प्रतिभागिता है।</p> <p>कानपुर और आगरा में मेट्रो रेल परियोजनाओं का क्रियान्वयन जारी है और इनके क्रमशः नवंबर, 2024 और दिसंबर, 2025 में पूर्ण होने की संभावना है। कानपुर एवं आगरा मेट्रो परियोजनाओं हेतु इक्विटी शीर्ष के अंतर्गत प्रावधानित राशि, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के स्वीकृत बजट के अनुसार जारी की जा रही है।</p>

		<p>31.03.2022 तक भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की इक्विटी प्रतिभागिता क्रमशरू 48.82: और 51.18: है, जो कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी वास्तविक इक्विटी राशि के अनुसार है। हालाँकि, यहाँ यह बताना भी आवश्यक है कि जब भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी राशियाँ जारी कर दी जाएँगी, तब इक्विटी प्रतिभागिता भी समान हो जाएगी।</p> <p>उपरोक्त के आलोक में, निवेदन है कि पुनः विचार कर संबंधित अनुच्छेद को हटाने की कृपा करें।</p>
(4)	<p>कंपनी को 31 मार्च, 2022 तक 1143.33 करोड़ रुपए का सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ तथा इसमें स्थायी परिसंपत्तियों के प्रति प्राप्त अनुदान, राज्य करों हेतु वित्तीय सहयोग, पूँजीगत अनुदान (गैर-मौद्रिक) एवं कंपनी की लखनऊ, कानपुर एवं आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं के भूमि विनिमय के सापेक्ष मान्यता प्राप्त अनुदान की राशियाँ सम्मिलित हैं।</p> <p>जबकि, परिशोधन/उपयोग की स्थिति के साथ प्राप्त सरकारी अनुदान का परियोजनावार विवरण, लेखाओं पर टिप्पणियों में प्रकटित नहीं है।</p>	<p>लेखापरीक्षा द्वारा 'लेखाओं पर टिप्पणियाँ' खंड में 'अन्य गैर-चालू देयताओं (नोट-18) से संबंधित मदों के प्रकटीकरण को रेखांकित किया गया। जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा अपेक्षित है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में उक्त का परियोजनावार प्रकटन किया जाएगा।</p> <p>उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, पुनः विचार कर उक्त टिप्पणी को हटाने का कष्ट करें।</p>

## वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रमुख घटनाक्रम



कानपुर मेट्रो के प्राथमिक सेक्शन को पर्यावरण प्रबंधन हेतु ISO 14001 और संरक्षा प्रबंधन हेतु ISO 45001 प्रमाणन प्राप्त हुए।



यूपीएमआरसी की लखनऊ, कानपुर एवं आगरा परियोजनाओं के कार्यालयों में 7वाँ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।



मा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कानपुर मेट्रो के प्राथमिक सेक्शन पर वाणिज्यिक परिचालन का शुभारंभ।



आईजीबीसी द्वारा कानपुर मेट्रो के प्राथमिक सेक्शन को प्लैटिनम सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ।



यूपीएमआरसी द्वारा 73वाँ गणतंत्र दिवस मनाया गया।



ग्रीनटेक फाउंडेशन द्वारा कानपुर मेट्रो रेल परियोजना को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उपलब्धियों हेतु पुरस्कृत किया गया।



सीएसजेएम विश्वविद्यालय के स्टाफ हेतु कानपुर मेट्रो की विशेष यात्रा का आयोजन कराया गया।



अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला उद्यमियों के समूह ने कानपुर मेट्रो से यात्रा का आनंद लिया।





उत्तर प्रदेश मेट्रो  
रेल कारपोरेशन लि०

## नोंट्स

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

नोंट्स



उत्तर प्रदेश मेट्रो  
रेल कारपोरेशन लिमिटेड

## नोट्स

A series of horizontal dotted lines provided for taking notes.

## INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1	Board of Directors	3
2	Chariman's Speech	5
3	Director's Report	6
4	Report on Corporate Governance	19
5	Extract of Annual Return	25
6	Secretarial Audit Report	31
7	Independent Auditor's Report	36
8	Financial Statements for the financial year 2021-22	50
9	Notes to Accounts	78
10	Major Events in 2021-22	122



## REGISTERED OFFICE

Administrative Building, Vipin Khand,  
Gomti Nagar, Lucknow-226 010 (U.P.) India  
Email: [pushpa.bellani@upmrc.co.in](mailto:pushpa.bellani@upmrc.co.in), Website : [www.upmetrorail.com](http://www.upmetrorail.com)

## STATUTORY AUDITORS

M/s Vinay Naveen & Company  
F-7 Nehru Nagar-III,  
2nd Floor Rakesh Marg,  
Ghaziabad-201001

## INTERNAL AUDITORS

M/s S.N. Kapoor & Associates  
Chartered Accountants

## SECRETARIAL AUDITOR

M/s Dileep Dixit & Company  
Company Secretaries

## COMPANY SECRETARY

Smt. Pushpa Bellani

## OUR BANKS

State Bank of India  
HDFC Bank Ltd.

## BOARD OF DIRECTORS AS ON 31.03.2022

Name	Designation
Shri Manoj Joshi	Chairman, Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs (MoHUA)
Shri Kumar Keshav*	Managing Director, UPMRC
Shri Shyam Sunder Dubey	Nominee Director, GoI, Joint Secretary & FA, MoHUA
Shri Vinay Kumar Singh	Nominee Director, GoI, Managing Director, National Capital Region Transport Corporation Limited
Shri Deepak Kumar**	Nominee Director, GoUP, Principal Secretary, Housing and Urban Planning Department, GoUP
Shri Ranjan Kumar***	Nominee Director, GoUP, Commissioner, Lucknow Division
Shri Kunal Kumar	Nominee Director of GoI, Additional Secretary, MoHUA
Shri Arjun Singh Tomar	Nominee Director, GoI, ED/Sig.(Dev), Railway Board
Shri Arvind Kumar	Nominee Director, GoUP, Add. Chief Secretary, Infrastructure and Industrial Development Department
Shri Sanjay Kumar****	Nominee Director, GoUP, Secretary, Finance Department, GoUP
Shri Sanjay Mishra	Whole-Time Director (W & I), UPMRC
Shri Sushil Kumar	Whole-Time Director (Operations), UPMRC
Shri Atul Kumar Garg	Whole-Time Director (RS & S), UPMRC
Shri Sheel Kumar Mittal	Whole-time-Director (Finance), UPMRC

\*Shri Kumar Keshav completed his extended tenure as MD, UPMRC on 30.06.2022

\*\*Shri Deepak Kumar ceased to be Nominee Director of the company w.e.f 01/06/2022.

\*\*\*Shri Ranjan Kumar ceased to be Nominee Director of the company w.e.f 25/06/2022.

\*\*\*\*Shri Sanjay Kumar ceased to be Nominee Director of the company w.e.f 31/07/2022.



## CHAIRMAN'S SPEECH

**Dear Shareholders,**

I am pleased to welcome you all to the 9th Annual General Meeting of the Company. The director's report and the audited annual accounts for the Financial Year 2021-22, the statutory auditor's report along with the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon, have already been circulated to you and with your permission, I take them as read.



I am pleased to apprise that despite the two Covid-19 waves and imposition of lockdown, your company has completed the construction work on 9 KMs priority corridor from IIT to Motijheel of Kanpur Metro project's priority corridor within 2 years and 2 months in the record time. On 28th December 2021, the people of Kanpur received a great gift in the form of a world class mass transit system. The revenue operations of the priority corridor were inaugurated in the auspicious presence of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi, Hon'ble Chief Minister of Uttar Pradesh Shri Yogi Adityanath and Hon'ble Union minister Shri Hardeep Singh Puri. This has become possible with hard work of whole team of the Company, Contractor, General Consultant and support provided by all concerned department of GoUP and Gol. The construction work on the remaining corridor from Motijheel to Naubasta (14 KMs) is going on in full swing.

The construction work of the Agra Metro Project is also going on at a fast pace. In a short span of time, the entire piling work, pile cap work, erection of piers for the priority corridor, erection of all 144 Double T Girders has been successfully completed. The erection of U-Girders and Pier Caps is also going to be completed very soon. The finishing works of elevated metro stations of priority corridor is also going on. It is expected that priority corridor of Agra Metro Project will become operationalize within stipulated timeframe. Construction work for underground stations is also being carried out at a fast pace.

During the period of Covid-19 lock-down, your Company has adopted various technological tools successfully to the full extent possible including cost effective UV based sanitation of trains and passenger token. The fastest recovery of ridership among all metro has been achieved by Lucknow Metro due to dedicate effort made through carrying out various awareness campaign in school, colleges, offices, banks through various media including FM radio etc. The company will continuously strive towards meeting the demand of the commuters.

Since inception of the Company, there have been great achievements and our target is to provide world class services and set new targets that can change the traveling patterns of the people. Our aim is to provide safety, security and comfort to the people.

I would like to express my heartfelt gratitude to the citizens of Uttar Pradesh without them it would not be possible to achieve the progress. I would also like to acknowledge the guidance and valuable support of my colleagues on Board of Directors to take the company to great heights and also thanks to the team for responding positively to an unprecedented challenge.

Thank you

**Date : 16.12.2022**  
**Place : New Delhi**

Sd/-  
**(Manoj Joshi)**  
**Chairman**  
**Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Ltd.**

## DIRECTORS' REPORT

To,

The Members,

**Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited**

Your Directors have the pleasure in presenting the 9<sup>th</sup> Annual Report of the Company together with the Audited Accounts and Auditors' Report and comments of Comptroller and Auditor General of India thereon for the financial year ended on 31st March, 2022.

It is a matter of great pride that Company has completed 8 years of its existence and has been able to establish itself as an organization of excellence. After completion and implementation of Lucknow Metro North South Corridor (Phase 1 A), Company has also successfully executed priority Section of Kanpur Metro from IIT Kanpur to Motijheel measuring around 8 KM. The Company is committed to complete the work of balance section of the corridor within stipulated time period as per the terms of the DPR. The work of Agra Metro Rail Project is also going at fast pace.

### 1. FINANCIAL RESULTS AND PERFORMANCE

Summarized financial highlight of the Company for the Financial Year ending on 31st March, 2022

(INR in Lakhs)

Particulars	For FY 2021-2022	For FY 2020-2021
<b>Total Income</b>	<b>12738.88</b>	<b>6926.08</b>
Less: Operating Expenses	6627.82	5800.40
Less: Employees' Benefit Expenses	6653.36	6463.00
Less: Finance cost	998.01	870.72
Less: Depreciation	27476.38	25738.94
Less: Other Expenses	2357.59	956.33
<b>Total Expenses</b>	<b>44113.16</b>	<b>39829.39</b>
Profit (Loss) Before Tax	(31374.28)	(32903.31)
Add / (Less): Tax Expense	-	-
Net Profit (Loss) After Tax	(31374.28)	(32903.31)
Other Comprehensive Income	578.57	(81.38)
Total Comprehensive Income	(30795.71)	(32984.69)

#### **Transfer to General Reserves:**

The Board has not recommended transferring any amount in the General Reserve.

#### **Dividend for the Financial Year 2021-2022**

As the Company has not earned profit during the FY 2021-22, so the Board of Directors have not recommended any Dividend on the Equity Shares of the Company.



## 2. STATUS OF THE VARIOUS METRO RAIL PROJECT OF UPMRC

### (i) KANPUR METRO RAIL PROJECT

Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi inaugurated the commercial operation of Priority corridor of the project on 28/12/2021 in auspicious presence of Hon'ble Chief Minister Shir Yogi Adityanath; Hon'ble Cabinet minister Shri Hardeep Singh Puri, Minister of Housing and Urban Affairs, Govt. of India and other dignitaries. Despite the disruptions of works during the first and second wave of



COVID-19 pandemic, trial runs of commercial operation on Priority corridor started in less than 2 years from the start of construction works. Construction of priority Corridor was started on November 15, 2019. Priority Corridor comprise of 08 stations from IIT Kanpur to Motijheel and have total length measuring approx. 09 km. Metro Stations of the priority section of the project has been certified with ISO 14001 certification for 'Environment Management' and with ISO 45001 certification for 'Safety Management'.

On the Balance section of the project construction work is progressing at fast speed and around 40 percent of construction work has been completed. It is expected that revenue operations on the entire corridor of Kanpur Metro will be started from 30th November 2024.

During construction of the Kanpur Metro Project, 'Double T-Girders' have been used for the first time in the India for the construction of the concourse of elevated metro stations. Use of Double T-Girders' has enabled to complete the project in time bound manner as it helped in reducing time of construction. Further 'Twin Pier Cap' was used for Depot Entry/Exit line in place of traditional portal arrangement for the first time in India.

There is facility of about 56 USB charging points per train, talk-back button in case of emergency, long stop request button for the differently-abled. In the entire corridor 100 per cent LED lights have been used which will reduce energy consumption. LCD panels have been used for infotainment. For safety and security of commuters of metro, CCTV cameras have been installed at various locations.

The 'regenerative braking' technology have been used in the project to reduce energy consumption. It would ensure that for every 1000 units used, about 35 to 45 per cent units would be regenerated.

The Kanpur Metro comprises of two corridors namely; first corridor is IIT Kanpur to Naubasta corridor having total length of 23.785 km and comprise total 21 Stations, 7 underground and 14 Elevated. Second corridor is Agriculture University to Barra-8 having total length of 8.60 km and comprises of 4 Elevated & 4 Underground stations.



## (ii) AGRA METRO RAIL PROJECT

Aiming to bring world class metro rail service to the people of Agra, the third most populous city of Uttar Pradesh, Agra Metro Rail Project was inaugurated on 7th December 2020 by Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi in presence of Hon'ble Chief Minister of Uttar Pradesh Shri Yogi Adityanath.

Since then the project is progressing at a rapid pace and is being executed safely and sustainably. Civil works are on at the 6 kms long priority stretch of the first corridor from Taj East Gate to Jama Masjid is progressing at a fast pace. There will be three elevated and three underground stations in the priority stretch.

The first U-Girder of Agra Metro was successfully erected on 12th November 2021. For the first time in India, Arch Girder is being used by the Agra Metro Rail Project for track crossovers. The civil works of all three elevated stations has been completed and the finishing/utility work have started to give them final shape.

A world class Metro Depot for the first corridor of Agra Metro Rail Project is also being constructed and more than 78% of work has been completed. Trains will be operated, monitored and maintained from the Depot. Track work has already begun in the Depot and the test track is almost ready. Pit Wheel Lathe Machine has also been installed in the Depot.

## (iii) GORAKHPUR METRO

The Company has submitted DPR approved by State Govt. to Ministry of Housing and Urban Affairs, Govt. of India for approval. PIB has recommended implementation of Gorakhpur Metrolite Project from Shyam Nagar to MMM Engineering College having total length of 15.14 Kms & cost of Rs. 2670.37 Cr for approval of competent authority. Approval of the project from Government is awaited.

## (iv) STATUS OF OTHER METRO PROJECTS

Metro Projects in other cities of Uttar Pradesh (i.e Meerut, Varanasi and Prayagraj) are under consideration at various stages from concerned authorities of Government of Uttar Pradesh and Government of India.

## 3. ROLLING STOCK

As on 31st March 2022, the Company has a total of 86 coaches having designed speed of 90 kmph & schedule speed of 32 to 35km per hour including dwell time/stoppage of 30 seconds per station and design head way of 100 second. These coaches have following Features: -

- **ATP/ATO:** The rolling stock are provided with Continuous Automatic Train Protection and Automatic Train Operation (in future) to ensure absolute safety in the



train operation. It is an accepted fact that the 60-70% of accidents take place because of human error. Adoption of this system ensures freedom from human error. The on board computerized ATC system shall compare and verify the continuous data like speed etc., for safest train control.

- **Fire:** The rolling stocks are provided with fire retarding materials having low fire load, low heat release rate, low smoke and toxicity inside the cars. The electric cables used are also normally low smoke zero halogen type, which ensures passenger safety in case of fire.
- **Emergency door:** The rolling stock is provided with emergency evacuation facilities at several vehicles to ensure well-directed evacuation of passengers in case of any emergency including fire in the train.
- **Crash worthiness features:** The rolling stock is provided with inter car couplers having crashworthiness features which reduces the severity of injury to the passengers in case of accidents.
- **Gangways:** Broad gangways are provided in between the cars to ensure free passenger movement between cars in case of any emergency.

#### 4. AUTOMATIC FARE COLLECTION SYSTEM

Automatic Fare Collection System (AFC) an innovative implementation model has been adopted. HDFC Bank has issued co-branded smart cards of EMV standards, which can be used as tickets for Uttar Pradesh Metro and assorted value cards at other Points of Sale (PoS). AFC equipment, both on site and on cloud has been installed and commissioned for all the stations from CCS Airport to Munshipulia.

AFC system of Kanpur metro is equipped with latest state of art technology. It is based on “open loop” EMV NCMC standards on PPP basis in collaboration with State Bank of India. The traditional token system as medium of fair has been replaced with more advanced QR paper ticket as well Mobile QR ticket which promotes the Digital Payment System. The priority section of Kanpur Metro from IIT Kanpur to Motijheel comprises of modern AFC equipments such Automatic Gates, Ticket Office Machine, etc. to make the passenger experience comfortable.

Also due care has been given to design the equipments in such a way that differently abled people can also access all the resources easily, such as Bidirectional wide Automatic gates and special ticket counter. AFC system is integrated with Fire Alarm System at all stations for easy and safe passage of commuters in case of any exigencies.

#### 5. OPERATIONS AND AUGMENTATION OF CUSTOMER FACILITIES

Continuous enhancement of passenger amenities and providing new facilities have been one of the priority areas right since the beginning of operations of UPMRC. In this direction the following initiatives were taken during the year:

- Intensification of cleaning activities inside trains, stations, surrounding areas of the stations including parking lots, toilets;
- Augmentation of various facilities viz. Token Vending Machines, Point of Sale Machines, Smart Card Vending Machines, Recharge Card Terminal Machines, etc. for commuters.



- The Company also taken a number of measures to contain the spread of Corona virus/ COVID-19..

## 6. UPMRC TRAINING INSTITUTE

UMPRC Training Institute is a multi-disciplinary organization specializing in capacity building, consultancy and research support, particularly for the Metro Technology. This Training Institute is equipped with the latest equipment such as smart boards, projectors, sound system, simulator, CBT and seminar hall. The Institute has advantage of imparting training with the resources available with the corporation with substantial experience in training and maintenance of UPMRCL. Utilizing this resource, the Institute is trying to contribute towards development of trained manpower.



During the Year 2021-22, the Uttar Pradesh Metro Rail Training Institute conducted following Training Programs:

1. **Refresher Training:-** Frontline staff of UPMRC have to undergo refresher training to refresh their knowledge regarding concerned equipment/system/SOP etc. Total 343 staff has attended refresher training i.e. 5206 training hours in FY 2021-22.
2. **Refresher Training of First Aid and Fire Fighting:-** Frontline staff is also trained in fire fighting and first aid during their initial training. To refresh their knowledge refresher training is conducted on periodical basis. First aid and fire fighting training is provided by RDSO and UP fire services respectively at CoET, Transport Nagar Metro Depot. Total 244 staff has attended Refresher Training of First Aid and Fire Fighting i.e. 3504 training hours in FY 2021-22.
3. **Troubleshooting Training:-** Train operator is in charge of his train. At the time of Operating the train if any fault occur then primarily train operator will try to troubleshoot the problem. To enhance their troubleshooting capability a special training regarding Rolling Stock troubleshooting is conducted on periodic basis. Total 119 train operators were imparted 882 hours training in the FY 2021-22.
4. **Reshuffling Training of SCTO:-** SCTO cadre is a dual post. It improves the efficiency of organization to ensure the smooth working of staff reshuffling training of the staff is conducted. Total 95 staff has attended reshuffling training i.e. 16,322 training hours in FY 2021-22. Total 119 train operators were imparted 882 hours training during the FY 2021-22
5. **RS Shunter Training:-** For movement of train within depot at low speed for maintenance of train Rolling Stock supervisor is trained to move the train within depot at low speed. Total 14 staff has attended the shunter training total 273 hours during FY 2021-22.
6. **Training of Newly Recruited Staff:-** 249 new staff who joined UPMRC during the FY 2021-22 were trained as per their training module. Total 1,63,055 Hours training were imparted during the year.

7. **Soft skill and business communication training:-** Newly recruited staff apart from system training, they are also trained in soft skill, business communication. UPMRC has tied up with institutes like Amity University and Jaipuria institute to conduct the training at training school of UPMRC. Total 211 staff has attended the soft skill training and total 13,020 hours training were imparted during FY 2021-22.

## 7. ALTERNATE REVENUE INITIATIVES:

Property Development is of utmost importance to make Uttar Pradesh Metro Rail Projects financially sustainable. In fulfilment of above, the division is managing a large number of contracts related to commercial properties at metro stations, advertisements both in trains & stations, parking, ATMs, last mile connectivity.

During the reporting period, there was extreme negative market sentiment due to COVID-19 especially in terms of business expansion by the firms. Amidst such challenging time, with exceptional efforts, the Property Development division of UPMRC was successful in adding approximately 24 new outlets, roughly two outlets a month, during the FY 2021-22 through two successive tenders for Lucknow & Kanpur Metro PD. Through various Property Development and Advertisement contracts at Lucknow & Kanpur Metro stations, added in FY 2021-22, tentatively an extra annual revenue generation of about Rs. 4.34 crore shall be realized..

## 8. SAFETY

### • CELEBRATION OF NATIONAL SAFETY DAY

Uttar Pradesh Metro undertakes various safety awareness campaigns for its staff, commuters, general public and contractors' employees working with us. Safety Awareness Week was organized from 4th to 10th March, 2022 where in the Company employees participated in the events like safety quiz, safety slogan competition, other safety promotional activities, etc. In addition, Nukkad Natak was also organized at our various construction sites where in large number of contractors' staff as well as workmen participated.

### • SAFETY MEASURES IN EXECUTING METRO PROJECT

Efforts have been made to ensure that all site staff and contractors' staff get mandatory minimum hours training on Safety and Health Environment (SHE) to create safe working environment at site. Competency Assessment based training has also been organized on key trades like Lifting Engineers, Scaffolders, Vehicle Drivers & Plant Operators, etc. for ensuring safety during critical works and incidence free operation of construction plant & machineries.

## 9. ENVIRONMENT

### Water Harvesting

Rain water absorption wells have been provided at every alternative span of the Viaduct, covering almost the entire length of the Viaduct. More than 400 rain water harvesting structures have been built by the Company on North-South (Phase-1A) corridor of Lucknow Metro Project and Priority Corridor of Kanpur Metro which results in creating approx 30 Lac liters of rain water harvesting. This Rain Water Harvesting (RWH) measure has resulted in recharge of the ground water resources across the Metro alignment.



### Green Cover

Under Viaduct of elevated route alignment, on metro stations and in workshop and Depot of Lucknow Metro project, varieties of vegetation have been planted and to ensure their proper growth, regular maintenance work like Weeding, fertilizers, Washing, providing water are done by horticulture department. More than 3000 new plants are planted in Kanpur.

### Green Building

UPMRC is founding member of Indian Green Building Council (IGBC) under the aegis of Confederation of Indian industry (CII). All the metro stations have been constructed as 'green buildings' with specific provisions for the conservation of energy as well as reduced Carbon Di-oxide emissions, water savings and waste management arrangements. All metro stations of Lucknow Metro Project Phase-1A have been certified in "Platinum" category by IGBC. All the metro stations of Kanpur Metro Project have been constructed as 'green buildings' with specific provisions for the conservation of energy as well as reduced Carbon Di-oxide emissions, water savings and waste management arrangements.

### Conservation of Energy:

Uttar Pradesh Metro is taking several energy conservation measures, such as, the use of regenerative braking in the trains which will result in saving of 30 to 35 percent traction energy, there by resulting in reduction in emission of Green House Gases (GHG), using Variable Voltage Variable Frequency (VVVF) drive for all lifts and escalators, provision of LED lights at stations, use of energy efficient equipment for Environmental Control System (ECS) and Tunnel Ventilation System (TVS) for the underground station etc.

### Renewable Energy Generation

During last financial year total 9.67 MWh of energy has been generated through solar plant installed at Lucknow Metro Depot and Administrative Building. Further, installation of solar plant on other available place/premises is under process.

### Awards & Accolades

**National Energy Conservation Award-2021** organised by Bureau of Energy Efficiency and Ministry of Power has awarded Certificate to Lucknow Metro for effective and efficient usage of available resources in "Metro Railway" Category. This initiative by Lucknow Metro has substantially reduced carbon footprint, leaving a green impression in its wake

## 10. SHARE CAPITAL

Your Company has received Rs. 986.00 Crore towards equity during the year from the Government of India and Government of Uttar Pradesh. The total paid up Share Capital as on 31st March 2022 is Rs. 4081.99 Crore.

## 11. PUBLIC RELATION & PEOPLE CENTRIC APPROACH

The Public Relation Department of the company has undertaken a number of activities towards reaching out to the citizens. It involves sharing news, stories and other developments related to

your company with print, electronic and social media. The day-to-day progress of the organization, the various innovations it has achieved, the new projects launched, and other similar developments are shared with the media on a regular basis. The Citizen Outreach Program mandates not only reaching out to the society but also communicating with its various stakeholders.



Public Relations department also creates awareness about the Metro services offered to the commuters i.e. GoSmart card, Super Saver card, Tourist card etc. It also spreads awareness among the people through publicity material and advertisement publishing in various newspaper and Magazines.

## 12. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

As on 31st March 2022, the employee's strength of the Company was 1094 (446 personnel in Project and 648 personnel in Operations & Maintenance wing of the company). During the year total 249 personnel have been recruited on various post

- **Observations of Reservation Guidelines in Recruitment:**

The recruitment guidelines regarding reservation of services for SCs/STs/PH/OBCs issued by the GoUP, from time to time, are being followed meticulously. Liaison officers have been appointed for SC/ST and PWD (Person with Disabilities) employees of the Company.

- **Prevention of Sexual Harassment at Workplace:**

Uttar Pradesh Metro is committed towards providing a safe working environment to its women employees. In this regard, a lecture on gender sensitization has been included in the induction-training curriculum to inculcate the culture of ethical behavior among new recruits.

The Company has a policy on prevention of Sexual Harassment at Workplace. The Company has constituted an Internal Complaints Committee as per the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 consisting of the following members to look into the cases pertaining to sexual harassment to women and to facilitate a safe working environment free from sexual harassment.

**Composition of the Internal Complaints Committee as on 31/03/2022:**

Ms. Pushpa Bellani	-	Presiding Officer
Ms. Deepti Agarwal	-	External Member (Practicing Company Secretary)
Shri Abhishek Ranjan	-	Member
Ms. Aisha Samreen	-	Member



### 13. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Being a responsible and responsive corporate citizen, your Company is committed to its stakeholders viz., the shareholders, the employees, the management, the suppliers, the customers and the community at large. Further, since the Company is not earning profits, there is no mandatory requirement for expending amounts towards specific projects falling under stipulated areas of Corporate Social Responsibility in terms of Section 135 of the Companies Act, 2013 and applicable Rules/Schedules thereunder. Hence, the expenditure under this Head is 'NIL' for the year. Your Company has however, constituted a CSR Committee comprising of Three (3) Directors in compliance of the requirements in this regard. The Composition of the CSR Committee of the Board is detailed in Corporate Governance report which is also annexed to this Report.

### 14. RIGHT TO INFORMATION

The Company has implemented the provisions of the Right to Information Act, 2005. Total 144 RTI applications and appeals were processed during the year.

### 15. OFFICIAL LANGUAGE

UPMRC endeavors to promote use of Hindi Language in its official work. Company has conducted and organized a workshop to promote the use of Hindi 'Rajbhasha' for official purpose. Company also organized 'Hindi Pakhwada' from 1st to 15th September 2021 and employees were encouraged to take part in various competition such as Hindi noting, essay writing, drafting, translation completion, slogan writing, sulekh writing, hindi quiz, etc. and winners were awarded.

### 16. VIGILANCE

The Vigilance Department in the Company is headed by the Chief Vigilance Officer, who reports to Managing Director, of the Company. The Vigilance Unit follows the Central Vigilance Commission guidelines, internal guidelines concerning the business affairs of the Company. Prevention rather than punitive action is the sole thrust of the Vigilance department.

### 17. DEPOSIT FROM PUBLIC

The Company has neither invited any deposits from Public under Section 2(31), 73 and 74 of the Companies Act, 2013 nor accepted or received any deposits from the public.

### 18. PARTICULARS OF EMPLOYEES

Disclosures pertaining to remuneration and other details as required under Section 197(12) of the Act read with Rule 5(1) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 are not applicable.

### 19. BOARD OF DIRECTORS

As on 31st March 2022, the Board of Directors of Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited comprises of 14 Directors, of whom 5 Directors are nominees of the Government of India, 5 Directors are nominees of the Government of Uttar Pradesh including Managing Director and four post of Whole Time Directors have been sanctioned by the Board. The Secretary, Ministry of Housing &



Urban Affairs, Government of India is the Ex-officio. A detailed note on the Board of Directors is provided under the section 'Corporate Governance Report'.

## 20. NUMBER OF MEETINGS OF THE BOARD

During the financial year 2021-22 under review, the Board of Directors of the Company had 3 meetings i.e. on 15/07/2021, 10/11/2021 and 10/03/2022.

### Committees of the Board

The Board has constituted various committees of board commensurate with the size and nature of the operations of your Company and legal provisions. These are the Audit Committee & the Investment Committee, Corporate Social Responsibility Committee & Nomination Remuneration Committee. Each of these Committees have clearly spelt out 'Terms of Reference' approved by the Board. These committees meet according to the requirements of your company from time to time. The details of the committees of the Board are provided under the section 'Corporate Governance Report'.

## 21. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

In compliance with section 134(5) of the Companies Act, 2013, the Directors state that:

- In the preparation of the annual accounts applicable Indian Accounting Standards have been followed along with proper explanations for material departures;
- the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently, made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit and loss of the Company for that period;
- the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- the Directors had prepared the annual accounts on a going-concern basis;
- the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems are adequate and are operating effectively.

## 22. DECLARATION BY INDEPENDENT DIRECTORS

The Company is a Joint-Venture Company and it is exempted from appointment of Independent Directors on the Board of the Company.

## 23. EXTRACT OF THE ANNUAL RETURN

The extract of the Annual Return as provided under sub-section (3) of section 92 of the Companies Act, 2013 is attached with this report as Annexure-1.

## 24. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES AND INVESTMENTS

During the year under Report, the Company has not:



- Given any loan to any person or other body corporate;
- given any guarantee or provided security in connection with any loan to any other body corporate or person;and
- Acquired by way of subscription, purchase or otherwise, the securities of any other body corporate as prescribed under Section186 of the Companies Act, 2013.

## 25. RELATED PARTY TRANSACTIONS

During the year under report, the Company has not entered in to any contracts or arrangements with related parties referred to in sub-section(1) of Section 188 of the Companies Act 2013.

## 26. TECHNOLOGY ABSORPTION DURING THE YEAR.

The Company's operations are energy intensive, therefore, it has adopted a number of measures during the planning & design stage itself, to minimize energy consumption and to mitigate negative impact on the environment. During the year, the Company continues its following initiatives to reduce the energy consumption:

- Use of Air Cooled Chillers at underground stations and with Variable Refrigerant Volume (VRV) system at elevated stations
- Switching off the standby transformers of Phase I and II RSSs resulting in saving of no-load losses
- Performance of Heating Ventilation Air Conditioning (HVAC) is regulated based on the passenger load
- Coefficient of performance (CoP) has been specified to achieve energy efficient HVAC system which is used in Rolling Stock

## 27. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS

There have been no material changes and commitments, affecting the financial position of the Company, that have occurred between the end of the financial year of the Company and the date of this Report.

### a) Foreign exchange earnings and outgo

During the year details of foreign exchangeoutgo is given below:-

Amount in Rupees (in Lakhs)

S. No.	Particular	FY 2021-22	FY 2020-21
1.	Professional and consultancy fee	2700.28	2,309.81
2.	Tours and Travels	-	-
3.	Contracts	21643.86	8571.16

\*Shri Kumar Keshav has completed his extended tenure on 30.06.2022

## 28. DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

The following changes among the Directors took place during the Financial year:-

1. Appointment of Shri Manoj Joshi, Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Govt. of India as Nominee Director and ex-officio Chairman of the Company w.e.f. 29/12/2021.
2. Cessation of Shri Durga Shanker Mishra Ex- Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Govt. of India as Nominee Director and ex-officio Chairman of the Company w.e.f. 28/12/2021.

## 29. DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL:-

As on 31.03.2022, the Key Managerial Personnel of the Company are as follows:

- Shri Kumar Keshav, Managing Director\*
- Shri Sanjay Mishra, Whole Time Director (Works & Infrastructure)
- Shri Sushil Kumar, Whole Time Director (Operations)
- Shri Atul Garg, Whole Time Director (Rolling Stock & Systems)
- Shri S K Mittal, Whole Time Director(Finance & CFO)
- Smt. Pushpa Bellani, Company Secretary
- Remuneration and other details of the Key Managerial Personnel for the financial year ended on 31st March, 2022 are mentioned in the extract of the Annual Return.

## 30. SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS:

No significant and material orders were passed by the regulators or any courts or tribunals impacting the going-concern status of the Company and affecting its operations.

## 31. RISK MANAGEMENT POLICY:

Your Company is committed to identify potential risks in advance so that the risk management activities may be planned and invoked as and when needed of the project and to mitigate its adverse impacts on achieving the larger objectives.

Your Company has adopted the following measures to achieve and improve the specific objectives:-

- Conducting quarterly internal audit by independent auditors; the Audit Committee reviews observations and corrective actions taken wherever found appropriate.
- Physical verification of assets at regular intervals by a team constituted for the purpose and by the internal auditors.
- Have in place Internal control mechanism devised by independent expert team.

## 32. INTERNAL FINANCIAL CONTROL

The Board has adopted robust policies and procedures to ensure the orderly and efficient conduct of the Company's business by safeguarding its assets, preventing and detecting errors and frauds, ensuring the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation and submission of reliable financial disclosures.



### 33. CORPORATE GOVERNANCE

The Company consistently endeavours to adopt the best practices of Corporate Governance to ensure transparency, integrity and accountability in its functioning. The Corporate Governance Report highlighting these endeavors is enclosed as Annexure I.

### 34. AUDITORS

#### a. Statutory Auditor

Pursuant to Section 139 of the Companies Act, 2013 M/s Vinay Naveen & Co, Chartered Accountants (Statutory Auditors) were appointed as the Statutory Auditors of the Company for conducting Statutory Audit for the period of FY 2021-22 by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) tenure of auditor is till the conclusion of the 9th Annual General Meeting. Report of the Statutory Auditors forming part here of has been annexed suitably.

#### b. Secretarial Auditor

Pursuant to the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013, M/s Dileep Dixit & Co., Practicing Company Secretaries, was appointed by the Board of Directors to conduct the secretarial audit of the Company for the year 2021-22. The report from the secretarial auditor is annexed to this Report as Annexure-2.

#### c. Internal Auditor

M/s. SN Kapur & Associates, Chartered Accountants, Lucknow, were appointed as the Internal Auditors of the Company to conduct Internal Audit and their report is reviewed by the Audit Committee from time to time.

### 35. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors places on record their appreciation for the advice, guidance and support given by the various Ministries, Departments and Agencies of Govt. of India. and Govt. of Uttar Pradesh. The Board of Directors expresses sincere thanks to European Investment Bank for providing loan to this project. The Board also acknowledges and extends sincere thanks to the Comptroller and Auditor General of India, Secretarial Auditors, Statutory Auditors and Internal Auditors, various national and international contractors, consultants, technical experts and suppliers for their continued support and co-operation.

The Board of Directors wish to place on record appreciation for the hard work and commitment put in by the Company's employees at all levels due to which project targets are being achieved and train operations have started. The Board also look forward to their services with zeal and dedication in the years ahead to enable the Company to scale greater heights.

For and on behalf of the Board of Directors of  
**Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited**

Place: Lucknow  
Date: 16/12/2022

Sd/-  
**Sushil Kumar**  
Managing Director  
DIN-08271108

Sd/-  
**Sheel Kumar Mittal**  
Director (Finance)  
DIN-08821866

## REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

The Corporate Governance policy of Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited (UPMRCL) is evolved from the philosophy of adherence to impeccable Corporate Governance practices by ensuring transparency, accountability and standards of fair dealing and ethics for attaining its corporate objective of providing a safe, reliable, efficient, viable and customer-friendly Metro system for the city of Lucknow. UPMRCL pursues the highest standards of ethics and maintains core values of integrity and trust in the entire area in which it operates.

In the performance of its functions, UPMRCL is guided by the CVC guidelines, the Articles of Association (AoA) of the Company, the provisions of the Companies Act 2013, applicable Indian Accounting Standards (Ind-AS), regulations prescribed by authorities like the C&AG, provisions of the Right to Information Act 2005 and Rules made there under. In addition, all the applicable statutes governing the functioning of the organization in respect of safety, health, environment, welfare of the employees and those engaged through contractors, provision for fair compensation, rehabilitation and resettlement of project affected persons etc. are appropriately complied with.

### A. BOARD OF DIRECTORS

#### 1. Composition of the Board of Directors: -

As on 31st March 2022, the Board of Directors of Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited comprises of 14 (Fourteen) Directors, out of that 5 (Five) Directors are nominees of the Government of India and 5 (Five) Directors (including Managing Director of Company) are nominees of the Government of Uttar Pradesh. There are 4 (Four) other Whole Time Directors also. The Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs, Government of India is the Chairman of the Company.

The Composition of the Board as on 31.03.2022 is as follows:

Name	Designation
*Shri Manoj Joshi	Chairman, Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs (MoHUA)
Shri Kumar Keshav	Managing Director, UPMRC
Shri Shyam Sunder Dubey	Nominee Director, Gol Joint Secretary & FA, MoHUA
Shri Vinay Kumar Singh	Nominee Director, Gol Managing Director, National Capital Region Transport Corporation Limited
Shri Deepak Kumar	Nominee Director, GoUP Principal Secretary, Housing and Urban Planning Department, GoUP
Shri Ranjan Kumar	Nominee Director, GoUP Municipal Commissioner Lucknow Division
Shri Arvind Kumar	Nominee Director of GoUP, Add. Chief Secretary, (DI & ID)
Shri Arjun Singh Tomar	Nominee Director of Gol, ISAG/TRSEE ED/SIGNAL
Shri Kunal Kumar	Nominee Director of Gol, Joint Secretary (Smart City Mission), MoHUA)
Shri Sanjay Kumar	Nominee Director of GoUP Secretary, Finance Department .
Shri Sanjay Mishra	Whole-time Director (W & I), UPMRC
Shri Sushil Kumar	Whole-time Director (Operations), UPMRC
Shri Atul Kumar Garg	Whole-time Director (RS & S), UPMRC
Shri Sheel Kumar Mittal	Whole-time-Director (Finance), UPMRC

\*Shri Manoj Joshi is the Chairman of the Company w.e.f. 29.12.2021.



## 2. Note of Appreciation

The Board places on record its appreciation for the valuable services rendered and the expert advice provided by following Directors whose tenure ceased during the year under review;

Sr. No.	Name Of Director	Date Of Cessation	Designation
1	Shri Durga Shanker Mishra	28/12/2021	Nominee Director, GoI

The Board of Directors of the Company comprises professionals with proven administrative and execution capabilities, committed to the objective of the company, who collectively direct the affairs of the Company.

## 3. Board Procedure

Board Meetings are conducted regularly for critical evaluation and review of the performance of the Company and for ensuring effective implementation of management decisions. The Company has streamlined a procedure for holding the Board and its Committee Meetings, as explained below: -

### Scheduling and selection of Agenda items for Board/Committee Meetings:

The meetings are convened by giving appropriate notice after obtaining approval of the Chairman of the Board. To address specific urgent needs, meetings are also called at short notice. The Board also passed Resolutions by Circulation, but only for such matters, which are of utmost urgency and which are permissible in terms of the provisions of the Companies Act 2013.

The agenda papers are prepared by the Heads of Departments concerned and submitted to the Managing Director. Duly approved detailed agenda notes, management reports and other explanatory statements, backed by comprehensive background information, are circulated in advance amongst the members for facilitating meaningful, informed and focused decisions at the meetings.

In special and exceptional circumstances, additional or supplementary item(s), not on the agenda are taken up for discussion with the permission of the Chairman. The Board is also informed about major events/items of approvals taken whenever necessary. The Managing Director at the Board Meetings keeps the Board apprised of the overall performance of the Company. The Board is of the view that status of actions taken on the directives of the Board in earlier meetings also forms part of the agenda of next Board Meeting.

The members of the Board have complete access to all information of the Company. Also, the Board meetings are conducted in line with the Secretarial Standards-1.

### Briefing by the Managing Director:

At the beginning of each meeting of the Board, the Managing Director briefs the Board members about the key developments including the status of the project and other important achievements/developments relating to the Company in various areas.

### Recording Minutes of proceedings at the Board meeting:

Minutes of the proceedings of each Board meeting are recorded and are entered in the Minutes Book. The minutes of the Board Meetings are submitted for confirmation at its next meeting after these are signed by the Chairman. The minutes of the meetings of the Sub-committees of the Board are placed before the Board for its information.

### Compliance:

The Heads of Departments while preparing agenda notes ensure adherence to all the applicable statutory requirements including the provisions of the Companies Act 2013, the Articles of Association and the CVC guidelines.

The employees of the Company pursue the duties and responsibilities entrusted to them. They always maintain high moral standards and values in contributing towards corporate functioning, and the appropriate and timely guidance from the management, helps them to discharge their duties effectively.

#### 4. Meeting of shareholders

The 8th Annual General Meeting of the shareholders of the Company was held on Tuesday, 30.11.2021 at Registered office of the Company, Administrative Building, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

#### 5. Board Meetings

During the FY 2021-22, three Board meetings were convened and held. The attendance details of Directors at the Board meetings held during their tenure is as given below::

S. No	Name	No. of Meetings held in 2021-22 during the tenure of their Directorship	No. of Board meetings attended
1.	Shri. Manoj Joshi	1	1
2.	Shri. DurgaShanker Mishra	2	2
3.	Shri. Kumar Keshav	3	3
4.	Shri Shyam Sunder Dubey	3	2
5.	Shri Vinay Kumar Singh	3	2
6.	Shri Arvind Kumar	3	1
7.	Shri Arjun SinghTomar	3	1
8.	Shri Deepak Kumar	3	3
9.	Shri Kunal Kumar	3	0
10.	Shri Ranjan Kumar	3	1
11.	Shri Sanjay Kumar	3	2
12.	Shri. Sanjay Mishra	3	3
13.	Shri Sushil Kumar	3	3
14.	Shri. Atul Kumar Garg	3	3
15.	Shri Sheel Kumar Mittal	3	3

#### 5. Committees of the Board

The Board has constituted Four Committees, commensurate with the size and nature of operation of the Company. These are Audit Committee, Investment Committee, Corporate Social Responsibility Committee and Nomination & Remuneration Committee. Each of these committees has clearly



spelt out Terms of Reference duly approved by the Board. These Committees meet according to the requirements of the Company from time to time.

**a. Audit Committee**

The composition of the Audit Committee of the Company as on 31.03.2022 & attendance is as under::

S. No.	Name of the Director	Designation	Meetings held during respective tenure of Directors	No. of meetings attended
1	Shri Deepak Kumar Principal Secretary, Housing and Urban Planning Department, GoUP	Chairman	2	2
2	Shri Sanjay Kumar Secretary, Finance Department, GoUP	Member	2	1
3	Shri Shyam Sunder Dubey Joint Secretary & FA, MoHUA	Member	2	1
4	Shri Sushil Kumar Director (Operations) UPMRC	Member	2	2

The Committee met two times during the year under review.

Meeting No.	Date of Meeting
23rd	02.07.2021
24th	08.03.2022

Director (Finance), Internal Auditors and the Statutory Auditors of the Company were also invited to attend the meetings of the committee. The terms of reference of the Audit Committee has been approved by the Board in accordance with the provisions of Companies Act 2013 and rule made there under :-

**b. Investment Committee:**

The composition of the Investment Committee of the Company is as follows as on date.

S No	Name of the Member	Designation
1.	Shri Kumar Keshav, Managing Director	Chairman
2.	Shri Atul Kumar Garg, Director (RS&S)	Member
3.	Shri S K Mittal, Director (Finance)	Member



**c. Corporate Social Responsibility Committee:**

The Corporate Social Responsibility Committee of the company as on 31.03.2022 :-

S No	Name of the Member	Designation
1.	Shri Deepak Kumar	Principal Secretary, Housing & Urban Planning Department and Nominee Director, GoUP
2.	Shri Sushil Kumar	Director (Operations), UPMRC
3.	Shri S K Mittal	Director (Finance), UPMRC

During FY 2021-22 only 1 CSR Committee meeting held on 02.07.2021& all the members were present in the meeting.

**d. Nomination & Remuneration Committee:**

The composition of the Nomination & Remuneration Committee of the Company as on 31.03.2022:-

S No	Name of the Member	Designation
1.	Shri Deepak Kumar	Principal Secretary, Housing & Urban Planning Department and Nominee Director, GoUP
2.	Shri Kumar Keshav	Managing Director, UPMRC
3.	Shri S K Mittal	Director (Finance), UPMRC

**B. DISCLOSURES**

- There have been no materially significant related party transactions i.e., transactions of the Company of a material nature with its promoters, the directors or the management, subsidiaries or relatives etc.
- That may have potential conflict of interest with the interest of the Company at large.
- There were no cases of any statutory non-compliances by the Company or any instances of penalties imposed or structures against the Company by any Statutory Authority.
- There were no items of expenditure debited in the books of accounts, which were not for the purpose of the business of the Company.



### C. COMPANY'S WEBSITE

The Company's website is [www.lmrc.com](http://www.lmrc.com). All major information pertaining to the Company, including the project, contracts, job recruitment processes etc are given on the website to disseminate timely information about all procurement of goods and services. The website also provides information on all important events, activities and progress of the Metro Rail project and other significant developments.

**Registered Office:**  
**Administrative Building,**  
**Vipin Khand, Gomti Nagar,**  
**Lucknow-226010, Ph-0522-2304011**

Email: [pushpa.bellani@upmrc.co.in](mailto:pushpa.bellani@upmrc.co.in)  
Website: [www.lmrc.com](http://www.lmrc.com)

For and on behalf of the Board of Directors of  
**Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited**

**Place: Lucknow**  
**Date: 16/12/2022**

Sd/-  
**Sushil Kumar**  
Managing Director  
DIN-08271108

Sd/-  
**Sheel Kumar Mittal**  
Director (Finance)  
DIN-08821866

FORM NO. MGT 9

**EXTRACT OF ANNUAL RETURN**

As on financial year ended on 31.03.2022

Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Company (Management & Administration) Rules, 2014.

**I. REGISTRATION & OTHER DETAILS:**

1.	CIN	U60300UP2013SGC60836
2.	Registration Date	25 <sup>th</sup> November, 2013
3.	Name of the Company	Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited
4.	Category/Sub-category of the Company	Government Company
5.	Address of the Registered office & contact details	Administrative Building, Near Dr Bhimaro Ambedkar Samajik Parivartan Sthal, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow- 226010 Phone:0522-2304010 Email: pushpa.bellani@upmrc.co.in, Website: www.upmetrorail.com
6.	Whether listed company	Not Listed
7.	Name, Address & contact details of the Registrar & Transfer Agent, if any.	NA

**II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY :**

(All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated)

S. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/service	% to total turnover of the company
1.	Land transport via Railways & Pipelines	H2	100

**III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES**

Sr. No.	Name and address of the company	CIN / GLN	Holding / Subsidiary / Associate	% of shares held	Applicable section
	-----Not Applicable -----				



#### IV. SHAREHOLDING PATTERN (EQUITY SHARE CAPITAL BREAKUP AS PERCENTAGE OF TOTAL EQUITY):

##### a) Category-wise Share Holding

(Figure in Lacs)

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year [As on 01-April-2021]				No. of Shares held at the end of the year [As on 31-March-2022]				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
<b>A. Promoters</b>									
<b>(1) Indian</b>									
a) Individual/ HUF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Central Govt.	-	1456.94	1456.94	50.58%	-	1992.94	1992.94	48.82%	(1.76)%
c) State Govt.(s)	-	1423.50	1423.50	49.42%	-	2089.05	2089.05	51.18%	1.76%
d) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Banks / FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Any other	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total shareholding of Promoter (A)</b>		<b>2880.44</b>	<b>2880.44</b>	<b>100%</b>		<b>4081.99</b>	<b>4081.99</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>
<b>B. Public Shareholding</b>									
1. Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Mutual Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Banks / FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Central Govt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) State Govt(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Insurance Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) FIs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) Foreign Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Others (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub-total (B)(1):-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. Non-Institutions</b>									
a) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Indian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Overseas	-	-	-	-	-	-	-	-	-

b) Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Individual shareholders holding nominal share capital up-to Rs. 1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Others (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(i) Non Resident Indians	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) Overseas Corporate Bodies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Foreign Nationals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) Clearing Members	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) Trusts	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) Foreign Bodies –D R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub-total (B)(2):-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Public Shareholding (B) = (B)(1) + (B)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C. Shares held by Custodian for GDRs &amp; ADRs</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Grand Total (A + B + C)</b>	-	<b>2880.44</b>	2880.44	100%	-	4081.99	4081.99	100%	-

**b) Shareholding of Promoter-**

(Figure in Lacs)

S. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in shareholding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	
1.	Central Govt.	1456.94	50.58%	-	1992.94	48.82%	-	1.76% Decreased
2.	UP Govt.	1423.50	49.42%	-	2089.05	51.18%	-	1.76% Increased
	<b>Total</b>	<b>2880.44</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>4081.99</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



c) **Change in Promoters' Shareholding :-**

S. No.	Name of Shareholder	Shareholding at the beginning of the year (i.e. 01.04.2021)		Date	Increase/Decrease Shareholding		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1.	Govt. of U.P	1423.50	49.42%	15.07.2021 10.11.2021 10.03.2022	156.00 271.50 238.05	1.76% Increased	2089.05	51.18%
2.	Govt. of India	1456.94	50.58%	15.07.2021 10.11.2021 10.03.2022	236.00 272.00 28.00	1.76% Decreased	1992.94	48.82%
<b>Total</b>		<b>2880.44</b>	<b>100%</b>	-	<b>1201.55</b>	-	<b>4081.99</b>	<b>100%</b>

d) **Shareholding Pattern of top ten Shareholders: NIL**  
(Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs)

e) **Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel: NIL**

**V) INDEBTEDNESS**

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment.

(Fig. in Lacs)

Particulars	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
<b>Indebtedness at the beginning of the financial year</b>				
i) Principal Amount		574120		574120
ii) Interest due but not paid		1965.89		1965.89
iii) Interest accrued but not due		217.46		217.46
<b>Total (i + ii + iii)</b>		<b>576303.35</b>		<b>576303.35</b>
<b>Change in Indebtedness during the financial year</b>				
Addition		298800		298800
Reduction		-		-
<b>Net Change</b>				
<b>Indebtedness at the end of the financial year</b>				
i) Principal Amount		872920		872920
ii) Interest due but not paid		2803.91		2803.91
iii) Interest accrued but not due		208.51		208.51
<b>Total (i + ii + iii)</b>		<b>875932.42</b>		<b>875932.42</b>

## VI) REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL-

### A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/ Manager (Amt in Rs.)					Total Amount
		Managing Director	WTD (Finance)	WTD (W&I)	WTD (R&S)	WTD (Operations)	
		Kumar Keshav	Sheel Kumar Mittal	Sanjay Mishra	Atul Kumar Garg	Sushil Kumar	
<b>1.</b>	<b>Gross salary</b>						
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	6056000	3798679	4199476	3900824	4200476	22155455
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	583902	370146	406620	379366	406720	2146754
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Stock Option</b>	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Sweat Equity</b>	-	-	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Commission - as % of profit</b>	-	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Others, specify (Medical Benefits)</b>	42006	155151	22491	-	6750	226398
	<b>Total (A) Rs</b>	6681908	4323976	4628587	4280190	4613946	24528607
	<b>Ceiling as per the Act</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA

### B. Remuneration to other directors : NIL



### C. Remuneration to Key Managerial Personnel Other Than MD/Manager/WTD

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel	
		Smt. Pushpa Bellani, Company Secretary	Total
1.	Gross salary		
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	3095731	3095731
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	-	-
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	-	-
2.	Stock Option	-	-
3.	Sweat Equity	-	-
4.	Commission	-	-
	as % of profit		-
	others, specify	-	-
5.	Others, please specify (Medical Benefits)	70345	70345
	<b>Total</b>	<b>3166076</b>	<b>3166076</b>

### VII) PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES : NIL



**Dileep Dixit & Co.**  
Company Secretaries

Email ID : cs.delipdixit@gmail.com  
Contact Nos. : +91 8354980010

Form No. MR-3

**SECRETARIAL AUDIT REPORT  
FOR THE PERIOD ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2022**

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,

**Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited**

CIN: U60300UP2013SGC060836

Reg. Office: Administrative Building Vipin Khand,

Gomti Nagar, Near Dr. Ambedhkar Samajik,

Parivartan Sthal Lucknow -226010 Uttar Pradesh

E-mail id: cslmrc@gmail.com

1. We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited** (hereinafter called as “the company”). The Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.
2. We have examined the registers, records, books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st Day of March, 2021 according to the provisions of:
  - i. The Companies Act, 2013 and Rules made there under and various applicable allied acts warranting compliance;
  - ii. The Metro Railways (Construction of works) Act, 1978 and Rules thereof;
  - iii. The Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 and Rules thereof; and
  - iv. The Memorandum and Articles of Association of the Company;
3. Based on our verification of books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st Day of March, 2021** complied with the statutory provisions listed hereunder:
  - i. maintenance of various statutory registers and documents and making necessary entries therein;
  - ii. forms, returns, documents and resolutions required to be filed with the Registrar of Companies;
  - iii. service of documents by the Company on its Members, Auditors and the Registrar of Companies;



- iv. notice of Board and various Committee meetings of Directors;
- v. meetings of Directors and all the Committees of Directors;
- vi. notice and convening of Annual General Meeting held on 30th November, 2021;
- vii. minutes of the proceedings of the Board Meetings, Committee and Members Meetings;
- viii. approvals of the Board of Directors, Committee of Directors, Members and Government authorities, wherever required;
- ix. constitution of the Board of Directors, Committees of Directors and appointment and reappointment of Directors;
- x. payment of remuneration to Directors and Managing Director and Key Managerial Personnel;
- xi. appointment and remuneration of Statutory Auditors, Secretarial Auditors and Internal Auditors;
- xii. transfer of Company's shares, issue and allotment shares;
- xiii. contracts, registered office and publication of name of the Company;
- xiv. report of the Board of Directors;
- xv. investment of Company's funds;
- xvi. generally, all other applicable provisions of the Act and the Rules there under;
- xvii. The Company has, in our opinion, proper Board-processes and compliance mechanism and has complied with the applicable statutory provisions, Act(s), rules, regulations, guidelines, applicable secretarial standards, etc., mentioned above and as stipulated under the Memorandum and Articles of Association the Company.

**4. We further report that:**

- i. the Directors have complied with the requirements as to disclosure of interests and concerns in contracts and arrangements, shareholdings and directorships in other Companies and interest in other entities;
- ii. the Company has obtained all necessary approvals under various provisions of the Companies Act, 2013 wherever necessary;
- iii. there was no prosecution initiated against or show cause notice received by the Company during the year under review the Companies Act, 2013 and rules, regulations and guidelines there under..

**5. We further report that during the year:**

The status of the Company remains as a Government Company with 50:50 Joint Venture of State (Government of Uttar Pradesh) and Central Government. Further, we are of the view that the Company is regular in complying with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 and the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (Being specific acts governing the Company).

- i. The compliance to that effect have been made and this fact has been examined from the perusal of various records maintained by the Company.

- ii. During the period under review, the Board of Directors of the Company was duly constituted and the appointment and cessation of Directors has been made in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and respective Government Orders. The Company has complied with all the mandatory requirements.

We further report that the applicable financial laws, such as Direct and Indirect Tax Laws have not been reviewed under our audit in its entirety as same falls under review of the statutory audit and by other designated professionals and we relied upon the reports of such statutory auditor and other designated expert professionals.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India;  
(ii) Auditing Standards (CSAS) issued by The Institute of Company Secretaries of India (ICSI);

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

#### **We further report that**

The Board of Directors of the Company is duly constituted. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act and as per the orders issued by the concerned regulatory body and government in this regard.

Adequate notices were given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance in most of the meetings, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

As per the minutes of the meetings duly recorded and signed by the Chairman, the decisions of the Board were unanimous and no dissenting views have been recorded.

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

This Report is to be read with our letter of even date which is annexed as **Annexure A** and forms an integral part of this report.

**UDIN: F006244D000466649**

**Place: Lucknow**

**Date: 06/06/2022**

For M/s. **Dileep Dixit & Co.**

Sd/-  
**Dileep Kumar Dixit**  
Proprietor  
FCS No. 6244  
C P No. 6770



## Annexure A

To,

The Members,

Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited

CIN: U60300UP2013SGC060836

Reg. Office: Administrative Building Vipin Khand,

Gomti Nagar, Near Dr. Ambedhkar Samajik,

Parivartan Sthal Lucknow -226010 Uttar Pradesh

E-mail id: cslmrc@gmail.com

### **Management's Responsibility**

1. It is the responsibility of management of the Company to maintain secretarial records, devise proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and regulations and to ensure that the systems are adequate and operate effectively.

### **Auditor's Responsibility**

2. We have obtained reasonable assurance about whether the statements prepared, documents or Records maintained by the Auditee are free from misstatement.
3. The audit has been conducted as per the applicable Auditing Standards.
4. We have the responsibility to only express our opinion on the evidences collected, information received and Records maintained by the Auditee or given by the Management.
5. We have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on the test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the process and practices, we followed provide a reasonable basis from our opinion.
6. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records, standards and procedures followed by the Company with respect to secretarial compliances.
7. We believe that audit evidence and information obtained from the Company's management is adequate and appropriate for us to provide a basis for our opinion.
8. Wherever required, we have obtained the management's representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
9. The compliance of the provision of corporate & other applicable laws, rules, regulation, standards is the responsibility of the management. Our examination was limited to the verification of procedure on test basis.
10. The Auditee has followed applicable laws, act, rules or regulations in maintaining their Records, documents, statements, or have complied with applicable laws or rules while performing any corporate action.

### Unmodified opinion

11. We conclude that:
- there is due compliance with the applicable laws in terms of timelines and process; and
  - the Records as relevant for the audit verified by him as a whole are free from Misstatement and maintained in accordance with applicable laws.

### Disclaimer

12. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.
13. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Company so far it is not concerned with our audit related matters.
14. Due consideration was given to the fact of widespread pandemic Covid-19 novel Coronavirus and maximum efforts were made to maintain social distancing while conducting the audit and all steps were taken to digitally conduct the audit with less physical presence at audit place and has considered the relaxations provided by the Government in respect of various statutory compliances on account of the pandemic Covid-19 novel Coronavirus.

**UDIN: F006244D000466649**

**Place: Lucknow**

**Date: 06/06/2022**

For M/s. **Dileep Dixit & Co.**

Sd/-  
**Dileep Kumar Dixit**  
Proprietor  
FCS No. 6244  
C P No. 6770

## INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

### **To the Members of Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited (Formerly Lucknow Metro Rail Corporation Limited)**

Report on the Audit of the Financial Statements

#### **Opinion**

We have audited the accompanying financial statements of Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited (Formerly Lucknow Metro Rail Corporation Limited), (The Company), which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2022, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Cash Flow Statement and the Statement of Changes in Equity for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 (the 'Act) in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India including Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under Section 133 of the Act, of the state of affairs (financial position) of the Company as at 31 March 2022, and its profit (financial performance including other comprehensive income), its cash flows and the changes in equity for the year ended on that date.

#### **Emphasis of Matter**

We hereby draw attention on the below noted points:

- 1) Note No. 13, Share Application money of Rs. 7 Crore and Rs. 57.75 crore has been received from Government of India (GOI) and Government of Uttar Pradesh (GoUP) respectively on 16.03.2022 and 30.03.2022. The company has allotted the share against the above-mentioned share application money on 29.06.2022 that is after the expiry of 60 days period as prescribed under section 42 of companies act 2013.
- 2) Note No. 14 and 33(d) to the Ind AS financial statement, regarding recognition of Interest free subordinate Government loan at historical value presented as financial liability has not been measured in accordance with Ind AS 109 – Financial Instruments, due to uncertainty in period of repayment of the subordinate debt.
- 3) Note No. 33(d) to the Ind AS financial statement, European Investment Bank (EIB) loan outstanding INR 6,89,500 lakhs & interest due of INR 2971.79 Lakhs, Government of India arranged Pass Through Assistance (PTA) of these loan disbursements for execution of the metro rail project in Lucknow (U.P). Exchange rate fluctuations gain/loss has not been provided in the Ind AS financial statements as required by Ind AS 21 – “The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates” and shall be provided on transaction basis on advice of Gol.
- 4) Note No. 14 and 33(d) to the Ind AS financial statement, out of the total EIB loan, moratorium period for EIB Loan tranche A part 1 and part 2 is over and principal of EUR 12.12 million and interest amount as EUR 3.37 million which is overdue for the period. The company is debiting a panel interest @ 2% + applicable rate for defaults.

- 5) Note no. 33 (e) to the Ind AS Financial statement, wherein GoI has provided the amount for Tax reimbursement as subordinate debt, but the same has been treated in books of accounts as Financial Assistance.

### Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI') together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

### Responsibilities of Management for Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the state of affairs (financial position), profit or loss (financial performance including other comprehensive income), changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Ind AS specified under Section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

### Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:



- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under Section 143(3) (i) of the Act, we are also responsible for explaining our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

### Basis of Qualified Opinion

- 1) Attention is drawn in the matter relating to Note No. 33 (c) (ii) "The Company received INR 3500 Lakh from UPSIDC in the year 2014-15 and 2015-16 for equity participation and the same had been shown as "Share application money pending allotment" under the Note – "Other Equity" in its account till previous Year (2018-19). In the FY 2019-20 the Company has transferred this amount (INR 3500 lakh) from the head "Share application money pending allotment to the head "Other Current Liabilities". The approved DPR envisaged 50:50 equity participation of GoUP and Gol. Henceforth, the shares could not have been issued to any Government Corporation in terms of Finance Model of approved DPR. Considering the prudent accounting norms, the same have been taken to Current Liabilities."

*We have opinion that the company could not be directly transfer the amount of share application money into other current liabilities itself. UPSIDC is neither sundry creditors nor sundry debtors of the company.*



*According to Section 42 of the company Act, 2013, the share should be allotted within 60 days and the securities are not allotted within 60 days, the whole application money is to be refunded within 15 days from the date of completion of 60 days. It shall be liable to repay that money with interest @ 12% PA from the date of expiry of 60 days. So, in that case the company has not followed the provision of the section 42 of the company Act, 2013.*

- 2) The Company has written off extra provisions done in last years. As per Ind AS, the company should prepare restate Financial Statement (Balance Sheet and Trading & Profit & Loss Account) of the last years to show true and fair values of last years Financial Statement. The details of the same is attached as Annexure "D"
- 3) The company has raised six GST Invoices of Rs. 11920552.00 in the financial year 2019-20 including the charges of services, not provided to the customer, M/s Abhi Advertising.

In the year 2021-22, the company passes the rectification entries and credit the account of M/s Abhi Advertising with an amount of Rs. 9824040.00 for which the company has not provided the service and the company has filed an appeal before the office of GST department to refund the extra deposit amount Rs. 1768778.00 as GST on the amount of Rs. 9824040.00 in the year 2019-20 and

We have opinion that according to Ind AS, the last year financial statements of the financial year 2019-20 should be restate with the financial statement as on 31-03-2022.

We have opinion, that the company should be book a contingent liability for Rs. 1768778.00 up to finalization of the appeal.

### Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act, we give in "Annexure A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
2. As required by section 143(5) of the Act, we give in "Annexure B" a statement based on the directions issued and matters specified by the Comptroller and Auditor General of India.
3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
  - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
  - b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books
  - c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, the Cash Flow Statement and Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account
  - d) In our opinion, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act
  - e) Since, the company is a Government Company, section 164(2) of the Companies Act, 2013 regarding obtaining written representations from the directors of the Company, is not applicable to the company in terms of notification no. GSR-463(E) dated 5th June 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs.



- f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in “Annexure C”.
- g) With respect to the other matters to be included in the Auditor’s Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
  - i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Ind AS financial statements which would impact its financial position in its Notes No. 30 (1) to Ind AS Financial Statement.
  - ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses, if any.
  - iii. There is no amount which is, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
4. With respect to the matter to be included in the Auditors’ Report under section 197(16): As per Notification No. GSR 463(E) dated 5 June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, Section 197 of the Act is not applicable to the Government Companies. Accordingly, reporting in accordance with requirement of provisions of section 197(16) of the Act is not applicable on the Company.

**FOR VINAY NAVEEN & COMPANY**  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
(FRN NO. 009188C)

**Sd/-**  
(CA VINAY MITTAL)  
PARTNER  
M. NO 078907  
UDIN: 22078907ANUFAD8890

**PLACE: GHAZIABAD**  
**DATE : 28-07-2022**

## ANNEXURE - A TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

(Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' in the Independents Auditor's Report of even date)

- i. In respect of the Company's property, plant and Equipment and intangible assets:
  - a. The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of property, plant and Equipment and intangible assets.
  - b. The Company has a program of verification to cover all the items of property plant and equipment in a phased manner which, in our opinion, is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets. Pursuant to the program, property, plant and Equipment were physically verified by the Management during the year. According to the information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such verification.
  - c. As per the information and explanation given to us, title deeds of immovable properties are held in the name of the Company except as disclosed in Note No. 1 and 33(f) to the Ind AS Financial Statement. The company has not been disclosed the details of title deeds of immovable properties (excluding leased properties), not held in the name of the company in the prescribed format in the financial statement. It is a statutory requirement of Revised schedule III of Company Act, 2013. Attached Annexure "E"
  - d. The Company has not revalued any property, plant and equipment including intangible assets.
  - e. The company is not holding any benami property and no proceedings against the company on the holding of any benami property.
- ii. The company has program of physical verification of inventory in a phased manner which, in our opinion, is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets. Pursuant to the program, inventory were physically verified by the Management during the year. According to the information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such verification.
- iii. The Company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013.
- iv. According to the information and explanations given to us, the company has not given loan or made Investment or given guarantee and security for the persons specified under provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013, and hence not commented upon.
- v. The Company has not accepted deposits during the year and does not have any unclaimed deposits as at March 31, 2022 and therefore, the provisions of the clause 3(v) of the Order are not applicable to the Company.
- vi. The Central Government has not prescribed the maintenance of Cost Records under section 148(1) of the Act for any of the services rendered by the company hence not commented upon.
- vii. According to the information and explanations given to us, in respect of statutory dues:
  - a. The Company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues, including



Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax, Service Tax, Goods and Service Tax, Customs Duty, Excise Duty, Cess and other material statutory dues applicable to it with the appropriate authorities.

- b. There were no undisputed amounts payable in respect of Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax, Service Tax, Value Added Tax, Goods and Service Tax, Customs Duty, Excise Duty, Cess and other material statutory dues in arrears as at March 31, 2022 for a period of more than six months from the date they became payable.
- c. According to the information and explanation given to us, the dues of income tax, outstanding on account of any dispute are as under.

Due to non-availability of data on Income Tax Portal, we are unable to comments on dues of Income Tax Department on the company.

Nature of the Statute	Nature of Dues	Forum where dispute is pending	Period to which amount relates	Amount INR In Lacs
Income tax Act 1961	Tax Deducted at Source	CIT (Appeal)	2015-16	47.64
Income tax Act 1961	Tax Deducted at Source	CIT (Appeal)	2016-17	108.40

- viii. To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us no such transactions found which are not recorded in books of account surrendered or disclosed as income in income tax proceedings.
- ix.
  - a) According to the information and explanation given to us, out of the total European Investment Bank EIB loan, moratorium period for EIB Loan tranche A part 1 and part 2 is overdue. It has been observed that the Company has not paid the principal EUR 12.12 million and interest EUR 3.37 million accrued on EIB loan as on 31stMarch2022 due to GOI as provided as PTA.
  - b) According to the information and explanation given to us, company is not a wilful defaulter by bank/ financial institution/ other lender.
  - c) As per explanation provided to us, the company raised monies by way of further offer of shares to the existing shareholders or term Loans and the amount were used for the purpose for which they were raised.
  - d) As the company is not a subsidiary, associates or joint venture requirement related to fund taken to meet the obligation if its subsidiaries associates or joint venture is not applicable.
  - e) The company does not have any subsidiary, associates or joint venture hence the requirement related to the loan raised by pledge of share of subsidiary, associate or joint venture is not applicable.
- x.
  - a) During the year, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly paid convertible debentures and hence, reporting under this clause of the CARO is not applicable to the Company.
  - b) No private placement or preferential allotment of shares or partly paid convertible debenture issued by the company.
- xi.
  - a) To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, no fraud by the Company or no material fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.

- b) During the audit, we have not found any fraud hence there is no requirement to file Form ADT 4 u/s 143(12) of the company Act, 2013.
- c) No such whistle blower compliant received during the year by the company.
- xii. The Company is not a Nidhi company and hence, reporting under Clause 3(xii) of the CARO is not applicable to the Company.
- xiii. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is in compliance with Section 177 and 188 of the Companies Act, 2013 where applicable, for all transactions with the related parties and the details of related party transactions have been disclosed in the Ind AS financial statements as required by the applicable Indian accounting standards.
- xiv. The company is conducting Internal Audit, in our opinion, it is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets.
- xv. In our opinion and according to the information and explanations given to us, during the year the Company has not entered in to any non-cash transactions with its directors or persons connected to its directors and hence provisions of Section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.
- xvi. The Company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.
- xvii. The company has not incurred any Cash losses during FY 2021-22.
- xviii. During the Financial Year 2021-22, The statutory auditor has not been resigned from the company.
- xix. According to the information and explanation given to us, out of the total European Investment Bank EIB loan, moratorium period for EIB Loan tranche A part 1 and part 2 is overdue. It has been observed that the Company has not paid the principal EUR 12.12 million and interest EUR 3.37 million accrued on EIB loan as on 31st March 2022 due to GOI as provided as PTA.
- xx. The company has incurred losses in current and previous financial years hence the requirement of section 135 of companies act 2013 are not applicable.
- xxi. The company is not preparing consolidated financial statement hence this clause is not applicable.

**FOR VINAY NAVEEN & COMPANY**  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
(FRN NO. 009188C)

Sd/-  
(CA VINAY MITTAL)  
PARTNER  
M. NO 078907  
UDIN: 22078907ANUFAD8890

**PLACE: GHAZIABAD**  
**DATE : 28-07-2022**



## ANNEXURE - B TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

[[Referred to in paragraph 2, under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' in the Independent Auditor's Report of even date]

According to the information and explanations given to us we report as under:

**1. Whether the system in vogue for identification of project to be taken up under Public Partnership is in line with the guidelines/ policies of the Government? Comment on deviation if any?**

As per information and explanation provided to us, UPMRC has entered into agreement with HDFC Bank as merchant acquirer Bank for Lucknow Metro Project, Fare Collection system, agreement for six years and provision of Allied Banking Applications and SBI Bank Design, manufacture, supply, installation, testing & commissioning of open loop EMV NVMC card & QR code based Automatic Fare Collection (AFC) system on "PPP" basis for Kanpur Metro Project for 10 years Applications under PPP model, no deviation in compliances of Government guidelines/ policies was reported.

**2. Whether system for monitoring the execution of works vis-a- vis the milestones stipulated in the agreement is in existence and the impact of cost escalation, if any, revenues/ losses from contracts, etc., have been properly accounted for in the books.**

The system for monitoring the execution of works vis-a-vis the milestones stipulated in the agreement is appropriate. The Technical Executives of Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited (UPMRC (Formerly LMRC)) along with General Consultants (GC) engaged by UPMRC (Formerly LMRC) examines the claims and works in accordance with the milestones stipulated in the agreement and continuously monitor it. Any revenues/losses from contracts, etc. have been properly recorded in the books.

**3. Whether funds received/ receivable for specific schemes from central/ State agencies were properly accounted for /utilized as per its terms and conditions? List the cases of deviations. ?**

Funds received by the company are as per the Finance Model in approved DPR which have been generally properly accounted for/utilized. However As per MOU dated 23rd. March 2016 between GOI, GOUP and UPMRC (FORMERLY LMRC), the debt servicing liability of UPMRC (Formerly LMRC) with regard to EIB, the loan portion shall be reckoned based on the repayment schedule of EIB in rupee terms along with exchange rate fluctuation of loan currency, which the company has not provided for the effects of Changes in Foreign Exchange Rates, and shall be provided on transaction basis on advice of GOI, Further loan from GOI and GoUP would be paid after paying the senior debt.

Further, The company has received an amount of INR 214.40 crore and INR 161.00 crore respectively for Kanpur Metro Project and Agra Metro project for reimbursement of State Taxes from GoUP till 31st March 2022. Though the amount was released by GoUP as "Subordinate Debt", as mentioned in the Government Order issued while releasing the amount, the company has treated the same as Financial Assistance and shown it in Balance Sheet in Note 17- Other Non-Current Liabilities- Government Grant.

**4. Whether the bank guarantees have been revalidated in time?**

Bank guarantees have been generally validated in time.

**5. Comment on the confirmation of balances of trade receivables, trade payables, term deposits,**

**bank accounts and cash obtained.**

The company has received balance confirmations for its banks balances and term deposit which are reconciled with books of accounts for any difference, further non confirmation of most of the balances of trade payable and trade receivables and the consequent effect on the book balances and the actual balance over the profitability/loss to the company is subject to reconciliation if any.

**FOR VINAY NAVEEN & COMPANY**  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
(FRN NO. 009188C)

**PLACE: GHAZIABAD**  
**DATE : 28-07-2022**

**Sd/-**  
(CA VINAY MITTAL)  
PARTNER  
M. NO 078907  
UDIN: 22078907ANUFAD8890



## ANNEXURE - C TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

[Referred to in paragraph 3(f), under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' in the Independent Auditor's Report of even date]

### **Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ('the Act')**

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited (Formerly Lucknow Metro Rail Corporation Limited) ('the Company') as of 31 March 2022 in conjunction with our audit of the Ind AS financial statements of the Company for the year ended on that date.

### **MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR INTERNAL FINANCIAL CONTROLS**

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

### **AUDITORS' RESPONSIBILITY**

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the 'Guidance Note') and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.



## MEANING OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS OVER FINANCIAL REPORTING

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

- (1) Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company;
- (2) Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of the Management and directors of the Company; and
- (3) Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

## INHERENT LIMITATIONS OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS OVER FINANCIAL REPORTING

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

## OPINION

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31 March 2022, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

**FOR VINAY NAVEEN & COMPANY**  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
(FRN NO. 009188C)

Sd/-  
(CA VINAY MITTAL)  
PARTNER

M. NO 078907

UDIN: 22078907ANUFAD8890

**PLACE: GHAZIABAD**  
**DATE : 28-07-2022**



## ANNEXURE - "D"

Date	Voucher	Amount (In Rs.)	Remarks
30-11-2021	Dr. Vehicle Hire Charges Payable Cr. Vehicle Hire Charges	1038211.00	Being adhoc provision booked for vehicle hire charges reverses It is related to year 2020-21.
31-03-2022	Dr. Pandit Travel A/c Cr. Vehicle Running & Maintenance Expenses	115847.00	Being excess provision reversed It is related to year 2018-19
	Dr. RR Motors A/c Cr. Vehicle Running & Maintenance Expenses	1114.00	
31-03-2022	Dr. Capital Work in Progress (Alok Singh)	1596844.00	Being assets capitalized based on estimated trued up.
	Dr. Capital Work in Progress (Ram Infra)	14871.00	It is related to year 2018-19 onwards and the company has start to charged depreciation on that asset from 08-03-2019.
	Dr. Capital Work in Progress (LKCC 01)	4000000.00	
	Dr. Capital Work in Progress (LKCC 07)	160124662.00	
	Dr. Capital Work in Progress (Tele Power)	546143.00	
	Cr. Station Building	111624767.00	
	Cr. Viaduct Bridges, Tunnels Culverts Bunders	54657753.00	

**FOR VINAY NAVEEN & COMPANY**  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
(FRN NO. 009188C)

Sd/-  
(CA VINAY MITTAL)  
PARTNER

M. NO 078907  
UDIN: 22078907ANUFAD8890

PLACE: GHAZIABAD  
DATE : 28-07-2022

## ANNEXURE - "E"

List of title deeds of land which are not held in name of company is required as per amendment to schedule III

Relevant items in the Balance Sheet	Description of item of property	Gross Carrying Value (in lakh)	Title deeds held in the name of	Whether title deed holder is a promotor director or relative / director or employee of promotor/ director	Property held since which date	Reason for not being held in the name of Company
Property Plant & Equipment	Land	108.01	UP Co-operative Union Limited (Sahkarita Bhawan)	No	23.07.2016	Registry/Transfer Pending
Property Plant & Equipment	Land	284.64	UP Co-operative Union Limited (Head Office)	No	03.06.2017	Registry/Transfer Pending
Property Plant & Equipment	Land	107.37	All India Radio	No	16.05.2018	Registry/Transfer Pending
Property Plant & Equipment	Land	1,214.22	UP State Road Transport Corporation (Workshop)	No	31.01.2020	Registry/Transfer Pending
Property Plant & Equipment	Land	154.27	Kendriya Upbhokta Sahkari Bhandar Limited	No	05.07.2021	Registry/Transfer Pending
Property Plant & Equipment	Land	465.58	UP State Road Transport Corporation	No	02.03.2022	Registry/Transfer Pending



**UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED**  
(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)  
REGISTERED OFFICE : ADMINISTRATIVE BUILDING, VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW  
**BALANCE SHEET AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH, 2022**

(INR in lakhs)

Particulars	Note No.	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
<b>ASSETS</b>			
<b>Non-current assets</b>			
(a) Property, Plant and Equipment	1	824,021.77	622,491.59
(b) Capital work-in-progress	2	76,448.29	95,809.66
(c) Intangible assets	3	4,365.12	4,606.94
(d) Intangible Assets Under Development	4	36.11	22.52
(e) Financial Assets			
(i) Loans			
(ii) Other Financial Assets	5	606.34	428.20
(f) Other non-current Assets			
<b>Total Non-Current Assets</b>		<b>905,477.63</b>	<b>723,358.91</b>
<b>Current Assets</b>			
(a) Inventories	6	103.25	7.78
(b) Financial Assets			
(i) Trade Receivables	7	205.56	413.30
(ii) Cash & Cash Equivalents	8	383,067.01	156,863.90
(iii) Other Financial Assets	9	3,243.59	1,804.31
(c) Current Tax Assets	10	101.51	80.05
(d) Other Current Assets	11	55,848.47	28,850.19
<b>Total Current Assets</b>		<b>442,569.39</b>	<b>188,019.53</b>
<b>Total Assets</b>		<b>1,348,047.02</b>	<b>911,378.44</b>
<b>EQUITY AND LIABILITIES</b>			
<b>Equity</b>			
(a) Equity Share Capital	12	408,199.00	288,044.00
(b) Other Equity	13	(96,644.33)	(44,204.68)
<b>Total Equity</b>		<b>311,554.67</b>	<b>243,839.32</b>
<b>Liabilities</b>			
<b>Non-current liabilities</b>			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	14	860,092.74	563,705.20
(ii) Lease Liabilities	15	120.80	32.80
(iii) Other Financial Liabilities	16	1,016.61	774.66
(b) Provisions	17	2,096.58	1,715.38
(c) Deferred Tax Liabilities (Net)			
(c) Other Non Current Liabilities	18	114,333.40	58,024.47
<b>Total Non-Current Liabilities</b>		<b>977,660.13</b>	<b>624,252.52</b>

<b>Current Liabilities</b>			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	19	12,827.26	10,414.80
(ii) Lease Liabilities	20	35.40	0.35
(iii) Trade Payables	21		
(A) Dues of small enterprises and micro enterprises		118.54	33.38
(B) Dues of creditors other than small enterprises and micro enterprises		786.27	1,130.21
(ii) Other Financial Liabilities	22	29,129.15	22,841.97
(b) Other Current Liabilities	23	14,259.24	7,224.17
(c) Provisions	24	1,676.37	1,641.73
<b>Total Current Liabilities</b>		<b>58,832.22</b>	<b>43,286.62</b>
<b>Total Equity and Liabilities</b>		<b>1,348,047.02</b>	<b>911,378.44</b>

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements 32 & 33

Audit Report of even date attached

**For and on behalf of the Board**

Sd/-  
**(Kumar Keshav)**  
Managing Director  
DIN: 02908695

Place : Lucknow  
Date : 29th June 2022

Sd/-  
**(Sheel Kumar Mittal)**  
Director Finance  
DIN: 08821866

Sd/-  
**(Pushpa Bellani)**  
Company Secretary  
M.No. F8440

**For : Vinay Naveen & Company**  
Chartered Accountants  
FRN : 009188C

Sd/-  
**(CA Vinay Mittal)**  
Partner  
Membership No : 078907



**UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED**  
(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)  
**STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2022**

(INR in lakhs)

Particulars	Note No.	For the Year Ending 31.03.2022	For the Year Ending 31.03.2021
<b>Income</b>			
i) Revenue From Operations	25	4,538.97	2,564.63
ii) Other Income	26	8,199.91	4,361.45
<b>Total Income</b>		<b>12,738.88</b>	<b>6,926.08</b>
<b>Expenses</b>			
i) Operating Expenses	27	6,627.82	5,800.40
ii) Employees' Benefit Expenses	28	6,653.36	6,463.00
iii) Finance Cost	29	998.01	870.72
iv) Depreciation & Amortization Expenses	30	27,476.38	25,738.94
v) Other Expenses	31	2,357.59	956.33
<b>Total expenses</b>		<b>44,113.16</b>	<b>39,829.39</b>
<b>Profit/ (Loss) before tax</b>		<b>(31,374.28)</b>	<b>(32,903.31)</b>
<b>Profit Before Tax</b>		(31,374.28)	(32,903.31)
Tax expense			
Current Tax			
Deferred Tax			
<b>Profit/ (Loss) for the year</b>		<b>(31,374.28)</b>	<b>(32,903.31)</b>
<b>I Profit for the year</b>		<b>(31,374.28)</b>	<b>(32,903.31)</b>
<b>Other Comprehensive Income</b>			
<b>Items that will not be reclassified to profit or loss</b>			
- Remeasurements of the defined benefit plans		578.57	(81.38)
- Income Tax effect			-
<b>Other Comprehensive Income/ (Loss) for the year</b>		<b>578.57</b>	<b>(81.38)</b>
<b>Total Comprehensive Income for the period</b>		<b>(30,795.71)</b>	<b>(32,984.69)</b>
(1) Basic (Rs.)		(9.15)	(13.74)
(2) Diluted (Rs.)		(8.43)	(12.44)
Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements	32 & 33		

Audit Report of even date attached  
For and on behalf of the Board

Sd/-  
(Kumar Keshav)  
Managing Director  
DIN: 02908695

Sd/-  
(Sheel Kumar Mittal)  
Director Finance  
DIN: 08821866

For : Vinay Naveen & Company  
Chartered Accountants  
FRN : 009188C

Sd/-  
(CA Vinay Mittal)  
Partner  
Membership No : 078907

Place : Lucknow  
Date : 29th June 2022

Sd/-  
(Pushpa Bellani)  
Company Secretary  
M.No. F8440

## UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

### CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2022

(INR in lakhs)

Particulars	For the Year ended 31 <sup>st</sup> March, 2022	For the Year ended 31 <sup>st</sup> March, 2021
<b>A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>		
Net Profit/Loss after Tax	(30,795.71)	(32,984.69)
<b>Adjustment for :-</b>		
Depreciation and Amortisation Expense	27,476.38	25,738.94
Interest Received From FDRs/Sweep/Saving A/cs and Security Deposit	(5,394.01)	(1,455.74)
Interest Received From Vehicle Loan to Staff	(0.46)	(0.06)
(Gain)/ Loss on Disposal of Mobile Handsets	0.41	0.31
Interest & Finance Charges	998.01	870.72
Deffered Government Grant	(2,324.59)	(2,479.29)
Fair Value Adjustment	(4.58)	(3.12)
Interest Expense on Right to use Assets	14.80	2.68
<b>Operating Profit before Working Capital Changes</b>	<b>(10,029.76)</b>	<b>(10,310.25)</b>
(Increase)/Decrease in Trade Receivables	207.74	(51.71)
(Increase)/Decrease in Other Current Assets	(26,998.27)	(24,116.14)
(Increase)/Decrease in Current Tax Assets	(21.46)	(8.60)
(Increase)/Decrease in Other Financial Assets	(1,617.43)	(912.71)
(Increase)/Decrease in Inventories	(95.48)	-
Increase/(Decrease) in Provisions	415.84	938.03
Increase/(Decrease) in Other Current Liabilities	10,694.00	10,259.94
Increase/(Decrease) in Trade Payables	(258.79)	(222.84)
Increase/(Decrease) in Other Financial Liabilities	9,064.63	17,514.14
<b>Cash Generated from Operations</b>	<b>(18,638.99)</b>	<b>(6,910.14)</b>
Tax paid	-	-
<b>Net Cash flow from operating activities</b>	<b>(18,638.99)</b>	<b>(6,910.14)</b>
<b>B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>		
Purchase of Property, Plant & Equipment including Capital Work-in-Progress and Intangible Assets	(156,769.20)	(93,119.12)
Proceeds from Sale of Property, Plant and Equipment and Intangible Assets	1.85	2.79
Interest Received From FDRs/Sweep/Saving A/cs and Security Deposit	5,394.01	1,455.74
Interest Received From Vehicle Loan to Staff	0.46	0.06
<b>Net Cash Flow from Investing Activities</b>	<b>(151,372.88)</b>	<b>(91,660.53)</b>



<b>C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b>		
Share Capital and share Application Money	98,600.00	74,380.00
Grants Received/(adjusted) during the year	2,235.64	1,861.53
Loans raised during the year	296,387.54	100,805.20
Interest & Finance Charges	(998.01)	(870.72)
Interest Expense on Right to use Assets	(14.80)	(2.68)
Fair Value Adjustment	4.58	3.12
<b>Net Cash Flow from Financing Activities</b>	<b>396,214.96</b>	<b>176,176.45</b>
D. Net Changes in cash and Cash equivalents (A + B + C)	226,203.11	77,605.79
<b>E. Cash and Cash Equivalents (Op. Balance)</b>	<b>156,863.90</b>	<b>79,258.10</b>
<b>F. Cash and Cash Equivalents (Cl. Balance)</b>	<b>383,067.01</b>	<b>156,863.90</b>
<b>EXPLANATORY NOTES TO CASH FLOW STATEMENT</b>		
(a) Cash and Cash Equivalents include :		
(i) Cash on hand and balances with bank	44,220.24	26,143.76
(ii) Short Term Investments	338,846.77	130,720.14
	<b>383,067.01</b>	<b>156,863.90</b>

The accompanying notes are an integral part of Financial Statements

The above Statement of Cash Flows has been prepared under the "Indirect Method" as set out in Ind AS 7 on Statement of Cash Flows

**For and on behalf of the Board**

**For : Vinay Naveen & Company**  
Chartered Accountants  
FRN : 009188C

Sd/-  
**(Kumar Keshav)**  
Managing Director  
DIN: 02908695

Sd/-  
**(Sheel Kumar Mittal)**  
Director Finance  
DIN: 08821866

Sd/-  
**(CA Vinay Mittal)**  
Partner  
Membership No : 078907

Place : Lucknow  
Date : 29th June 2022

Sd/-  
**(Pushpa Bellani)**  
Company Secretary  
M.No. F8440



## UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED (Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

### STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

#### A. Equity Share Capital

(INR in lakhs)

Particulars	For the Year Ending 31.03.2022	For the Year Ending 31.03.2021
Balance at the beginning	288,044.00	220,600.00
Changes in equity share capital during the year	120,155.00	67,444.00
<b>Balance at the end of year</b>	<b>408,199.00</b>	<b>288,044.00</b>

#### B. Other Equity

(INR in lakhs)

Particulars	Share application money pending allotment	Reserves and Surplus Retained Earnings	Capital Grants Non Monetary Grants	Other Comprehensive Income on Defined Benefit Plans	Total
Balance as on 31/03/2020	21,094.00	(39,570.06)	734.52	203.29	(17,538.24)
Fair Value Adjustment-Non Monetary Grant	-	-	-	-	-
Amortization of Non Monetary Grant	-	-	(617.75)	-	(617.75)
Profit for the year	-	(32,903.31)	-	-	(32,903.31)
Other Comprehensive Income	-	-	-	(81.38)	(81.38)
Fair Value Adjustment	-	-	-	-	-
Share Application Money Received (Kanpur Project)	14,670.00	-	-	-	14,670.00
Share Application Money Received (Agra Project)	13,360.00	-	-	-	13,360.00
Equity Share Capital Issued	(21,094.00)	-	-	-	(21,094.00)
Transferred to Deposit	-	-	-	-	-
Transferred to Non-Current Liability	-	-	-	-	-
Transferred to Current Liability	-	-	-	-	-
Transferred to Capital Work in Progress	-	-	-	-	-
Transferred to Income	-	-	-	-	-
<b>Balance as on 31/03/2021</b>	<b>28,030.00</b>	<b>(72,473.37)</b>	<b>116.77</b>	<b>121.91</b>	<b>(44,204.68)</b>
Fair Value Adjustment-Non Monetary Grant	-	-	-	-	-
Amortization of Non Monetary Grant	-	-	(88.95)	-	(88.95)
Profit/(loss) for the year	-	(31,374.28)	-	-	(31,374.28)
Other Comprehensive Income	-	-	-	578.57	578.57
Fair Value Adjustment	-	-	-	-	-
Share Application Money Received (Kanpur Project)	57,400.00	-	-	-	57,400.00
Share Application Money Received (Agra Project)	41,200.00	-	-	-	41,200.00



Equity Share Capital Issued	(120,155.00)	-	-	-	(120,155.00)
Transferred to Deposit	-	-	-	-	-
Transferred to Non-Current Liability	-	-	-	-	-
Transferred to Current Liability	-	-	-	-	-
Transferred to Capital Work in Progress	-	-	-	-	-
Transferred to Income	-	-	-	-	-
<b>Balance as on 31/03/2022</b>	<b>6,475.00</b>	<b>(103,847.65)</b>	<b>27.82</b>	<b>700.48</b>	<b>(96,644.33)</b>

**For and on behalf of the Board**

**For : Vinay Naveen & Company**  
Chartered Accountants  
FRN : 009188C

**Sd/-**  
**(Kumar Keshav)**  
Managing Director  
DIN: 02908695

**Sd/-**  
**(Sheel Kumar Mittal)**  
Director Finance  
DIN: 08821866

**Sd/-**  
**(CA Vinay Mittal)**  
Partner  
Membership No : 078907

Place : Lucknow  
Date : 29th June 2022

**Sd/-**  
**(Pushpa Bellani)**  
Company Secretary  
M.No. F8440

# UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

## NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

### Note No. 1 - Property, Plant and Equipment

(INR in lakhs)

Particulars	Gross Block		Depreciation		Net Block As at 31.03.2022	As at 31.03.2021			
	As at 1.04.2021	Additions/ Adjustments	Sale/ Adjustments	As at 31.03.2022			As at 1.04.2021	Upto 31.03.2022	For the year
Computer & Accessories	423.34	102.90	6.04	520.20	337.45	375.31	41.99	144.89	85.89
Equipment & Machinery	2,661.76	1,001.25	9.78	3,653.23	489.62	674.66	186.31	2,978.58	2,172.14
Mobile Sets	39.28	28.80	1.61	66.47	30.21	38.23	9.27	28.24	9.07
Furniture	739.36	115.85	-	855.21	250.60	325.35	74.74	529.87	488.76
Office Building	66.44	-	-	66.44	7.85	8.91	1.05	57.53	58.59
Vehicle	45.88	33.88	-	79.75	29.44	35.27	5.83	44.48	16.44
Office Equipment	300.61	69.82	-	370.43	218.68	244.83	26.15	125.60	81.93
Land Free Hold#	13,612.39	3,825.84	-	17,438.23	-	-	-	17,438.23	13,612.39
Land Freehold (Barter)*	25,156.47	52,671.12	-	77,827.59	-	-	-	77,827.59	25,156.47
Land (Grant from Goup)	0.00	-	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00
Lease Hold Land (90 years)	381.69	-	-	381.69	-	-	-	381.69	381.69
Lease Hold Land (Ind AS)**	33.77	151.81	-	185.58	2.25	34.43	32.18	151.15	31.52
AFC System	8,885.44	319.50	-	9,204.95	1,908.39	2,815.80	907.41	6,389.15	6,977.05
Air Conditioning System (Ducted)	7,062.10	729.09	-	7,791.19	581.90	860.84	278.94	6,930.36	6,480.20
Depot Building	17,843.58	13,887.94	-	31,731.53	1,912.66	2,557.06	644.39	29,174.47	15,930.92
DG Set	1,354.33	-	-	1,354.33	107.65	157.18	49.53	1,197.15	1,246.68
Electrical Installation and Equipment	206.70	11.62	-	218.31	27.72	40.96	13.23	177.36	178.98
Elevators	3,380.14	1,190.68	-	4,570.83	349.83	500.61	150.79	4,070.21	3,030.31
E & M Work	14,828.55	3,574.35	-	18,402.90	1,583.28	2,350.31	767.03	16,052.59	13,245.27
Escalators	6,625.13	1,299.92	-	7,925.05	956.84	1,365.44	408.61	6,559.61	5,668.29
Fire Fighting Work	2,163.26	567.14	-	2,730.41	307.68	453.94	146.26	2,276.46	1,855.58
Rolling Stock **	102,652.66	11,533.74	105.92	114,080.48	8,331.44	12,242.62	3,911.19	101,837.86	94,321.22
Security Equipments	542.58	109.59	-	652.17	91.26	127.34	36.08	524.82	451.32
Signages	3,091.96	70.64	-	3,162.61	2,452.55	2,804.20	351.65	358.41	639.41
Signalling Equipments	21,716.41	2,295.79	-	24,012.20	3,680.33	5,016.58	1,336.25	18,995.62	18,036.08
Station Buildings	272,022.73	26,947.15	1,333.78	297,636.09	21,771.37	31,718.76	108.79	265,917.33	250,251.36

Telecom Equipments	13,249.08	2,777.61	16,026.69	2,177.44	894.78	3,072.21	12,954.47	11,071.64
Track Work	28,498.18	9,873.88	38,179.79	2,401.29	983.57	3,372.27	34,807.52	26,096.89
Traction Equipments	45,889.58	23,632.97	69,522.54	3,755.36	1,647.22	5,402.58	64,119.96	42,134.22
Tubewells	39.60	-	39.60	8.95	2.51	11.46	28.14	30.65
UPS System	806.09	-	806.09	144.22	62.81	207.02	599.06	661.87
Viaduct	77,433.89	71,625.15	148,467.10	7,961.86	3,481.12	11,397.62	137,069.48	69,472.03
Plumbing, Pump And Panel	404.05	-	404.05	39.70	19.19	58.89	345.16	364.35
Spares	228.09	12.96	241.06	22.41	10.90	33.31	207.75	205.68
Tunnel Ventilation & BMS SCADA	3,037.85	-	3,037.85	298.48	144.30	442.78	2,595.07	2,739.37
Staff Quarter Building	6,854.25	1,907.81	8,762.06	168.06	345.70	513.76	8,248.30	6,686.19
Staff Quarter E&M Work	2,021.46	439.74	2,461.19	90.15	126.00	216.15	2,245.05	1,931.31
Office Building (Renovation)	34.91	-	34.91	3.25	6.63	9.89	25.02	31.66
Spares- Escalators and Elevators	116.42	-	116.42	0.04	15.80	15.84	100.58	116.36
Spares- Telecom	550.32	-	550.32	8.50	34.85	43.35	506.96	541.82
<b>Total - Current Year</b>	<b>685,000.33</b>	<b>230,808.53</b>	<b>913,567.51</b>	<b>62,508.71</b>	<b>27,210.43</b>	<b>89,545.74</b>	<b>824,021.77</b>	<b>622,491.59</b>
<b>- Previous Year</b>	<b>685,000.33</b>	<b>19,508.83</b>	<b>685,000.33</b>	<b>37,094.24</b>	<b>11.90</b>	<b>62,508.71</b>	<b>622,491.59</b>	<b>628,412.32</b>

\* Land Freehold (Barter)

"1. Land (Lucknow) has been received against construction of 41 Flats for Sampooranand Jail and Residential & Non - Residential Buildings of PAC Campus. Total Approximate Construction Cost is INR 25177.59 Lakhs (PY INR 25156.47 Lakhs), out of which INR 24695.26 Lakhs has already been incurred and remaining cost of INR 482.33 Lakhs is expected to be incurred in coming Financial Year.

2. Land (Kanpur) has been received against construction of staff quarter of polytechnic college. Total approximate construction cost is INR 8394.75 lakhs (PY nil), out of which INR 219.00 lakhs has already been incurred and remaining cost of INR 8175.75 lakhs is expected to be incurred in coming Financial Year."

\*\* In compliance of CAG observations raised during audit of FY 2020-21, value of spares of INR 105.91 lakhs which was capitalised during FY 2020-21 transferred to the Stock of Consumable Spares.

\*\*\* Leasehold Land (Ind AS) includes Right to use of assets created as per Ind AS 116.

**UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED**  
(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)  
**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS**

**Note No. 1 - Property, Plant and Equipment**

(INR in lakhs)

Particulars	Gross Block			Depreciation			Net Block			
	As at 1.04.2020	Additions/ Adjustments	Sale/ Adjustments	As at 31.03.2021	As at 1.04.2020	Additions/ Adjustments during the year	For the year **	Upto 31.03.2021	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
Computer & Accessories	373.07	62.93	12.66	423.34	315.90	10.10	31.65	337.45	85.89	57.18
Equipment & Machinery	2,650.56	11.21	-	2,661.76	321.33	-	168.30	489.62	2,172.14	2,329.23
Mobile Sets	36.16	5.46	2.34	39.28	26.13	1.80	5.89	30.21	9.07	10.03
Furniture	648.28	91.09	-	739.36	187.71	-	62.89	250.60	488.76	460.57
Office Building	66.44	-	-	66.44	6.80	-	1.05	7.85	58.59	59.64
Vehicle	45.88	-	-	45.88	23.99	-	5.45	29.44	16.44	21.89
Office Equipment	271.49	29.12	-	300.61	192.94	-	25.74	218.68	81.93	78.55
Land Free Hold#	13,440.88	171.51	-	13,612.39	-	-	-	-	13,612.39	13,440.88
Land Freehold (Barter)*	23,980.67	1,175.80	-	25,156.47	-	-	-	-	25,156.47	23,980.67
Land (Grant from Group)	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
Lease Hold Land (90 years)	381.69	-	-	381.69	-	-	-	-	381.69	381.69
Lease Hold Land (Ind AS)***	33.77	-	-	33.77	1.13	-	1.13	2.25	31.52	32.65
AFC System	7,957.98	927.47	-	8,885.44	1,092.87	-	815.52	1,908.39	6,977.05	6,865.11
Air Conditioning System (Ducted)	7,062.10	-	-	7,062.10	310.18	-	271.71	581.90	6,480.20	6,751.92
Depot Building	17,843.58	-	-	17,843.58	1,375.87	-	536.79	1,912.66	15,930.92	16,467.71
DG Set	1,354.33	-	-	1,354.33	58.12	-	49.53	107.65	1,246.68	1,296.22
Electrical Equipment Installation and	116.78	89.92	-	206.70	18.31	-	9.41	27.72	178.98	98.47
Date :	3,347.46	32.68	-	3,380.14	213.76	-	136.07	349.83	3,030.31	3,133.70
E & M Work	14,740.19	88.35	-	14,828.55	864.96	-	718.32	1,583.28	13,245.27	13,875.23
Escalators	6,625.13	-	-	6,625.13	567.43	-	389.40	956.84	5,668.29	6,057.70
Fire Fighting Work	2,163.26	-	-	2,163.26	170.68	-	137.01	307.68	1,855.58	1,992.58
Rolling Stock	96,274.48	6,378.18	-	102,652.66	4,751.48	-	3,579.96	8,331.44	94,321.22	91,523.00
Security Equipments	542.58	-	-	542.58	56.90	-	34.36	91.26	451.32	485.69



## NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Signages	2,375.02	716.94		3,091.96	1,531.15	921.40	2,452.55	639.41	843.88
Signalling Equipments	21,716.41	-		21,716.41	2,379.20	1,301.13	3,680.33	18,036.08	19,337.21
Station Buildings	269,880.04	2,142.68		272,022.73	12,018.34	9,753.03	21,771.37	250,251.36	257,861.70
Telecom Equipments	12,664.31	584.77		13,249.08	1,339.98	837.46	2,177.44	11,071.64	11,324.34
Track Work	28,498.18	-		28,498.18	1,498.04	903.26	2,401.29	26,096.89	27,000.14
Traction Equipments	45,724.86	164.72		45,889.58	2,305.66	1,449.70	3,755.36	42,134.22	43,419.20
Tubewells	39.60	-		39.60	6.44	2.51	8.95	30.65	33.16
UPS System	806.09	-		806.09	81.41	62.81	144.22	661.87	724.68
Viaduct	77,433.89	-		77,433.89	5,137.94	2,823.91	7,961.86	69,472.03	72,295.95
Plumbing, Pump And Panel	404.05	-		404.05	20.51	19.19	39.70	364.35	383.55
Spares A/C	228.09	-		228.09	11.58	10.83	22.41	205.68	216.51
Tunnel Ventillation & BMS SCADA	3,037.85	-		3,037.85	154.18	144.30	298.48	2,739.37	2,883.67
Staff Quarter Building	1,932.86	4,921.40		6,854.25	33.03	135.03	168.06	6,686.19	1,899.82
Staff Quarter E&M Work	808.51	1,212.95		2,021.46	20.29	69.86	90.15	1,931.31	788.22
Office Building (Renovation)	-	34.91		34.91	-	3.25	3.25	31.66	-
Spares- Escalators and Elevators	-	116.42		116.42	-	0.04	0.04	116.36	-
Spares- Telecom	-	550.32		550.32	-	8.50	8.50	541.82	-
<b>Total - Current Year</b>	<b>665,506.54</b>	<b>19,508.83</b>	<b>15.00</b>	<b>685,000.33</b>	<b>37,094.24</b>	<b>11.90</b>	<b>62,508.71</b>	<b>622,491.59</b>	<b>628,412.32</b>
<b>- Previous Year</b>	<b>605,616.37</b>	<b>59,915.05</b>	<b>24.88</b>	<b>665,506.54</b>	<b>12,907.30</b>	<b>23.33</b>	<b>37,094.22</b>	<b>628,412.32</b>	<b>592,709.05</b>

\* Land Freehold (Barter) - Land has been received against construction of 41 Flats for Sampooranand Jail and Residential & Non - Residential Buildings of PAC Campus. Total Approximate Construction Cost is INR 25156.47 Lakhs (PY INR 23980.67 Lakhs), out of which INR 23581.37 Lakhs has already been incurred and remaining INR 1575.10 Lakhs is expected to be incurred in coming Financial Year.

\*\* Depreciation of FY 2020-21 i.e. INR 25439.14 Lakh includes depreciation of INR 40.83 Lakh in compliance of CAG observations raised during audit of FY 2020-21 and INR 15.07 Lakh due to revision of useful life of some assets.

\*\*\* Leasehold Land (Ind AS) includes Right to use of assets created as per Ind AS 116.

## UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

### NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

#### Note 2 - Capital work - in - Progress# Lucknow

(INR in lakhs)

Particulars	Opening Balance as at 01.04.2021	"Additions/ Adjustment during the year"	Total	"Capitalised/ Adjustments during the year"	"Closing Balance as at 31.03.2022"
Automatic Fare Collection	-	301.93	301.93	301.93	-
Buildings & Viaduct, Bridg Tunnels, Culverts Bunders	780.00	(246.19)	533.81	2.25	531.56
Electric Installation & Equipment	-	-	-	-	-
Escalators & Elevators	152.63	8.71	161.34	123.48	37.86
Furniture & Fixtures	-	-	-	-	-
LMRC Staff Quarters	-	2,343.42	2,343.42	2,343.42	-
Plant and Machinery	-	-	-	-	-
Rolling Stock & Signalling	-	1,788.49	1,788.49	1,788.49	-
Security Equipments	-	18.64	18.64	-	18.64
Signages	121.99	(121.99)	-	-	-
Telecom Equipments	9.87	177.61	187.48	187.48	-
Track Work (P-Way)	1,282.88	(1,282.88)	-	-	-
Traction Equipments	2.05	-	2.05	-	2.05
E-W Corridor	387.91	-	387.91	-	387.91
<b>Total</b>	<b>2,737.33</b>	<b>2,987.74</b>	<b>5,725.07</b>	<b>4,747.05</b>	<b>978.02</b>
Add: Expenses During Construction	70.49	23.77	94.26	19.63	74.63
Add: Foreign Exchange Difference	5,389.29	(5,389.29)	-	(46.49)	46.49
<b>Grand Total (A)</b>	<b>8,197.11</b>	<b>(2,377.78)</b>	<b>5,819.33</b>	<b>4,720.18</b>	<b>1,099.14</b>

#### Kanpur

Particulars	Opening Balance as at 01.04.2021	"Additions/ Adjustment during the year"	Total	"Capitalised/ Adjustments during the year"	"Closing Balance as at 31.03.2022"
Automatic Fare Collection	-	-	-	-	-
Buildings & Viaduct, Bridg Tunnels, Culverts Bunders	69,230.80	61,847.78	131,078.58	116,109.69	14,968.89
Electric Installation & Equipment	-	-	-	-	-
Escalators & Elevators	-	1,943.04	1,943.04	1,938.59	4.45
Furniture & Fixtures	-	4.00	4.00	-	4.00
LMRC Staff Quarters	-	-	-	-	-
Plant and Machinery	-	681.77	681.77	587.29	94.48
Rolling Stock & Signalling	1,734.93	13,716.64	15,451.57	9,765.74	5,685.83
Security Equipments	-	110.00	110.00	93.07	16.93
Signages	-	55.45	55.45	55.45	-
Telecom Equipments	-	2,579.30	2,579.30	2,579.30	-
Track Work (P-Way)	1,007.53	12,012.85	13,020.38	8,721.16	4,299.22
Traction Equipments	-	21,806.23	21,806.23	19,732.89	2,073.34



## UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

### NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

#### Note 2 - Capital work - in - Progress#

(INR in lakhs)

<b>Total</b>	<b>71,973.26</b>	<b>114,757.06</b>	<b>186,730.32</b>	<b>159,583.17</b>	<b>27,147.14</b>
Add: Expenses During Construction	6,784.95	4,499.72	11,284.67	9,216.68	2,067.99
Add: Foreign Exchange Difference	(56.60)	56.60	-	6.30	(6.30)
<b>Total (B)</b>	<b>78,701.60</b>	<b>119,313.38</b>	<b>198,014.99</b>	<b>168,806.15</b>	<b>29,208.84</b>

#### Agra

Particulars	Opening Balance as at 01.04.2021	"Additions/ Adjustment during the year"	Total	"Capitalised/ Adjustments during the year"	"Closing Balance as at 31.03.2022"
Automatic Fare Collection	-	-	-	-	-
Buildings & Viaduct, Bridg Tunnels, Culverts Bunders	4,000.09	23,728.29	27,728.38	-	27,728.38
Electric Installation & Equipment	-	-	-	-	-
Escalators & Elevators	-	-	-	-	-
Furniture & Fixtures	-	-	-	-	-
LMRC Staff Quarters	-	-	-	-	-
Plant and Machinery	-	531.09	531.09	-	531.09
Rolling Stock & Signalling	1,245.59	1,803.81	3,049.40	-	3,049.40
Security Equipments	-	-	-	-	-
Signages	-	-	-	-	-
Telecom Equipments	-	41.11	41.11	-	41.11
Track Work (P-Way)	-	4,267.02	4,267.02	-	4,267.02
Traction Equipments	-	300.36	300.36	-	300.36
<b>Total</b>	<b>5,245.68</b>	<b>30,671.68</b>	<b>35,917.36</b>	-	<b>35,917.36</b>
Add: Expenses During Construction	3,699.39	6,524.06	10,223.45	-	10,223.45
Add: Foreign Exchange Difference	(34.12)	34.12	-	0.51	(0.51)
<b>Total (C)</b>	<b>8,910.95</b>	<b>37,229.86</b>	<b>46,140.81</b>	<b>0.51</b>	<b>46,140.30</b>
<b>Total Capital work in Progress</b>	<b>95,809.67</b>	<b>154,165.47</b>	<b>249,975.13</b>	<b>173,526.84</b>	<b>76,448.29</b>

# Capital Work in Progress includes Assets / Equipment's and Infrastructure of North – South Corridor (pending certifications) and Staff Quarters of UPMRC and expenses related to Kanpur and Agra projects.

#### Lucknow

Particulars	Opening Balance as at 01-04-2020	"Additions/ Adjustment during the year"	Total	"Capitalised/ Adjustments during the year"	"Closing Balance as at 31.03.2021"
Automatic Fare Collection	15.33	675.53	690.86	690.86	-
Buildings & Viaduct, Bridg Tunnels, Culverts Bunders	11.03	2,277.86	2,288.88	1,508.88	780.00
Date :	-	-	-	-	-
Escalators & Elevators	558.16	185.65	743.81	591.18	152.63
Furniture & Fixtures	-	-	-	-	-



LMRC Staff Quarters	4,102.64	1,997.34	6,099.98	6,099.98	-
Plant and Machinery	-	-	-	-	-
Rolling Stock & Signalling	-	4,640.80	4,640.80	4,640.80	-
Security Equipments	-	-	-	-	-
Signages	250.94	587.99	838.93	716.94	121.99
Telecom Equipments	-	835.62	835.62	825.74	9.87
Track Work (P-Way)	1,239.98	42.90	1,282.88	-	1,282.88
Traction Equipments	-	121.88	121.88	119.83	2.05
E-W Corridor	340.71	47.20	387.91	-	387.91
<b>Total</b>	<b>6,518.79</b>	<b>11,412.77</b>	<b>17,931.55</b>	<b>15,194.21</b>	<b>2,737.33</b>
Add: Expenses During Construction	33.26	6,490.33	6,523.59	6,453.10	70.49
Add: Foreign Exchange Difference	(340.88)	5,730.17	5,389.29	-	5,389.29
<b>Grand Total (A)</b>	<b>6,211.17</b>	<b>23,633.27</b>	<b>29,844.43</b>	<b>21,647.31</b>	<b>8,197.11</b>

### Kanpur

Particulars	Opening Balance as at 01-04-2020	"Additions/ Adjustment during the year"	Total	"Capitalised/ Adjustments during the year"	"Closing Balance as at 31.03.2021"
Automatic Fare Collection	-	-	-	-	-
Buildings & Viaduct, Bridg Tunnels, Culverts Bunders	12,288.36	56,791.93	69,080.29	-	69,080.29
Electric Installation & Equipment	-	-	-	-	-
Escalators & Elevators	-	-	-	-	-
Furniture & Fixtures	-	-	-	-	-
LMRC Staff Quarters	-	-	-	-	-
Plant and Machinery	-	-	-	-	-
Rolling Stock & Signalling	-	1,734.93	1,734.93	-	1,734.93
Security Equipments	-	-	-	-	-
Signages	-	-	-	-	-
Telecom Equipments	-	-	-	-	-
Track Work (P-Way)	-	1,007.53	1,007.53	-	1,007.53
Traction Equipments	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>12,288.36</b>	<b>59,534.39</b>	<b>71,822.75</b>	<b>-</b>	<b>71,822.75</b>
Add: Expenses During Construction	3,773.66	3,161.79	6,935.45	-	6,935.45
Add: Foreign Exchange Difference	-	(56.60)	(56.60)	-	(56.60)
<b>Total (B)</b>	<b>16,062.02</b>	<b>62,639.58</b>	<b>78,701.60</b>	<b>-</b>	<b>78,701.60</b>



## Agra

Particulars	Opening Balance as at 01-04-2020	"Additions/ Adjustment during the year"	Total	"Capitalised/ Adjustments during the year"	"Closing Balance as at 31.03.2021"
Automatic Fare Collection	-	-	-	-	-
Buildings & Viaduct, Bridg Tunnels, Culverts Bunders	41.36	3,958.73	4,000.09	-	4,000.09
Electric Installation & Equipment	-	-	-	-	-
Escalators & Elevators	-	-	-	-	-
Furniture & Fixtures	-	-	-	-	-
LMRC Staff Quarters	-	-	-	-	-
Plant and Machinery	-	-	-	-	-
Rolling Stock & Signalling	-	1,245.59	1,245.59	-	1,245.59
Security Equipments	-	-	-	-	-
Signages	-	-	-	-	-
Telecom Equipments	-	-	-	-	-
Track Work (P-Way)	-	-	-	-	-
Traction Equipments	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>41.36</b>	<b>5,204.32</b>	<b>5,245.68</b>	-	<b>5,245.68</b>
Add: Expenses During Construction	236.34	3,463.05	3,699.39	-	3,699.39
Add: Foreign Exchange Difference	-	(34.12)	(34.12)	-	(34.12)
<b>Total (C )</b>	<b>277.70</b>	<b>8,633.25</b>	<b>8,910.95</b>	-	<b>8,910.95</b>
<b>Total Capital work in Progress</b>	<b>22,550.89</b>	<b>94,906.10</b>	<b>117,456.98</b>	<b>21,647.31</b>	<b>95,809.66</b>

# Capital Work in Progress includes Assets / Equipment's and Infrastructure of North – South Corridor (pending certifications) and Staff Quarters of UPMRC and expenses related to Kanpur and Agra projects.

## UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED (Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

### NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

#### Capital work-in-progress ageing

Ageing for capital work-in-progress as at March 31, 2022 is as follows:

(INR in lakhs)

Projects	Amount in capital work-in-progress for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More that 3 years	As on 31.03.2022
Lucknow Project	97.62	660.83	340.71	-	1,099.14
Kanpur Project	29,208.84	-	-	-	29,208.84
Agra Project	37,195.23	8,667.37	266.56	11.15	46,140.30
<b>Total</b>	<b>66,501.69</b>	<b>9,328.19</b>	<b>607.27</b>	<b>11.15</b>	<b>76,448.29</b>

\* Applied the practical expedient to grandfather the assessment of which transactions are leases. Accordingly, Ind AS 116 is applied only to contracts that were previously identified as leases under Ind AS 17.

Ageing for capital work-in-progress as at March 31, 2021 is as follows:

(INR in lakhs)

Projects	Amount in capital work-in-progress for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More that 3 years	As on 31.03.2022
Lucknow Project	6,616.42	1,580.69	-	-	8,197.11
Kanpur Project	62,639.58	15,194.36	867.66	-	78,701.60
Agra Project	8,633.25	266.56	11.15	-	8,910.95
<b>Total</b>	<b>77,889.25</b>	<b>17,041.60</b>	<b>878.81</b>	<b>-</b>	<b>95,809.66</b>

## UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

### NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

#### Note 3 - Intangible Assets

(INR in lakhs)

Particulars	Gross Block			Amortization			Net Block			
	As at 1.04.2021	Additions/ Adjustments	Deduction/ Adjustments	As at 31.03.2022	As at 1.04.2021	Additions/ Adjustments	For the year**	Upto 31.03.2022	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
Software & Licenses	768.99	24.13	-	793.12	466.06	-	123.70	589.76	203.36	302.93
Rights for using Land*	4,978.48	-	-	4,978.48	674.47	-	142.24	816.72	4,161.76	4,304.01
<b>Total - Current Year</b>	<b>5,747.47</b>	<b>24.13</b>	<b>-</b>	<b>5,771.60</b>	<b>1,140.53</b>	<b>-</b>	<b>265.95</b>	<b>1,406.48</b>	<b>4,365.12</b>	<b>4,606.94</b>
<b>- Previous Year</b>	<b>5,418.44</b>	<b>329.03</b>	<b>-</b>	<b>5,747.47</b>	<b>828.01</b>	<b>-</b>	<b>312.52</b>	<b>1,140.53</b>	<b>4,606.94</b>	<b>4,590.42</b>

#### Note 3 - Intangible Assets

(INR in lakhs)

Particulars	Gross Block			Amortization			Net Block			
	As at 1.04.2020	Additions/ Adjustments	Deduction/ Adjustments	As at 31.03.2021	As at 1.04.2020	Additions/ Adjustments	For the year**	Upto 31.03.2021	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
Software & Licenses	768.99	-	-	768.99	336.61	-	129.45	466.06	302.93	432.38
Rights for using Land*	4,649.45	329.03	-	4,978.48	491.40	-	183.07	674.47	4,304.01	4,158.04
<b>Total - Current Year</b>	<b>5,418.44</b>	<b>329.03</b>	<b>-</b>	<b>5,747.47</b>	<b>828.01</b>	<b>-</b>	<b>312.52</b>	<b>1,140.53</b>	<b>4,606.94</b>	<b>4,590.42</b>
<b>- Previous Year</b>	<b>5,418.44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,418.44</b>	<b>541.76</b>	<b>-</b>	<b>286.25</b>	<b>828.02</b>	<b>4,590.42</b>	<b>4,876.68</b>

\* Right for using land includes Rs. 329.03 Lacs capitalised during current financial year to comply with the observations raised by CAG.

\*\* Amortization of Rs. 183.07 lacs charged on Right for using Land includes additional amortization of Rs. 40.83 lacs. This additional amortisation is related to the assets of Rs. 329.03 lacs capitalised during FY 2020-21 to comply with CAG observations.

**UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED**  
(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)  
**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS**

**Note 4- Intangible Assets Under Development**

(INR in lakhs)

Particulars	As on 1st April 2021	Additions/ Adjustment during the year	Total	Capitalized during the year	As on 31st March 2022
Software	22.52	37.72	60.24	24.13	36.11
<b>Total (Current Year)</b>	<b>22.52</b>	<b>37.72</b>	<b>60.24</b>	<b>24.13</b>	<b>36.11</b>
(Previous Year)	-	22.52	22.52	-	22.52

**Note 4- Intangible Assets Under Development**

(INR in lakhs)

Particulars	As on 1st April 2020	Additions/ Adjustment during the year	Total	Capitalized during the year	As on 31st March 2021
Software	-	22.52	22.52	-	22.52
<b>Total (Current Year)</b>	<b>-</b>	<b>22.52</b>	<b>22.52</b>	<b>-</b>	<b>22.52</b>
(Previous Year)	-	-	-	-	-



## UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

### NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

#### Note No. 5 - Other Financial Assets

(INR in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Long Term		
Electricity Security Deposit	582.92	402.92
Security to DFO	8.22	8.22
Security with Jal Kal Vibhag	11.00	11.00
Vehicle Loan to Staff	1.76	4.86
Other Security Deposit	2.44	1.20
<b>Total</b>	<b>606.34</b>	<b>428.20</b>

#### Note No. 6 - Inventories

(INR in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Loose Tools and Spares	21.79	7.78
Consumable Stores (Rolling Stock)	81.46	-
<b>Total</b>	<b>103.25</b>	<b>7.78</b>

#### Note No. 7 - Trade Receivables

(INR in lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment							As at 31.03.2022
	Unbilled	Not Due	Less than 6 months	6 months- 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Trade receivables - Unsecured								
a) Undisputed, considered good	-	-	199.60	2.55	3.40	0.01	-	205.56
b) Undisputed, considered doubtful								
c) Disputed, considered good								
d) Disputed, considered doubtful								
Less : Allowance for doubtful debts								
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>199.60</b>	<b>2.55</b>	<b>3.40</b>	<b>0.01</b>	<b>-</b>	<b>205.56</b>

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment							As at 31.03.2021
	Unbilled	Not Due	Less than 6 months	6 months- 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Trade receivables - Unsecured								
a) Undisputed, considered good			239.98	18.57	154.75			413.30
b) Undisputed, considered doubtful								
c) Disputed, considered good								
d) Disputed, considered doubtful								
Less : Allowance for doubtful debts								
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>239.98</b>	<b>18.57</b>	<b>154.75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>413.30</b>

## UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

### NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

#### Note No. 8 - Cash & Cash Equivalents

(INR in lakhs)

Particulars	As on 31st March 2022	As on 31st March 2021
(i) Balances with Banks in Current Accounts	44,220.24	26,143.76
(ii) Balances with Banks in FDR, Sweep/ MOD Accounts		
a) FDRs, Sweep/ MOD A/c having maturity within 3 months	121,017.84	65,219.20
b) FDRs, Sweep/ MOD A/c having maturity after 3 months but before 1 year	217,828.93	65,500.94
<b>Total</b>	<b>383,067.01</b>	<b>156,863.90</b>

#### Note No. 9 - Other Financial Assets

(INR in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
<b>Short Term</b>		
Interest accrued on FDR, Sweep/ MOD Accounts and Vehicle Loans to Staff	3,226.93	1,793.20
Vehicle Loan to Staff	3.10	3.10
Lease Rent Security	13.56	8.01
<b>Total</b>	<b>3,243.59</b>	<b>1,804.31</b>

#### Note No. 10 - Current tax Assets

(INR in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Tax Deducted at Source	101.51	80.05
<b>Total</b>	<b>101.51</b>	<b>80.05</b>

#### Note No. 11 - Other Current Assets

(INR in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
<b>Current</b>		
Advances to Contractors		
- Mobilisation Advances	47,807.28	26,602.84
- Material Advance	692.69	777.47
- Plant and Machinery Advance	4,892.30	181.54
Other Advances*	19.57	8.30
Input GST#	85.94	167.29
Deferred Assets- Non Fare Box Revenue	465.18	646.02
FDRs, Sweep/ MOD A/c having maturity after 1 year	-	293.89
Other Current Assets **	1,885.51	172.84
<b>Total</b>	<b>55,848.47</b>	<b>28,850.19</b>

\* Other Advances includes INR 19.57 Lakh (P.Y. INR 8.30 Lakh) include amount incurred for Allahabad Metro, Gorakhpur Metro, Meerut Metro and Varanasi Metro).

\*\*Other Current Assets includes PI Advance, Prepaid Expenses, Advances to Electricity Department, Temporary Imprest, Tax paid under Appeal and advance to suppliers.

# Input GST constitutes balance in Cash ledger & Electronic Credit Ledger with GST, GST Refundable and Input GST



## UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

### NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

#### Note No. 12 - Share Capital

(INR in lakhs)

Particulars	As on 31st March 2022		As on 31st March 2021	
	No Of Shares (in Lakh)	Amount (in Lakh)	No Of Shares (in Lakh)	Amount (in Lakh)
<b>Authorized Capital</b>				
Equity Shares of Rs 100 each	10,000.00	1,000,000.00	10,000.00	1,000,000.00
	<b>10,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>Issued, Subscribed and Paid-up</b>				
Equity Shares of Rs 100 each fully paid up	4,081.99	408,199.00	2,880.44	288,044.00
<b>Total</b>	<b>4,081.99</b>	<b>408,199.00</b>	<b>2,880.44</b>	<b>288,044.00</b>
<b>(A) Reconciliation of the number of shares and amount outstanding at the beginning and at the end of the reporting period:</b>				
<b>Particulars</b>	<b>No Of Shares (in Lakh)</b>	<b>Amount (in Lakh)</b>	<b>No Of Shares (in Lakh)</b>	<b>Amount (in Lakh)</b>
Shares outstanding at the beginning of the year	2,880.44	288,044.00	2,206.00	220,600.00
Shares Issued during the year- Fresh Issue	1,201.55	120,155.00	674.44	67,444.00
Shares outstanding at the end of the year	<b>4,081.99</b>	<b>408,199.00</b>	<b>2,880.44</b>	<b>288,044.00</b>
<b>(B) Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares:</b>				
<b>Name Of Shareholder</b>	<b>No Of Shares (in Lakh)</b>	<b>% Holding</b>	<b>No Of Shares (in Lakh)</b>	<b>% Holding</b>
President of India	1,992.94	48.82%	1,456.94	50.58%
Governor of Uttar Pradesh	2,089.05	51.18%	1,423.45	49.42%

#### Shares held by promoters as defined in the Companies Act, 2013 at the end of the year

Promoter Name	As on 31st March 2022		As on 31st March 2021	
	No of Shares (in Lakh)	% of total shares	No of Shares (in Lakh)	% of total shares
<b>President of India (Government of India)</b>	<b>1,992.94</b>	<b>48.82%</b>	<b>1,456.94</b>	<b>50.58%</b>
Governor of Uttar Pradesh (Government of Uttar Pradesh)	2,089.05	51.18%	1,423.45	49.42%
	<b>% Change</b>		<b>% Change</b>	
<b>President of India (Government of India)</b>	37%		21%	
Governor of Uttar Pradesh (Government of Uttar Pradesh)	47%		42%	



## UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

### NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

#### Note No. 13 - Other Equity

(INR in lakhs)

Particulars	Share application money pending allotment	Reserves and Surplus	Capital Grants	Monetary Grant	Other Comprehensive Income on Defined Benefit Plans	Total
		Retained Earnings	Non Monetary Grants	Deferred Grant		
<b>Balance as on 31/03/2020</b>	<b>21,094.00</b>	<b>(39,570.06)</b>	<b>734.52</b>	-	<b>203.29</b>	<b>(17,538.24)</b>
Fair Value Adjustment - Non Monetary Grant						-
Amortization of Non Monetary Grant			(617.75)			(617.75)
Profit for the year		(32,903.31)				(32,903.31)
Other Comprehensive Income					(81.38)	(81.38)
Fair Value Adjustment						-
Share Application Money Received (Kanpur Project)	14,670.00					14,670.00
Share Application Money Received (Agra Project)	13,360.00					13,360.00
Equity Share Capital Issued	(21,094.00)					(21,094.00)
Transferred to Deposit	-					-
Transferred to Non-Current Liability						-
Transferred to Current Liability						-
Transferred to Capital Work in Progress						-
Transferred to Income						-
<b>Balance as on 31/03/2021</b>	<b>28,030.00</b>	<b>(72,473.37)</b>	<b>116.77</b>	-	<b>121.91</b>	<b>(44,204.68)</b>
Fair Value Adjustment - Non Monetary Grant						-
Amortization of Non Monetary Grant			(88.95)			(88.95)
Profit/(loss) for the year		(31,374.28)				(31,374.28)
Other Comprehensive Income					578.57	578.57
Fair Value Adjustment						-
Share Application Money Received (Kanpur Project)	57,400.00					57,400.00
Share Application Money Received (Agra Project)	41,200.00					41,200.00
Equity Share Capital Issued	(120,155.00)					(120,155.00)
Transferred to Deposit						-
Transferred to Non-Current Liability						-
Transferred to Current Liability						-
Transferred to Capital Work in Progress						-
Transferred to Income						-
<b>Balance as on 31/03/2022</b>	<b>6,475.00</b>	<b>(103,847.65)</b>	<b>27.82</b>	-	<b>700.48</b>	<b>(96,644.33)</b>



## UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

### NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

#### Note No. 14 - Borrowings

(INR in lakhs)

Particulars	As on 31st March 2022		As on 31st March 2021	
<b>Subordinate Debts From Government of UP ( GoUP) (Interest Free &amp; Unsecured)</b>				
For Central Taxes	67,620.00		53,420.00	
For Land	62,900.00	130,520.00	47,400.00	100,820.00
<b>Subordinate Debts From Government of India ( Gol) (Interest Free and Unsecured)</b>				
For Central Taxes	52,900.00	52,900.00	38,000.00	38,000.00
<b>Interest Bearing Loans From Government of India against European Investment Bank</b>	<b>676,672.74</b>	<b>676,672.74</b>	<b>424,885.20</b>	<b>424,885.20</b>
<b>Total</b>		<b>860,092.74</b>		<b>563,705.20</b>

#### Explanatory Notes :

1. Loan/ Subordinate Debt provided by GoI/ GoUP are at the same terms and conditions at which such loans is provided to other metro project and are therefore considered to be at fair value.
2. Interest bearing loan from European Investment Bank under PTA arrangement of INR 6895 Crore includes:
  - a) INR 3502 Crore received for Lucknow Metro Project is repayable in 16 Years (Half Yearly Equal Installments) after the expiry of moratorium period of 4 Years from the Disbursement Date. Out of the said amount, installment of EUR 15.49 million (Principle EUR 12.12 million and Interest EUR 3.37 million) was due for payment till 31st March 2022, however the same is still unpaid.
  - b) INR 3,393 crore has been received for Kanpur Metro Project (Rs. 2516 cr.) and for Agra Metro Project (Rs. 877 cr.) respectively from Govt. of India towards external loan in the form of Pass Through Assistance (PTA) till FY 2022. There is no disbursement made from EIB to GoI till 31.03.2022.
3. Interest Free Subordinate Debts from GoI are repayable after the full repayment of senior debt i.e external Loan from EIB.
4. Interest Free Subordinate Debts from GoUP are repayable in 10 equal annual installments after the full repayment of senior debt i.e external Loan from EIB.
5. European Investment Bank has sanctioned EURO 450 Million on reimbursement basis for the Lucknow Metro Rail Project in two Tranche (EURO 200 million of Tranche A & EURO 250 Million of Tranche B). EURO 300 milion (EURO 200 million of Tranch A and EURO 100 million of Tranche B) has been disbursed at Interest Rate of 0.287 % EURIBOR for 100 Million Euros (1st part of Tranche A), 0.161 % EURIBOR for 100 Million Euros (2nd Part of Tranche A) and at Interest Rate of 0.195 % EURIBOR for 100 Million Euros (1st Part of Tranche B) with a repayment period

## UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

### NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

of 20 Years ( including a moratorium Period of 4 Years) as per Finance Agreement dated 30-03-2016 and 31-03-2017. Rest of EURO 150 million was disbursed as on 22.11.2019 at Interest Rate of 0.231% EURIBOR.

6. As per the Financing Pattern of Kanpur Metro Rail Project approved by Government of India (Gol), INR 5551.99 Crore was to be arranged through External Funding Agency. European Investment Bank (EIB) has agreed to Finance EURO 650 Million (INR 5551.99 crore), which are to be made available to UPMRC through gross budgetary resources in the form of Pass Through Assistance (PTA) from Government of India. Finance Contract for EURO 200 Million and EURO 150 Million was signed on 31st Aug 2020 and 29th Dec 2020 respectively between European Investment Bank and Republic of India, however there is no disbursement made by EIB to Gol. Government of India till 31st Mar 2022 released INR 2516 Crore under the head PTA to UPMRC for the execution of Kanpur Metro Project.
7. As per the financing pattern of Agra Metro Rail Project approved from Government of India, Rs. 4178.59 crores was to be arranged through External Funding Agency. EIB (European Investment Bank) has agreed to Finance EURO 450 Million, which are made available to UPMRC through gross budgetary resources in the form of Pass Through Assistance (PTA) from Govt. of India. Finance Contract of EURO 250 million out of 450 million has been signed between EIB and Govt. of India on 22.12.2021. Government of India till 31st Mar 2022 released INR 877 Crore under the head PTA to UPMRC for the execution of Agra Metro Project.

#### Note No. 15 - Lease Liabilities

(INR in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Lease Liability (Refer note 33(k))	120.80	32.80
<b>Total</b>	<b>120.80</b>	<b>32.80</b>

#### Note No. 16 - Other Financial Liabilities

(INR in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
<b>Long Term</b>		
Performance Guarantee/ Security Deposit	1,016.61	774.66
<b>Total</b>	<b>1,016.61</b>	<b>774.66</b>

#### Note No. 17 - Provisions

(INR in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
<b>Long Term</b>		
For Employee Benefit		
Leave Encashment	1,744.44	1,515.34
Gratuity	352.14	200.04
<b>Total</b>	<b>2,096.58</b>	<b>1,715.38</b>



### Note 18 - Other Non Current Liabilities

(INR in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
<b>Non-Current</b>		
Government Grant	114,333.40	58,024.47
<b>Total</b>	<b>114,333.40</b>	<b>58,024.47</b>

### Note 19 - Borrowings

(INR in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
<b>Current</b>		
Interest Bearing Loans From Government of India against European Investment Bank (EIB)	12,827.26	10,414.80
<b>Total</b>	<b>12,827.26</b>	<b>10,414.80</b>

### Note 20 - Lease Liabilities

(INR in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
<b>Current</b>		
Lease Liability (Refer note 33(k))	35.40	0.35
<b>Total</b>	<b>35.40</b>	<b>0.35</b>

### Note 21 - Trade Payables

(INR in lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					As at 31.03.2022
	Not Due	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
a) MSME	0.37	117.87	0.29			118.54
b) Other than MSME	1.76	776.57	7.11	0.82		786.27
c) Disputed Dues - MSME						-
d) Disputed Dues - Other than MSME						-
<b>Total</b>	<b>2.13</b>	<b>894.44</b>	<b>7.40</b>	<b>0.82</b>	<b>-</b>	<b>904.81</b>

(INR in lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					As at 31.03.2021
	Not Due	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
a) MSME	0.37	33.00	0.01			33.38
b) Other than MSME	-	816.92	312.19	1.10		1,130.21
c) Disputed Dues - MSME						-
d) Disputed Dues - Other than MSME						-
<b>Total</b>	<b>0.37</b>	<b>849.92</b>	<b>312.20</b>	<b>1.10</b>	<b>-</b>	<b>1,163.59</b>

### Note No. 22 - Other Financial Liabilities

(INR in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
<b>Short term</b>		
Deposit/Retention Money From Contractors & Others	6,066.83	8,541.83
Creditors for CWIP & Capital Goods	20,090.53	12,334.25
Interest on EIB Loan	2,971.79	1,965.89
<b>Total</b>	<b>29,129.15</b>	<b>22,841.97</b>

### Note No. 23 - Other Current Liabilities

(INR in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
<b>Current</b>		
Duties & Taxes Payable	1,181.71	1,108.59
Payable to employees	436.08	374.34
Advance from Customers	300.76	516.33
Security Deposits from Customers	182.61	149.81
Payable against Land (Barter)#	8,658.08	1,575.10
Other Deposits	3,500.00	3,500.00
<b>Total</b>	<b>14,259.24</b>	<b>7,224.17</b>

#For Fair Valuation of Land under Barter the balance of expected cost to be incurred over completion of the project.

### Note No. 24 - Provisions

(INR in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
<b>Short Term</b>		
FOR EMPLOYEE BENEFITS		
Leave Encashment	43.90	17.11
Gratuity	35.79	27.08
Others*	1,596.68	1,597.54
<b>Total</b>	<b>1,676.37</b>	<b>1,641.73</b>

\*Others include Provision for Custom Duty Reimbursement, Provision for Pension Contribution etc.

### Note No. 25 - Revenue from Operations

(INR in lakhs)

Particulars	For the year ending 31.03.2022	For the year ending 31.03.2021
Fare Box Revenue	3,559.73	1,594.00
Non Fare Box Revenue	979.24	970.63
<b>TOTAL</b>	<b>4,538.97</b>	<b>2,564.63</b>



### Note No. 26 - Other Incomes

(INR in lakhs)

Particulars	For the year ending 31.03.2022	For the year ending 31.03.2021
<b>Other Income:-</b>		
Miscellaneous Income	464.22	415.26
<b>Interest Income :-</b>		
Term Deposits / FDR	3,810.09	1,194.19
Flexi Deposits	45.27	55.77
Interest on Saving Account	1,512.21	137.95
Interest on Security Deposit	26.44	67.82
Interest on Employee's Vehicle Loan	0.46	0.06
Amortization of Grant	2,324.59	2,479.29
Fair Value Adjustment	16.63	11.11
<b>TOTAL</b>	<b>8,199.91</b>	<b>4,361.45</b>

### Note No. 27 - Operating Expenses

(INR in lakhs)

Particulars	For the year ending 31.03.2022	For the year ending 31.03.2021
Security Expenses	1,552.18	1,435.74
Electricity Expenses	3,159.81	2,679.98
Equipment Running & Maintenance Expenses	529.78	283.42
Housekeeping Expenses	693.96	725.25
Depot Running & Maintenance Expenses	10.75	67.10
Station Running & Maintenance Expenses	649.22	553.85
Stores and Consumables	7.22	19.27
Commission on Fare Box Revenue	6.47	-
Insurance expenses	18.43	35.79
<b>Total</b>	<b>6,627.82</b>	<b>5,800.40</b>

### Note No. 28 - Employees' Benefit Expenses

(INR in lakhs)

Particulars	For the year ending 31.03.2022	For the year ending 31.03.2021
Salaries, Wages & Other Benefits	5,246.00	5,215.52
Contribution to Provident & Other Funds	713.89	535.42
Leave Encashment Expenses	523.62	477.34
Contribution Towards Gratuity	169.85	234.72
<b>Total</b>	<b>6,653.36</b>	<b>6,463.00</b>

### Note No. 29 - Finance Cost

(INR in lakhs)

Particulars	For the year ending 31.03.2022	For the year ending 31.03.2021
Bank Charges	1.07	0.09
Interest on EIB Loan	996.94	870.63
<b>Total</b>	<b>998.01</b>	<b>870.72</b>

### Note No. 30 - Depreciation and Amortisation Expenses

(INR in lakhs)

Particulars	For the year ending 31.03.2022	For the year ending 31.03.2021
<b>Depreciation / Amortization for the year</b>		
a) Tangible Assets	27,210.43	25,426.42
b) Intangible Assets	265.95	312.52
<b>Total</b>	<b>27,476.38</b>	<b>25,738.94</b>

### Note No. 31 - Other Expenses

(INR in lakhs)

Particulars	For the year ending 31.03.2022	For the year ending 31.03.2021
Printing & Stationery Expenses	61.53	43.85
Computer Running & Maintenance Expenses	167.65	165.42
Telephone , Internet & Communication Expenses	103.75	99.54
Books,Periodicals,Newspapers & Magazines Expenses	1.95	0.39
Auditors Remuneration	4.00	3.80
Advertisement & Publicity Expenses	88.88	73.75
Office Running & Maintenance Expenses	6.89	18.13
Office Supplies & Utilities Expenses	-	7.98
Postage & Courier Expenses	1.51	1.24
Miscellaneous Expenses	0.53	0.34
Travelling & Conveyance Expenses	170.01	184.75
Training & Recruitment Expenses	16.69	11.80
Hospitality & Refreshment Expenses	32.05	26.94
Outsourcing & Job Work Expenses	193.68	168.11
Statutory Expenses	0.70	4.00
Seminar, Ceremony, Conference Expenses	1,369.78	16.52
Licence, Legal & Other Expenses	11.61	8.27
Professional & other services	49.18	25.69
Rent, Rates & Taxes	8.14	78.89
Officers Colony Expenses	41.79	3.63
Interest Expense on Right to use Assets	14.80	2.68
Fair Value Adjustments	12.06	8.00
Loss on Disposal of Assets	0.41	0.31
Bad Debts Written off	-	2.30
<b>Total</b>	<b>2,357.59</b>	<b>956.33</b>



## NOTES TO ACCOUNTS

### NOTE NO. 32 COMPANY INFORMATION AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

#### 32.1 .1 CORPORATE INFORMATION

Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited (referred to as “the Company”), formerly Lucknow Metro Rail Corporation Limited, is domiciled and incorporated in India (CIN: U60300UP2013SGC060836) with 50:50 equity participation of the Government of India (GOI) and the Government of Uttar Pradesh (GoUP). The registered office of the company is located at Administrative Bhawan, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh PIN - 226010.

It was formed as a special purpose vehicle (SPV) on 25th November 2013 to execute Mass Rapid Transit System (MRTS) in Lucknow city by providing Metro Rail. The Corporation successfully implemented Phase 1A –North South Corridor (23Km) of Lucknow Metro Rail Project within strict timelines and commenced commercial operations on 8th March 2019. The Government further mandated it to implement the upcoming projects in other cities of Uttar Pradesh. Hence forth the constitution and name of the Company was changed to Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited (UPMRCL) on 23rd October 2019. Presently the Company, apart from running Metro Rail services in the Lucknow, has commenced construction activity in Kanpur (32.385 Kms) and Agra (30.45 Kms). Work of Priority Section for Corridor – 1 of Kanpur Metro Rail Project (IIT Kanpur to Motijheel) has been completed ahead of its schedule. Shri Narendra Modi, Hon’ble Prime Minister of India inaugurated the project on 28th December, 2021.

#### 32.2 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

The significant accounting policies applied by the Company in the preparation of its financial statements are listed below. Such accounting policies have been applied consistently to all the periods presented in these financial statements, unless otherwise indicated.

**a) Statement of compliance**

The financial statements have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as “Ind AS”) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, as amended from time to time and other relevant provisions of the Act.

**b) Basis of preparation of financial statements**

The financial statements have been prepared under the historical cost convention with the exception of certain assets and liabilities that are required to be carried at fair value by Ind AS. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The financial statements are presented in Indian Rupee (‘INR’), which is also the functional currency of the Company.

Pursuant to amendment to the Schedule III of the Companies Act, 2013 issued by the Ministry of Corporate Affairs; following Balance Sheet line items in the previous year have been regrouped:



- a. Lease Liabilities- earlier disclosed under the head of 'Other Financial Liabilities' are shown under the head of 'Lease Liabilities'.
- b. Current portion of long-term borrowings – earlier disclosed under the head of 'Other Financial Liabilities' is shown under 'Borrowings'
- c) **Additional Regulatory Information required by Schedule III to the Companies Act, 2013**
  - (i) The Company does not have any benami property held in its name. No proceedings have been initiated on or are pending against the Company for holding benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and Rules made thereunder.
  - (ii) The Company has not been declared wilful defaulter by any bank or financial institution or other lender or government or any government authority.
  - (iii) The Company has complied with the requirement with respect to number of layers as prescribed under section 2(87) of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Restriction on number of layers) Rules, 2017.
  - (iv) Utilisation of borrowed funds and share premium
    - (a) The Company has not advanced or loaned or invested funds to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding that the Intermediary shall:
      - Directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company (Ultimate Beneficiaries) or
      - Provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the ultimate beneficiaries
    - (b) The Company has not received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Company shall:
      - directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or
      - provide any guarantee, security or the like on behalf of the ultimate beneficiaries
  - (v) There is no income surrendered or disclosed as income during the year in tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (such as search or survey), that has not been recorded in the books of account.
  - (vi) The Company has not traded or invested in crypto currency or virtual currency during the year.
  - (vii) The Company does not have any charges or satisfaction of charges which is yet to be registered with Registrar of Companies beyond the statutory period.

Other new disclosures are given together with related notes.

**d) Use of estimates and critical accounting judgements**

In the preparation of financial statements, the Company makes judgements, estimates and assumptions about the carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent



from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an on-going basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised and future periods affected. Key source of estimation of uncertainty at the date of financial statements, which may cause material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, is in respect of impairment, useful lives of property, plant and equipment and intangible assets, valuation of deferred tax assets, provisions and contingent liabilities, fair value measurements of financial instruments and retirement benefit obligations as discussed in below paragraphs.

### Estimation of uncertainties relating to COVID-19

The Company has taken into account all the possible impacts of COVID-19 in preparation of these standalone financial statements, including but not limited to its assessment of, liquidity and going concern assumption, recoverable values of its financial and non-financial assets, impact on revenue recognition owing to changes in cost budgets of fixed price contracts, impact on leases and impact on effectiveness of its hedges. The Company has carried out this assessment based on available internal and external sources of information upto the date of approval of these standalone financial statements and believes that the impact of COVID-19 is not material to these financial statements and expects to recover the carrying amount of its assets. The eventual outcome of the impact of the global health pandemic may be different from those estimated as on the date of approval of these financial statements and the Company continues to closely monitor the situation including any material changes to future economic conditions and consequential impact on its financial statements.

#### e) Fair value measurements of financial instruments

When the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the balance sheet cannot be measured based on quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation techniques including Discounted Cash Flow Model. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgement is required in establishing fair value. Judgements include considerations of inputs such as liquidity risks, credit risks and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

#### f) Property, plant and equipment

- i. An item of property, plant and equipment is recognised as an asset if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and its cost can be measured reliably. This recognition principle is applied to costs incurred initially to acquire an item of property, plant and equipment and also to costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service it. All other repair and maintenance costs, including regular servicing, are recognised in the statement of profit and loss as incurred. When a replacement occurs, the carrying value of the replaced part is derecognised. Where an item of property, plant and equipment comprises major components having different useful lives, these components are accounted for as separate items. Property, plant and equipment is stated at cost or deemed cost applied on transition to Ind AS, less accumulated depreciation and impairment. Cost includes

all direct costs and expenditures incurred to bring the asset to its working condition and location for its intended use. Trial run expenses are capitalised. Borrowing costs incurred during the period of construction is capitalised as part of cost of qualifying asset.

- ii. Capitalization of the assets for new section to be opened for public carriage of passengers is done after ensuring its completeness in all respect as per Standard operating procedures as defined in the company, administrative formalities and compliance of requirements stipulated by Commissioner of Metro Railway Safety imperative for the opening of such section for public use.
  - iii. In the case of assets put-to-use, where final settlement of bills with contractors is yet to be affected, capitalization is done on provisional basis subject to necessary adjustment in the period / year of final settlement. However, any expenditure / subsequent costs included in Capital work- in -Progress, which could not be reliably measured while the particular asset is put to use, are recognized as and when they are reliably ascertained in accordance with Ind AS 16.
  - iv. Payments made towards permissions for construction of Station Entry and Exit from various land-owning agencies is capitalized as intangible asset and amortized over the useful life of the asset.
  - v. Expenditure on major inspection, overhauls and replacing part of an item of property, plant and equipment shall be capitalized, if it is probable that the future economic benefits embodied in it will flow to the company and its cost can be measured reliably.
  - vi. Gain and losses on disposal of an item of Property, plant and equipment are determined by comparing the proceeds from disposal with the carrying amount of the item and are recognized net within Statement of Profit & Loss.
  - vii. Assets & Systems common to more than one section of the project is capitalized based on technical estimates/ assessments.
- g) Depreciation and amortisation of property, plant and equipment, right-of-use assets and intangible assets**

Depreciation or amortisation is provided so as to write off, on a straight-line basis, the cost/ deemed cost of property, plant and equipment and intangible assets, including right-of-use assets to their residual value. These charges are commenced from the dates the assets are available for their intended use and are spread over their estimated useful economic lives or, in the case of right-of-use assets, over the lease period, if shorter. The estimated useful lives of assets, residual values and depreciation method are reviewed regularly and, when necessary, revised. Depreciation on assets under construction commences only when the assets are ready for their intended use.

The estimated useful lives for main categories of property, plant and equipment has been taken as prescribed in Schedule II of the Companies Act, 2013 except in respect of following assets/components of assets, where useful life is determined based on technical assessment by the company:



S. No.	Asset	Useful life (In years)
A.	Rolling Stock	30
A1	Components of Rolling Stock- Power supplies, Auxiliaries, Brakes, Air-conditioning system, Interiors, On board controls, Announcement and CCTV system	18
B	Escalators	30
B1	Components of Escalators- Handrail	7
B2	Components of Escalators-Step and Chain Roller, Relay, Timers and Control Gear	8
B3	Components of Escalators- Remaining Components	15
C	Elevators	30
C1	Components of Elevators-Traction Machine /Motor, Governo, Anti Creep Device	20
C2	Components of Elevators-Safety Gear Rope, Hoisting Chain/Rope	8
C3	Components of Elevators-Contactors, Relays	10
C4	Components of Elevators-Remaining Components	30
D	Components of AFC	
D1	CSC (Contactless Smart Card)	7
D2	CST (Contactless Smart Token)	5
D3	Remaining Components	10
E	Mobile Handset	3
F	Signages	2
G	Tubewells	15
H	Spares- Telecom	15
I	Spares- Elevators and Escalators	7

**Parameters considered for identification of components of assets:**

- Assets having value of INR 10 Lakhs & above and components of value more than 10 % in relation to the main asset have only been considered for componentization.
- The maximum life of component has been restricted to the life of principal asset.
- Significant components of assets having same useful life have been clubbed together irrespective of the percentage in relation to principal asset. Remaining components or insignificant items have combined with the principal asset.
- Land, Track Work (Permanent Way) and Intangible Assets are not componentised as identification of separate components is not possible.
- Vehicles. Temporary Structures, Survey / Safety Equipment, IT System, Office equipment, Furniture and Fixture and related assets have not been componentized as their value in relation to the total assets of the company is quite insignificant.
- Property, Plant & Equipment and Intangible Assets costing INR 5000/-or less have been depreciated/amortized fully in the year of purchase considering the materially aspect.

- The residual value of 5% of the original cost of the asset has been considered and deducted for charging depreciation as per Schedule II of Companies Act, 2013.
- Depreciation has been provided on pro-rata basis from the day on which assets were ready for use. Depreciation on addition to / deduction from an existing asset which forms integral part of main assets is charged over the remaining useful life of those assets.
- Major overhaul and inspection costs, which have been capitalized, are depreciated over the period until the next scheduled outage or actual major inspection/ overhaul, whichever is earlier.
- Considering the future economic benefits from software, they have been capitalized as Intangible Assets and amortized over a period of 5 years on Straight Line Method.
- Expenditure on the items, ownership of which is not with the Company is charged off to revenue in the year of incurrance of such expenditure.

#### **h) Intangible assets**

Software costs and Rights for using Land are included in the balance sheet as intangible assets when it is probable that associated future economic benefits would flow to the Company. In this case they are measured initially at cost of acquisition and then amortised on a straight-line basis over their estimated useful lives. All other costs are expensed in the statement of profit and loss as and when incurred. Expenditure on research activities is recognised as an expense in the period in which it is incurred. Subsequent to initial recognition, intangible assets with definite useful lives are reported at cost or deemed cost applied on transition to Ind. AS, less accumulated amortisation and accumulated impairment losses.

#### **i) Capital Work-in-Progress includes**

- i. Cost of capital assets which are under construction and not ready for intended use, include other direct and indirect expenditure directly attributable to the project / asset.
- ii. Administrative, indirect and general overheads (net of income) directly attributable to the projects are allocated in the ratio of assets capitalized.
- iii. Amounts pertaining to construction period such as Price Variation, Final Penalty Interest on temporary deployment of fund etc. have been adjusted against the expenditure during construction.
- iv. Claims including price variation are accounted for on approval and acceptance. Liquidated Damages are accounted for on settlement of final bill.
- v. Capital Work-in-Progress are inclusive of the expenditure and subsequent costs which could not be reliably ascertained when the asset is put to use and capitalized when the costs are reliably measured.
- vi. During the supplementary audit of the financial statements for the FY 2020-21 Comptroller and Auditor General of India (C&AG) was of the view that surplus material lying under the head capital work in progress is to be treated as inventory within the ambit of Indian Accounting Standard (Ind AS) 2, 'Inventories'. On the above observation, the company has sought an opinion of the Expert Advisory Committee (EAC) of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) regarding the accounting treatment of



stock of track work in view of C&AG observation. The Expert Advisory Committee of ICAI upheld the validity of the treatment adopted by UPMRC however suggested that 'stock of track' should not be termed as capital work in progress (CWIP) of metro project of city 'Lucknow'; rather should be classified under capital work in progress of metro projects of city 'Kanpur' and city 'Agra' to the extent these will be used for these metro projects. In compliance to the suggestion given by Expert Advisory Committee of ICAI, surplus material has been allocated to the Kanpur project and necessary entries have been passed.

**j) Allocation of Interest during Construction**

Interest During Construction (IDC) in respect of qualifying assets commissioned during the year, is allocated in the ratio which the value of commissioned assets bears to the qualifying CWIP as at the end of the month of commissioning. In other cases, IDC is allocated based on the date of capitalization of the last section.

**k) Impairment**

At each balance sheet date, the Company reviews the carrying value of its property, plant and equipment and intangible assets to determine whether there is any indication that the carrying value of those assets may not be recoverable through continuing use. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is reviewed in order to determine the extent of impairment loss, if any. Where the asset does not generate cash flows that are independent from other assets, the Company estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs. Recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted. An impairment loss is recognised in the statement of profit and loss as and when the carrying value of an asset exceeds its recoverable amount. Where an impairment loss subsequently reverses, the carrying value of the asset is increased to the revised estimate of its recoverable amount so that the increased carrying value does not exceed the carrying value that would have been determined had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. A reversal of an impairment loss is recognised in the statement of profit and loss immediately.

**l) Provisions**

A provision is recognised when the Company has a present obligation as result of a past event and it is probable that the outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimates. Provisions are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date and are not discounted at present value.

**m) Contingent liabilities/Assets**

Contingent Liabilities are disclosed in respect of possible obligations that arise from past events but their existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more

uncertain future events not wholly within the control of the Company or where any present obligation cannot be measured in terms of future outflow of resources or where a reliable estimate of the obligation cannot be made. Contingent liabilities / assets are disclosed based on judgment of management/independent experts, wherever required. These are reviewed at each balance sheet date and are adjusted to reflect the current management estimate. Contingent assets are not recognized but disclosed in notes to accounts.

**n) Retirement benefit obligations:**

The Company's retirement benefit obligations are subject to number of judgements including discount rates, inflation and salary growth. Significant judgements are required when setting these criteria and a change in these assumptions would have a significant impact on the amount recorded in the Company's balance sheet and the statement of profit and loss. The Company sets these judgements based on previous experience and third party actuarial advice.

**o) Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses**

The effect of asset ceiling, excluding amounts included in the net interest on the net defined benefit liability and the return on plan assets (excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability), are recognized immediately in the balance sheet with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

**p) Leases**

The Company evaluates if an arrangement qualifies to be a lease as per the requirements of Ind AS 116. Identification of a lease requires significant judgement. The Company uses significant judgement in assessing the lease term (including anticipated renewals) and the applicable discount rate. The discount rate is generally based on the incremental borrowing rates specific to the lease being evaluated or for a portfolio of leases with similar characteristics.

A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

**The Company as lessee**

The Company accounts for each lease component within the contract as a lease separately from non-lease components of the contract and allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone price of the lease component and the aggregate stand-alone price of the non-lease components. The Company recognises right-of-use asset representing its right to use the underlying asset for the lease term at the lease commencement date. The cost of the right-of-use asset measured at inception comprises of the amount of initial measurement of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date. Certain lease arrangements include options to extend or terminate the lease before the end of the lease term. The right of-use assets and lease liabilities include these options when it is reasonably certain that such options would be exercised. The right-of-use assets is subsequently measured at cost less any accumulated depreciation, accumulated impairment losses, if any and adjusted for any re-measurement of the lease liability. The right-of-use assets is depreciated using the straight-line method from the



commencement date over the shorter of lease term or useful life of right-of-use asset. Right-of-use assets are tested for impairment whenever there is any indication that their carrying amounts may not be recoverable. Impairment loss, if any, is recognised in the statement of profit and loss. Lease liability is measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date of the lease. The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease, if that rate can be readily determined. If that rate cannot be readily determined, the Company uses incremental borrowing rate. The lease liability is subsequently re-measured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability, reducing the carrying amount to reflect the lease payments made and re-measuring the carrying amount to reflect any reassessment or lease modifications. The Company recognises the amount of the re-measurement of lease liability as an adjustment to the right-of-use asset. Where the carrying amount of the right-of-use asset is reduced to zero and there is a further reduction in the measurement of the lease liability, the Company recognises any remaining amount of the re-measurement in statement of profit and loss. Variable lease payments not included in the measurement of the lease liabilities are expensed to the statement of profit and loss in the period in which the events or conditions which trigger those payments occur.

The Company accounts for sale and lease back transaction, recognising right-of-use assets and lease liability, measured in the same way as other right-of-use assets and lease liability. Gain or loss on the sale transaction is recognised in statement of profit and loss.

The company has elected not to apply the requirements of IND AS 116 leases to short-term leases of all assets that have a lease term of 12 months or less and leases for which the underlying asset is of low value. the Company has applied the optional exemptions to not recognise right-of-use assets but to account for the lease expense on a straight-line basis over the remaining lease term.

#### The Company as lessor

- (i) **Operating lease** – Rental income from operating leases is recognised in the statement of profit and loss on a straight-line basis over the term of the relevant lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset is diminished. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying value of the leased asset and recognised on a straight-line basis over the lease term.
- (ii) **Finance lease** – When assets are leased out under a finance lease, the present value of minimum lease payments is recognised as a receivable. The difference between the gross receivable and the present value of receivable is recognised as unearned finance income. Lease income is recognised over the term of the lease using the net investment method before tax, which reflects a constant periodic rate of return.

#### q) Financial instruments

Financial assets and financial liabilities are recognised when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument. Financial assets and liabilities are initially measured at fair value except for those financial assets which are classified at Fair Value Through Profit & Loss (FVTPL) at inception. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit and loss) are added to or deducted



from the fair value measured on initial recognition of financial asset or financial liability. The transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets and financial liabilities at fair value through profit and loss are immediately recognised in the statement of profit and loss.

### Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial instrument and of allocating interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts future cash receipts or payments through the expected life of the financial instrument, or where appropriate, a shorter period.

#### (I) Financial assets

##### Cash and bank balances

Cash and bank balances consist of:

- (i) **Cash and cash equivalents** - which includes cash on hand, deposits held at call with banks and other short-term deposits which are readily convertible into known amounts of cash, are subject to an insignificant risk of change in value and have original maturities of up to three months. These balances with banks are unrestricted for withdrawal and usage.
- (ii) **Other bank balances** - which includes balances and deposits with banks having maturity of more than three months but up to one year.

##### Financial assets at amortised cost

Financial assets are subsequently measured at amortised cost if these financial assets are held within a business model whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

##### Financial assets measured at fair value

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if such financial assets are held within a business model whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows or to sell such financial assets and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets not measured at amortised cost or at fair value through other comprehensive income are carried at fair value through profit and loss.

##### Interest income

Interest income is accrued on a time proportion basis, by reference to the principal outstanding and effective interest rate applicable.

##### Dividend income

Dividend income from investments is recognised when the right to receive payment has been established.



## Classification and Subsequent Measurement of Financial assets

For the purpose of subsequent measurement, financial assets are classified into the following categories upon initial recognition:

- Financial assets at amortized cost using effective interest method (EIR)
- Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL)
- Financial assets at fair value through other comprehensive income (FVOCI)

All the financial assets except for those at FVTPL are subject to review for impairment at least at each reporting date. There are no Financial Assets, which are designated at FVTPL in the company.

## Impairment of financial assets

Loss allowance for expected credit losses is recognised for financial assets measured at amortised cost and fair value through other comprehensive income. The Company recognises life time expected credit losses for all trade receivables that do not constitute a financing transaction. For financial assets (apart from trade receivables that do not constitute of financing transaction) whose credit risk has not significantly increased since initial recognition, loss allowance equal to twelve months expected credit losses is recognised. Loss allowance equal to the lifetime expected credit losses is recognised if the credit risk of the financial asset has significantly increased since initial recognition.

## De-recognition of financial assets

The Company de-recognises a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognises its retained interest in the assets and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognise the financial asset and also recognises a borrowing for the proceeds received.

## (II) Financial liabilities and equity instruments

### Classification as debt or equity

Financial liabilities and equity instruments issued by the Company are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

### Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

### Financial liabilities

Trade and other payables are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortised cost, using the effective interest rate method where the time value of money is significant.

Interest bearing bank loans, overdrafts and issued debt are initially measured at fair value and are subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the settlement or redemption of borrowings is recognised over the term of the borrowings in the statement of profit and loss.

### **Classification and Subsequent measurement of financial liabilities**

Financial liabilities are measured subsequently at amortized cost using the effective interest method, except for financial liabilities held for trading or designated at FVTPL, that are carried subsequently at fair value with gains or losses recognized in profit or loss. All derivative financial instruments are accounted for FVTPL. There are no financial liabilities, which are designated at FVTPL in the company.

### **De-recognition of financial liabilities**

The Company de-recognises financial liabilities when, and only when, the Company's obligations are discharged, cancelled or they expire.

### **Effective Interest Rate (EIR) is calculated as follows**

- Financial Assets & Financial Liabilities, which are, interest bearing at market rates: EIR in these cases are equivalent to instrument's interest rate.
- For other financial assets or financial liabilities: SBI-MCLR/ Base rate at beginning of financial year for highest available period.

## **r) Employee benefits**

### **Defined contribution plans**

Contributions under defined contribution plans are recognised as expense for the period in which the employee has rendered the service. Contribution towards provident fund and employee state insurance is made to the regulatory authorities, where the Company has no further obligations. Such benefits are classified as Defined Contribution Plans as the company does not carry any further obligations, apart from the contributions made on a monthly basis. Such contributions are charged to the Statement of Profit and Loss for the period of service rendered by the employees.

### **Defined benefit plans**

The Company has a defined benefit gratuity plan. The Company funds the Plan through annual contributions to Life Insurance Corporation of India. Company's liability is actuarially determined at the end of each year. Liability is recognized based on Actuarial Valuation of Gratuity Liability.

Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, the effect of asset ceiling, excluding amounts included in the net interest on the net defined benefit liability and the return on plan assets (excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability), are recognized immediately in the balance sheet with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.



Accumulated leaves, which are expected to be availed or en-cashed within twelve months from the end of the year, are treated as short term employee benefits. The obligation towards the same is measured at the expected cost of accumulating leaves as the additional amount expected to be paid as a result of the unused entitlement as at the year end.

Accumulated leaves, which are expected to be availed or en-cashed beyond twelve months from the end of the year, are treated as other long-term employee benefits. The Company's liability is actuarially determined at the end of each year.

s) **Inventories**

Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Cost is ascertained on a weighted average basis. Costs comprise direct materials and, where applicable, direct labour costs and those overheads that have been incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Net realisable value is the price at which the inventories can be realised in the normal course of business after allowing for the cost of conversion from their existing state to a finished condition and for the cost of marketing, selling and distribution. Provisions are made to cover slow-moving and obsolete items based on historical experience of utilisation on a product category basis, which involves individual businesses considering their product lines and market conditions.

During the supplementary audit of the financial statements for the FY 2020-21 Comptroller and Auditor General of India (C&AG) was of the view that consumable spares amounting to INR 6.75 crores had been capitalized along with rolling stock during the year instead of accounting for the same as inventory. As observed by the audit spares of INR 6.75 crore refers to the total value of spares of consumable nature to be supplied by the contractor under contract LKRS-01. Out of total spares of INR 6.75 crore, spares of INR 1.02 crore were received and capitalised during FY 2020-21. In compliance of C&AG comment, consumable spares of INR 1.02 crores capitalized in FY 2020-21 are now being transferred to inventory and necessary entries have been passed. Henceforth, same practice will be followed for upcoming financial year.

t) Cash flows are reported using the indirect method, as prescribed in Indian Accounting Standard (Ind AS – 7) on 'Statement of Cash Flows', whereby profit for the year is adjusted for the effects of transactions of a non-cash nature, any deferrals or accruals of past or future operating cash receipts or payments and item of income or expenses associated with investing or financing cash flows. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated. The Company considers all highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash to be cash equivalents.

u) **Current versus non-current classification:**

The Company presents assets and liabilities in the balance sheet based on current/ non-current classification. All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's normal operating cycle and other criteria set out in the Schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of products and the time between acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents, the Company has ascertained its operating cycle as twelve months for the purpose of current/ non-current classification of assets and liabilities.

**v) Onerous contracts**

A provision for onerous contracts is recognised when the expected benefits to be derived by the Company from a contract are lower than the unavoidable cost of meeting its obligations under the contract. The provision is measured at the present value of the lower of the expected cost of terminating the contract and the expected net cost of continuing with the contract. Before a provision is established, the Company recognises any impairment loss on the assets associated with that contract.

**w) Grants in Aid**

Grants from the Government/Non-Government or other authorities towards Capital Expenditure for creation of assets are initially shown as 'Deferred Revenue'. These are subsequently recognized as income each year over the life of the relevant assets in proportion to depreciation on those assets.

Grants from the Government/ Non-Government or other authorities towards revenue has been recognized in the Statement of Profit & Loss under the head 'other income'.

Where the Company receives non-monetary grants, the asset and the grant are recorded gross at fair amounts and released to the income statement over the expected useful life and pattern of consumption of the benefit of the underlying asset.

The Financial Assistance received from Government of Uttar Pradesh for State Taxes has been adjusted/ deducted from Capital work in Progress (CWIP).

**x) Taxation**

**Current Tax**

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from net profit as reported in the statement of profit and loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The Company's liability for current tax is calculated using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Current tax are recognised as an expense or income in the statement of profit and loss, except when they relate to items credited or debited either in other comprehensive income or directly in equity, in which case the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity.

**Deferred Tax**

Deferred tax is the tax expected to be payable or recoverable on differences between the carrying value of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit and is accounted for using the balance sheet liability method. Deferred tax liabilities are generally recognised for all taxable temporary differences. In contrast, deferred tax assets are only recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.



The carrying value of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Deferred tax is calculated at the tax rates that are expected to apply in the period when the liability is settled or the asset is realised based on the tax rates and tax laws that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and assets reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying value of its assets and liabilities.

Deferred tax assets and liabilities are offset to the extent that they relate to taxes levied by the same tax authority and there are legally enforceable rights to set off current tax assets and current tax liabilities within that jurisdiction.

Deferred tax are recognised as an expense or income in the statement of profit and loss, except when they relate to items credited or debited either in other comprehensive income or directly in equity, in which case the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity. The extent to which deferred tax assets can be recognized is based on an assessment of the probability of the Company's future taxable income against which the deferred tax assets can be utilized. Thus deferred tax asset has not been recognised.

Deferred tax assets include Minimum Alternate Tax (MAT) paid in accordance with the tax laws in India, which is likely to give future economic benefits in the form of availability of set off against future income tax liability. MAT is recognised as deferred tax assets in the balance sheet when the asset can be measured reliably and it is probable that the future economic benefit associated with the asset will be realised.

**y) Revenue Recognition (Ind AS 115)**

In accordance with IND AS 115 the company recognizes the revenue as under:

- i. Revenue from tickets/tokens are recognized on the date of its purchase and in case of smart cards based on money value of the actual usage.
- ii. The interest income on Flexi Deposits and TDRs / FDRs is recognized on time proportion basis, considering the amount invested, rates applicable and interest accrued as per the interest certificates issued by the banks.
- iii. Rental Income in case of property and space let out is recognized based on terms and conditions of the contract agreement with licensee/lessee/concessionaire, etc.
- iv. Revenue accrued from advertisement for the space utilized is accounted for on accrual basis based on the contract terms.
- v. Some items that are recognized on cash basis as under:
  - Income from sale of scrap is accounted on realization basis.
  - Insurance claims are accounted for on the basis of acceptance of claim
  - Interest on tax refund is recognized when it is received or adjusted with any other liability.

- Income from Sale of tender documents.
- vi. The company has signed the contract agreement of “Design, manufacture, supply, installation, testing & commissioning of open loop EMV NVMC card & QR code based Automatic Fare Collection (AFC) system on “PPP” basis for Kanpur Metro Rail Projects.” to provide all equipment, materials, labor and other facilities requisite for all incidental to the successful completion of the works and in carrying out all duties and obligations imposed by the contract document for collection and management of fare box revenue.

**z) Foreign currency transactions and translations**

The financial statements of the Company are presented in Indian Rupees (“₹”), which is the functional currency of the Company and the presentation currency for the financial statements. In preparing the financial statements, transactions in currencies other than the Company’s functional currency are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transaction. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are re-translated at the rates prevailing at the end of the reporting period. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are re-translated at the rates prevailing on the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not translated. Exchange differences arising on translation of long-term foreign currency monetary items recognised in the financial statements before the beginning of the first Ind AS financial reporting period in respect of which the Company has elected to recognise such exchange differences in equity or as part of cost of assets as allowed under Ind AS 101 “First-time adoption of Indian Accounting Standards” are added/deducted to/ from the cost of assets as the case may be. Such exchange differences recognised as part of cost of assets or recognised in the statement of profit and loss on a systematic basis. Exchange differences arising on the re-translation or settlement of other monetary items are included in the statement of profit and loss for the period.

The loan from European Investment Bank (EIB) has been received as Pass through assistance (PTA) from Government of India (GoI) in INR. Any forex fluctuation on repayment will be recognized on transaction basis on advice from Government of India(GoI) when making repayments as it has been received by the Company as Pass through assistance (PTA) provided by GoI in Indian currency securitizing it through its sovereign guarantee

**aa) Borrowing costs**

Borrowings costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for the intended use or sale.

Also, interest earned on short term investment of borrowings is adjusted against the value of asset. Interest earned on short term investment of funds received by metro towards equity and interest free funds is recognised in the statement of P&L account. This treatment is also in accordance with an order dated 8th August, 2016 from the Ministry of Urban development. Thus, on the basis of above, interest of INR 43.28 crores (29.50 crore for Kanpur & 13.78 crores for Agra) is credited to P&L during the year and interest of INR 27.10 crores (26.16 for Kanpur & 0.45 crores for Agra) is adjusted against the value of the assets.



All other borrowing costs are recognised as expenses in the period in which it is incurred.

**ab) Earnings per share**

Basic earnings per share is computed by dividing profit or loss for the year attributable to equity holders by the weighted average number of shares outstanding during the year. Partly paid up shares are included as fully paid equivalents according to the fraction paid up.

Diluted earnings per share is computed using the weighted average number of shares and dilutive potential shares except where the result would be anti-dilutive.

**ac) Recent pronouncements**

Ministry of Corporate Affairs (“MCA”) notifies new standard or amendments to the existing standards under Companies (Indian Accounting Standards) Rules as issued from time to time. On March 23, 2022, MCA amended the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2022, applicable from April 1, 2022, as below:

**Ind AS 103 – Reference to Conceptual Framework**

The amendments specify that to qualify for recognition as part of applying the acquisition method, the identifiable assets acquired and liabilities assumed must meet the definitions of assets and liabilities in the Conceptual Framework for Financial Reporting under Indian Accounting Standards (Conceptual Framework) issued by the Institute of Chartered Accountants of India at the acquisition date. These changes do not significantly change the requirements of Ind AS 103. The Company does not expect the amendment to have any significant impact in its financial statements.

**Ind AS 16 – Proceeds before intended use**

The amendments mainly prohibit an entity from deducting from the cost of property, plant and equipment amounts received from selling items produced while the company is preparing the asset for its intended use. Instead, an entity will recognise such sales proceeds and related cost in profit or loss. The Company does not expect the amendments to have any impact in its recognition of its property, plant and equipment in its financial statements.

**Ind AS 37 – Onerous Contracts - Costs of Fulfilling a Contract**

The amendments specify that that the ‘cost of fulfilling’ a contract comprises the ‘costs that relate directly to the contract’. Costs that relate directly to a contract can either be incremental costs of fulfilling that contract (examples would be direct labour, materials) or an allocation of other costs that relate directly to fulfilling contracts. The amendment is essentially a clarification and the Company does not expect the amendment to have any significant impact in its financial statements.

**Ind AS 109 – Annual Improvements to Ind AS (2021)**

The amendment clarifies which fees an entity includes when it applies the ‘10 percent’ test of Ind AS 109 in assessing whether to derecognise a financial liability. The Company does not expect the amendment to have any significant impact in its financial statements.



### Ind AS 116 – Annual Improvements to Ind AS (2021)

The amendments remove the illustration of the reimbursement of leasehold improvements by the lessor in order to resolve any potential confusion regarding the treatment of lease incentives that might arise because of how lease incentives were described in that illustration. The Company does not expect the amendment to have any significant impact in its financial statements.

### 33. NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS:

#### a) Contingent Liabilities:

(In Lakhs)

S. No.	Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
1.	Penalty Charges claimed by BSNL	21.00	21.00
2.	Additional compensation for Land @ 100% of circle rate and annual concession fees for 30 years. amounting to INR 2554.00 Lakhs being demanded by U.P. State Road Transport Corporation, Lucknow for the Land transferred to UPMRCL for Metro Rail Project.	2554.00	2554.00
3.	The rent of land for Casting Yard at Lucknow Airport amounting to INR 2440.00 Lakhs. (The amount of INR 228.62 Lakhs has been booked as confirmed liability vide Letter No. 3905/LMRC/CPM 1/AAI/Land/2019 dated 16-07-2019. The difference of the same has been shown as contingent liability.) (Please refer Point No. iii as mentioned below)	2211.00	2211.00
4.	Letter of Credit(s) USD 58.67 lacs as per LC arrangement with HDFC Bank	4447.79	Nil
5.	Letter of Credit(s) in EURO 4.50 lacs as per LC arrangement with HDFC Bank	380.81	Nil
6.	Bank Guarantee(s) in INR as per LC arrangement with HDFC Bank	1.20	Nil
7.	M/s Delhi Metro Rail Corporation on a/c of Revision of DPR for E-W Corridor of Lucknow Metro Rail Project.	9.00	9.00
8.	The charges payable to North Eastern Railway for temporary use of railway land during construction period was disclosed as Contingent Liability amounting to INR 14.00 Lakhs. The Amount was revised to INR 10.17 Lakhs by North Eastern Railways during the year. The amount of INR 8.50 Lakhs was paid against the demand of INR 10.17 Lakhs during the year. The difference between the demand and the amount paid has been disclosed as Contingent Liability.	1.67	1.67
9.	The demand for additional compensation for Land @ 100% of circle rate amounting to INR 285.00 Lakhs by U.P. Cooperative Bank Limited, Lucknow for the Land transferred to UPMRC for Hazratganj Ramp.	285.00	285.00
10.	Regarding the court case pending before Consumer forum.	5.00	5.00
11.	Regarding the pending Court Case - Prabhu Sahani v. Kumar Infrastructure Pvt. Ltd. & UPMRC Ltd.	0.89	0.89



12.	Regarding the supervision charges demanded by North Eastern Railway. The Supervision Charges was demanded at 6.25% by North Eastern Railway and paid at 3.125%. The difference is due to the difference in land rates. The difference between the amount demanded and amount paid is disclosed as Contingent Liability.	26.00	26.00
13.	Income Tax Appeals (PY 2013-14 to 2016-17) (Cases pending with the Income Tax Appeal for PY 2013-14 and PY 2014-15 has been resolved in the favour of UPMRC)	156.04	156.04
14.	Contingent Liability regarding rent payment to LDA for Casting Yard, Kalvin College for the period 21.11.2016 to 21.01.2018. The decision is pending at administrative level.	122.15	122.15
15.	Contingent Liability regarding rent payment for stores in Vrindavan Colony to UP Awas Vikas Parishad. Decision regarding fixation of rent is pending as UPMRC has requested for reduction of rent for the period of 05.01.2016 to 30.11.2019.	188.97	188.97
16.	Contingent Liability regarding rent payment for Casting Yard in Vrindavan Colony to UP Awas Vikas Parishad. Decision regarding fixation of rent is pending as UPMRC has requested for reduction of rent for the period of 4 years.	296.47	296.47
17.	Temporary land rent for 122.36 sqm of land in front of Jeevan Bhawan-1 building and 147.03 sqm of land in front of Jeevan Prakash building. (Refer point iv)	11.53	NIL
18.	PD OUTLET- M/s THE HAZLENUT FACTORY in Permanent land of 348 sqm in front of Jeevan Bhawan-1 building. (refer point v)	462.59	NIL

- i. The issue regarding the rent payable to U.P. Co-operative Union Limited for temporary usage of Sahkarita Bhawan Land has been referred to the District Magistrate, Lucknow vide letter no. 3729/LMRC – L -6/2014 dated 21-6-2019 for decision. The same will be accounted for when the same is finalised.
- ii. The Government of Uttar Pradesh (GoUP) vide its order dated 14 August 2017 has asked for submission of proposal for transfer of land for construction of Phase 1A (North South Corridor) receiving substation and viaduct at Rajkiya Mahila Polytechnic, Lucknow and Rajkiya Polytechnic of 4000 sq.mtr. and 48.03 sq.mtr respectively. The transfer fee calculated as per the circle rate schedule was ₹ 0.22crore and ₹ 22.20 crore respectively. The Land will be accounted for in the books of accounts of the Company, once the decision in this behalf is taken up by GoUP.
- iii. Airport Authority of India (AAI) vide its letter dated 22.04.16 has allotted 60,000 Square meter of land to Company for establishment of casting yard for the period 01.10.14 to 31.03.2017 on lease. Airport Authority of India (AAI) vide its letter dated 18.01.2017 demanded rent payable amounting to Rs. 24.40 crore from the Company and further made several correspondences with UP Metro Corporation. Further UP Govt. vide letter no. 1268/56-2019-08/2013 dated 26.06.2019 has directed to UPMRC Limited to pay the dues of AAI in-co-ordination with them. UPMRC has paid an amount of INR 2.29 crore on 29.12.2019 to AAI as per calculation based on Circle rate. However, the demand of AAI is unilateral and not in terms with the provisions of Revenue Authorities in Uttar Pradesh. Considering the facts of the issue between AAI and UPMRC, the balance amount of INR 22.11 crore (INR 24.40-2.29) Crore had been shown as Contingent Liability in terms of paragraph 10 of Ind AS 37 till the final settlement.

- iv. Temporary land rent for 122.36 sqm of land in front of Jeevan Bhawan-1 building and 147.03 sqm of land in front of Jeevan Prakash building. UPMRC had taken the temporary land pocket of 122.36 sq.mt. in front of Jeevan Bhawan-1 Building and 147.03 sq.mt. in front of Jeevan Prakash Building from LIC for 26 months i.e. from 20.04.2017 to 19.06.2019 for construction of Hazratganj Underground Metro Station. UPMRC has completed its construction work before expected time and said land pockets were vacated in Feb 2019. Accordingly, rent was also paid upto Feb 2019. However, LIC contests that the lease agreement was signed for 26 months i.e. from 20.04.2017 to 19.06.2019 and there is no such clause of termination of lease in between the said 26 months lease duration and demands rent upto 19.06.2019.

The matter is pending before Estate Officer, LIC, Dehradun under the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971. If the matter is decided in favour of LIC, UPMRC may have to pay additional rent from 01.03.2019 to 19.06.2019 amounting to Rs. 11,53,005/-

- v. PD OUTLET- M/s THE HAZLENUT FACTORY in Permanent land of 348 sqm in front of Jeevan Bhawan-1 building.

Permanent land of 348 sqm has been taken on lease from Life Insurance Corporation of India by UPMRC for the duration of 90 years, vide lease deed dated 30.11.2018. UPMRC vide LOA no. UPMRC/CE-Contract/PD/LKPD-06(LT)/1867 dated 21.12.2020 has licensed a part of this land to M/s The Hazlenut Factory at License fee of Rs. 3,60,000/- per month (excluding GST) license fee was revised to Rs. 3,79,940.00 (excluding GST) w.e.f. from 20.12.2021 for 09 years in order to exploit non fare box revenue from Property Development as per Metro Railway (Operation & Maintenance) Act 2005.

LIC has expressed their concerns regarding usage of a part of the lease premise for opening an outlet of M/s The Hazlenut Factory. However, UPMRC does not agree to this. The matter is sub-judice and if the verdict goes in favour of LIC, UPMRC may lose this revenue.

**Contingent Assets:** There are no contingent assets as on date with the company.

**b) Commitments**

Estimated amounts of contracts including foreign currency contracts remaining to be executed on capital account and not provided for is INR718115Lakhs(PY INR453175.01 Lakh)as on March 31st, 2022

**c) Share Application Money**

- (i) The company has received below mentioned amount from Government of India and Government of Uttar Pradesh during FY 2021-22 for Kanpur and Agra Metro Projects for which allotment is pending as on 31st March 2022c)

(NRI in Lakh)

Particulars	Kanpur Metro Project	Agra Metro Project
Gol	NIL	700.00
GoUP	NIL	5775.00
Total	NIL	6475.00



- (ii) The Company received INR 3500 lakh from UPSIDC in the year 2014-15 and 2015-16 for equity participation and the same had been shown as “Share application money pending allotment” under the Note – “Other Equity” in its account till previous Year (2018-19). In the FY 2019-20 the Company has transferred this amount (INR 3500 lakh) from the head “Share application money pending allotment to the head “Other Current Liabilities”. The approved DPR envisaged 50:50 equity participation of GoUP and GoI. Henceforth, the shares could not have been issued to any Government Corporation in terms of Finance Model of approved DPR. Considering the prudent accounting norms, the same have been taken to Current Liabilities.

**d) Borrowings**

- i. For Lucknow Metro Rail Project, loan from European Investment Bank (EIB) has been received as Pass through assistance (PTA) from Government of India (GoI) in INR. The Pass-Through Assistance (PTA) provided by Government of India is based on the finance contract signed between EIB and Government of India (GoI) for Euro 450 Million (equivalent to INR 3,50,200 Lakh) as the borrower. The loan is secured by sovereign guarantee by the GoI which was given from their Plan Budget of Ministry of Urban Development (MoUD) in INR. As mentioned in the table below, the loan has been disbursed in tranches as per budgetary provisions of Government of India which is repayable in 16 years (Half yearly equal installments) after the expiry of moratorium period of 4 years. A letter requesting for extension of Moratorium Period of loan alongwith its interest was sent to Ministry of Housing and Urban Affairs, GoI vide letter No. LMRC/F-4/GoI/Vol-IV dated 20th July 2020. Any forex fluctuation on repayment will be recognized on transaction basis on advice from GoI. The company has provided for interest of INR 829.07 Lacs (PY 870.63 Lacs) and penal interest of INR 167.87 lacs during the current financial year for the loan received for Lucknow Metro project.

Tranche	Part	Amount (EUR in million)	Date of Disbursement	Date of Expiry of Moratorium
Tranche A	Part-1	100.00	30.01.2017	29.01.2021
Tranche A	Part-2	100.00	08.01.2018	08.01.2022
Tranche B	Part-1	100.00	08.01.2019	08.01.2023
Tranche B	Part-2	150.00	22.11.2019	22.11.2023
<b>Total</b>		<b>450.00</b>		

The moratorium period of Tranche A part-1 of the loan was expired on 29th Jan 2021 and moratorium period of Tranche A, Part-2 of the loan was expired on 08.01.2022. Details of overdue of principle and interest is mentioned below.

Tranche	Part	Principal overdue as on 31.03.2022 (EUR in million)	Interest overdue as on 31.03.2022 (EUR in million)
Tranche A	Part-1	9.09	1.43
Tranche A	Part-2	3.03	0.65
Tranche B	Part-1	-	0.59
Tranche B	Part-2	-	0.70
<b>Total</b>		<b>12.12</b>	<b>3.37</b>

- (ii) For Kanpur Metro Rail Project, as per the Financing Pattern of approved by Government of India (GoI), INR 5551.99 Crore was to be arranged through External Funding Agency. European Investment Bank (EIB) has agreed to Finance EURO 650 Million (INR 5551.99 crore), which are to be made available to UPMRC through gross budgetary resources in the form of Pass Through Assistance (PTA) from Government of India. Finance Contract for EURO 200 Million and EURO 150 Million was signed on 31st Aug 2020 and 29th Dec 2020 respectively between European Investment Bank and Republic of India, however there is no disbursement made by EIB to GoI. Government of India till FY 2021-22 released INR 2516 Crore under the head PTA to UPMRC for the execution of Kanpur Project.

For Agra Metro Rail Project, as per the Financing Pattern of approved by Government of India (GoI), INR 4178.59 Crore was to be arranged through External Funding Agency. European Investment Bank (EIB) has agreed to Finance EURO 450 Million (INR 4178.59 crore), which are to be made available to UPMRC through gross budgetary resources in the form of Pass Through Assistance (PTA) from Government of India. Finance Contract for EURO 250 Million was signed on 22nd Dec 2021 between European Investment Bank and Republic of India, however there is no disbursement made by EIB to GoI. Government of India till FY 2021-22 released INR 877 Crore under the head PTA to UPMRC for the execution of Kanpur Project.

**(iii) Subordinate Debt**

Interest free subordinate debts received from GoI & GoUP are repayable after the repayment of all Non-Government Debts (i.e. Senior Debts). These debts have been recognized as long-term borrowings. The subordinate debts are interest free. As per Government Order, Company is required to make repayment of subordinate debt only after repayment of entire Senior Term Debt availed for the project. In view of the uncertainty of repayment period, the company has not considered necessary for the fair valuation of Government subordinate debt.

**e) Financial Assistance**

The company has received financial assistance of INR 214.40 crore and INR 161.00 crore respectively for Kanpur Metro Project and Agra Metro project for reimbursement of State Taxes from GoUP till 31st March 2022. However, the financial assistance was released by GoUP as "Subordinate Debt" mentioned in the Government Order issued while releasing the amount. Since it is related to the reimbursement of taxes and released on the similar lines as it was released during construction of Lucknow metro project, same is recognised as Government Grant in the Financial Statements of FY 2021-22. A letter requesting to provide clarification regarding this amount has been sent to GoUP vide letter dated 21st Jun 2021.

**f) Land**

- i. Amount received for buying land for the company as part of interest-free Subordinate Loan for Land sanctioned to the Company, is treated as interest-free subordinate loan for land in accordance with Government guidelines in this regard.
- ii. Payments made provisionally / liability provided towards cost or compensation related to the land including lease-hold land in possession, are treated as cost of the Land or Lease-hold land respectively. Payment made provisionally / liability provided towards land acquired on temporary basis has been amortized over the possession period of the land.



- iii. The pieces of land purchased by UPMRCL for which possession has been obtained pending registration have been accounted for based on payment made for them.
- iv. UPMRCL has received few pieces of land free of cost from Government of Uttar Pradesh. These have been capitalized as freehold land at a token amount of INR 1/- per piece of land. As these parcels of land were received prior to implementation of Ind AS, the same have been continued at nominal value of INR 1/- in accordance with the exemptions permitted in Ind AS 101.
- v. Land parcels or any Land being received from Government free of cost post implementation of Ind AS 101, the ownership of which vests with UPMRCL, is to be recognized at fair value of the land received. Fair Value is to be calculated based on circle rates of that area effective on the date of receipt of such land.
- vi. Land received in exchange of assets is recognized at the Fair value of the land received. Difference between fair value of land received and cost of asset given is recognized as applicable govt. grant. These grants are accounted under the head of Deferred Income and the same are amortized as per the provisions of Ind AS 20.
- vii. Compensation, replacement etc. relating to the cost of rehabilitation of Project Affected Persons (PAPs) is booked to CWIP and on completion is added to the cost of related assets.

**g) Payment to the Statutory Auditors: -**

(in Lakh)

Particulars	2021-22*	2020-21*
Audit Fees	4.00	3.00
Tax Audit Fees	1.50	0.80
<b>Total</b>	<b>5.50</b>	<b>3.80</b>

\*Amount mentioned above is exclusive of GST.

- h)** The Company has accounted for State reimbursable taxes which has been adjusted in the carrying amount of PPE including CWIP to the tune of INR 92.11crores (INR NILcrore)

- i)** Information in respect of Micro, Small and Medium Enterprises as at 31st March 2022

(in Lakh)

Sr. No.	Particulars	2021-22	2020-21
1.	Amount remaining unpaid to any supplier:		
	a) Principal Amount	NIL	NIL
	b) Interest due thereon	NIL	NIL
2.	Amount of interest paid in terms of section 16 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act,2006, along with the amount paid to the supplier beyond the appointed day;	NIL	NIL
3.	Amount of interest due and payable for the Period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act,2006	NIL	NIL
4.	Amount of interest accrued and remaining unpaid	NIL	NIL

5.	Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding year, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprises, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and medium Enterprises Development Act,2006	NIL	NIL
----	--	-----	-----

j) Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-1: Presentation of financial Statements: Capital Management.

The Primary Objective of the Company's capital management is to maximize the shareholder value. The company monitors capital using Debt: Equity ratio, which is Long Term debt divided by total owner's capital, The Debt equity ratio are as follow:

(In Lakh)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
(a) Total Debt	8,73,076.20	5,74,153.15
(b) Total Capital	3,11,554.67	2,43,839.32
<b>Debt: Equity Ratio (a/b)</b>	2.80	2.35

For the purpose of the company's capital management, capital includes issued capital and share application money pending allotment. Debt includes long term loans and borrowings.

k) Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS) 116 "Leases"

Company as lessee

i. The Company does not have any lease commitments towards variable rent as per the contract.

ii. Lease Liability are presented in the statement of financial position as follows:

(In Lakh)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Non-Current	120.80	32.80
Current	35.40	0.35
<b>Total</b>	<b>156.20</b>	<b>33.15</b>

iii. Future minimum lease payments as on 31<sup>st</sup> March 2022 are as follows:

(In Lakh)

Particulars	As on 31 <sup>st</sup> March 2022		
	Lease Payments	Finance Charges	Net Present Values
Minimum lease payments due			
Within 1 year	47.90	(12.49)	35.40
1-2 years	54.63	(9.66)	44.97
2-3 years	50.33	(6.07)	44.26
3-4 years	3.00	(2.54)	0.46
4-5 years	3.00	(2.49)	0.51
After 5 years	66.00	(35.39)	30.61
<b>Total</b>	<b>224.86</b>	<b>(68.64)</b>	<b>156.21</b>



**iv. Lease payments not recognised as a liability**

The expense relating to lease payments not included in measurement of the lease liability as company applied the exemption not to recognize right-of-use assets and liabilities for leases with less than 12 months of lease term on the date of initial application.

(In Lakh)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Short Term Leases	135.90	131.05
Leases of Low value assets	-	-
Variable Lease Payments	-	-
<b>Total</b>	<b>135.90</b>	<b>131.05</b>

**v. Additional information on right-of-use assets by class of assets is as follows:**

(In Lakh)

Particulars	Carrying Amount (Net block)	Depreciation Expense
As on 31 <sup>st</sup> March 2022		
Lease hold land	151.15	32.18
<b>Total right-of-use assets</b>	<b>151.15</b>	<b>32.18</b>

Particulars	Carrying Amount (Net block)	Depreciation Expense
As on 31 <sup>st</sup> March 2021		
Lease hold land	31.52	1.13
<b>Total right-of-use assets</b>	<b>31.52</b>	<b>1.13</b>

**vi. Following are the amounts disclosed in cash flow statement:**

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Cash Outflow from Leases	132.46	93.13
<b>Total</b>	<b>132.46</b>	<b>93.13</b>

**Company as Lessor**

**vii.** The company has leased out its various assets to parties on operating lease basis. Future minimum lease rent receivable under non-cancellable operating lease are given as under:

(INR in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Not Later than one Year	1382.16	1110.78
Later than one year and up to five years	5950.29	5036.46
Beyond five years	2298.60	2658.25
<b>Total</b>	<b>9631.06</b>	<b>8805.49</b>



**l) Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-19” Employee Benefits”**

General description of various defined employee’s benefits schemes is as under:

**i. Provident Fund:**

The company’s Provident Fund is managed by Regional Provident Fund Commissioner. The company pays fixed contribution to provident fund at pre-determined rate. The liability is recognized on accrual basis.

**ii. Gratuity:**

The company has a defined benefit gratuity plan. Every employee who has rendered continuous service of five years or more is entitled to get gratuity @ 15 days salary (15/26\* last drawn basic pay plus dearness pay plus dearness allowance) for each completed year of service on superannuation, resignation, termination and disablement or on death. A policy has been formed for this purpose.

This scheme is being managed by the Life Insurance Corporation of India (LIC) for which the company has taken a Master Policy.

The scheme is funded by the company. The disclosure of information as required under Ind AS-19 have been made in accordance with the actuarial valuation and liability is recognized based on Actuarial valuation.

However, the company is making contribution to the fund as per the demand made by life Insurance Corporation of India.

Regarding the UPMRC employees excluding those on deputation, the Company has procured gratuity plan through LIC wherein every employee is entitled to the benefit equivalent to fifteen days’ salary last drawn for each completed year of service. The same is payable on termination of service or retirement whichever is earlier. The benefit vests after five years of continuous service. The fund is managed by LIC. The total liability recognized based on contribution payable to the Insurer details given as below:

(INR in Lakhs)

Particulars	FY 21-22	FY 20-21
Current Service Cost	32.98	20.59
LIC Premium	11.95	11.52
<b>Total</b>	<b>44.94</b>	<b>32.11</b>

**iii. Pension:**

Employee’s National Pension Scheme is managed by Stockholding Corporation of India. This scheme is optional, and company’s obligation is limited to pay 2.5% of Basic pay of the enrolled employee

The contribution to the scheme for the period is grouped under Employee Cost on accrual basis. In respect of employees on deputation, pension contribution is calculated as per lending organization/Govt. of the India Rules and is accounted for on accrual basis.



**iv. Leave:**

The company provides for earned leave benefits (included compensated absence) and half-pay leave to the employees of the company, which accrue annually at 30 days & 20 days respectively. Only the leave in the encashable leave account is encashable once in a calendar year while is service and a maximum of 300 days (including non-encashable portion and half pay leaves without commutation) on superannuation.

The liability on this account is recognized based on actuarial valuation. In respect of employees on deputation, leave salary contribution is payable to their parent departments @ 11% of pay drawn (Basic pay including Dearness Pay & Special Pay) and is accounted for on accrual basis.

In relation to UPMRC employees excluding those on deputation, the actuarial valuation of leave encashment was carried out by an Actuary and appropriate provisions have been made in books of accounts and financial statements accordingly as following: -

**The results of the calculations of Gratuity & Leave Encashment are as under:**

**Net Defined Benefit obligation:**

Particulars		Gratuity (Funded) (in Lakh)	Leave (Non - Funded) (in Lakh)
Present value of the defined benefit obligation	C.Y.	1042.86	1788.34
	P.Y.	773.00	1532.45
Fair value of the plan assets	C.Y.	654.93	-
	P.Y.	545.89	-
Surplus or (deficit) in the plan	C.Y.	-387.93	-1788.34
	P.Y.	-227.12	-1532.45
Experience adjustments on plan liabilities	C.Y.	-49.02	-529.54
	P.Y.	39.37	78.80
Total Net Defined Benefit obligation	C.Y.	255.91	255.88
	P.Y.	268.76	501.75

**Movement in Plan Assets**

Particulars		Gratuity (Funded) (in Lakh)	Leave (Non - Funded) (in Lakh)
Fair value of assets at beginning of year	C.Y.	545.89	-
	P.Y.	455.15	-
Adjustment to opening fair value of plan assets	C.Y.	0	-
	P.Y.	0	-
Interest income (+)	C.Y.	37.67	-
	P.Y.	31.41	-
Return on plan assets, excluding amounts of interest (+/-)	C.Y.	-14.48	-
	P.Y.	-6.41	-

Change in asset ceiling, excluding amounts included in interest expense (+/-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
FX rate gains (+) and losses (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Contributions by the employer (+)	C.Y.	95.09	-
	P.Y.	68.91	-
Contributions by plan participants (+)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Benefits paid (-)	C.Y.	-9.23	-
	P.Y.	-3.17	-
Business combinations (+) and disposals (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Settlements (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
<b>Fair value of assets at end of year</b>	<b>C.Y.</b>	654.93	-
	<b>P.Y.</b>	545.89	-

#### Movement in Defined Benefit Obligation

Particulars		Gratuity (Funded) (in Lakh)	Leave (Non - Funded) (in Lakh)
Defined benefit obligation at beginning of year	C.Y.	773.00	1532.45
	P.Y.	482.41	1030.70
Current service cost (+)	C.Y.	289.26	679.69
	P.Y.	227.51	351.84
Interest cost (+)	C.Y.	53.34	105.74
	P.Y.	33.29	71.12
Gain (-) / loss (+) from change in demographic assumptions	C.Y.	0	0
	P.Y.	0	0
Gain (-) / loss (+) from change in financial assumptions	C.Y.	-74.12	0
	P.Y.	0	0
Experience adjustment (+/-)	C.Y.	10.62	-529.54
	P.Y.	32.97	78.80
FX rate gains (-) and losses (+)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Contributions by plan participants (+)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Benefits paid (-)	C.Y.	-9.23	-
	P.Y.	-3.17	-



Business combinations (+) and disposals (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Settlements (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
<b>Defined benefit obligation at end of year</b>	C.Y.	1042.86	1788.34
	P.Y.	773.00	1532.45

#### Benefit expense recognised in profit or loss

Particulars		Gratuity (Funded) (in Lakh)	Leave (Non - Funded) (in Lakh)
Current service cost (+)	C.Y.	289.26	679.69
	P.Y.	227.51	351.84
Interest cost (+)	C.Y.	53.34	105.74
	P.Y.	33.29	71.12
Interest income (+)	C.Y.	37.67	-
	P.Y.	31.41	-
Net interest on net defined benefit liability	C.Y.	15.67	105.74
	P.Y.	1.88	71.12
Past service cost (+)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Settlement gains (+) or losses (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
<b>Total expense recognised in profit or loss</b>	C.Y.	304.93	785.43
	P.Y.	229.39	422.95

#### Amount recognized in Other Comprehensive Income

Particulars		Gratuity (Funded) (in Lakh)	Leave (Non - Funded) (in Lakh)
Total Amount recognised in Other Comprehensive Income	C.Y.	-49.02	-529.54
	P.Y.	39.37	78.80

#### Category of investment in Plan assets

Category of investment	% of fair value of plan assets
Total Amount recognised in Other Comprehensive Income	100%

## Actuarial Assumptions

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Non - Funded)
Method used	C.Y.	Projected Unit Credit Method	Projected Unit Credit Method
	P.Y.	Projected Unit Credit Method	Projected Unit Credit Method
Discount Rate	C.Y.	7.30% p.a.	7.30% p.a.
	P.Y.	6.90% p.a.	6.90% p.a.
Salary escalation rate	C.Y.	8% p.a.	8% p.a.
	P.Y.	8% p.a.	8% p.a.
Employee Attrition / withdrawal rate	C.Y.	3.5% p.a.	3.5% p.a.
	P.Y.	3.5% p.a.	3.5% p.a.
Mortality	C.Y.	100% of IALM 2012-14 Ult	100% of IALM 2012-14 Ult
	P.Y.	100% of IALM 2006-08 Ult	100% of IALM 2012-14 Ult

### a. Sensitivity Analysis and Expected Benefit Payments:

#### 1. Sensitivity Analysis -Leave Encashment

Assumption	Change in Assumption	Financial Year Ending 31st March 2022 (in Lakh) – Leave Encashment
Discount Rate	0.50%	-62.03
	-0.50%	69.67
Salary Growth Rate	1.00%	145.49
	-1.00%	-117.67
Price Inflation Rate	1.00%	-
	-1.00%	-
Medical Inflation Rate	1.00%	-
	-1.00%	-
Mortality Rate	+ 3 years	-0.83
	-3 years	0.63



## 2. Sensitivity Analysis - Gratuity

Assumption	Change in Assumption	Financial Year Ending 31st March 2022 (in Lakh) – Gratuity
Discount Rate	1.00%	-157.10
	-1.00%	199.83
Salary Growth Rate	1.00%	160.37
	-1.00%	-149.12
Withdrawal Rate	1.00%	-16.39
	-1.00%	18.01

## 3. Expected Benefit Payments

Sr. No.	Year of Payment	Gratuity	Leave Encashment
1	31-Mar-23	35.79	43.90
2	31-Mar-24	50.87	28.15
3	31-Mar-25	39.48	32.06
4	31-Mar-26	44.68	30.50
5	31-Mar-27	48.34	31.85
6	31-Mar-2028 to 31-Mar-2032	281.55	199.09

### m) Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS 21) “The Effects of changes in Foreign Exchange Rates”:

- The amount of exchange differences (net) credited/ debited to the statement of Profit & Loss is Nil (PY NIL Lakhs).
- Adjustment in PPE/ CWIP includes INR 538.78 Lakh (PY INR 405.24 Lakh) on account of exchange differences due to translation of Monetary Items

### n) Disclosure in respect of Ind AS 24 “Related Party Disclosures”

#### i. Key Management Personnel:

- Shri Kumar Keshav, Managing Director
- Shri Sanjay Mishra, Whole Time Director (Works & Infrastructure)
- Shri Atul Kumar Garg, Whole Time Director (Rolling Stock & Systems) (w.e.f. 03-12-2019)
- Shri Sheel Kumar Mittal, Whole Time Director (Finance) (w.e.f. 31-07-2020)
- Shri Sushil Kumar, Whole Time Director (Operations) (w.e.f. 25-10-2018)
- Smt. Pushpa Bellani, Company Secretary

ii. **Disclosure of transactions of the company with related parties (Key Management Persons):**

Particulars	2021-22 (in Lakh)	2020-21 (in Lakh)
Salaries & Allowances	231.39	196.85
Contribution to Provident Fund and other Funds, Gratuity & Group Insurance	21.12	16.80
Other Benefits	24.43	14.51
Total (included in Employees Cost )	276.94	228.16

iii. **In addition to the above remuneration,**

1. The whole time Directors have been allowed to use the Company owned car (including for private journeys) subject to recovery as per the Company's rules.
2. No other transaction with any other related parties was carried out during the FY 2021-22.

o) **Disclosure in respect of Ind. AS - 33: EARNING PER SHARE:**

Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the period should be adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

Particulars	2021-22	2020-21
Profit after taxation & prior period adjustment for the earlier years as per Statement of Profit & Loss (INR in Lacs)	-30795.71	-32984.69
Weighted average number of equities shares outstanding: (Nos. in Lacs)		
Basic	3366.42	2400.63
Diluted	3652.40	2652.43
Basic Earnings Per Share (INR) (Face value of INR 100/- per share)	-9.15	-13.74
Diluted Earnings Per Share (INR) (Face value of INR 100/- per share)	-8.43	-12.44



p) **Disclosures in respect of IND 107- “Financial Instruments: Disclosure”**

i. **Financial Instruments by Categories**

The carrying values of financial instruments by categories are as follows

Particulars	As on 31 <sup>st</sup> March, 2022			As on 31 <sup>st</sup> March, 2021	
	Amortized cost (in Lakh)	FVT PL (in Lakh)	FV OCI (in Lakh)	Amortized cost (in Lakh)	FVT PL (in Lakh)
Loans	-	-	-	-	-
Other Financial Assets (Refer Note-5 & 9)	3849.94	-	-	2232.51	-
Trade Receivables	-	-	-	-	-
Cash & Cash Equivalents (Refer Note - 8)	383067.00	-	-	156863.90	-
<b>TOTAL</b>	<b>389616.94</b>	-	-	<b>159096.41</b>	-
Borrowings (Refer Note - 14)	860092.74	-	-	563705.20	-
Other Financial Liabilities (Refer Note – 15,19 &22)	43133.79	43129.21*	-	34067.70	34064.58*
Trade Payable (Refer Note-21)	904.80	-	-	1163.59	-
<b>TOTAL</b>	<b>904131.33</b>	<b>43129.21</b>	-	<b>598936.49</b>	<b>34064.58</b>

\* The other financial comprises of Security deposits from contractors and customers.

ii. **Fair Value Hierarchy:**

Financial assets and liabilities measured at fair value in the statement of financial position are categorized into three levels of fair value hierarchy. The three levels are defined based on the observability of significant inputs to the measurement as follows:

**Level 1:** Quoted Prices (unadjusted) in active markets for identical financial instruments that the entity can access at the measurement date.

**Level 2:** The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques which maximise the use of relevant observable market input and minimise use of unobservable inputs.

**Level 3:** If one or more of the significant inputs is not based on the observables market inputs, the instrument is categorised in level 3 of fair value hierarchy.



iii. **Financial Assets/Liabilities measured at amortized cost for which Fair Value are disclosed:**

(In Lakh)

Particulars	Level	As on 31 <sup>st</sup> March, 2022		As on 31 <sup>st</sup> March, 2021	
		Amortised Cost	Fair Value	Amortised Cost	Fair Value
<b>Financial Assets:</b>					
Loans	Level 2	-	-	-	-
Other Financial Assets (Refer Note-5 & 9)	Level 2	3849.94	3849.94	2232.51	2232.51
<b>Financial Liabilities:</b>					
Other Financial Liabilities (Refer Note-15, 19& 22)	Level 2	43133.79	43129.21*	34067.70	34064.58*

\* The other financial comprises of Security deposits from contractors and customers.

iv. **Valuation techniques and process used to determine fair values**

- v. The carrying value of financial assets and liabilities with the maturities less than 12 months are representative of their fair value
- vi. Fair value of the other financial assets and liabilities carried at amortized cost is determined by discounting of cash flows using a discount rate which is defined as per Accounting Policy No. 32 (q)(II)..

q) **Financial Risk Management**

**Financial risk factors**

The Company is exposed to various risks in relation to financial instruments. The company's financial asset and liabilities by category are summarized above. The main types of risks are market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's Risk Management focus on actively securing the Company's short to medium term cash flows by minimizing the exposure to volatile financial markets. The most significant financial risks to which the company is exposed are described below:

i. **Market Risk**

The Company has foreign exchange risk as Market Risk. The Company does not have any interest rate risk since the loans to the company are at either NIL rate of interest or at fixed rate of interest as per disbursement notice of each tranche of loan received from EIB. Also, company does not have price risk since company is not having derivative financial asset.

The exchange fluctuation risk is due to import of Property Plant and Equipment from outside India. The company does not have any hedging instrument to cover the foreign exchange risk.



## ii. Credit Risk

Credit Risk refers to the risk of default on its obligation by the counterparty resulting in a financial loss. The company exposed to this risk for various financial instruments, for example by granting advances to the employees, receivables from customers, security deposits etc. The maximum exposure to the credit risk at the reporting date is primarily from carrying amount of following types of financial assets.

- Cash and Cash equivalents
- Trade receivables
- Other financial assets measured at amortized cost.

The company continuously monitors defaults of customers and other counter parties, identifies either individually at reasonable cost, external credit ratings and/or reports on customers and the other counterparties are obtained and used.

### Credit risk Management

#### • Cash and cash equivalent

Credit risk related to cash and cash equivalent is managed by placing funds in schedule commercial banks which are subject to the regulatory oversight of the Reserve Bank of India, and these banking relationships are reviewed on an ongoing basis.

#### • Other financial assets

Other financial assets are measured at amortized cost and there is no impairment.

#### • Expected credit losses

Company provides expected credit losses based on the following:

#### • Trade Receivables

Trade receivables are impaired when recoverability is considered doubtful based on the recovery analysis performed by the company for individual trade receivables. The company considers that all the above financial assets that are not impaired and past due for each reporting dates under review are of good credit quality.

### Other financial assets measured at amortized loss

Credit risk related to employee loans are considered negligible since loan is secured against the property for which loan is granted to the employees. Credit risk related to these other financial assets is managed by monitoring the recoverability of such amounts continuously, while at the same time internal control system in place ensure that the amounts are within the defined limits. There are no impairment provisions as at each reporting date against these financial assets. We consider all the above financial asset as at the reporting dates to be of good credit quality

## iii. Liquidity Risk

Our liquidity needs are monitored based on monthly and yearly projections. The Company's principal sources of liquidity are cash and cash equivalents, revenue generated from operations, Long term loan from EIB, Interest free subordinate debt, share capital and grant.

We manage our liquidity needs by continuously monitoring cash inflows and by monitoring cash and cash equivalents, Net cash requirements are compared to available cash in order to determine any shortfalls.

Short term liquidity requirement consists of mainly of sundry creditors, expense payable, employee dues, retention and deposits arising during the normal course of business as of each reporting date. We maintain a sufficient balance in cash and cash equivalents to meet our short-term liquidity requirements.

We assess long term liquidity requirements on a periodical basis and manage them through internal accruals. Our non-current liabilities include EIB loan, Interest free subordinate debt, retention & deposits and liabilities for Employee benefit.

**r) Segment Reporting (Ind AS 108)**

The Company's operations comprise only one business segment – Running & Maintenance of Metro Rail Facility. In the context of reporting business segment as required under Ind AS 108 - Operating Segments the company generates some revenue from other sources also such as space sale, sale of tender forms etc. It has been termed as non-fare box revenue.

Based on the “management approach” as defined in Ind-AS 108 - Operating Segments, the Chief Operating Decision Maker evaluates the Company's performance and allocates resources based on an analysis of various performance indicators by business segment. Accordingly, information has been presented along these business segments which have been defined based on the Quantitative thresholds in paragraph 13 of Ind-AS 108-Operating Segments.

**Information about Services.**

(in lakhs)

Particulars	2021-22	2020-21
Fare Box Revenue	3559.73	1594.00
Non-Fare Box Revenue	979.24	970.63

The Operating segments used to present segment information are identified on the basis of internal reports used by the Group's management to allocate resources to the segments and assess their performance. The group's principal segments are Lucknow, Kanpur and Agra metro projects.



Particulars	Lucknow		Kanpur		Agra		Total	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
<b>A Segment Income</b>								
Revenue From Operations	4,374.18	2,564.63	164.79	-	-	-	4,538.97	2,564.63
Other Income	3,453.64	4,361.45	3,368.15	-	1,378.12	-	8,199.91	4,361.45
<b>Total Income</b>	<b>7,827.82</b>	<b>6,926.09</b>	<b>3,532.93</b>	<b>-</b>	<b>1,378.12</b>	<b>-</b>	<b>12,738.88</b>	<b>6,926.09</b>
Less:- Operating Expenses and Other Expenses*	7,082.57	6,743.22	1,859.11	-	21.87	-	8,963.55	6,743.22
Employees' Benefit Expenses	6,239.22	6,463.00	414.14	-	-	-	6,653.36	6,463.00
Unallocated Expenses/ (Income)							-556.71	94.89
<b>B Segment Result (EBDT)</b>	<b>(5,493.97)</b>	<b>(6,280.14)</b>	<b>1,259.68</b>	<b>-</b>	<b>1,356.26</b>	<b>-</b>	<b>(2,321.33)</b>	<b>(6,375.02)</b>
Less:- Finance Cost	997.96	870.72	0.05	-	-	-	998.01	870.72
Depreciation & Amortization Expenses	25,931.49	25,735.95	1,542.42	1.12	2.47	1.87	27,476.38	25,738.94
<b>C Segment Profit/ (Loss) before tax</b>	<b>(32,423.42)</b>	<b>(32,886.81)</b>	<b>(282.79)</b>	<b>(1.12)</b>	<b>1,353.79</b>	<b>(1.87)</b>	<b>(30,795.71)</b>	<b>(32,984.69)</b>
Less:- Tax expense								
<b>D Profit/ (Loss) for the year</b>	<b>(32,423.42)</b>	<b>(32,886.81)</b>	<b>(282.79)</b>	<b>(1.12)</b>	<b>1,353.79</b>	<b>(1.87)</b>	<b>(30,795.71)</b>	<b>(32,984.69)</b>

\*Other Expenses include INR 1346.37 Lacs for Kanpur Metro pertaining to start of Revenue Operation on 28/12/2021 which is net of INR of 1100 lacs that has been reimbursed by Bharat Petroleum Corporation Limited to UPMRC.

### Geographical Segment

Presently the Company operates within the cities of Uttar Pradesh only and does not have operations in any other city having economic environments with different risks and returns. Hence, it is considered operating in single geographical segment.

### Information about major customers.

Revenue from customer – M/s Jagran Prakashan Limited and M/s Space Teleinfra (P) Limited contributed INR 638.65 lakhs and INR 138.60 lakhs respectively that is 10% or more to the company's Non-fare Box revenue for year ended on 31.03.2022

In compliance to the audit observation raised by C&AG during supplementary audit of FY 2020-21 regarding disclosure related to M/s Abhi Advertising. It is to be clarified that in reality there were no amount receivable from M/s Abhi Advertising and there were no disputes between UPMRC and M/s Abhi Advertising. M/s Abhi Advertising was using 8 nos. of train set for advertisement however UPMRC has inadvertently raised billing of total 20 nos. of trains sets. Considering above mentioned fact, Competent

Authority has approved for issue of credit notes to the party for balance 12 train sets that were not used by the party.

s) Previous year's figures have been regrouped/ rearranged/ reclassified, wherever felt necessary, so as to make them comparable to the current year's presentation.

t) **Key financial Ratios:**

Sr. No.	Ratios	Numerator	Denominator	FY 2021-22	FY 2020-21	% Variance
(a)	Current Ratio,	Current assets	Current Liabilities	7.52	4.34	73.19
	Debt-Equity Ratio,	Total Debt (Borrowings)	Total Equity	2.80	2.35	19.01
(c)	Debt Service Coverage Ratio,	Earning available for debt service	Finance Costs (excluding cost pertaining to lease liabilities) + Repayment of borrowings	(0.85)	(0.56)	52.56
(d)	Return on Equity Ratio,	Profits after tax	Average Total Equity	-11%	-15%	(23.27)
(e)	Inventory turnover ratio,	Cost of goods sold	Average Inventory	0.19	-	
(f)	Trade Receivables turnover ratio,	Revenue from Sale of Products and Services	Average Trade receivables	14.67	1.65	786.41
(g)	Trade payables turnover ratio,	Net Purchases of raw material, packing material and stock-in-trade	Average Trade payables	0.10	-	
(h)	Net capital turnover ratio,	Revenue from Operations	Working Capital (Current Assets - Current Liabilities)	0.01	0.02	(33.25)
(i)	Net profit ratio,	Profit after tax	Revenue from Operations	(6.91)	(12.83)	(46.12)
(j)	Return on Capital employed,	Profit before interest (excluding interest on lease liabilities), exceptional items and tax	Average Capital Employed [Total Equity + Total Debt (Borrowings)]	(0.03)	(0.04)	(34.64)
(k)	Return on investment.	Income during the year	Time weighted average of investment	4.07%	4.50%	(9.56)

**Auditor's Report:**

In terms of our separate report of even date annexed

**For and on behalf of the Board**

Sd/-  
**(Kumar Keshav)**  
Managing Director  
DIN: 02908695

Sd/-  
**(Sheel Kumar Mittal)**  
Director Finance  
DIN: 08821866

**For : Vinay Naveen & Company**  
Chartered Accountants  
FRN : 009188C

Sd/-  
**(CA Vinay Mittal)**  
Partner  
Membership No : 078907

Place : Lucknow  
Date : 29th June 2022

Sd/-  
**(Pushpa Bellani)**  
Company Secretary  
M.No. F8440



## भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा-प्रथम)

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

## INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

Office of the Principal Accountant General (Audit-I)

Uttar Pradesh, Prayagraj

### स्पीड पोस्ट/गोपनीय

No. PAG(Audit-I)/AMG-V/PSU/UPMRCL/AA/2021-22/2022-23/178 दिनांक: 22-11-2022

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

लखनऊ-226010

विषय : उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,


एतत्सह कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अधीन उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2022 के समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित की जा रही है।

कृपया वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष इन टिप्पणियों के प्रस्तुत किए जाने की वास्तविक तिथि की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

The Report has been prepared on the basis of information furnished and make available by the auditee. The Office of the Principal Accountant General (Audit-I), Uttar Pradesh, Prayagraj disclaims any responsibility for any misinformation and/or non-information on the part of auditee.

कृपया पत्र की पावती भेजें।

संलग्नक यथोपरि



उप महालेखाकार/ए.एम.जी.व

सत्यनिष्ठा भवन, 15-ए, दयानन्द मार्ग, प्रयागराज-211001 दूरभाष : (कार्यालय) 0532-2420441 (का) फैक्स: 0532-2424102  
Satyanishtha Bhawan, 15-A, Dayanand Marg, Prayagraj-1, Phone: 0532-2420441(O) Fax : 0532-2424102

## COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(1) 014"IIIE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF UTTAR I'RADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

The preparation of financial statements of' Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited (Company) for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is responsibility of the Management of' the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 28 July 2022.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under Section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2022. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under Section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

### A. Comments on Profitability

#### Statement of Profit and Loss

#### Other Income (Note No. 26): 82.00 crore

1. The above includes interest of ₹ 2.35 crore earned on unutilised Government Grant. The Company has received Financial Assistance of ₹ 214.40 crore and 161.00 crore respectively for Kanpur Metro Project and Agra Metro Project for reimbursement of state taxes from GoUP till 31 March 2022. The same is recognised as Government Grant in the Financial Statements for the year 2021-22.

This accounting treatment is in-contravention to the State Government order dated 21 March 2012, which provides for depositing the interest earned on the funds released by State Government, excluding loan, to State Consolidated Fund. This resulted in overstatement of Other Income and understatement of Other Current Liabilities by ₹ 2.35 crore each. This also resulted in understatement of Loss for the year by ₹ 2.35 crore.

2. The above includes interest of ₹ 9.63 crore earned on the investment of borrowed funds. As per Significant Accounting Policies para No. 32.2 (aa) it is provided that that "Interest earned on short term investment of borrowings is adjusted against the value of assets". I however, in violation of Accounting Policy interest amounting to ₹ 9.63 crore earned on the investment of Borrowed Funds in respect of Kanpur Metro Project and Agra Metro Project has been accounted for as Other Income instead of adjusting the same against the value of assets.

This resulted in overstatement of Other Income and Capital Work in Progress by ₹ 9.63 crore each. This also resulted in understatement of Loss for the year by ₹ 9.63 crore.



## B. General

3. At para No. 32.1.1 Corporate Information of Note No. 32 it is stated that “Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited (referred to as “the Company”), formerly Lucknow Metro Rail Corporation Limited, is domiciled and incorporated in India (CIN: U60300UP2013SGC060836) with 50:50 equity participation of the Government of India (G01) and the Government of Uttar Pradesh (GoUP)”. However, the actual equity participation of Gol and GoUP in Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited as on 31.3.2022 was 48.82 and 51.18 per cent respectively. Thus, the equity participation principle in allotment of equity shares between Got and GoUP on equal basis has not been followed.

### Notes to Accounts

4. The Company received Government Grant of ₹ 1,143.33 crore as on 31 March 2022. This amount includes grant received towards fixed assets, financial assistance for state taxes, capital grant (non-monetary) and grant recognised against land barter in respect of its Metro Rail projects in Lucknow, Kanpur and Agra.

However, project wise details of Government grant received along with status of amortization/ utilisation has not been disclosed in Notes to Accounts.

For and on the behalf of  
the Comptroller & Auditor General of India



(B K Mohanty)  
Principal Accountant General (Audit-I), U.P

Place: Prayagraj  
Date: 22.11.2022



S.No.	Final Comments	Management Reply
A(1)	<p><b>Comments on Profitability</b> <b>Statement of Profit and Loss</b> <b>Other Income (Note No. 26): ₹ 82.00 crore</b></p> <p>The above includes interest of ₹ 2.35 crore earned on unutilised Government Grant. The Company has received Financial Assistance of ₹ 214.40 crore and 161.00 crore respectively for Kanpur Metro Project and Agra Metro Project for reimbursement of state taxes from GoUP till 31 March 2022. The same is recognised as Government Grant in the Financial Statement for the year 2021-22.</p> <p>This accounting treatment is in-contravention to the State Government order dated 21 March 2012, which provides for depositing the interest earned on the funds released by State Government, excluding loan, to State Consolidated Fund.</p> <p>This resulted in overstatement of Other Income and understatement of Current Liabilities by ₹ 2.35 crore each. This has also resulted in understatement of loss for the year by ₹ 2.35 crore.</p>	<p>As per the Cabinet Approval F.No. K-14011/08/2016-MRTS-IV dated 27th May 2019 of Kanpur Metro and F.No. K-14011/03/2018-MRTS-IV) dated 27th May 2019 of Agra Metro Project, clause xi of para 8 which reads as follows:-</p> <p><b>“The State Government will either exempt the SPV from its states/ local taxes and duties/ levies or reimburse the same.”</b></p> <p>In this regard, GoUP has released Rs. 214.40 crore for Kanpur and Rs. 161.00 Crore for Agra Metro Projects towards the reimbursement of state taxes and not in the nature of Government Grant as perceived by the audit. Further, this amount is being utilised for payment of state taxes and expected to get adjusted by the end of FY 2022-23.</p> <p>Further, to comply with the requirement of Ind AS 20 the same is required to be disclosed under head Other Non-Current Liabilities and the amount has been received towards the reimbursement of the state taxes has been clubbed under the sub head “Government Grants”.</p> <p><b>Now in view of the audit observation and for the sake of clarity Management has decided to separately classify this such amount received from State Government in the Financial Statement of FY 2022-23 onwards under sub head “Amount for Reimbursement of State Taxes”.</b></p> <p><b>Since the above-mentioned amount is in the nature of reimbursement of state taxes and not in the nature of Government Grant hence the Government order dated 21st March 2012 is not applicable. In light of the above audit is requested to kindly review and drop the para.</b></p>



<p>A(2)</p>	<p>The above includes interest of ₹ 9.63 crore earned on the investment of borrowed funds. As per Significant Accounting Policies para no. 32.2 (aa) it is provided that “Interest earned on short term investment of borrowings is adjusted against the value of assets”. However, in violation of Accounting Policy interest amounting to ₹ 9.63 crore earned on the investment of Borrowed Funds in respect of Kanpur Metro Project and Agra Metro Project has been accounted for as Other Income instead of adjusting the same against the value of assets.</p> <p>This resulted in overstatement of Other Income and Capital Work in Progress by ₹ 9.63 crore each. This has also resulted in understatement of loss for the year by ₹ 9.63 crore.</p>	<p>In this regard, reference may be kindly drawn to the letter no. K-14011/21/2016-MRTS-Coord dated 08th August 2016 of Ministry of Urban Developments which reads as “Interest earned on short term investment of funds received by Metro Rail Companies towards equity and interest free subordinate debt shall be recognised in the statement of profit and loss. The treatment of interest earned on short term investment of borrowing, including PTA, shall remain the same, i.e. the interest earned shall be adjusted against the borrowings costs to be capitalised in the cost of assets/ project concerned in a transparent and auditable manner.”</p> <p>Audit should appreciate the fact that UPMRC has adopted correct accounting treatment in compliance with the above-mentioned letter.</p> <p><b>However, as discussed during the audit additional disclosure/ clarification in notes to account with respect to interest bearing borrowings will be made in the financial statements of 2022-23.</b></p>
<p>B(3)</p>	<p><b>General</b></p> <p>As per para no. 32.1.1 Corporate Information of Note No. 32 it is stated that “Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited (referred to as “the Company”), formerly Lucknow Metro Rail Corporation Limited, is domiciled and incorporated in India (CIN: U60300UP2013SGC060836) with 50:50 equity participation of the Government of India (GOI) and the Government of Uttar Pradesh (GoUP)”.</p> <p>However, the actual equity participation of GoI and GoUP in Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited as on 31.3.2022 was 48.82 and 51.18 percent respectively. Thus, the equity participation principle in allotment of equity shares between GoI and GoUP on equal basis has not been followed.</p>	<p>Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited is a 50:50 jointly owned Special Purpose Vehicle (SPV) of Government of India (GoI) and Government of Uttar Pradesh (GoUP) having equal equity participation. As per the funding pattern of the Lucknow, Kanpur &amp; Agra Metro Rail Project, equal participation of equity by Govt. of India and Govt. of UP has been approved. However, Govt. of India and Govt. of UP have released fund provisioned under the equity head as per the allocated / sanctioned budget of the GoI &amp; GoUP.</p> <p>In the case of Lucknow Metro Rail Project (completed on 08.03.2019), there is equal equity participation of Rs. 1003 crore each from GoI &amp; GoUP as on 31.03.2019.</p> <p>Project of Kanpur &amp; Agra is under progress and expected to completed by Nov,2024 and Dec, 2025 respectively. Fund provisioned under the equity head for Kanpur &amp; Agra</p>

		<p>Metro Rail Project is being released as per the sanctioned budget of the Gol &amp; GoUP. Equity participation of Gol &amp; GoUP as on 31.03.2022 was 48.82% and 51.18% respectively, which was as per the actual equity amount released from Gol &amp; GoUP. However, <b>it is to be mentioned here that once all the funds are released by Gol and GoUP equal equity participation would be there.</b></p> <p><b>In light of the above audit is requested to review and drop the above para.</b></p>
(4)	<p><b>Notes to Accounts</b></p> <p>The Company received Government Grant of ₹ 1143.33 crore as on 31 March 2022. This amount includes grant received by the company towards fixed assets, financial assistance for state taxes, capital grant (non-monetary) and grant recognised against land barter in respect of its Metro Rail projects in Lucknow, Kanpur and Agra.</p> <p>However, project wise details of Government grant received along with status of amortization/ utilisation has not been disclosed in Notes to Accounts.</p>	<p><b>As highlighted by the audit regarding disclosure of the items related to Other Non- current Liabilities (Note-18) in Notes to Accounts. The same will be disclosed project-wise in preparation of financial statement of FY 2022-23 as intended by the audit.</b></p> <p><b>In light of above facts, audit may kindly review and drop the above comment.</b></p>



## MAJOR EVENTS IN 2021-22



Kanpur Metro's Priority Corridor certified with ISO 14001 for environment management & ISO 45001 for safety management.



UPMRC celebrated 7th International Yoga Day by conducting Yoga session at Offices of Lko, Kanpur & Agra.



Inauguration of Revenue Operations of Kanpur Metro by Hon'ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.



Priority Corridor of Kanpur Metro awarded with Platinum Certification by IGBC



Celebration of 73rd Republic Day by UPMRC



Project is awarded for achievement in Environment Protection by Greentech Foundation.



Special ride by staff of CSJM University in Kanpur Metro.

MAJOR EVENTS IN 2021-22



Kanpur Metro Metro Ride for Women Entrepreneur in Kanpur Metro on occasion of International Women's Day.









गुरुदेव  
चौराहा



Gurudev  
Chauraha



गुरुदेव चौराहा Gurudev Chauraha



Gurudev Chauraha





यूपीएमआरसी

**उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड**  
**UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LTD.**

पंजीकृत कार्यालय : प्रशासनिक भवन, निकट डॉ० भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल,

Administrative Building: Near Dr. Bhimrao Ambedkar Samajik Parivartan Sthal,

विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी.) इंडिया

Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (U.P.) INDIA

फोन: +91 522 2304014 | फ़ैक्स: +91 522 2304013 | वेबसाइट: www.upmetrorail.com

Tel: +91 522 2304014 | Fax: +91 522 2304013 | Website: www.upmetrorail.com